



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032025-261696
CG-DL-E-18032025-261696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946

No. 77]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रारंभिक जांच परिणाम

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2025

मामला सं. एसजी-01/2024

विषय: "गैर-मिश्रित धातु और मिश्रित धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" के आयात के संबंध में रक्षोपाय जांच में प्रारंभिक जांच परिणाम।

फा. सं. 22/01/2024-डीजीटीआर.-क. मामले की पृष्ठ भूमि

- दि इंडियन स्टील एसोसिएशन ("आईएसए" अथवा "आवेदक"), अपने सदस्यों नामतः, क) आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, ख) एएमएनएस खोपोली लिमिटेड, ग) जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, घ) जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड,

ड.) भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, च) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, और छ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सामूहिक रूप से "आवेदक कंपनियों" के रूप में संदर्भित) की ओर से महानिदेशक (जिसे आगे "प्राधिकारी", अथवा "डीजी" अथवा "महानिदेशक" के रूप में कहा गया है) भारत में "गैर-मिश्रित धातु और मिश्रित धातु इस्पात फ्लैट उत्पादों" (जिसे आगे "पीयूसी" तथा विचाराधीन उत्पाद अथवा "संबद्ध वस्तु") के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग करते हुए सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय कदमों की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1995 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 8ख के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया।

2. आवेदक का आरोप है कि आयात की मात्रा में हाल ही में अचानक, तीव्र और अधिक वृद्धि हुई है, जिससे भारत में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। आवेदक का आगे यह आरोप है कि आयात इतनी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में हुआ है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और होने का खतरा है। आवेदक समान वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादन में लगे घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के आयात से होने वाली ऐसी गंभीर क्षति और उसके खतरे से बचाने के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने की मांग करता है।
3. प्राधिकारी ने 19 दिसंबर 2024 के नोटिस के संदर्भ में आवेदन में दिए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करने के बाद इस नियमावली के नियम 5(3) के अन्तर्गत वर्तमान रक्षोपाय जांच शुरू की और अपने आप को संतुष्ट किया कि क) आयातों में हाल ही में, अचानक, तीव्र और अधिक वृद्धि, ख) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का खतरा, और ग) बढ़े हुए आयात और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध और उसके संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
 - क. प्राधिकारी ने सीजी-डीएल-ई 202122024-259547 के माध्यम से 19 दिसंबर 2024 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग I संख्या 337 में प्रकाशित दिनांक

19 दिसंबर 2024 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना सं. 22/01/2024-डीजीटीआर के संदर्भ में वर्तमान जांच शुरु की।

- ख. नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार, जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण (एनसीवी) की प्रतियां निर्यातक देशों के दूतावासों, ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं और संबंधित एसोसिएशनों को अग्रेषित की गई थी।
- ग. निर्यातक देशों के दूतावासों, उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं सहित हितबद्ध पक्षकारों को अपने जवाब दायर करने के लिए शुरु में 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद, प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया और उनके उत्तर दायर करने के लिए 22 जनवरी, 2025 तक समय विस्तार प्रदान किया।
- घ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:

1. रिझाओ
2. बेटाई आयरन एंड स्टील
3. बाओटौ आयरन एंड स्टील ग्रुप
4. जिआंगसू शगांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
5. टोंगहुआ आयरन स्टील ग्रुप कॉर्पोरेशन
6. अंगांग स्टील कंपनी
7. नानजिंग आयरन एंड स्टील
8. तांगशांग आयरन एंड स्टील
9. वुहान आयरन एंड स्टील
10. तियानजिन आयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड
11. शंघाई कलर स्टील कंपनी लिमिटेड
12. बाओस्टील ग्रुप कॉर्पोरेशन
13. एओसेन स्टील
14. निप्पॉन सुमितोमो
15. जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन
16. कोबे

17. निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड
18. पोस्को
19. हुंडई स्टील कंपनी लिमिटेड
20. डोंगकुक स्टील मिल कोल लिमिटेड
21. सेवरस्टल
22. ईवीआरएजेड
23. मैग्नीटोगोर्स्क आयरन एंड स्टील
24. क्राकाटाऊ स्टील
25. ग्रोथ स्टील
26. पीटी. गुनावान डियानजया स्टील, टीबीके
27. आर्सेलर मित्तल, यूक्रेन
28. पीजेएससी "निकोपोल फेरोएलॉय प्लांट"
29. आर्सेलर मित्तल जर्मनी होल्डिंग जीएमबीएच
30. आर्सेलर मित्तल इटालिया
31. स्टील कोट यूरोप एल्यूर (आर्सेलर मित्तल)
32. थिसेनक्रुप स्टील यूरोप एजी
33. एसएसएबी
34. मेटल ट्रेड कोमैक्स
35. वोएस्टलपाइन एजी
36. हटनवेर्के क्रुप मैनेसमैन
37. साल्जगिटर ग्रुप

ड. निम्नलिखित पक्षकारों ने या तो जांच में अपनी रुचि दर्ज की और/अथवा उत्पाद को बाहर करने का अनुरोध, प्रश्नावली का उत्तर और प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में अनुरोध दायर किए:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
1.	ताइवान दूतावास	2.	केएडी एंड कंपनी (एजेंसी) प्राइवेट लिमिटेड
3.	कोरिया दूतावास	4.	शंकर मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड एसएमपीएल
5.	इंडोनेशिया दूतावास	6.	जयस्प्रिंग्स
7.	ब्रिटिश उच्चायोग	8.	वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड
9.	रूस दूतावास	10.	लियोमेट अलॉयज
11.	मलेशिया उच्चायोग	12.	डीएमसी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
13.	सऊदी अरब दूतावास	14.	डेसॉन्ग इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
15.	जापान दूतावास	16.	डेचांग सीट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
17.	वियतनाम उद्योग और व्यापार मंत्रालय	18.	केएसएच ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
19.	स्पेन दूतावास	20.	जीनुव्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	तुर्की दूतावास	22.	आर्या ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
23.	यूएई दूतावास	24.	फाइन कंपोनेंट्स एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
25.	यूरोपीय संघ दूतावास	26.	टैडपोल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
27.	ब्राजील दूतावास	28.	सुंगवू स्टैम्पिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29.	मेक्सिको दूतावास	30.	प्युंग हवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीएचआई
31.	वाणिज्य मंत्रालय, थाईलैंड	32.	वेस्टास विंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33.	स्वीडन दूतावास	34.	पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
35.	डिलिंगर हुटेनवर्क की एक्टिवन-गेसेलशाफ्ट	36.	वी डब्ल्यू इम्पैक्स
37.	वीना वन स्टील मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन	38.	व्योमा एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
39.	ताय नाम स्टील मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	40.	जी जी स्टील्स
41.	निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	42.	वाईएसआई ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
43.	निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन	44.	एसआरके इंटरनेशनल

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
45.	जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन	46.	गेस्टैम्प ऑटोमोटिव चन्नई प्राइवेट लिमिटेड
47.	कोबे स्टील लिमिटेड	48.	यूई प्रेस टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
49.	टोयोटा त्सुशो कॉर्पोरेशन	50.	सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम)
51.	जेएफई शोजी कॉर्पोरेशन	52.	सातोशोजी-इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
53.	टोयोटा त्सुशो कॉर्पोरेशन	54.	एसकेएच एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
55.	कोरिया गणराज्य का व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय	56.	कृष्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड
57.	जेएफई शोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	58.	पीओएस-हुंडई स्टील मैन्युफैक्चरिंग (आई) प्राइवेट लिमिटेड
59.	निप्पाॉन स्टील पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	60.	टीटी स्टील सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
61.	राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	62.	स्टील एंड बियरिंग कॉर्पोरेशन
63.	निसान ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड	64.	कलरशाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
65.	रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	66.	चिराली एंटरप्राइजेज"
67.	होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	68.	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
69.	निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	70.	1. पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2. ग्रुपो कॉसमॉस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 3. पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
71.	जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन	72.	नआरबी बियरिंग लिमिटेड
73.	जीएस ग्लोबल कॉर्प	74.	कारिसन प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड
75.	हुंडई कॉर्पोरेशन	76.	सुंगवू हाई-टेक एपी प्राइवेट लिमिटेड
77.	हुंडई स्टील कंपनी	78.	डेचांग इंडिया सीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
79.	हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड	80.	हवाशिन ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
81.	होआ सेन ग्रुप	82.	जेबीएम ओगिहारा ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
83.	सैमसंग सीएंडटी कॉर्पोरेशन	84.	टाटा मोटर्स ग्रुप
85.	हयोसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन	86.	पुरोहित स्टील इंडिया लिमिटेड
87.	जियांगयिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी, लिमिटेड	88.	ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव
89.	आंगंग स्टील कंपनी, लिमिटेड	90.	एचएल मंडो आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
91.	बेंगंग स्टील प्लेट्स कंपनी, लिमिटेड	92.	महिंद्रा एंड महिंद्रा
93.	1. चेंगडे चेंगस्टील वैनैडियम और टाइटेनियम कोल्ड रोलिंग 2. थिन प्लेट कं, लिमिटेड.", 3. एचबीआईएस कंपनी लिमिटेड हान्डान शाखा", 4. एचबीआईएस लाओटिंग आयरन एंड स्टील कं, लिमिटेड." 5. वुयांग आयरन एंड स्टील कं, लिमिटेड.",	94.	महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड
95.	जियांगयिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कं, लिमिटेड	96.	एनएलएमके इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
97.	शौगांग कियान'आन आयरन और शौगांग जिंगटांग यूनाइटेड	98.	हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
99.	1. हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य 2. हुंडई स्टील पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 3. हुंडई स्टील अनंतपुर प्राइवेट लिमिटेड 4. हुंडई स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	100.	संसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड,
101.	जिंदल इंडिया प्राइवेट	102.	अशोक लीलैंड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड
103.	किआ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	104.	अशोक लीलैंड लिमिटेड
105.	मैन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	106.	आईबीएफ ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड
107.	रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड	108.	सिन्सरिटी इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
109.	वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड	110.	टैल्ब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड
111.	जिंदल इंडिया लिमिटेड	112.	ऋद्धि सिद्धि स्पेशल स्टील प्राइवेट लिमिटेड
113.	मेगा पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड	114.	हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
115.	रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड	116.	वेलमुरुगन हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड,
117.	हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड	118.	फेडरल मोगुल टीपीआर इंडिया लिमिटेड
119.	चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन	120.	पॉलीहोज सातो शोजी मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
121.	वियतनाम स्टील एसोसिएशन	122.	इंडिया मेटल वन स्टील प्लेट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
123.	इंडियन पाइप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन	124.	कीर्ति प्रेसिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
125.	स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसयूएफआई)	126.	जेबीएम ऑटो लिमिटेड
127.	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	128.	फेरम एक्सट्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
129.	मेटल वन कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("MOCIPL")	130.	मचानी रमेश इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
131.	शिवालिक बायमेटल कंट्रोलस लिमिटेड	132.	पीएचए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
133.	गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	134.	कात्सुशिरो मेटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
135.	किर्को स्टील एलएलपी	136.	टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड
137.	मेटल वन कॉर्पोरेशन	138.	तेहवा एंटरप्राइजेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड
139.	पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड	140.	पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
141.	पोस्को इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	142.	पुष्पांजलि इम्स प्राइवेट लिमिटेड
143.	पोस्को इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	144.	के एम सीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
145.	पोस्को	146.	रिकुन मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
147.	पोस्को स्टीलियन	148.	कुमकांग मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
149.	हुंडई कॉर्पोरेशन	150.	लियोमेट अलायज
151.	डॉंगकुक कोटेड मेटल कंपनी लिमिटेड	152.	क्वांगसंग ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
153.	डॉंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	154.	कोमोस ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
155.	सेवरस्टल	156.	एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड एसीई
157.	हयोसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन	158.	एल.जी.बालकृष्णन एंड ब्रदर्स लिमिटेड,
159.	एनएएम किम स्टील ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	160.	अहमदाबाद स्ट्रिप्स पीडब्लू लिमिटेड
161.	एनएलएमके वेरोना एस.पी.ए.	162.	स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड
163.	एनएलएमके क्लैबेक एस.ए.	164.	एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड
165.	एनएलएमके प्लेट सेल्स एस.ए.	166.	डाली एंड समीर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड,
167.	जेएफई शोजी स्टील मलेशिया एसडीएन बीएचडी	168.	गेस्टैम्प ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
169.	सीएससी स्टील एसडीएन बीएचडी	170.	फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
171.	फॉर्मोसा हा तिन्ह स्टील कॉर्पोरेशन (एफएचएस)	172.	सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड
173.	टीवीपी स्टील ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी	174.	एमिटेक टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
175.	पोस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कोरिया आरपी	176.	गार्टक इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
177.	केजी डोंगबू स्टील कंपनी लिमिटेड	178.	गर्गर्स इंजीनियर्स
179.	मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड	180.	डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
181.	स्टेनलेस स्टील मर्चेण्ट्स एसोसिएशन	182.	चेसिस ऑटोमोटिव कंपोनेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
183.	फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र	184.	तरुण इंटरनेशनल लिमिटेड
185.	दि जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन	186.	आर्केज बिल्डिंग इंडिया एलएलपी

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
187.	ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए)	188.	वीजी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
189.	इंडियन पाइप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए)	190.	मैक्सग्लोबल टेक्नो सिस्टम्स (पी) लिमिटेड
191.	कोरिया आयरन एंड स्टील एसोसिएशन (कोसा)	192.	स्टिच ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
193.	फेडरेशन ऑफ कच्छ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफओकेआईए)	194.	सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
195.	ताइवान स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (टीएसआईआईए)	196.	एसकेएच शीट मेटल्स कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
197.	मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेण्ट्स एसोसिएशन	198.	डब्ल्यूकेएम ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
199.	कंस्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया	200.	एविजा टेक्नोलॉजीज,
201.	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	202.	जेआर एंड कंपनी पूरी स्टील सर्विस
203.	मानकसिया स्टील्स लिमिटेड	204.	ऑल इंडिया मेटल कॉर्प
205.	एसएसएमएस स्टील्स इंडिया एलएलपी	206.	एमआई इलेक्ट्रिकल स्टील

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
			प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
207.	अरुण अग्रवाल (माइक्रो एमएसएमई)	208.	जीडिया इंडिया ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
209.	ब्लूपिन एनर्जी	210.	एआईएसआईएन ऑटोमोटिव हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड
211.	तुराखिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	212.	सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
213.	विनोद कुकवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	214.	पोस्को इंटरनेशनल कॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
215.	इसगेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड	216.	स्टेकोल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
217.	इसगेक हिताची जोसेन लिमिटेड	218.	नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
219.	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	220.	क्वांगजिन इंडिया ऑटोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
221.	सीयू-ब्यूट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	222.	एसएल ल्यूमैक्स लिमिटेड
223.	मेसर्स जय भारत मारुति लिमिटेड और मेसर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड	224.	वूयंग ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड,
225.	एनटेक ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	226.	हंडई ट्रांसिस लीयर ऑटोमोटिव इंड प्राइवेट लिमिटेड
227.	टीआई फ्लूइड सिस्टम	228.	एनवीएच इंडिया ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
229.	सीएससीआई स्टील कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	230.	एचएसआई ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
231.	शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	232.	यूनो मिंडा लिमिटेड
233.	संकेई गिकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	234.	जीआरआई टावर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
235.	जेबीएम ग्रुप	236.	सेनवियन विंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
237.	एक्सेडी इंडिया लिमिटेड	238.	हयोसुंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम	क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार का नाम
239.	सनोह इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	240.	कोमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
241.	एसआरके स्टील	242.	ताइइन स्टील फैब्रिक एंड इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड
243.	शेफलर इंडिया लिमिटेड	244.	टोयोटा बोशोकू डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
245.	डेबू ऑटोमोटिव सीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	246.	एसएसएबी स्वीडिश स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- च. जांच की शुरुआत के बाद, प्राधिकारी ने संगत अवधि के लिए डीजीसीआईएस आंकड़े प्राप्त किए और इस प्रारंभिक जांच परिणाम में उस पर विचार किए। घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति और अन्य सूचना याचिकाकर्ताओं के कंपनी-विशिष्ट आंकड़ों पर आधारित है।
- छ. प्राधिकरण ने आवेदक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का प्रारंभिक सत्यापन किया। इसने आवेदन में दी गई जानकारी को प्रत्येक आवेदक कंपनी द्वारा रखे गए वित्तीय रिकॉर्ड से क्रॉस-चेक किया।
- ज. यह देखते हुए कि जांच अवधि पर्याप्त रूप से लंबी और समय में पर्याप्त रूप से हाल ही की होनी चाहिए ताकि विभिन्न प्रासंगिक कारकों जैसे घरेलू बाजार की स्थिति, डीआई का प्रदर्शन आदि के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाले जा सकें, प्राधिकरण ने उचित किया। तदनुसार, प्राधिकरण ने इस जांच के प्रयोजनों के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 को सबसे हालिया अवधि या जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में और वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई को क्षति जांच अवधि या चोट विश्लेषण अवधि के रूप में लिया है।

- झ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा परस्पर आधार पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतरण व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के माध्यम से निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोधों के ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी जानकारी/अनुरोध को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों परिचालित करने का निदेश दिया गया था।
- ञ. इस दस्तावेज में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और इस नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत ऐसी मानी गई सूचना का प्रतिनिधिक है।
- ट. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर इस सीमा तक विचार किया है कि वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं।
- ठ. कोरिया गणराज्य सरकार और जापान सरकार ने प्राधिकरण से परामर्श करने का अनुरोध किया। प्राधिकरण ने उनके अनुरोध पर विचार किया और 24.01.2025 को कोरिया सरकार के प्रतिनिधियों और 29.01.2025 को जापान सरकार के ई-प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया। परामर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों को इन प्रारंभिक निष्कर्षों में उचित रूप से संबोधित किया गया है।
- ड. प्राधिकारी प्रारंभिक दिए गए तर्कों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जांच परिणामों के समय उसके निष्कर्षों का आधार बनेगा।
- ढ. पीओआई के लिए विनिमय दर 1 US\$=83.09 रु. है।
आवेदक ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां हैं, जिनके कारण नियम 10 के अंतर्गत अनंतिम शुल्क लगाना आवश्यक हो गया है। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आधारों, आवेदन पर इच्छुक पक्षों के उत्तर पर विचार किया है तथा नीचे दिए गए अनुभागों में स्पष्ट किए गए अनुसार रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के आधार पर नियम 9 के अंतर्गत वर्तमान प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. नियमावली के नियम 4(2) के अन्तर्गत, प्राधिकारी को रक्षोपाय कदम के लिए उत्तरदायी वस्तु की पहचान करना आवश्यक है। जांच¹ की शुरुआत संबंधी नोटिस के पैराग्राफ 3 के अनुसार जांच के तहत वस्तु "गैर-मिश्रित धातु और मिश्रित धातु स्टील फ्लैट उत्पाद" (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या 'पीयूसी' कहा गया है) है, जिसमें पांच उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, नामतः, (क) हॉट रोल्ड ("एचआर") कॉइल, शीट और प्लेट, (ख) एचआर प्लेट मिल प्लेट, (ग) कोल्ड रोल्ड ("सीआर") कॉइल और शीट, (घ) धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जिंक या जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के साथ लेपित, और (ड.) कलर कोटेड कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं। विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत प्रशुल्क शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रशुल्क शीर्ष केवल सांकेतिक हैं तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।
6. जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के पैराग्राफ 4 के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से *बाहर* रखा गया है:
- कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएण्टेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ)
 - कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएण्टेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) कॉइल और शीट
 - कोटेड - इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील
 - टिनप्लेट
 - स्टेनलेस स्टील
7. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी का संक्षिप्त संकेतात्मक और गैर-संपूर्ण विवरण प्रदान किया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

¹ आरंभिक सूचना संख्या 22/01/2024-DGTR दिनांक 19 दिसंबर 2024

- क) एचआर काँइल, शीट और प्लेट में वे उत्पाद शामिल हैं जो हॉट-रोल्ड से आगे तैयार नहीं किए जाते हैं और जो प्राथमिक और गैर-प्राथमिक स्थिति में मिश्रित धातु या गैर-मिश्रित धातु स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं, जिनमें 'एज-रोल्ड' किनारा या 'ट्रिम्ड' किनारा या 'स्लिट' किनारा या 'मिल्ड' किनारा या 'शियर्ड' किनारा या 'लेजर-कट' किनारा या 'गैस-कट' किनारा या किसी अन्य प्रकार का किनारा है। ये उत्पाद पिकल्ड या नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास के साथ या उसके बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, सामान्यीकृत या गैर-सामान्यीकृत, अल्ट्रा-सोनिक रूप से परीक्षित या अपरीक्षित, तेलयुक्त या गैर-तेलयुक्त आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद 'एज-रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से नियंत्रित रोल्ड' या 'नियंत्रित रोल्ड' या 'सामान्यीकृत रोल्ड' अथवा 'सामान्यीकृत' या किसी अन्य समान प्रक्रियाओं के अधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों को विभिन्न प्रसंस्करण चरणों जैसे पिकलिंग, ऑइलिंग, रीवाइंडिंग, रीकाँइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के अधीन किया जा सकता है। इन उत्पादों को सैंड ब्लास्ट या शॉट ब्लास्ट किया जा सकता है या समान सतह उपचार प्रक्रियाओं के अधीन किया जा सकता है। एचआर काँइल, शीट और प्लेट्स को हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) रूट या थिन स्लैब कास्टिंग रूट के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है।
- ख) एचआर प्लेट मिल प्लेट मिल का उत्पादन प्लेट मिल रूट के माध्यम से किया जाता है और उसमें वे उत्पाद शामिल हैं जिन्हें हॉट-रोल्ड के अलावा किसी अन्य धातु से आगे तैयार नहीं किया जाता है और जो प्राथमिक और गैर-प्राथमिक स्थिति में मिश्रित धातु या गैर-मिश्रित धातु स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं, जिनमें 'एज-रोल्ड' किनारा या 'ट्रिम्ड' किनारा या 'स्लिट' किनारा या 'मिल्ड' किनारा या 'शियर्ड' किनारा या 'लेजर-कट' किनारा या 'गैस-कट' किनारा या किसी अन्य प्रकार का किनारा है। ये उत्पाद पिकल्ड या नॉन-पिकल्ड (स्किन-पास के साथ या उसके बिना), स्लिट या नॉन-स्लिट, सामान्यीकृत या गैर-सामान्यीकृत, अल्ट्रा-सोनिक रूप से परीक्षित या अपरीक्षित, तेलयुक्त या गैर-तेलयुक्त आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद 'एज-रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से रोल्ड' या 'थर्मो-मैकेनिकल रूप से नियंत्रित रोल्ड' या 'नियंत्रित रोल्ड' या 'सामान्यीकृत रोल्ड' अथवा 'सामान्यीकृत' या

किसी अन्य समान प्रक्रियाओं के अधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों को विभिन्न प्रसंस्करण चरणों जैसे पिकलिंग, ऑइलिंग, रीवाइंडिंग, रीकाइलिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि के अधीन किया जा सकता है। इन उत्पादों को सैंड ब्लास्ट या शॉट ब्लास्ट किया जा सकता है या समान सतह उपचार प्रक्रियाओं के अधीन किया जा सकता है।

एचआर काँइल, शीट्स, प्लेट्स और प्लेट मिल प्लेट्स का पारंपरिक रूप से ऑटोमोटिव, तेल और गैस लाइन पाइप/अन्वेषण, कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद, पवन चक्कियां, जहाज निर्माण, पाइप विनिर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन, निर्माण, पूंजीगत सामान, सीमेंट, उर्वरक, रिफाइनरियों, अर्थ-मूविंग, बॉयलर, प्रेशर वेसल, अवसंरचना परियोजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में कई अन्य अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों के लिए प्रक्रिया उपकरण में उपयोग किया जाता है।

- ग) सीआर काँइल और शीट में सभी चौड़ाई और मोटाई के लोहे या गैर-मिश्रित धातु स्टील या अन्य मिश्रित धातु स्टील के कोल्ड रोल्ड / कोल्ड रिड्यूस्ड / फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद में काँइल में या काँइल में नहीं कोल्ड रोल्ड / कोल्ड रिड्यूस्ड फ्लैट स्टील उत्पाद शामिल हैं, जिसमें स्लिट काँइल या शीट, ब्लैंक शामिल हैं, चाहे एनील्ड हो या बॉक्स एनील्ड या बैच एनील्ड या लगातार एनील्ड या कोई अन्य एनीलिंग प्रक्रिया या पूरी तरह से कठोर या आंशिक रूप से कठोर हों अथवा नहीं। इन उत्पादों में तेल का उपयोग किया जा सकता है अथवा बिना तेल के आपूर्ति की जा सकती है। ये उत्पाद इस्पात के विभिन्न गुणवत्ताओं के अनुरूप हो सकते हैं, जिनमें पूर्ण कठोर, आंशिक रूप से कठोर, वाणिज्यिक गुणवत्ता, ड्राइंग, डीप ड्राइंग, एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग, इंटरस्टिशियल फ्री स्टील, उच्च शक्ति वाले कम मिश्रित धातु वाले स्टील, एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील, अल्ट्रा-हाई स्ट्रेंथ स्टील, मिश्र धातु वाले स्टील, माइक्रो-मिश्रित धातु वाले स्टील और विभिन्न अन्य गुणवत्ताओं तक सीमित ना हों, चाहे वे वैक्यूम डिगैस्ड अथवा किस अन्य प्रक्रियाओं से तैयार किए गए हों अथवा नहीं। इन स्टील्स का उत्पादन और आपूर्ति स्किन पास/टेम्पर रोलिंग के साथ या उसके बिना की जा सकती है, चाहे एल्युमीनियम किल्ड/नॉन-एजिंग क्वालिटी हो या न हो और चाहे उसमें माइक्रो-

अलॉयिंग तत्व हों या न हों। इन उत्पादों का उपयोग विभिन्न अंतिम-उपयोगों में किया जाता है, जिसमें ऑटोमोटिव उद्योग, ट्रैक्टर, साइकिल, उपकरण, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल पैनल, पैकेजिंग, ड्रम, बैरल, सामान्य इंजीनियरिंग, कोटिंग के लिए सबस्ट्रेट, कलर कोलिंग गैल्वनाइजिंग, मेटल-कोलिंग/प्लेटिंग, टिन प्लेट, पाइप और ट्यूब निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में कई अन्य अंतिम-उपयोग अनुप्रयोग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

घ) मैटेलिक कोटेड स्टील काँइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, में गैल्वेनियल, जिंक के साथ कोटेड, एल्युमिनियम-जिंक या जिंक-एल्युमिनियम-मैग्नीशियम शामिल हैं। कोटेड स्टील मिश्रित धातु या गैर-मिश्रित धातु स्टील, प्राथमिक या गैर-प्राथमिक गुणवत्ता वाले हो सकते हैं। कोटेड स्टील को लैमिनेटेड या बिना लैमिनेशन के, लैक्क्वेर्ड या नॉन-लैक्क्वेर्ड, विभिन्न प्रकार के स्पैंगल के साथ स्किन-पास के रूप में भी आपूर्ति की जा सकती है, जिसमें दोनों तरफ अलग-अलग कोटिंग्स सहित विभिन्न संरचना और वजन की कोटिंग्स होती हैं। कोटेड स्टील का उपयोग मुख्य रूप से जंग से सुरक्षा के लिए किया जाता है। कोटेड स्टील का उपयोग छत के अनुप्रयोग, उपकरणों, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोटिव, सामान्य इंजीनियरिंग और कई अन्य अनेक उपयोग अनुप्रयोगों में किया जाता है।

ड.) कलर-कोटेड काँइल और शीट में कोटेड उत्पाद शामिल हैं जो कलरकोटिंग प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये उत्पाद या तो मिश्रित धातु अथवा गैर-मिश्रित धातु स्टील के होते हैं, चाहे प्राथमिक या गैर-प्राथमिक गुणवत्ता के हों, एक तरफ या दोनों तरफ कोटेड होते हैं, या तो काँइल या सादे शीट या प्रोफाइल शीट के रूप में होते हैं जिनमें ट्रेपोजाँइडल, साइनसाँइडल, नालीदार या किसी अन्य प्रकार के प्रोफाइल शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ये उत्पाद विभिन्न पेंट गुणवत्ता और कई प्रकार के पेंट रंगों में उपलब्ध हैं, चाहे प्राइमर या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री के साथ प्रीकोटेड हों या नहीं। इन उत्पादों को या तो स्टील शीट की ऊपरी सतह पर या नीचे की सतह पर या ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर पेंट किया जा सकता है। यह उत्पाद गार्ड फिल्म/लेमिनेशन के साथ या उसके बिना आपूर्ति किया जा सकता है। ये

उत्पाद अवरोध संरक्षण के साथ जंग को रोकते हैं और इसलिए, कई अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं जिनमें निर्माण, रूफिंग, वालिंग, पैनिलिंग, क्लेडिंग और डेकिंग, ऑटोमोटिव, व्हाइट गुड्स और उपकरणों, फर्नीचर और कई अन्य अंतिम उपयोग अनुप्रयोग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

8. प्राधिकरण ने नोट किया कि पीयूसी 'गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु इस्पात फ्लैट उत्पाद' में पांच अलग-अलग श्रेणियां शामिल हैं। किसी भी इच्छुक पक्ष ने एकल उत्पाद श्रेणी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, कई इच्छुक पक्षों ने उत्पादों की पांच श्रेणियों पर अलग-अलग टिप्पणियां की हैं। प्राधिकरण ने माना है कि उत्पाद की अलग-अलग श्रेणियां उत्पादन मूल्य श्रृंखला में इसके विभिन्न रूप हैं और उनकी समग्र जांच पीयूसी के लिए एक प्रभावी व्यापार उपाय समाधान के उद्देश्य के साथ संगत है। इस प्रकार प्राधिकरण ने उत्पाद की समग्र रूप से जांच करना उचित समझा और साथ ही पांच श्रेणियों में से प्रत्येक की अलग-अलग जांच की, जहां तक आवश्यक समझा गया।
9. प्राधिकारी को कई हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कुछ ग्रेडों को बाहर करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने पाया कि कुछ बाहर किए जाने के अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रत्युत्तर में भी शामिल थे। इन प्रारंभिक जांच परिणामों के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से उत्पाद को बाहर करने संबंधी अनुरोधों की जांच की, जो 22 जनवरी 2025 को या उससे पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त हुए थे।
10. आवेदक ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्पाद को बाहर किए जाने के अनुरोधों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्पाद को बाहर करने के अनुरोधों और घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच की है। बाहर करने के अनुरोधों के संबंध में दावों और प्रति-दावों का आकलन करने में, प्राधिकारी ने निम्नलिखित कानूनी मानक को उपयुक्त माना।

11. रक्षोपाय संबंधी करार "विचाराधीन उत्पाद" शब्द को परिभाषित नहीं करता है। न ही यह "जांच के तहत उत्पाद के विकल्प को अपने आप में अनुशासित करता है।"² रक्षोपाय संबंधी करार केवल यह बताता है कि उत्पादों के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लगाया जा सकता है जो "घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं अथवा जहां गंभीर क्षति होने का जोखिम उत्पन्न करते हैं जो समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करते हैं" (जोर दिया गया)। उल्लेखनीय रूप से, सुरक्षा समझौते में जांचाधीन वस्तु के आयात पर सुरक्षा उपाय लागू करने की संभावना को स्वीकार किया गया है, जिसके लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद मौजूद हैं।
12. पाटनरोधी करार में, "सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद" वाक्यांश नहीं है। "समान उत्पाद" को "एक उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो समान है, यानी विचाराधीन उत्पाद के सभी मामलों में समान है, या ऐसे उत्पाद के न होने पर, एक अन्य उत्पाद जो, हालांकि सभी मामलों में समान नहीं है, लेकिन विचाराधीन उत्पाद के समान विशेषताएं रखता है।" पाटनरोधी करार में "समानता" का परीक्षण वह है जो उत्पाद विशेषताओं पर केंद्रित है। हालांकि, सुरक्षा संबंधी करार न केवल "समान उत्पाद", बल्कि "सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों" को भी शामिल करता है।
13. यूएस-वांशरों पर रक्षोपायों शुल्क संबंधी पैनल में, "समानता" और "प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता" की अवधारणा के बीच अंतर किया और स्पष्ट किया कि रक्षोपाय संबंधी करार यह यह अधिकार नहीं देता है कि विचाराधीन उत्पाद में केवल "समान उत्पाद" शामिल हों, बल्कि इसमें "प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी उत्पाद" भी शामिल हो सकते हैं:

7.58. इस संबंध में हम नोट करते हैं कि अनुच्छेद 4.1 घरेलू उद्योग को "समान या सीधे प्रतिस्पर्धी" उत्पादों के उत्पादकों के रूप में परिभाषित करता है। इस वाक्यांश में संयोजन "अथवा" के अभिप्राय से ये पक्षकार सहमत नहीं हैं। हमारे विचार से, यह संभव है कि अनुच्छेद 4.1(ग) में संयोजन "अथवा" का उपयोग यह दर्शाता है कि समानता की अवधारणा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा की अवधारणा से अलग है, जैसा कि संयुक्त राज्य कहता है। हालांकि, यह शब्द

² पैनल रिपोर्ट, यूरोपीय यूनियन - कुछ इस्पात उत्पादों पर रक्षोपाय कदम, डब्ल्यूटी/डीएस595/आर और 31 मई, 2022 को अंगीकृत एडीडी1, को जोड़े, 7.34.

यह भी संकेत दे सकता है, जैसा कि कोरिया तर्क देता है, कि एक जाँच प्राधिकारी को उत्पादों को शामिल करने की अनुमति है (घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के उद्देश्य से) जो, भले ही वे आयातित उत्पादों की तरह न हों (क्योंकि उदाहरण के लिए उनके पास अलग-अलग भौतिक विशेषताएँ हैं), फिर भी आयातित उत्पादों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी हैं। ..."

14. पैनल ने उसी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि भले ही आयातित सामान घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के "समान" न हों, फिर भी आयातित उत्पाद रक्षोपायों शुल्क के अध्यधीन हो सकते हैं, यदि वे घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी हों। पैनल ने आगे "समानता" और "सीधे प्रतिस्पर्धात्मकता" के कानूनी मानक के बीच अंतर की व्याख्या निम्नानुसार की है:

"7.59. रक्षोपाय संबंधी करार में "समान" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी "समान" को "किसी अन्य वस्तु के समान अथवा सदृश्य बनावट, आकार, , रंग, विशेषता; कुछ अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु जैसी अथवा उससे तुलनीय विशेषताओं अथवा गुणों; उसके सन्निकट ; सदृश्य" के रूप में "समान" को परिभाषित करता है। संयुक्त राज्य "समान", जो "वही अथवा उसके करीब (प्रकृति, दिखावट अथवा मात्रा में हो" की वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा को भी संदर्भित करता है। हम यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार और एससीएम करार, जिसके तहत पाटनरोधी और प्रतिस्थानापन्न शुल्क जांचों में जांच अधिकारियों को समान उत्पादों के उत्पादकों के आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, समान उत्पाद को ऐसे उत्पाद के रूप में परिभाषित करता है (क) जो समान है, यानी विचाराधीन उत्पाद के सभी मामलों में समान है; या (ख) ऐसे उत्पाद के न होने पर एक अन्य उत्पाद जो, हालांकि सभी मामलों में समान नहीं है, लेकिन विचाराधीन उत्पाद के समान विशेषताएं रखता है। ये परिभाषाएं इस मुद्दे को हल नहीं करती हैं कि क्या, और यदि हां तो कैसे और किस हद तक, आयातित और घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धी संबंधों को समानता निर्धारण के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, जब हम संपूर्ण रूप से रक्षोपाय संबंधी करार के

अनुच्छेद 4 के संदर्भ में अनुच्छेद 4.1 (ग) की व्याख्या करते हैं, और विशेष रूप से अनुच्छेद 4.2 (क) और 4.2 (ख), अनुच्छेद 4.1 (ग) में समानता का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।”

15. पैनल की टिप्पणियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, पाटनरोधी करार और एससीएम करार के अन्तर्गत "समानता" का विश्लेषण उत्पाद विशेषताओं पर केंद्रित है, न कि उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धी संबंधों पर। दूसरी ओर, रक्षोपाय संबंधी करार का दायरा व्यापक है जिसमें उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धी संबंध शामिल हैं।
16. यूएस - वॉशर पर रक्षोपाय कदम में, पैनल ने नोट किया कि रक्षोपाय संबंधी करार के अंतर्गत आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के बीच सटीक "मिलान" होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आयातित उत्पाद सीधे घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धी और प्रतिस्थापनीय हो:

"7.51. ... न तो अनुच्छेद 4.1 (ग) और न ही सुरक्षा संबंधी करार का कोई अन्य प्रावधान (जांच के बाद के संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों सहित, जैसे कि अनुच्छेद 4.2 (ख) और 4.2 (ग)), कोरिया द्वारा विचाराधीन उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित सामान के बीच "बेमेल" के रूप में वर्णित किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को लागू करता है। अनुच्छेद 4.1(ग) में यह अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग को उन वस्तुओं के उत्पादकों के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए जो विचाराधीन उत्पाद के समान या सीधे प्रतिस्पर्धी हैं। जहां तक घरेलू उद्योग को समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, अनुच्छेद 4.1(ग) के अन्तर्गत विचाराधीन उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु के बीच "मिलान" के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, कोरिया की स्थिति को स्वीकार करने का मतलब होगा कि जांच अधिकारी को समान या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करना होगा क्योंकि घरेलू उत्पाद, समान या सीधे प्रतिस्पर्धी होते हुए भी, अनिवार्य रूप से विचाराधीन उत्पाद में शामिल वस्तुओं के समान नहीं हैं (या कोरिया के शब्दों का उपयोग करें तो, "मिलान" नहीं करता है)। यह अनुच्छेद 4.1(ग) के पाठ के विपरीत है।

हमारा मानना है कि यदि अनुच्छेद 4.1(ग) का उद्देश्य जांच अधिकारियों को उन वस्तुओं के आधार पर घरेलू उद्योग को परिभाषित करने से रोकना था जो समान या सीधे प्रतिस्पर्धी हैं लेकिन "मिलान" नहीं हैं, तो प्रावधान को अलग तरीके से तैयार किया गया होता।"

17. प्राधिकारी इस बात के प्रति सचेत है कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्पाद को बाहर करने के अनुरोधों की जांच करते समय, कानूनी मानक जिसे भी लागू किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या आयातित उत्पाद घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद के समान है या सीधे प्रतिस्पर्धी है। इससे पहले, सौर कोशिकाओं से संबंधित सुरक्षा जांच में, चाहे वे मॉड्यूल या पैनल में इकट्ठे हों या नहीं, प्राधिकारी ने नोट किया कि उत्पादों का "सामान्य और ओवरलैपिंग अनुप्रयोग" उनके प्रतिस्पर्धी संबंध को निर्धारित कर सकता है। इस मामले में, आयातित उत्पाद जिनके स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों के साथ ओवरलैपिंग अनुप्रयोग थे, सीधे प्रतिस्पर्धी पाए गए और उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल माना गया:

"22. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास थिन-फिल्म तकनीक और "पीईआरसी" (पैसिवेटेड एमिटर रियर सेल) आधारित तकनीक, और बाय-फेशियल एन-टाइप सौर सेल नहीं हैं मैंने इस पहलू की सावधानीपूर्वक जांच की है और पाया है कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के सौर सेल दक्षता, मूल्य, भौतिक विशेषताओं, जैसे आकार और वजन आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। हालांकि ये भिन्नताएं मूल्य और दक्षता में समझौता करती हैं, लेकिन विचाराधीन उत्पाद का अंतिम उपयोग केवल बिजली उत्पादन के लिए होता है।

23. रक्षोपाय शुल्क (सीमा प्रशुल्क रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997-अधिसूचना संख्या 35/97-एनटी-सीमा प्रशुल्क दिनांक 29.07.1997 (इसके आगे रक्षोपाय नियमावली कहा गया है) घरेलू उत्पादक को "भारत में समान वस्तु या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादक या व्यापार या व्यवसाय एसोसिएशन, जिसके अधिकांश सदस्य भारत में समान वस्तु या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन या व्यापार करते हैं" के रूप

में मानते हैं और "समान वस्तु" को "समान वस्तु" के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है ऐसी वस्तु जो जांच के तहत वस्तु के सभी मामलों में समान या एक जैसी है।" पीयूसी के सामान्य और अतिव्यापी अनुप्रयोग यह स्थापित करते हैं कि आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुएं सीधे प्रतिस्पर्धी हैं। इसलिए यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी भी वस्तु को बाहर रखना आवश्यक नहीं बनाता है जैसा कि जांच संबंधी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। अतः मैं दिनांक 5.01.2018 के प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 5.1 में यथा-विचारित और उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद के दायरे को सही मानता हूँ और उसकी पुष्टि करता हूँ।

18. ऊपर उल्लिखित विधिक मानकों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने जांच के लिए उनके आवेदन के लिए सिद्धांत तैयार किए हैं तथा हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ आयातकों, प्रयोक्ताओं तथा निर्यातकों ने जांच से विशिष्ट उत्पाद ग्रेड/प्रकारों को बाहर रखने के लिए घरेलू उद्योग की कुछ उत्पाद श्रेणियों के विनिर्माण की क्षमता की कमी, पर्याप्त घरेलू उत्पादन मात्रा की कमी, गुणवत्ता संबंधी मुद्दे या खरीदार/प्रयोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए उत्पाद के प्रमाणन की कमी जैसे आधारों का हवाला दिया है। प्राधिकारी ने इन चिंताओं की जांच की है। घरेलू विनिर्माण क्षमता की कमी के संदर्भ में, घरेलू उद्योग ने कुछ ऐसे उत्पादों को बाहर रखने की स्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिन्हें वह अपने आवेदन में शामिल नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। अन्य उत्पादों के संदर्भ में, जिनके उत्पादन की क्षमता उसके पास है, घरेलू उद्योग ने समान या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों की आपूर्ति के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पर्याप्त घरेलू उत्पादन मात्रा की कमी के मुद्दे पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में यह विचार नहीं किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क तभी लागू किया जा सकता है, जब घरेलू उद्योग संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा कर सकता है। यहां पर जांच करने योग्य प्रमुख प्रश्न यह होगा कि भले ही मांग-आपूर्ति में अंतर हो, क्या आयात में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन में गिरावट आ रही है, जिससे इसकी मौजूदा और उपलब्ध क्षमता बेकार हो रही है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। गुणवत्ता के मुद्दों या खरीदार/प्रयोक्ता द्वारा प्रमाणन की कमी के संदर्भ में,

प्राधिकारी नोट करते हैं कि खरीदार/प्रयोक्ता की संतुष्टि के अनुसार गुणवत्ता साबित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा मानक अपनाया जाता है, तो क्रेता/प्रयोक्ता गुणवत्ता से संबंधित आधारों का हवाला देते हुए घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पादों को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिससे घरेलू उद्योग बिना किसी उपाय के रह जाएगा। प्राधिकारी का मानना है कि इससे व्यापार उपाय कार्रवाई का उद्देश्य को नुकसान पहुंचेगा।

19. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रत्येक उत्पाद को बाहर करने के अनुरोध की अलग-अलग जांच की है। जांच परिणामों में केवल प्रारंभिक जांच परिणामों के उद्देश्यों से प्राधिकारी के निष्कर्ष शामिल हैं। प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों के चरण में इस तथ्य की जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान अथवा सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहे हैं। समानता तब स्थापित की जा सकती है जब घरेलू उद्योग उसी भारतीय मानकों अथवा उसी नामकरण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की बिक्री कर रहा हो, और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता समान और अतिव्यापी अंतिम उपयोग के आधार पर या समान उद्योग में समान ग्राहक/ग्राहकों या ग्राहकों को बिक्री के आधार पर स्थापित की जा सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान किसी भी पक्षकार को आगे टिप्पणी देने से रोका नहीं गया है।
20. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्पाद को बाहर करने के अनुरोधों के प्रत्युत्तर में, आवेदक घरेलू उद्योग, अपने आवेदन में जो शामिल नहीं है उसके अतिरिक्त, निम्नलिखित ग्रेडों/श्रेणियों को बाहर रखने के अनुरोध पर सहमत है: निकल कोटेड/निकल प्लेटेड कोल्ड रोलड स्टील; रबर कोटेड स्टील; इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजी) - जिंक निकल कोटेड स्टील; बाई-मेटल स्टील/बाई-मेटल सैंडविच स्टील; ब्रास कोटेड स्टील वायर (वायर लंबे स्टील उत्पादों का हिस्सा है, जो कि जांच प्रारंभ की सूचना में भी शामिल नहीं हैं); क्रोमोनाइट; इनकोनेल; स्टेनलेस स्टील आइटम (जो आरंभ की सूचना में भी शामिल नहीं हैं); एल्युमिनियम कोटेड स्टील; एल्युमिनियम सिलिकॉन कोटेड / हॉट डिप्ड एल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटेड स्टील; हॉट रोलड क्लैड स्टील प्लेट; निकेल प्लेटेड स्टील / निकेल प्लेटेड स्ट्रिप; कॉपर प्लेटेड स्टील; लैमिनेटेड इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजीआई); कोबाल्ट प्लेटेड स्टील; सिल्वर प्लेटेड स्टील; टाइटेनियम क्लैड प्लेट्स। इसलिए, प्राधिकारी उपर्युक्त ग्रेड को बाहर रखने के अनुरोधों को स्वीकार करते हैं।

क) हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल)

21. एचएमआईएल ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्टील के 196 उत्पाद ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध किया है। बाहर करने के अनुरोधों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है - (क) वे उत्पाद जिनके लिए घरेलू उद्योग के पास क्षमता नहीं है (38 ग्रेड); (ख) वे उत्पाद जिनके लिए क्षमता की कमी है (141 ग्रेड), और (ग) वे उत्पाद जिनके लिए घरेलू उद्योग एचएमआईएल को पर्याप्त मात्रा में आबंटन नहीं कर रहा है (17 ग्रेड)।
22. यह नोट किया जाता है कि एचएमआईएल ने पांच भारतीय मानकों की पहचान की है जिनके तहत ये 196 ग्रेड शामिल हैं - भारत मानक (आईएस) 1079, आईएस 18385, आईएस 513 भाग 1, आईएस 513 भाग 2, और आईएस 5986। एचएमआईएल के अनुरोधों और वर्गीकरण में यह नहीं बताया गया है कि क्या घरेलू उद्योग "सीधे प्रतिस्पर्धी" वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ है या नहीं। फिर भी, यह माना जाता है कि एक ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में, जिन उत्पादों के लिए बाहर करने की मांग की गई है, उनका उपयोग ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में किया जाता है।
23. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी के लिए या आवेदक के लिए कानून के तहत यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह इन 196 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करता है। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता (जैसे एचएमआईएल) की संपूर्ण मांग को स्वतंत्र आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, एचएमआईएल ने कहा है कि कुछ ग्रेडों के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक प्रमाणन की कमी भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रमाणन से इनकार कर सकता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऐसे उत्पादों पर व्यापार उपचार उपाय लागू नहीं होते हैं।

24. प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रारंभिक जांच परिणामों के चरण में, यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है।
25. जैसा कि पहले कहा गया है, प्राधिकारी ने (क) एल्युमीनियम कोटेड स्टील; (ख) एल्युमीनियम सिलिकॉन कोटेड / हॉट डिप्ड एल्युमीनियमाइज्ड सिलिकॉन कोटेड स्टील; और (ग) और निकल कोटेड / निकल प्लेटेड स्टील को बाहर करने के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है।
26. आवेदक ने अपने अनुरोध में आईएस 513, आईएस 1079, आईएस 18385 और आईएस 5986 के तहत कवर किए गए उत्पादों के लिए विभिन्न बीजक प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, आवेदक ने *** आदि जैसी ऑटोमोटिव कंपनियों को बेचे गए एचआर, सीआर और मेटालिक कोटेड स्टील की विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले विभिन्न बीजक कराए हैं। अतः, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किए गए ग्रेडों के अलावा अन्य ग्रेडों से संबंधित एचएमआईएल को बाहर करने के अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ख) हुंडई स्टील कॉर्पोरेशन (एचएससी)

27. हितबद्ध पक्षकार ने कुल 104 उत्पाद प्रकार/ग्रेड के उत्पादों को बाहर करने का अनुरोध किया है, जिसके लिए उन्होंने (क) घरेलू उद्योग की क्षमता संबंधी बाधाओं (14 ग्रेड); (ख) परिवहन में कठिनाई और लीड टाइम (6 ग्रेड); (ग) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किए गए उत्पाद या उत्पादन के स्थानीयकरण में देरी (55 ग्रेड); (घ) गुणवत्ता संबंधी मुद्दे (26 ग्रेड); और परियोजना मालिकों द्वारा नामित आपूर्तिकर्ताओं का हवाला दिया है।
28. एचएससी ने आगे तर्क दिया है कि अन्य अधिकार क्षेत्रों ने फ्लैट स्टील उत्पादों से संबंधित पाटनरोधी जांच में ऑटोमोटिव स्टील को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पाटनरोधी करार के विपरीत, जहां विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र "समान वस्तुओं" तक सीमित है, रक्षोपाय कानून के तहत विचाराधीन उत्पाद के दायरे के लिए कानूनी मानक में "सीधे प्रतिस्पर्धी" वस्तुएं शामिल हैं। आगे

व्यापार उपाय जांच किसी विशेष समय पर देश की घरेलू स्थिति को ध्यान में रखती है। अन्य अधिकार क्षेत्रों के निष्कर्षों को स्वचालित रूप से नहीं अपनाया जा सकता है। इसलिए, एचएससी द्वारा अन्य अधिकार क्षेत्रों के पाटनरोधी निर्धारणों पर भरोसा करना तर्कसंगत नहीं है।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएससी ने उन ग्रेडों के विशिष्ट भारतीय मानक की पहचान नहीं की है, जिनके लिए उसने बाहर करने की मांग की है। एचएससी के अनुरोध और वर्गीकरण से यह पता नहीं चलता कि घरेलू उद्योग "सीधे प्रतिस्पर्धी" वस्तुओं के विनिर्माण में लगा हुआ है या नहीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन 104 प्रकार/ग्रेडों के उत्पादों को बाहर करने की मांग की गई है, उनमें से 87 के ऑटोमोटिव अनुप्रयोग हैं, जबकि 17 प्रकार/ग्रेड अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं।
30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए या आवेदक के लिए यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह इन 104 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करता है। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता (जैसे एचएससी) की संपूर्ण मांग को एकल आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
31. एचएससी का दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए कुछ ग्रेडों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी (जहां आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना मालिकों द्वारा नामित किया जाता है) भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए एक वैध आधार नहीं है क्योंकि यह दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को अनुमोदन से इनकार करने की क्षमता होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पादों पर व्यापार उपचार उपाय लागू नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवहन में कठिनाई एक उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए एक उचित आधार नहीं है क्योंकि यह न तो उत्पाद की प्रतिस्थापनीय वस्तु बनाने की क्षमता को।

32. स्टील के 87 ऑटोमोटिव ग्रेडों में से, एचएससी का अनुरोध जीआई/जीए, एल्यूमीनियम-सिलिका कोटेड, हाई स्ट्रेंथ और अल्ट्रा-हाई स्ट्रेंथ स्टील, और अल्ट्रा डीप ड्राइंग स्टील को कवर करता है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, प्राधिकारी (क) एल्युमिनियम कोटेड स्टील; (ख) एल्युमिनियम सिलिकान कोटेड/हॉट डिप्ड एल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटेड स्टील को बाहर करने संबंधी अनुरोधों को स्वीकार किया है।
33. ऑटोमोटिव अनुप्रयोग वाले शेष उत्पाद प्रकारों/ग्रेडों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचएससी ने उन ग्रेडों के लिए संबंधित भारतीय मानक प्रदान नहीं किया है जिनके लिए वह उसको बाहर करना चाहता है। आवेदक ने *** जैसी ऑटोमोटिव कंपनियों को बेचे गए एचआर, सीआर और मेटालिक कोटेड स्टील की विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले विभिन्न बीजक प्रदान किए हैं, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने उन वस्तुओं की आपूर्ति की है जिनका उपयोग उन उत्पादों के साथ समान और ओवरलैपिंग है जिनके लिए एचएससी ने बाहर करने की मांग की है। इसलिए ये उत्पाद सीधे प्रतिस्पर्धी हैं। अतः, प्राधिकारी, प्रारंभिक जांच परिणामों के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किए गए ग्रेड के अलावा एचएससी द्वारा दायर बाहर किए जाने के अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।
34. अन्य अनुप्रयोगों से संबंधित 17 ग्रेड/प्रकारों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि इन 17 ग्रेडों/प्रकारों में हाई स्ट्रेंथ स्पेशल स्टील, हाई कार्बन हॉट-रोल्ड स्टील, एपीआई प्रमाणित हॉट रोल्ड स्टील, भारी प्लेटें आदि शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन ग्रेडों/प्रकारों के लिए एचएससी द्वारा पहचाने गए अंतिम उपयोग में प्रेशर वेसल्स, पाइप निर्माण, पवन चक्कियां, जहाज निर्माण आदि शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने हाई स्ट्रेंथ, हाई कार्बन स्टील और भारी प्लेटों तथा एपीआई प्रमाणित स्टील कई के विभिन्न ग्रेडों की बिक्री को कवर करते हुए विभिन्न बीजक दायर किए हैं, जिनका स्टील के उन 17 ग्रेडों/प्रकारों के साथ समान और अतिव्यापी उपयोग है जिनके लिए एचएससी ने बाहर करने की मांग की है। इसलिए, प्राधिकारी गैर-ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले ग्रेडों से संबंधित एचएससी द्वारा दायर बाहर करने के अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ग) कोरिया सरकार (जीओके) और कोरिया आयरन एंड स्टील एसोसिएशन (कोसा)

35. कोरिया सरकार (जीओके) और कोरिया आयरन एंड स्टील एसोसिएशन (कोसा) ने स्टील के 52 ग्रेडों/प्रकारों को बाहर करने के लिए समान अनुरोध किए हैं।
36. जीओके ने (क) ग्राहक अनुमोदन की कमी; (ख) घरेलू उद्योग द्वारा अपर्याप्त आपूर्ति; (ग) गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए 52 ग्रेडों/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए या आवेदक के लिए यह साबित करने के लिए कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि वह इन 52 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करता है। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को एकल आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि, यह जांचना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु" का उत्पादन कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी (जहां आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना मालिकों द्वारा नामित किया जाता है) भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए एक वैध आधार नहीं है क्योंकि यह दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद पर व्यापार उपचार लागू नहीं होते हैं। इसी तरह, परिवहन में कठिनाई उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकती है क्योंकि प्राधिकारी को केवल यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग "समान" या "सीधे प्रतिस्पर्धी" वस्तुओं के विनिर्माण में लगा हुआ है।
37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीओके और कोसा ने 27 प्रकार/ग्रेड की पहचान की है जिनका उपयोग ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में किया जाता है। आवेदक ने ऑटोमोटिव उद्योग को आपूर्ति किए गए विविध ग्रेड के स्टील के विभिन्न बिक्री बीजक प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में उपयोग किए जाने वाले ग्रेडों से

संबंधित इन हित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाहर किए जाने के अनुरोधों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं।

38. कोरिया की सरकार और कोसा ने आगे इन उत्पादों की पहचान की है जिनका उपयोग निर्माण (4); गृह उपकरणों (16); सालर पावर संयंत्रों (3); वैद्युतीय स्टील (1); मोल्ड और टूल्स (1) में होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने मोल्ड और टूल्स में उपयोग किए जाने वाले ग्रेडों/प्रकारों के भारतीय मानक उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस कारण से, बाहर किए जाने संबंधी ऐसे अनुरोधों पर उन विवरणों के अभाव में इस चरण में विचार नहीं किया जा सकता है जिसका उपयोग समान और सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं की कानूनी जांच लागू करने के लिए किया जा सकता है।
39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने विभिन्न बिक्री बीजक उपलब्ध कराए हैं, जिनमें प्री-पेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील और गैल्वेनील्ड स्टील शामिल हैं, जिनका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों जैसे *** आदि को बेचे जाने वाले घरेलू उपकरणों में किया जाता है। इसलिए, प्राधिकारी घरेलू उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले 16 ग्रेडों/प्रकारों को बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया सरकार और कोसा द्वारा पहचाने गए 52 प्रकारों/ग्रेडों में से 2 “सभी विद्युत स्टील उत्पाद हैं जिन्हें पोस्को महाराष्ट्र सीमा शुल्क चुकाता है” और “सभी हॉट-रोल्ड कॉइल जिन्हें पोस्को महाराष्ट्र सीमा शुल्क चुकाता है”। किसी कानूनी आधार के अभाव के कारण, प्राधिकारी व्यापक कंपनी-विशिष्ट जेनेरिक को बाहर करने के लिए ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

घ) निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन (एनएससी)

41. निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन (एनएससी) ने 312 ग्रेडों/प्रकारों के उत्पादों को बाहर करने के अनुरोध दायर किए हैं। बाहर करने के अनुरोधों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) उत्पादों का भारत में निर्माण नहीं किया जा सकता है; (ख) भारत में निर्मित उत्पाद स्टील-प्रयोक्ताओं की मांग, उच्च तकनीकी विनिर्देशों और गुणवत्ता, सटीक वितरण को पूरा नहीं करते हैं; (ग) एएम/एनएस इंडिया की रोलिंग और

कोटिंग लाइनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ग्रेड (घ) घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता में ग्राहक प्रमाणन का अभाव है।

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी या आवेदक के लिए कानून के तहत यह जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह इन 312 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ बनाता है। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की संपूर्ण मांग को एकल आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
43. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, ग्राहक की मंजूरी का अभाव भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की आशंका है चूंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं। इसके अलावा, उत्पाद की डिलीवरी में कठिनाई किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का उचित आधार नहीं है क्योंकि यह न तो किसी उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता को गलत साबित करता है और न ही ऐसे उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को गलत साबित करता है।
44. जैसा कि पहले बताया गया है, प्राधिकारी ने (क) एल्युमीनियम कोटेड स्टील; (ख) एल्युमीनियम सिलिकॉन कोटेड/हॉट डिप्ड एल्युमीनियमाइज्ड सिलिकॉन कोटेड स्टील; और (ग) निकल कोटेड/निकल प्लेटेड स्टील को बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।
45. **हॉट रोलड कॉइल्स** - एनएससी ने हॉट रोलड कॉइल्स के अन्तर्गत बाहर करने के लिए 44 ग्रेडों/प्रकारों का अनुरोध किया, जिनमें से 31 ग्रेडों/प्रकारों का उपयोग ऑटोमोटिव क्षेत्र में होता है। आवेदक ने हॉट रोलड उत्पादों को कवर करने वाले कई बीजब उपलब्ध कराए हैं, जिन्हें *** जैसी ऑटोमोटिव कंपनियों को बेचा गया था, जो दर्शाता है कि

घरेलू उद्योग ने ऐसी वस्तुएं आपूर्ति की हैं जिनका उन उत्पादों के साथ सामान्य और ओवरलैपिंग उपयोग है जिनके लिए निष्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन ने बाहर करने की मांग की है।

46. एनएससी ने उन 13 ग्रेडों/प्रकारों के लिए बाहर करने की मांग भी की है जिन्हें इसने कैप्टिव उपयोग के लिए एएमएनएस इंडिया को आपूर्ति की। एएमएनएस इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि वे एक आवेदक/घरेलू उद्योग होने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह कि वे विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए बाहर करने के अनुरोधों और उत्पाद के दायरे के संबंध में आवेदक के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। इस कारण से, प्राधिकारी इन 13 ग्रेडों के बाहर किए जाने संबंधी अनुरोधों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं।
47. **हॉट रोल्ड प्लेट्स** - एनएससी ने हॉट रोल्ड प्लेट्स के तहत बाहर करने के लिए 122 ग्रेडों/प्रकारों का अनुरोध किया, जिनका उपयोग भवन निर्माण, बॉयलर, प्रेशर वेसल्स निर्माण मशीनरी, कोयला-ईंधन वाले बॉयलरों के साथ उपयोग किए जाने वाले फ्लू-गैस उपचार उपकरण, अपशिष्ट भस्मीकरण संयंत्र, पाइपलाइन के लिए उपयोग किए जाने वाले विनिर्माण पाइप, पेनस्टॉक और घरेलू उपकरणों में होता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए अनेक बीजकों की जांच की, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी वस्तुएं आपूर्ति की हैं जिनका उपरोक्त के साथ सामान्य और अतिव्यापी उपयोग है।
48. **हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स** - एनएससी ने हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड के तहत 32 ग्रेडों/प्रकारों और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स श्रेणी के तहत 22 ग्रेडों/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध किया है, जिनका उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने *** आदि जैसी ऑटोमोटिव कंपनियों को बेचे गए गैल्वेनाइज्ड और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स को कवर करने वाले कई बीजक उपलब्ध कराए हैं, जिनका निष्पॉन स्टील द्वारा बाहर करने की मांग की गई ग्रेडों/प्रकारों के साथ सामान्य और अतिव्यापी उपयोग है।
49. **जिंक-एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम के साथ कोटिड** - एनएससी ने सोलर पावर जेनरेशन पैनल, ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग और घरेलू उपकरणों में उपयोग वाले जिंक-

एल्युमीनियम-मैंगनीशियम कोटिड स्टील श्रेणी के तहत 92 ग्रेडों/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने जिंक-एल्युमीनियम-मैंगनीशियम शीट को शामिल करते हुए अनेक बीजक उपलब्ध कराए हैं, जिनका उन उत्पादों के साथ सामान्य और अतिव्यापी उपयोग होता है, जिनके लिए निष्पान स्टील कारपोरेशन ने बाहर करने की मांग की है।

50. इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किए गए अनुरोधों के अलावा निष्पान स्टील कारपोरेशन द्वारा दायर बाहर करने के अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

ड.) जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन ("जेएफई")

51. कोटेड स्टील - जेएफई ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कोटेड स्टील के 37 विभिन्न ग्रेडों को बाहर करने की मांग की थी। बाहर करने के अनुरोधों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है - (क) वे उत्पाद/ग्रेड जिन्हें घरेलू उद्योग उत्पादित नहीं करता है (13 ग्रेड), (ख) वे उत्पाद जिनके लिए घरेलू उद्योग में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता नहीं है और साथ ही ग्राहक अनुमोदन भी नहीं है (24 ग्रेड)। कोटेड स्टील के सभी ग्रेडों का अंतिम उपयोग "ऑटोमोबाइल" के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
52. हम नोट करते हैं कि जेएफई ने विभिन्न जापानी मानक उपलब्ध कराए हैं जिनके अंतर्गत ये 37 ग्रेड शामिल हैं। किसी भी कोटेड स्टील के लिए कोई संगत भारतीय मानक ग्रेड को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जेएफई के अनुरोधों और वर्गीकरण से यह पता नहीं चलता है कि घरेलू उद्योग "सीधे प्रतिस्पर्धी" वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ है या नहीं।
53. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी या आवेदक के लिए यह जांचना आवश्यक नहीं है कि वह इन 37 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करता है। इसी तरह, कानून के तहत यह भी आवश्यक नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की संपूर्ण मांग को एकल आधार पर पूरा करने में सक्षम हो।

54. इसके अतिरिक्त, जेएफई ने कहा है कि कुछ ग्रेडों के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामान विशिष्ट आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक की स्वीकृति का अभाव भी विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है चूंकि संबंधित ग्राहक के पास व्यापार उपचार उपायों के दौरान बाहर करने के आधार के रूप में इसके अभाव का दावा करने के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादों को स्वीकृति देने से इनकार करने की क्षमता होगी।
55. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग "समान या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने कुछ जापानी ग्रेडों के अनुरूप विभिन्न बीजक उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने कोटिड स्टील को कवर करने वाले विभिन्न बीजक उपलब्ध कराए हैं जिन्हें ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे ***, आदि को बेचा गया था। इसलिए, प्रारंभिक जांच परिणामों के उद्देश्य से प्राधिकारी जेएफई द्वारा दायर किए गए अनुरोधों को बाहर करने संबंधी अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।
56. **कोल्ड रोल्ड कॉइल्स** - जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से कोल्ड रोल्ड कॉइल्स के 25 विभिन्न ग्रेडों को बाहर करने का अनुरोध किया था। बाहर करने के अनुरोधों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है - (क) वे उत्पाद / ग्रेड जिन्हें घरेलू उद्योग नहीं बनाता है (2 ग्रेड), (ख) वे उत्पाद जिनके लिए घरेलू उद्योग के पास ग्राहक अनुमोदन नहीं है (21 ग्रेड), और (ग) वे उत्पाद जिनके लिए जापानी निर्यातकों से बेहतर गुणवत्ता और स्थिर आपूर्ति है। कोल्ड रोल्ड स्टील के सभी ग्रेडों को "ऑटोमोबाइल" के प्रयोजनों के लिए अंतिम उपयोग के लिए कहा गया है।
57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये सभी ग्रेड आईएस 513-भाग 1 और आईएस 513-भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। जेएफई के अनुरोधों और वर्गीकरण में यह नहीं बताया गया है कि घरेलू उद्योग "सीधे प्रतिस्पर्धी" वस्तुओं के विनिर्माण में लगा हुआ है या नहीं।

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए या आवेदक के लिए यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह इन 25 ग्रेडों में से प्रत्येक का विनिर्माण समान विनिर्देशों के साथ करता है।
59. इसके अतिरिक्त, जेएफई ने कहा है कि कुछ ग्रेडों के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए सामान जापानी निर्यातकों द्वारा आपूर्ति की गई गुणवत्ता से मेल नहीं खाते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि घरेलू उद्योग देश और प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की संपूर्ण मांग को एकल आधार पर पूरा करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त, ग्राहक की मंजूरी का अभाव भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए एक वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की आशंका है चूंकि संबंधित ग्राहक के पास व्यापार उपचार उपायों के दौरान बाहर करने की मांग करने के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी।
60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु" का उत्पादन कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने आईएस 513 के तहत कवर किए गए स्टील के विभिन्न बीजक उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे *** आदि को कोल्ड रोलड स्टील को कवर करने वाले कई बीजक उपलब्ध कराए हैं। अतः, प्रारंभिक जांच परिणामों के उद्देश्य से प्राधिकारी जेएफई द्वारा दायर किए गए बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।
61. **हॉट रोलड कॉइल्स** - जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे से हॉट रोलड कॉइल्स के 9 विभिन्न ग्रेडों को बाहर करने का अनुरोध किया था। बाहर करने के अनुरोधों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है - (क) वे उत्पाद/ग्रेड जिन्हें घरेलू उद्योग उत्पादित नहीं करता (1 ग्रेड), (ख) वे उत्पाद जिनके लिए घरेलू उद्योग के पास ग्राहक अनुमोदन नहीं है (8 ग्रेड)। हॉट रोलड स्टील के सभी ग्रेडों का अंतिम उपयोग "ऑटोमोबाइल" के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

62. यह नोट किया जाता है कि ये सभी ग्रेड आईएस-5986 और आईएस-2062 के अंतर्गत आते हैं। जेएफई के अनुरोध और वर्गीकरण में यह नहीं बताया गया है कि घरेलू उद्योग "सीधे प्रतिस्पर्धी" वस्तुओं के विनिर्माण में लगा हुआ है या नहीं।
63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी या आवेदक के लिए कानून के तहत यह जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह इन 9 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करता है।
64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्राहक अनुमोदन का अभाव विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है चूंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को अनुमोदन देने से इनकार करने की क्षमता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे उत्पादों को व्यापार उपचार उपायों के दौरान बाहर रखा जाए।
65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने आईएस 5986 और आईएस 2062 के तहत कवर किए गए स्टील के विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसके अलावा, आवेदक ने हॉट रोल्ड स्टील, जिन्हें ऑटोमोटिव कंपनियों को बेचा गया था, के इन्वॉइस भी प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।
66. **प्लेट मिल प्लेट्स** - जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन ने प्लेट मिल प्लेट्स के विभिन्न ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर करने के लिए कहा था। अपवर्जन अनुरोधों को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है - (क) वे उत्पाद / ग्रेड जिनका उत्पादन डीआई द्वारा नहीं किए जाते हैं, (ख) डीआई के कम गुणवत्ता वाले उत्पाद, (ग) डीआई की क्षमता संबंधी बाधाएं। प्लेट मिल प्लेट्स के सभी ग्रेड को "विनिर्माण मशीन" और "पाइप" के प्रयोजनों के लिए अंतिम उपयोग के लिए कहा जाता है।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी को जांच करने या आवेदक को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड का विनिर्माण समान विनिर्देशों के साथ करता है।
68. जेएफई ने कहा है कि कुछ ग्रेड के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएं जापानी निर्यातको द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता से मेल नहीं खाते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है।
69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग “समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं” का उत्पादन कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने जेएफई द्वारा प्रदान की गई समान और ओवरलैपिंग उपयोग वाले हॉट रोल्ड प्लेटों की विभिन्न ग्रेड की बिक्री के साक्ष्य के रूप में विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।
70. **क्लैड स्टील प्लेट:** जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन ने क्लैड स्टील प्लेट के विभिन्न ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर करने के लिए कहा था। अपवर्जन अनुरोध दो आधारों पर प्रस्तुत किए गए हैं: (क) भारतीय मिलें समान/समान उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकती हैं, और (ख) भारतीय मिलों के पास रोल बॉन्डेड क्लैड स्टील प्लेट के लिए महत्वपूर्ण उद्योग अंतिम उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति नहीं है। क्लैड स्टील प्लेट के सभी ग्रेड को तेल, गैस, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल या हाइड्रोइलेक्ट्रिक के प्रयोजनों के लिए अंतिम उपयोग किया जाता है।
71. जैसा कि पहले व्यक्त किया गया है, प्राधिकारी ने क्लैड स्टील प्लेटों के लिए अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए प्राधिकारी क्लैड स्टील प्लेट्स को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने के लिए सहमत है। जेएफई ने जिन सभी ग्रेड जो क्लैड स्टील प्लेट्स की श्रेणी में आते हैं, के लिए अपवर्जन की मांग की है, परिणामस्वरूप उन्हें पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

च) निप्पॉन स्टील पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जेएफई शोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

72. इन हितबद्ध पक्षकारों ने जेएफई और निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए अपवर्जन अनुरोधों को दोहराया है। चूंकि प्राधिकारी ने जेएफई और निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा दायर किए गए अपवर्जन अनुरोधों की जांच की है, इसलिए उनकी पुनः जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ) सोसायटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स ("एसआईएम")

73. सोसायटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स ("एसआईएम") ने ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों वाले 218 ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने की मांग की है। सियाम का दावा है कि घरेलू उद्योग अपने सदस्यों द्वारा अपेक्षित सटीक तकनीकी विनिर्देशों के साथ ग्रेड का विनिर्माण नहीं करता है। सियाम की प्रस्तुतिकरण में यह नहीं बताया गया है कि घरेलू उद्योग "प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी" वस्तुओं के विनिर्माण में लगा हुआ है अथवा नहीं।

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह इन 218 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी ने 218 ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने के लिए एसआईएम के अनुरोध की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं 218 प्रकार/ग्रेडों में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टील जैसे कुछ उत्पादों को पहले ही आरंभ अधिसूचना के पैरा 4 के अनुसार पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्राधिकारी ने निकल कोटेड स्टील, ईजी जिंक-निकल कोटेड स्टील, बाई मेटल शीट, एल्यूमिनियम कोटेड स्टील, एल्यूमिनियम-सिलिकॉन कोटेड स्टील, हॉट डिप्ड एल्यूमिनियम सिलिकॉन कोटेड स्टील आदि के लिए अपवर्जन अनुरोधों

को स्वीकार कर लिया है। इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट ग्रेड जिनके लिए सियाम ने अपवर्जन की मांग की है, उन्हें पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

75. अन्य ग्रेड के संबंध में, आवेदक ने एचआर, सीआर और मेटालिक कोटेड स्टील की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले इन्वॉइस प्रदान किए हैं, जो ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे ***, आदि को बेचे गए थे, जो उन वस्तुओं की बिक्री को प्रदर्शित करते हैं जो सियाम द्वारा पहचाने गए आयातित उत्पादों के साथ "प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी" हैं।
76. सियाम ने टेन्साइल क्षमता के आधार पर उत्पादों को बाहर करने के लिए भी विशेष रूप से अनुरोध किया है। सियाम अल्ट्रा-हाई टेन्साइल स्टील उत्पादों को हटाने के लिए अनुरोध करता है। आवेदक ने विविध टेन्साइल क्षमता के साथ स्टील के विभिन्न बिक्री इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किए गए ग्रेड के अलावा ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में उपयोग किए जाने वाले ग्रेड से संबंधित इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।
77. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विशिष्ट ग्रेड/प्रकारों को बाहर रखने के अपने अनुरोध के साथ-साथ, सियाम ने "बेस एचआर (पोस्को)" को बाहर रखने के लिए एक व्यापक और सामान्य अनुरोध भी किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पॉस्को द्वारा आयातित एचआर स्टील का ऐसा व्यापक अनुरोध न केवल अनुचित है, बल्कि कानूनी रूप से भी अस्वीकार्य है। यह सुव्यवस्थित है कि प्राधिकारी कंपनी-विशिष्ट उत्पाद को बाहर रखने की अनुमति नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त, सियाम यह स्पष्ट नहीं करता है कि "बेस एचआर (पॉस्को)" घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी क्यों नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी "बेस एचआर (पोस्को)" को हटाने के लिए एसआईएएम के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

ज) किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

78. हितबद्ध पक्षकार ने 34 ग्रेड/प्रकार के उत्पादों को इस आधार पर बाहर रखने का अनुरोध किया है कि (क) घरेलू उद्योग इन उत्पादों का विनिर्माण नहीं करता है (17); (ख) घरेलू उद्योग के पास इन ग्रेडों को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की अपर्याप्त क्षमता है (12); और (ग) घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों से गुणवत्ता संबंधी मुद्दे जुड़े हुए हैं (5)।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 34 ग्रेड/प्रकार के उत्पादों में से 2 एल्युमीनियम कोटेड और एल्युमीनियम-सिलिकॉन कोटेड हैं, जिन्हें पहले बताए अनुसार बाहर रखा गया है। शेष 32 ग्रेड/प्रकार के उत्पादों के संबंध में, जिनके लिए किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपवर्जन की मांग की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन 32 ग्रेड/प्रकार के उत्पादों में से प्रत्येक सियाम द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध में शामिल हैं, जिसकी प्राधिकारी ने पहले ही जांच कर ली है। इसलिए प्राधिकारी को ऐसे अपवर्जन अनुरोधों की पुनः जांच करने का कोई कारण नहीं स्पष्ट होता।

झ) एसआरके स्टील्स, डेसेऑंग इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, केएसएच ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड, हयोसंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, प्युंग हवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अरुण अग्रवाल, डेचांग इंडिया सीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेरम एक्सट्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, डेबू ऑटोमेटिव सीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाईएसआई ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड, एसकेएच एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डीएमसी ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड, टैल्ब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, एचएल मंडो आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेचांग सीट ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड, फेडरल मोगुल सीलिंग्स इंडिया लिमिटेड, गेस्टाम्प ऑटोमेटिव चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचएसआई ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड, हवाशिन ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विंडर रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई ट्रांसिस लीयर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईएफबी ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड, जेबीएम ऑटो लिमिटेड, जेबीएम ओगिहारा ऑटोमेटिव इंडिया लिमिटेड, जीनुव्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, जया स्प्रिंग्स, केएम सीट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, केएडी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, करिसन प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड, कृष्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, मचानी रमेश इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एनवीएच इंडिया ऑटो पार्ट्स

प्राइवेट लिमिटेड, पीएचए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुरोहित स्टील इंडिया लिमिटेड, पुष्पांजलि इम्स प्राइवेट लिमिटेड, सेवरस्टल, बंडी इंडिया लिमिटेड, क्वांग सुंग ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीएचए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिंकु मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एसआरके स्टील्स, फाइन कंपोनेंट्स एंड टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोमोस ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूई प्रेस टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिन्सिरिटी इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सुंगवू स्टैम्पिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टैडपोल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, वूयॉन्ग ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कुमकांग मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीडब्ल्यू इम्पेक्स, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (एफएएम), फेडरेशन ऑफ कच्छ इंडस्ट्रीज, ताइन स्टील फैब एंड इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, केएसएच इंडिया, पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीओएस-हुंडई स्टील एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड

80. प्राधिकरण ने नोट किया कि इन इच्छुक पक्षों ने उन विशिष्ट ग्रेड/प्रकार के उत्पादों को निर्दिष्ट किए बिना बहिष्करण अनुरोध दायर किए हैं जिनके लिए यह बहिष्करण चाहता है। इनमें से कई इच्छुक पक्षों ने "मिश्र धातु इस्पात और अल्ट्रा हाई-टेंशन स्टील" के व्यापक बहिष्करण की मांग की है, जिसका हवाला देते हुए कि "आयात नीति की शर्तों", विदेशी उत्पादकों के साथ "अच्छे संबंधों" और भारतीय उत्पादकों से ऐसे उत्पादों को खरीदने में "कठिनाई" के कारण आयात आवश्यक है। इन इच्छुक पक्षों ने न तो वैध और न्यायोचित आधारों के साथ अपने बहिष्करण अनुरोधों की पुष्टि की है, न ही उन्होंने स्टील के विशिष्ट ग्रेड/प्रकार प्रदान किए हैं जिनके लिए वे बहिष्करण चाहते हैं। प्राधिकरण ऐसे व्यापक और सामान्य बहिष्करण अनुरोधों पर विचार करने में असमर्थ है। इसके बावजूद, आवेदक ने विविध तन्य शक्ति वाले स्टील के विभिन्न चालान प्रदान किए हैं।

ज) इंडियन पाइप्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए), मान इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, मेगा पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड और वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड और जिंदल इंडिया लिमिटेड

81. इन हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न एपीआई ग्रेड को बाहर करने का अनुरोध किया है। इन हितबद्ध पक्षकारों ने माना है कि घरेलू उद्योग एपीआई ग्रेड का विनिर्माण करता है। घरेलू उद्योग ने एपीआई प्रमाणित स्टील को कवर करते हुए विभिन्न इन्वॉइस

प्रदान किए हैं। घरेलू उद्योग ने *** सहित कई कंपनियों को एपीआई ग्रेड स्टील की बिक्री के लिए इन्वॉइस भी प्रदान किए हैं ।

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने पाइप विनिर्माताओं को एपीआई ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ इन कंपनियों द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ट) पोस्को, कोरिया गणराज्य

83. हितबद्ध पक्षकार ने कुल 111 प्रकार/ग्रेड के उत्पादों को बाहर रखने का अनुरोध किया है, जिसके लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं: (क) गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, (ख) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए गए उत्पाद, (ग) विक्रेता प्रमाणन, (घ) घरेलू उद्योग की क्षमता संबंधी बाधाएं।
84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह इन 111 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, विक्रेता प्रमाणन का अभाव भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए का वैध आधार नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित विक्रेता

के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रमाणन से इनकार करने की क्षमता होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है। हितबद्ध पक्षकार ने कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एचआरएनओ) और कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड (सीआरएफएच) के उत्पादन को प्रभावित करने वाली गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए हॉट रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एचआरएनओ) और कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड (सीआरएफएच) को व्यापक रूप से बाहर करने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, यह अपवर्जन का वैध आधार नहीं है। हितबद्ध पक्षकार ने उस उत्पाद का कोई सटीक विनिर्देश भी नहीं दिया है जिसके लिए वह अपवर्जन चाहता है। इसके अलावा, आवेदक ने औद्योगिक उपयोग के लिए एचआर और सीआरएफएच की बिक्री के साक्ष्य के रूप में इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।
87. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता और विक्रेता अनुमोदन से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए कार्बन स्टील (या ऑटोमोटिव स्टील) के एचआर सबस्ट्रेट्स को व्यापक रूप से बाहर करने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अपवर्जन के वैध आधार नहीं हैं जैसा कि पहले ही ऊपर विचार किया जा चुका है। हितबद्ध पक्षकार ने उस उत्पाद का कोई विनिर्देश भी नहीं दिया है जिसके लिए वह अपवर्जन चाहता है। इसके अलावा, आवेदक ने ऑटोमोटिव उद्योग को अपनी बिक्री के साक्ष्य के रूप में कई इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।
88. हितबद्ध पक्षकार ने पीओएससीओ मैग्नीशियम एल्युमीनियम मिश्र धातु कोटिंग उत्पाद के 57 से अधिक ग्रेडों को बाहर करने की मांग की है। हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता संबंधी चिंताओं, विक्रेता प्रमाणन और वास्तविक तथा रासायनिक गुणों में कुछ अंतरों का हवाला देते हुए भी अपवर्जन की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अपवर्जन के वैध आधार नहीं हैं जैसा कि पहले ही ऊपर विचार किया जा चुका है। प्राधिकारी

नोट करते हैं कि आवेदक ने जिंक-एल्युमीनियम-मैग्नीशियम कोटेड उत्पादों की बिक्री को प्रदर्शित करने वाले इन्वॉइस प्रस्तुत किए हैं और सौर ऊर्जा डेवलपर्स अथवा उपकरण उत्पादकों को आपूर्ति का भी प्रदर्शन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि संबंधित उत्पाद की विभिन्न मोटाई या विभिन्न रासायनिक और भौतिक गुण प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद नहीं हैं और घरेलू समान वस्तुओं के साथ उनका सामान्य और ओवरलैपिंग अंतिम उपयोग नहीं है। प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

89. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों और घरेलू उद्योग की इसे उपलब्ध कराने में असमर्थता का हवाला देते हुए "सुपर हाई कार्बन और अलॉय हाई कार्बन स्टील" के 18 से अधिक ग्रेडों को बाहर रखने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता संबंधी मुद्दा अपवर्जन का वैध आधार नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह इन 18 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। घरेलू उद्योग ने उच्च कार्बन सामग्री वाले स्टील की बिक्री को प्रदर्शित करने वाले कई इन्वॉइस और ऐसे इन्वॉइस भी प्रदान किए हैं, जो ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग और मशीनरी निर्माताओं, जैसे *** को आपूर्ति किए जाते हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

90. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों और एपीआई उत्पादों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने में घरेलू उद्योग की असमर्थता का हवाला देते हुए "अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ('एपीआई') के तहत हॉट-रोल्ड और प्लेट उत्पादों" के 11 से अधिक ग्रेडों को बाहर रखने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता संबंधी मुद्दे अपवर्जन के वैध आधार नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह इन 11 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि आवेदक ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान किए गए एपीआई ग्रेडों की बिक्री को प्रमाणित करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक

निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

91. ऑटोमोटिव स्टील की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत, हितबद्ध पक्षकार ने (क) आपूर्ति संबंधी बाधाओं के मुद्दों का हवाला देते हुए ऑटोमोटिव उपयोग के लिए गैल्वेनाइज्ड अथवा गैल्वेनील्ड स्टील को बाहर रखने की मांग की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंड अलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम हो, (ख) अल्ट्रा-हाई स्ट्रेंथ स्टील के 2 से अधिक ग्रेड, जिसमें आवेदक उक्त उत्पाद का विनिर्माण करने में असमर्थ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने विभिन्न टेंसाइल क्षमताओं वाले ऑटोमोबाइल कंपनियों को उत्पादों की बिक्री प्रदर्शित करने वाले इन्वॉइस प्रदान किए हैं, (ग) पीएचटी (पोस्ट हीट ट्रीटमेंट) स्टील ग्रेड के 4 से अधिक ग्रेड, जिसमें आवेदक उक्त उत्पाद का विनिर्माण करने में असमर्थ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने पीएचटी स्टील ग्रेड की बिक्री प्रदर्शित करने वाले इन्वॉइस प्रदान किए हैं, (घ) एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील के 6 से अधिक ग्रेड, जिसमें आवेदक सभी ग्रेड का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के लिए यह साबित करने की कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड का विनिर्माण करता है, (ड.) अधिक बेक हार्डनिंग स्टील सहित एक्सपोज्ड पार्ट्स के लिए ऑटोमोटिव स्टील के 9 से अधिक ग्रेडों के लिए विक्रेता अनुमोदन से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विक्रेता अनुमोदन अपवर्जन का आधार नहीं है, और (च) "जटिल आकार वाले ए-क्लास अनएक्सपोज्ड पार्ट्स के लिए माइल्ड स्टील और ऑटोमोटिव चेसिस पार्ट्स के लिए पिकल्ड और ऑइलड स्टील" विक्रेता अनुमोदन से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विक्रेता अनुमोदन अपवर्जन का आधार नहीं है।

ठ) पाँस्को महाराष्ट्र स्टील प्रा. लिमिटेड

92. हितबद्ध पक्षकार ने विशेष रूप से अपने लिए कुल 52 स्वामित्व प्रकार/ग्रेड के उत्पादों को बाहर रखने का अनुरोध किया है, जिसके लिए उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए हैं: (क) गुणवत्ता संबंधी चिंताएं, (ख) विक्रेता प्रमाणन।

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह इन 52 ग्रेडों में से प्रत्येक को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, विक्रेता प्रमाणन का अभाव भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का वैध आधार नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित विक्रेता के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रमाणन से इनकार करने की क्षमता होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।
95. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड (सीआरएफएच) और हॉट रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (एचआरएनओ) के 17 स्वामित्व ग्रेड को बाहर करने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता संबंधी मुद्दे अपवर्जन का आधार नहीं हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि स्वामित्व नाम कंपनी विशेष के लिए हैं और अन्य उत्पादकों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने सीआरएफएच की बिक्री को प्रदर्शित करने वाले इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।
96. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और विक्रेता की मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए "पीओएससीओ एमएच के लिए कार्बन स्टील (या ऑटोमोटिव स्टील) के सबस्ट्रेट" के 35 स्वामित्व ग्रेड को बाहर करने की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अपवर्जन के लिए वैध आधार नहीं हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि स्वामित्व नाम कंपनी विशेष के लिए हैं और अन्य उत्पादकों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि कंपनी-विशिष्ट उत्पाद अपवर्जन प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

97. प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रारंभिक निष्कर्षों के स्तर पर, यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे ***, आदि को अपनी आपूर्ति के साक्ष्य के रूप में विभिन्न इन्वॉइस उपलब्ध कराए हैं ।

ड) पीओएससीओ स्टीलऑन , कोरिया आरओ

98. हितबद्ध पक्षकार ने कुल 4 प्रकार/ग्रेड के उत्पादों अर्थात: (1) एल्युमिनाइज्ड स्टील (ब्रांड नाम: अलकोस्टा), (2) कलर कोटेड इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील, (3) कोटेड जिंक-एल्युमिनियम-मैग्नीशियम (Zn-Al-Mg) मिश्र धातु स्टील (ब्रांड नाम: मैकोस्टा), (4) जिंक -एल्युमिनियम (Zn-Al) मिश्र धातु स्टील (ब्रांड नाम: अलजास्टा) को बाहर रखने का अनुरोध किया है ।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्रकार/ग्रेड का विनिर्माण समान विनिर्देशों के साथ करता है।

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, विक्रेता प्रमाणन का अभाव भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए का वैध आधार नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित विक्रेता के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रमाणन से इनकार करने की क्षमता होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है। हितबद्ध पक्षकार ने एल्युमिनाइज्ड स्टील (ब्रांड नाम: एल्कोस्टा) को बाहर रखने की मांग की है। जैसा कि पहले व्यक्त किया गया है, प्राधिकारी ने एल्युमिनाइज्ड स्टील के लिए अपवर्जन अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

102. प्राधिकारी जानते हैं कि धातु कोटेड इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील अर्थात्, " कोटेड - इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील " को आरंभिक सूचना में अपवर्जन के अंतर्गत कवर किया जाएगा। प्राधिकारी यह भी जानते हैं कि कलर कोटेड इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील कुछ और नहीं बल्कि कलर कोटेड स्टील है। तदनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी कलर कोटेड इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील के संबंध में पीओएससीओ द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।
103. हितबद्ध पक्षकार ने 'कोटेड जिंक-एल्युमिनियम-मैग्नीशियम (Zn-Al-Mg) मिश्र धातु इस्पात (ब्रांड नाम: मैकोस्टा)' को बाहर करने की मांग की है, जिसमें (क) इसके उत्पादों और आवेदक के उत्पाद के बीच गुणवत्ता में अंतर, (ख) विशेष आवेदन और विक्रेता प्रमाणन, और (ग) घरेलू विकल्पों की कमी का हवाला दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर की गई चर्चा के अनुसार गुणवत्ता में अंतर और विक्रेता प्रमाणन अपवर्जन के वैध आधार नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत आवेदक को समान विनिर्देशों वाले ग्रेड के विनिर्माण को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने कोटेड जिंक-एल्युमिनियम-मैग्नीशियम (Zn-Al-Mg) मिश्र धातु इस्पात की अपनी बिक्री को प्रदर्शित करने वाले इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।
104. हितबद्ध पक्षकार ने 'जिंक-एल्युमिनियम (Zn-Al) मिश्र धातु इस्पात (ब्रांड नाम: अलज़ास्टा)' को बाहर करने की मांग की है, जिसमें (क) इसके उत्पादों और आवेदक के उत्पाद के बीच गुणवत्ता में अंतर, (ख) इसके उत्पाद की प्रीमियम कीमत का हवाला दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अपवर्जन के वैध आधार नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने जिंक-एल्युमिनियम मिश्र धातु इस्पात की अपनी बिक्री को प्रदर्शित करने वाले इन्वॉइस प्रदान किए हैं। प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ढ). एमएनएस इंडिया लिमिटेड और एमएनएस खोपोली

105. एमएनएस इंडिया और एमएनएस खोपोली ने निष्पॉन स्टील कॉरपोरेशन से आयातित कुछ ग्रेड को बाहर करने का अनुरोध किया। प्राधिकारी ने पहले ही निष्पॉन स्टील कॉरपोरेशन द्वारा दायर किए गए अपवर्जन अनुरोध की जांच कर ली है।

ण). एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड.

106. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और अन्य उपकरणों में उपयोग होने वाले 4 ग्रेड/प्रकारों को बाहर रखने का अनुरोध किया है। एलजी का कहना है कि घरेलू उद्योग ऐसे ग्रेड/प्रकारों का विनिर्माण नहीं करता है और घरेलू उद्योग के पास संबंधित ग्रेडों की वाणिज्यिक बिक्री और वाणिज्यिक आपूर्ति नहीं है। एलजी ने आगे कहा है कि आवेदक ग्राहकों की गुणवत्ता मानकों और मात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। एलजी ने आगे अनुरोध किया है कि प्राधिकरण पीयूसी की परिभाषा में “शामिल करें” शब्द को “अर्थात्” शब्द से बदल दे ताकि यह स्पष्ट रूप से इंगित हो सके कि पीयूसी में केवल पांच उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, न कि वे उत्पाद जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने नोट किया कि उत्पाद श्रेणियों का कवरेज स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए और इसलिए वह ‘शामिल करें’ से ‘अर्थात्’ में बदलाव के अनुरोध से सहमत है।
107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी (जहां आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना मालिकों द्वारा नामित किया जाता है) भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से

इनकार करने की क्षमता होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।

108. जैसा कि पहले व्यक्त किया गया है, प्राधिकारी ने लेमिनेटेड ईजीआई शीट्स को पीयूसी के दायरे से बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अन्य ग्रेड/प्रकारों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्री-पेंटेड गैल्वनाइज्ड स्टील और प्री-पेंटेड गैल्वेनील्ड स्टील को कवर करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं, जिनका उपयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा प्रदान किए गए इन्वॉइस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों जैसे *** आदि को बिक्री दर्शाते हैं। इसलिए, पीयूसी के दायरे से उक्त वस्तुओं को बाहर करने का कोई आधार मौजूद नहीं है। एलजी ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी यह स्पष्ट करे कि " कोटेड-इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड स्टील " की छूट " कोटेड/लेमिनेटेड/प्रिंटेड/पेंटेड ईजीआई सहित सभी प्रकार के ईजीआई " को कवर करती है। आवेदक पीयूसी के दायरे से लेमिनेटेड ईजीआई को बाहर करने के लिए सहमत हो गया है। हालाँकि, प्राधिकारी मुद्रित/चित्रित इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील के संबंध में एलजी द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

त). गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

109. गोदरेज ने घरेलू उपकरणों (3) और प्रेशर उपकरण प्रभागों (5) में उपयोग होने वाले 8 ग्रेड/प्रकार के उत्पादों को बाहर रखने का अनुरोध किया है। गोदरेज ने आगे अनुरोध किया है कि प्राधिकारी पीयूसी की परिभाषा में "शामिल" शब्द को "अर्थात्" शब्द से प्रतिस्थापित दे ताकि यह स्पष्ट रूप से इंगित हो सके कि पीयूसी केवल पांच उत्पाद श्रेणियों को कवर करता है न कि उन उत्पादों को जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, रक्षोपाय संबंधी करार विचाराधीन उत्पाद की पसंद अथवा परिभाषा को अनुशासित नहीं करता है। जहां विशिष्ट दावे किए गए हैं कि घरेलू उद्योग विशेष ग्रेड/प्रकार के इस्पात का विनिर्माण नहीं करता है, प्राधिकारी ने ऐसे दावों का मूल्यांकन रक्षोपाय जांचों के लिए लागू कानूनी मानकों के आधार पर किया है।
110. घरेलू उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले 3 ग्रेड/प्रकार के उत्पादों के संबंध में, गोदरेज ने प्रस्तुत किया है कि ऐसे उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं।

गोदरेज का दावा है कि आवेदक कंपनियों ने स्वीकार किया है कि वे गोदरेज द्वारा अपेक्षित तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।

111. प्रेशर उपकरण उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले 5 ग्रेड/प्रकारों के संबंध में, गोदरेज ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग उक्त ग्रेड/प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण और आपूर्ति करता है, हालांकि, उसका तर्क है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताएं उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। गोदरेज का तर्क है कि तकनीकी विशिष्टताओं में अंतर के कारण, 8 ग्रेड/प्रकार घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान नहीं हैं।
112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी करार के विपरीत, जहां पीयूसी का दायरा "समान वस्तुओं" तक सीमित है, रक्षोपाय कानून के तहत पीयूसी के दायरे के लिए कानूनी मानक में "प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी" वस्तुएं शामिल हैं।
113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह इन 8 ग्रेडों में से प्रत्येक का विनिर्माण समान विनिर्देशों के साथ करता है। इसी तरह, कानून के तहत यह भी आवश्यक नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता (जैसे गोदरेज) की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम हो। इसके अलावा, गुणवत्ता संबंधी चिंताएं भी किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं हैं।
114. घरेलू उद्योग ने प्री-पैटेड गैल्वनाइज्ड स्टील और गैल्वेनील्ड स्टील को कवर करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं, जिनका उपयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा प्रदान किए गए इन्वॉइस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों जैसे *** आदि को ऐसे उत्पादों की बिक्री का संकेत देते हैं। इसलिए, गोदरेज द्वारा पहचान किए गए 8 ग्रेड/प्रकारों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का कोई आधार नहीं है। गोदरेज ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकरण यह स्पष्ट करे कि "कोटेड-इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड स्टील" की छूट में "लेमिनेटेड विनाइल-कोटेड सहित सभी प्रकार के ईजीआई शामिल हैं"। प्राधिकरण समझता है कि मेटालिक कोटेड

इलेक्ट्रोगैल्वनाइज्ड स्टील को आरंभिक नोटिस में दिए गए बहिष्करण के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जिसका नाम है, "कोटेड - इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड स्टील"। हालाँकि, अपर्याप्त विवरणों के मद्देनजर, प्रारंभिक निष्कर्षों के उद्देश्य से प्राधिकरण लेमिनेटेड विनाइल कोटेड इलेक्ट्रोगैल्वनाइज्ड स्टील के संबंध में गोदरेज द्वारा दायर बहिष्करण अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

थ). पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

115. पैनासोनिक ने प्री-कोटेड विनाइल कोटेड शीट को बाहर करने का अनुरोध किया है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के दरवाजों में किया जाता है। प्राधिकारी ने पहले ही एलजी और गोदरेज एंड बॉयस के समान अपवर्जन अनुरोधों पर विचार किया है और उनका मूल्यांकन किया है। इसलिए प्राधिकारी पैनासोनिक द्वारा किए गए उसी अपवर्जन अनुरोध की पुनः जांच नहीं कर रहे हैं।

द). एसएसएबी स्वीडिश स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

116. एसएसएबी ने परिवहन, खनन, सीमेंट, विनिर्माण उपकरण में उपयोग होने वाले 51 स्वामित्व ग्रेड/प्रकार के स्टील को बाहर करने का अनुरोध किया है। एसएसएबी का कहना है कि उनके द्वारा आयातित स्वामित्व ग्रेड/प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समकक्ष ग्रेड से "बेहतर प्रदर्शन" करते हैं और "अतिरिक्त मूल्य प्रदान करते हैं"।
117. सबसे पहले, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन 51 ग्रेड/प्रकारों के लिए एसएसएबी ने अपवर्जन की मांग की है, वे किसी कंपनी द्वारा उत्पादित ग्रेड/प्रकार के स्वामित्व नाम हैं। स्वामित्व नाम कंपनी विशेष के होते हैं और अन्य उत्पादकों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी-विशिष्ट उत्पाद अपवर्जन नहीं दिए जा सकते। इसके अतिरिक्त, एसएसएबी इस बात पर विवाद नहीं करता कि घरेलू उद्योग समतुल्य ग्रेड के स्टील का उत्पादन करता है।
118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन

आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी (जहां आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना मालिकों द्वारा नामित किया जाता है) भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उच्च क्षमता, उच्च कार्बन स्टील और भारी प्लेटों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले विभिन्न इन्वॉइस दायर किए हैं, जो कि 51 ग्रेड/प्रकारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं जिनके लिए एसएसएबी ने अपवर्जन की मांग की है। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, एसएसएबी के अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ध). अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड.

119. अशोक लेलैंड डिफेंस ने 26 ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन 26 ग्रेड/प्रकारों में से प्रत्येक उत्पाद एसएसएबी द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध में शामिल हैं, जिसकी प्राधिकारी जांच ने ऊपर कर ली है। इसलिए प्राधिकारी को ऐसे अपवर्जन अनुरोधों की पुनः जांच करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता।

न). टे नैम स्टील विनिर्माण और ट्रेडिंग कं, लिमिटेड

120. हितबद्ध पक्षकार ने जीआई, जीएल, पीपीजीआई, पीपीजीएल को बाहर रखने का अनुरोध किया है। हितबद्ध पक्षकार ने उत्पादों के सटीक ग्रेड/प्रकार के संबंध में और अधिक जानकारी प्रदान नहीं की है जिसके लिए उसकी बाहर रखने की मांग है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। है। घरेलू उद्योग ने कलर कोटेड और मैटेलिक कोटेड, जीआई, जीएल

और पीपीजीआई स्टील को कवर करते हुए विभिन्न इन्वॉइस दायर किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, टे नैम स्टील द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

प). कोबे स्टील लिमिटेड

121. हितबद्ध पक्षकार ने कोल्ड रोल्ड कॉइल के 8 ग्रेड को बाहर करने का अनुरोध किया है। कोबे स्टील लिमिटेड प्राधिकारी की पिछली पाटन-रोधी जांच पर विश्वास दर्शाते हुए तर्क देता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जाने वाले विशिष्ट ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एंटी-डॉपिंग समझौते के विपरीत, जहां पीयूसी का दायरा "समान वस्तुओं" तक सीमित है, रक्षोपाय कानून के तहत पीयूसी के दायरे के लिए कानूनी मानक में "प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी" वस्तुएं शामिल हैं। इसलिए, कोबे द्वारा पिछले पाटन-रोधी निर्धारणों पर रखा गया निर्भरता, तर्कसंगत नहीं है।
122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। है। आवेदक ने विभिन्न टेनसाईल क्षमता वाले स्टील के विभिन्न बिक्री इन्वॉइस प्रस्तुत किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में उपयोग किए जाने वाले ग्रेड से संबंधित इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

फ).मेटल वन कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेटल वन कॉर्पोरेशन

123. हितबद्ध पक्षकारों ने स्टील के 12 ग्रेड/प्रकारों को बाहर रखने का अनुरोध किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग स्टील के 12 ग्रेड/प्रकार या समान वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। जिन ग्रेड/प्रकारों के उत्पादों के लिए मेटल वन कॉर्पोरेशन ने अपवर्जन की मांग की है, उनमें घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि उसके आवेदन में एल्युमिनियम कोटेड स्टील, एल्युमिनियम सिलिकॉन कोटेड, हॉट डिप्ड एल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटेड स्टील, निकल कोटेड स्टील, कॉपर प्लेटेड स्टील,

टाइटेनियम क्लैड प्लेट्स, बाईमेटल्स आदि को शामिल करने का दावा नहीं किया गया है। मेटल वन कॉरपोरेशन द्वारा पहचाने गए स्टील के ग्रेड जो इन श्रेणियों में आते हैं, परिणामस्वरूप पीयूसी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। मेटल वन ने आगे अनुरोध किया है कि प्राधिकारी पीयूसी की परिभाषा में "शामिल" शब्द के अर्थान पर "अर्थात्" शब्द प्रतिस्थापित करें ताकि यह स्पष्ट रूप से इंगित हो सके कि पीयूसी केवल पांच उत्पाद श्रेणियों को कवर करता है और उन उत्पादों को नहीं जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रक्षोपाय संबंधी करार विचाराधीन उत्पाद की पसंद अथवा परिभाषा को अनुशासित नहीं करता है। जहां विशिष्ट दावे किए गए हैं कि घरेलू उद्योग विशेष ग्रेड/प्रकार के इस्पात का विनिर्माण नहीं करता है, प्राधिकारी ने ऐसे दावों का मूल्यांकन रक्षोपाय जांचों के लिए लागू कानूनी मानकों के आधार पर किया है।

124. हितबद्ध पक्षकारों ने मध्यम से उच्च टेन्साइल वाले हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टील कॉइल, हॉट रोलड स्टील प्लेट, हॉट रोलड स्टील प्लेट (उच्च टेन्साइल), हॉट रोलड घर्षण प्रतिरोधी स्टील प्लेट, ज़ैम और गैल्वेनलड स्टील कॉइल को बाहर करने का अनुरोध किया है, इस आधार पर कि घरेलू उत्पादक आवश्यक विनिर्देशों का उत्पादन करने में असमर्थ हैं, गुणवत्ता की समस्या है और आवश्यक ग्राहक अनुमोदन की कमी है। हितबद्ध पक्षकार आगे प्रस्तुत करते हैं कि स्टील के ग्रेड उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किए जाते हैं, जिन्हें घरेलू उद्योग प्रदान करने में असमर्थ है।
125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों का सामान्य और ओवरलैपिंग अंतिम उपयोग नहीं है और वे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, विक्रेता प्रमाणन का अभाव भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने के लिए का वैध आधार नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित विक्रेता के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रमाणन से इनकार करने की क्षमता होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।
127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है। कुछ निश्चित टेनसाईल क्षमता वाले स्टील को बाहर रखने के मेटल वन कॉर्पोरेशन के अनुरोध के संबंध में, आवेदक ने विविध टेनसाईल क्षमता वाले स्टील के विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू मानक नहीं हैं जिनमें एक विशिष्ट टेनसाईल क्षमता वाले स्टील के उपयोग की आवश्यकता होती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने हॉट रोलड स्टील प्लेट, हॉट रोलड स्टील घर्षण प्रतिरोधी स्टील प्लेट, ज़ेडएएम (जस्ता-एल्यूमीनियम-मैंगनीशियम) और गैल्वेनील्ड स्टील कॉइल के विभिन्न ग्रेड की बिक्री को प्रदर्शित करने वाले इन्वॉइस भी प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी कोल्ड रोलड स्टील कॉइल, हॉट रोलड स्टील कॉइल, हॉट रोलड स्टील प्लेट, हॉट रोलड स्टील प्लेट्स (उच्च तन्य), हॉट रोलड स्टील घर्षण प्रतिरोधी स्टील प्लेट, ज़ेडएएम (जस्ता-एल्यूमीनियम-मैंगनीशियम) और गैल्वेनील्ड स्टील कॉइल को बाहर रखने के मेटल वन कॉर्पोरेशन के दावे को स्वीकार करने में असमर्थ है। प्राधिकारी आगे नोट करते कि हितबद्ध पक्षकार ने इकोकोट (टिन-जिंक कोटेड स्टील) के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकार ने न तो उत्पाद का तकनीकी विशिष्टताएं प्रदान की हैं और न ही अंतिम उपयोग, ऐसी जानकारी के अभाव में प्राधिकारी यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि ऐसा उत्पाद घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद के समान है अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी है, इसलिए प्राधिकारी यह पुष्टि करने में असमर्थ है कि इकोकोट पीयूसी के दायरे से बाहर है या नहीं। मेटल वन कॉर्पोरेशन ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी छूट से "कोटेड" शब्द को हटाकर " कोटेड-इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील " कर दे। प्राधिकारी जानते हैं कि मेटालिक कोटेड इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील को आरंभिक सूचना में अपवर्जन के अंतर्गत कवर किया जाएगा, अर्थात्, " कोटेड - इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील "। हालांकि, प्राधिकारी प्रारंभिक

निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ, इस संबंध में मेटल वन कॉरपोरेशन द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ब. शिवालिक बायमेटल्स कंट्रोल्स लिमिटेड

128. शिवालिक बाईमेटल्स ने 10 ग्रेड/प्रकारों को बाहर रखने का अनुरोध किया है। शिवालिक बाईमेटल्स का दावा है कि घरेलू उद्योग इन 10 ग्रेड/प्रकारों का विनिर्माण नहीं करता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समकक्ष ग्रेड “निम्न गुणवत्ता के हैं और कम लागत प्रभावी हैं”। शिवालिक बायमेटल्स ने आगे अनुरोध किया है कि प्राधिकरण पीयूसी की परिभाषा में “शामिल करें” शब्द को “अर्थात्” शब्द से बदल दे ताकि यह स्पष्ट रूप से इंगित हो सके कि पीयूसी में केवल पांच उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, न कि वे उत्पाद जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने नोट किया कि उत्पाद श्रेणियों का कवरेज स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए और इसलिए वह ‘शामिल करें’ से ‘अर्थात्’ में परिवर्तन के अनुरोध से सहमत है।
129. प्राधिकरण ने नोट किया कि शिवालिक बाईमेटल्स ने अपने प्रस्तुतीकरण में स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग समकक्ष ग्रेडों के विनिर्माण में लगा हुआ है, यद्यपि उनकी गुणवत्ता निम्नतर है और वे कुछ भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्न हैं। यह नोट करना और भी प्रासंगिक है कि इच्छुक पक्ष ने तर्क दिया है कि जिन विनिर्माताओं के पास विनिर्माण की क्षमता है वे कम मात्रा के कारण इसे किफायती रूप से उत्पादित नहीं कर सकते हैं। प्राधिकरण ने नोट किया कि, इच्छुक पक्ष का यह दावा कि घरेलू उद्योग उन ग्रेडों का कम मात्रा में किफायती रूप से उत्पादन नहीं कर सकता है, उनके सस्ते मूल्यों और घरेलू उद्योग द्वारा संभावित बिक्री के नुकसान के कारण आयातों के लिए ग्राहक वरीयता का सुझाव देता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि प्राधिकरण या आवेदक के लिए कानून के तहत यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करता है।

भ. मनकसिया स्टील्स लिमिटेड

130. मनकसिया स्टील्स ने 1250 मिमी की चौड़ाई और 2 मिमी से कम मोटाई वाले हॉट रोलड स्टील कॉइल्स को बाहर रखने का अनुरोध किया है। मनकसिया का दावा है कि

घरेलू उद्योग 2 मिमी से कम मोटाई और 1250 मिमी से कम चौड़ाई वाले कॉइल्स का विनिर्माण नहीं करता है। हालांकि, मनकसिया ने स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग के पास 2 मिमी से कम मोटाई और 1250 मिमी से कम चौड़ाई वाले कॉइल्स का विनिर्माण करने की क्षमता है, लेकिन वह पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में ऐसा नहीं करता है। मनकसिया ने आगे अनुरोध किया है कि प्राधिकरण पीयूसी की परिभाषा में "शामिल करें" शब्द को "अर्थात्" शब्द से बदल दे ताकि यह स्पष्ट रूप से इंगित हो सके कि पीयूसी में केवल पांच उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं, न कि वे उत्पाद जो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने नोट किया कि उत्पाद श्रेणियों का कवरेज स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए और इसलिए वह 'शामिल करें' से 'अर्थात्' में परिवर्तन के अनुरोध से सहमत है। जहां विशिष्ट दावे किए गए हैं कि घरेलू उद्योग विशेष ग्रेड/प्रकार के स्टील का निर्माण नहीं करता है, प्राधिकरण ने सुरक्षा जांच के लिए लागू कानूनी मानक के आधार पर ऐसे दावों का मूल्यांकन किया है।

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा, मकासिया ने स्वयं स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग के पास 2 मिमी से कम मोटाई और 1250 मिमी से कम चौड़ाई वाले स्टील के विनिर्माण और आपूर्ति की क्षमता है, लेकिन वह वाणिज्यिक कारणों से ऐसा नहीं करता है। इसलिए, आयात में वृद्धि और इसके कारण गंभीर क्षति के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा समकक्ष ग्रेड के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने के कारण बिक्री में कमी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
132. घरेलू उद्योग ने एचआर स्टील की विभिन्न मोटाई और चौड़ाई को कवर करने वाले कई तरह के इनवॉयस तैयार किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी इस स्तर पर 2 मिमी से कम मोटाई और 1250 मिमी से कम चौड़ाई वाले स्टील को बाहर रखने को स्वीकार करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, पीयूसी की परिभाषा में "शामिल" शब्द को "अर्थात्" शब्द से प्रतिस्थापित करने का बदलने का कोई आधार नहीं है।

म. टाटा मोटर्स

133. टाटा मोटर्स ने स्टील के 6 ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध किया है। टाटा मोटर्स ने प्रस्तुत किया है कि ये ग्रेड भारत में निर्मित नहीं हैं, घरेलू उद्योग लगातार इन ग्रेडों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ है और जापान से आयातित ग्रेड बेहतर गुणवत्ता के हैं।
134. जैसा कि पहले बताया गया है, इन ग्रेडों में से एल्युमीनियम कोटेड स्टील, एल्युमीनियम सिलिकॉन कोटेड और हॉट डिप्ड एल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटेड स्टील को बाहर करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। इस श्रेणी में आने वाले स्टील के ग्रेड को परिणामस्वरूप पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि स्टेनलेस स्टील को पहले ही आरंभ अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अनुसार पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।
135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी आगे नोट करते कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी (जहां आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना मालिकों द्वारा नामित किया जाता है) भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।
136. ऑटोमोटिव अनुप्रयोग वाले रीमाइनिंग उत्पाद प्रकारों/ग्रेडों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टाटा मोटर्स ने उन ग्रेडों के लिए संबंधित भारतीय मानक प्रदान नहीं किया है जिनके लिए वह अपवर्जन चाहता है। आवेदक ने ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे ***

आदि को बेचे गए एचआर, सीआर और मेटालिक कोटेड की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले कई इन्वॉइस प्रदान किए हैं, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने उन वस्तुओं की आपूर्ति की है जिनका उपयोग उन उत्पादों के साथ समान और ओवरलैपिंग है जिनके लिए टाटा मोटर्स ने अपवर्जन की मांग की है। इसलिए ये उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ टाटा मोटर्स द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

य. एसीएमए , एनआरबी बेयरिंग, शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एआईएसआईएन ऑटोमोबाइल्स

137. हितबद्ध पक्षकारों ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और क्षमता संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए ऑटोमोटिव उद्योग में उपयोग किए जाने वाले 35 ग्रेड/प्रकारों के लिए अपवर्जन का अनुरोध किया है। कुछ ग्रेडों के लिए, हितबद्ध पक्षकारों ने संगत भारतीय मानक प्रदान नहीं किए हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचाने गए रबर कोटेड स्टील के कुछ ग्रेडों के लिए अपवर्जन अनुरोध को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।
138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस हितबद्ध पक्षकार ने स्वीकार किया है कि वे घरेलू उत्पादकों से कुछ ग्रेड खरीदते हैं। हालांकि, यह दावा किया गया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित ग्रेड की गुणवत्ता और मात्रा आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। इसी तरह, कानून के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि घरेलू उद्योग देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को अकेले ही पूरा करने में सक्षम हो।
139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे *** आदि को बेचे गए एचआर, सीआर और मेटालिक कोटेड की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले कई इन्वॉइस प्रदान किए हैं, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने उन वस्तुओं की आपूर्ति की है जिनका उपयोग उन उत्पादों के साथ समान और ओवरलैपिंग है जिनके लिए इच्छुक पार्टियों ने अपवर्जन की मांग की है। इसलिए ये उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी

हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

कक. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड.

140. मारुति सुजुकी ने स्टील के 22 ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध किया है। मारुति का तर्क है कि इन ग्रेडों को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि (क) वे भारत में निर्मित नहीं होते (11); (ख) घरेलू उद्योग में डाउनस्ट्रीम उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता का अभाव है (6) और हाल ही में भारत में ग्रेडों का विकास किया जा रहा है (5)।
141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी (जहां आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना मालिकों द्वारा नामित किया जाता है) भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते कि घरेलू उद्योग ने मारुति सुजुकी को बिक्री स्टील को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं।
143. आवेदक ने ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे *** आदि को बेचे गए एचआर, सीआर और मेटालिक कोटेड की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले कई इन्वॉइस प्रदान किए हैं, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने उन वस्तुओं की आपूर्ति की है जिनका उपयोग उन उत्पादों के साथ समान और ओवरलैपिंग है जिनके लिए मारुति सुजुकी ने अपवर्जन

की मांग की है। इसलिए ये उत्पाद प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

खख. जय भारत मारुति लिमिटेड

144. जय भारत मारुति लिमिटेड ("जेबीएम") ने पीयूसी के दायरे से स्टील के 6 ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने की मांग की है। जेबीएम का कहना है कि उक्त ग्रेड भारत में उत्पादित नहीं होते हैं। जिन 6 ग्रेडों, जो एल्युमीनियम कोटेड स्टील और निकल कोटेड स्टील की श्रेणी में आते हैं, के लिए जेबीएम ने बाहर करने की मांग की है, उनमें से 4 को बाहर करने की मांग पहले ही स्वीकार कर ली गई है।

145. अन्य दो ग्रेडों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने एचआरपीओ कॉइल्स को कवर करने वाले कई इन्वॉइस प्रदान किए हैं जो उन ग्रेडों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं जिनके लिए जेबीएम ने अपवर्जन की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने एचआरपीओ कॉइल्स के विभिन्न ग्रेडों को कवर करने वाले इन्वॉइस प्रस्तुत किए हैं जिनका उन ग्रेडों के साथ सामान्य और अतिव्यापी उपयोग है जिनके लिए जेबीएम ने अपवर्जन की मांग की है, प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ जेबीएम द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

गग. कात्सुशिरो मेटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

146. कात्सुशिरो ने जेएफई कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए इस्पात के 4 ग्रेड/प्रकारों को बाहर करने का अनुरोध इस आधार पर किया है कि आवश्यक आकार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं, स्थानीय आपूर्तिकर्ता तकनीकी विनिर्देशों को पूरा नहीं कर सकते हैं और घरेलू उत्पादकों की न्यूनतम आदेश मात्रा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में अधिक है।

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कात्सुशिरो ने जेएफई कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति किए गए स्टील के 4 ग्रेड/प्रकारों के लिए अपवर्जन की मांग की है। चूंकि प्राधिकारी ने पहले ही जेएफई कॉरपोरेशन के अपवर्जन अनुरोध पर विचार कर लिया है, इसलिए ऐसे अपवर्जन अनुरोधों की पुनः जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

घघ. सीएससीआई कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

148. सीएससीआई ने 2023 के आईएस 18316 के अनुरूप कोल्ड रोल्ड फुल हार्डेन्ड इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप्स को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का अनुरोध किया है, जो सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील स्ट्रिप्स की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने कोल्ड रोल्ड फुल हार्डेन्ड स्टील की बिक्री को कवर करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी सीएससीआई द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

डड. सीयू बिल्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टास विंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेनवियन विंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

150. हितबद्ध पक्षकारों ने पवन टर्बाइनों के लिए स्टील प्लेट्स और पवन टर्बाइन टावरों के लिए प्राइम स्टील को बाहर रखने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने पवन टर्बाइनों सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए हॉट रोल्ड प्लेटों की बिक्री को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

चच. जर्मनी से एक्टिएन-गेसेलशाफ्ट डेर डिलिंगर हटनवेर्के

151. डिलिंगर ने हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट्स के 76 ग्रेडों के लिए अपवर्जन का अनुरोध किया है जो नौ उपश्रेणियों, अर्थात्, उच्च-क्षमता लाइन पाइप प्लेट, सार सर्विस प्रेशर वेसल प्लेट, उच्च-क्षमता लो अलाय प्रेशर वेसल प्लेट, उच्च-क्षमता थर्मोमेकेनिकली-रोल्ड प्रेशर वेसल प्लेट, उच्च तापमान अनुप्रयोग के लिए प्रेशर वेसल प्लेट, कम तापमान अनुप्रयोग के लिए प्रेशर वेसल प्लेट (क्रायोजेनिक), घर्षण प्रतिरोधी स्टील प्लेट, उच्च-क्षमता फाईन ग्रेड संरचनात्मक स्टील प्लेट, ऑफशोर फाईन ग्रेड संरचनात्मक स्टील प्लेट, लाइन पाइप प्लेट के अंतर्गत आते हैं। डिलिंगर ने प्रस्तुत किया है कि जिन प्लेटों को वे बाहर रखना चाहते हैं, उनका उपयोग तेल और गैस पाइपलाइनों के उत्पादन के लिए लाइन पाइप बनाने में, उच्च क्षमता वाले महीन दाने वाले संरचनात्मक स्टील में, पुलों जैसे कठिन संरचनाओं के विनिर्माण में, भारी मशीनरी जैसे कि मिट्टी हटाने वाले और खनन उपकरण और दबाव पोत स्टील के विनिर्माण में, तेल और गैस, रासायनिक या दवा उद्योगों के लिए उपकरणों के विनिर्माण में, जैसे कि रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर या दबाव वाले टैंक, जो अक्सर खट्टी गैस प्रतिरोधी होते हैं, के विनिर्माण में किया जाता है।
152. डिलिंगर ने कहा कि घरेलू उद्योग स्टील के उन विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है, जिसके लिए उन्होंने अपवर्जन की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने हॉट रोल्ड प्लेट मिल प्लेट्स और एपीआई प्रमाणित स्टील को कवर करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं जिनका उपयोग विनिर्माण, भारी मशीनरी, दबाव वाहिकाओं आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जो 76 ग्रेड/प्रकारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं जिनके लिए डिलिंगर ने अपवर्जन की मांग की है। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ एक्टिएन-गेसेलशाफ्ट डेर डिलिंगर हटनवेर्के द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

छछ. इस्जेक हिताची ज़ोसेन लिमिटेड.

153. क्लैड प्लेट के 9 ग्रेडों के लिए अपवर्जन का अनुरोध इस आधार पर किया है कि यह ग्रेड भारत में निर्मित नहीं है और भारतीय उत्पादक इंजीनियरिंग कंपनियों और विदेशी लाइसेंसदाताओं द्वारा निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करने में असमर्थ हैं।
154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी आगे नोट करते कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी (जहां आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना मालिकों द्वारा नामित किया जाता है) भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।
155. घरेलू उद्योग ने हॉट रोल्ड प्लेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं जो इंजीनियरिंग कंपनियों जैसे ***, आदि को बेचे गए थे। इसलिए, प्राधिकारी, प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ इस्जीईसी हिताची द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

जज. अशोक लेलैंड लिमिटेड

156. हितबद्ध पक्षकार ने एल्युमीनियम-सिलिकॉन कोटेड, घिसाव प्रतिरोधी इस्पात और कोल्ड रोल्ड गैल्वे एनील्ड इस्पात की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 4 ग्रेडों/प्रकारों को इस आधार पर बाहर रखने का अनुरोध किया है कि इन ग्रेडों का उत्पादन भारत में नहीं होता है या घरेलू उद्योग के पास भारत में मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है।

157. जैसा कि पहले दर्शाया गया है कि एल्युमीनियम-सिलिका कोटेड स्टील को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना स्वीकार कर लिया गया है। शेष ग्रेड के लिए, प्राधिकारी का विचार है कि कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग ने अशोक लेलैंड सहित कई पक्षकारों को बेचे गए वियर-रेसिस्टेंट स्टील और गैल्वेनील्ड स्टील को कवर करने वाले विभिन्न इन्वॉइस प्रदान किए हैं, जिनका उन ग्रेड के साथ सामान्य और ओवरलैपिंग अंतिम उपयोग है जिनके लिए अशोक लेलैंड ने अपवर्जन की मांग की है। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

झझ. डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड

158. हितबद्ध पक्षकार ने एल्युमिनाइज्ड स्टील या एल्युमिनियम कोटेड स्टील के लिए अपवर्जन का अनुरोध किया है। इसे पहले पैरा में किए गए उल्लेख के अनुसार स्वीकार कर लिया गया है।

ञञ. एक्सेडी इंडिया लिमिटेड

159. हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उत्पादकों के पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होने के कारण ऑटोमोटिव क्षेत्र में उपयोग होने वाले सी70-हाई कार्बन कोल्ड रोलड स्टील और एससीएम 435-हाई कार्बन कोल्ड रोलड स्टील को बाहर रखने का अनुरोध किया है।
160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उन वस्तुओं की बिक्री के लिए इन्वॉइस प्रदान किए हैं जो सीधे सी 70 और एससीएम435 ग्रेड के साथ प्रतिस्पर्धी हैं, जिनके लिए एक्सेडी ने अपवर्जन की मांग की है। यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादों की आपूर्ति करता है जिनका ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए आयातित उत्पादों के साथ ओवरलैपिंग उपयोग होता है।

इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ हितबद्ध पक्षकार के अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

टट. केजी डोंगबू स्टील, एवीज़ा टेक्नोलॉजीज, जेआर एंड कंपनी, मैक्सग्लोबल टेक्नो सिस्टम्स, न्यूकोर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, प्रेस्टोमैक फिनिशर्स, ताइन स्टील फैब एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और एम एंड बी इंजीनियरिंग

161. हितबद्ध पक्षकारों ने आईएस 15965, आईएस 14246, आईएस 15961 और आईएस 513 मानकों के अंतर्गत आने वाले प्री-पेंटेड स्टील के 2 ग्रेड/प्रकार और गैल्वेनाइज्ड स्टील के 3 ग्रेड/प्रकार को बाहर रखने का अनुरोध इस आधार पर किया है कि घरेलू उद्योग के पास इन ग्रेडों को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता का अभाव है।
162. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि घरेलू उत्पादक उन 5 ग्रेड/प्रकार के इस्पात का उत्पादन करने में सक्षम हैं, जिनके लिए उन्होंने अपवर्जन की मांग की है। हितबद्ध पक्षकार की चिंता यह है कि घरेलू उत्पादक ग्रेड/प्रकार की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रारंभिक जांच के चरण में, यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है।
163. घरेलू उद्योग ने IS 513 और IS 15961 के अंतर्गत आने वाले स्टील के विभिन्न इन्वॉइस उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने IS 15965 और IS 14246 के अंतर्गत आने वाली प्री-पेंटेड गैल्वेनाइज्ड शीट्स और गैल्वेनाइज्ड शीट्स की बिक्री को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न इन्वॉइस उपलब्ध कराए हैं, जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचाने गए 5 ग्रेड/प्रकारों के समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुएं हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ केजी डोंगबू स्टील द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ठठ. डोंगकुक सीएम, कोरिया और डोंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

164. हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या 'कोटेड-इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड स्टील' का अपवर्जन 'मेटालिक कोटेड इलेक्ट्रो-गैल्वनाइज्ड स्टील' और 'कलर कोटेड इलेक्ट्रो-गैल्वनाइज्ड स्टील' दोनों पर भी लागू होता है।
165. प्राधिकारी जानते हैं कि धातु लेपित इलेक्ट्रो-गैल्वनाइज्ड स्टील को आरंभिक सूचना में दिए गए अपवर्जन के अंतर्गत कवर किया जाएगा, अर्थात्, " कोटेड - इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड स्टील "। प्राधिकारी यह भी जानते हैं कि कलर कोटेड इलेक्ट्रो गैल्वनाइज्ड स्टील और कुछ नहीं बल्कि कलर कोटेड स्टील है। तदनुसार, प्रारंभिक प्राधिकारी निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ कलर कोटेड इलेक्ट्रो-गैल्वनाइज्ड स्टील के संबंध में डोंगकुक द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

डड. धातु और स्टेनलेस स्टील व्यापारी संघ

166. हितबद्ध पक्षकार ने कॉपर-प्लेटेड स्टील, कोबाल्ट-प्लेटेड स्टील, सिल्वर-प्लेटेड स्टील, आर्मर-वेयर-रेसिस्टेंट स्टील, डाई स्टील, एल्युमिनाइज्ड स्टील, निकल-प्लेटेड स्टील, प्लास्टिक मोल्ड स्टील और पावर टूल स्टील को बाहर रखने का अनुरोध किया है।
167. जैसा कि ऊपर बताया गया है, कॉपर प्लेटेड, कोबाल्ट प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, एल्युमीनियम कोटेड और निकेल कोटेड स्टील को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने पर सहमति बन गई है। शेष ग्रेड/प्रकारों के संबंध में, हितबद्ध पक्षकार ने स्टील के उस ग्रेड का सटीक ग्रेड या अंतिम उपयोग विनिर्दिष्ट नहीं किया है जिसके लिए उसने अपवर्जन की मांग की है। हितबद्ध पक्षकार ने उन आधारों को भी स्पष्ट नहीं है जिनके लिए वह उक्त ग्रेड को बाहर रखने की मांग कर रहा है। प्राधिकारी ऐसे निराधार अनुरोध पर विचार करने में असमर्थ है।

ढढ. एनएलएमके क्लैबेक और एनएलएमके इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

168. हितबद्ध पक्षकारों ने इस आधार पर इटली से आयातित उच्च उपज और घर्षण प्रतिरोधी स्टील प्लेटों के स्वामित्व ग्रेड को बाहर करने की मांग की है कि इन प्लेटों की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई प्लेटों की तुलना में अधिक है।

169. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन ग्रेड/प्रकारों के लिए हितबद्ध पक्षकारों ने अपवर्जन की मांग की है, वे किसी कंपनी द्वारा उत्पादित ग्रेड/प्रकार के स्वामित्व नाम हैं। स्वामित्व नाम कंपनी-विशिष्ट होते हैं और अन्य उत्पादकों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी-विशिष्ट उत्पाद अपवर्जन प्रदान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने न तो संबंधित भारतीय मानक प्रदान किया है, न ही विशिष्ट उपयोग जिसके आधार पर प्राधिकारी अपवर्जन अनुरोध का मूल्यांकन कर सकता है।
170. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
171. घरेलू उद्योग ने घर्षण-प्रतिरोधी और उच्च-उपज प्लेट मिल प्लेटों को कवर करने वाले विभिन्न इन्वाँइस तैयार किए हैं, जो उन ग्रेडों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी हैं जिनके लिए एनएलएमके ने अपवर्जन की मांग की है। इसलिए, एनएलएमके के अपवर्जन अनुरोध पर विचार करने का कोई आधार मौजूद नहीं है।

णण. स्टिच ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

172. स्टिच ने ग्राहक अनुमोदन और गुणवत्ता से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए मानक विनिर्देश - एएसटीएम ए 792 डीएस/डीक्यू | वाईएस250 | आईएस 15961:2012 के गैल्वेनाइज्ड शीट्स/कॉइल को बाहर करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने का आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुमोदन की कमी भी पीयूसी के दायरे से किसी उत्पाद को बाहर करने की मांग करने का वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों को मंजूरी देने से इनकार करने की क्षमता होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते हैं।

173. घरेलू उद्योग ने आईएस 15961 के तहत गैल्वेनाइज्ड गैल्वेनाइज्ड गैल्वेनाइज्ड शीट्स की बिक्री के कई इन्वॉइस उपलब्ध कराए हैं। इसलिए, प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी स्टिच ओवरसीज द्वारा दायर अपवर्जन अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

तत. हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड

174. हितबद्ध पक्षकार ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में हॉर्न उत्पादों में उपयोग होने वाले 'मेटालिक कोटेड स्टील कॉइल और शीट, चाहे वे प्रोफाइल्ड हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्युमिनियम-जिंक या जिंक-एल्युमिनियम मैग्नीशियम कोटेड' को बाहर रखने का अनुरोध किया है। पक्षकार ने इस अपवर्जन का अनुरोध किया है क्योंकि घरेलू उद्योग को आवश्यक गुण प्राप्त करने में तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
175. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के तहत प्राधिकारी के लिए जांच करना अथवा आवेदक को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ग्रेड को समान विनिर्देशों के साथ निर्मित करते हैं। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को स्टैंडअलोन आधार पर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का आधार नहीं हो सकता। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण में, यह जांच करना पर्याप्त होगा कि क्या घरेलू उद्योग "समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं" का उत्पादन कर रहा है।
176. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जिंक-एल्युमिनियम-मैग्नीशियम कोटेड की बिक्री के लिए बहुत से इन्वॉइस उपलब्ध कराए हैं जिनके उत्पादों के साथ सामान्य अतिव्यापी प्रयोग हैं जिनके लिए हितबद्ध पक्षकारों ने बहिष्करण की मांग की है। इसलिए, से उत्पाद सीधे ही प्रतिस्पर्धी हैं। अतः, प्राधिकारी प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

थथ. पॉलीहोज़ सातो-शोजी मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

177. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता, आपूर्ति और ग्राहक प्रमाणीकरण चिंताओं को स्थापित करते हुए जेएफई स्टील कॉरपोरेशन, जापान से आयात किए जा रहे वियर रेसिस्टेंट स्टील के बहिष्करण के लिए अनुरोध है,। यह देखते हुए कि प्राधिकारी ने पहले ही ऊपर जेएफई के बहिष्करण संबंधी अनुरोध का मूल्यांकन किया है, पॉलीहोस सातो द्वारा दायर समान अनुरोध की पुनः जांच किए जाने की कोई जरूरत नहीं है।

दद. एनटीईसीके ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड

178. एनटीईसीके ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अनुरोध के लिए कोई कारण उपलब्ध कराए बिना, 5.90 मिमी और 6.00 मिमी मोटाई वाली शीलट के साथ एस35सी ग्रेड के लिए बहिष्करण का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए जांच करने अथवा कानून के तहत यह प्रमाणित करने के लिए आवेदक की कोई जरूरत नहीं है कि वह समान विशिष्टताओं के साथ प्रत्येक ग्रेड का विनिर्माण करता है। इसी प्रकार, कानून के अंतर्गत इसकी जरूरत नहीं है कि आवेदक को पूरे देश की संपूर्ण मांग को और प्रत्येक व्यैकतिक प्रयोक्ता की अकेले आधार पर मांग को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। आवेदक ने ऐसी वस्तुओं की बिक्रियों को प्रदर्शित करने के लिए इनवॉयस उपलब्ध कराए हैं जो एस 35 ग्रेड के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी है जिसके लिए एनटीईसीके के बहिष्करण की मांग की है। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ एनटीईसीके द्वारा दायर बहिष्करण अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

धध. टोयोटा बोशोकू डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

179. हितबद्ध पक्षकार ने हाई टेंसिल स्टील के 3 ग्रेड/प्रकारों के बहिष्करण के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया है कि घरेलू उत्पादक विशिष्ट सहनशीलता के साथ स्टील का उत्पादन करने में असमर्थ हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए कानून के तहत यह जांच करने या आवेदक को यह साबित करने कोई जरूरत नहीं है कि यह समान ग्रेड को समान विशिष्टताओं के प्रत्येक ग्रेड का विनिर्माण करता है। घरेलू उद्योग ने विभिन्न टेंसिल ताकत के साथ कॉयल्स की बिक्रियों का प्रदर्शन करने वाले बहुत से इनवॉयस उपलब्ध कराई है। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक परिणाम के प्रयोजनार्थ ऑटोमोटिव आवेदन में प्रयुक्त ग्रेडों से संबंधित टोयोटा द्वारा बहिष्करण अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

नन. ऋद्धि सिद्धि स्पेशल स्टील प्राइवेट लिमिटेड

180. हितबद्ध पक्षकार ने आईएस 3748 के तहत शामिल टूल और डाई स्टील के लिए बहिष्कार अनुरोध किया है, जिसका भारतीय उत्पादकों के लिए सीमित उत्पादन और आपूर्ति क्षमता के आधार पर डाई निर्माण, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है।
181. हितबद्ध पक्षकार ने विशेष रूप से किसी खास ग्रेड की पहचान नहीं की है जिसके लिए इसने बहिष्करण की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए कानून तहत इस बात को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह समान विशिष्टताओं के साथ प्रत्येक ग्रेड का विनिर्माण करता है। इसी प्रकार, कानून के तहत इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि आवेदक पूरे देश की और स्टैंडअलोन आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम हो सके। घरेलू उद्योग ने घिसाव प्रतिरोधी स्टील को शामिल कर बहुत से इनवॉयस उपलब्ध कराए हैं कि जिन्होंने स्टील के साथ आवेदनों को आच्छादित कर दिया है जिसके लिए रिद्धि सिद्धि ने बहिष्करण की मांग की है। इसलिए, प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी रिद्धि सिद्धि स्पेशल स्टील प्रा. लिमि. द्वारा दायर बहिष्करण अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

पप. संसेरा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

182. हितबद्ध पक्षकार ने भारत में मालिकाना ग्रेड और विशेषज्ञता प्राप्त फोर्जिंग और मशीनिंग संघटकों में प्रयोग करने वाले ग्राहक अनिवार्य स्रोत की अनुपलब्धता को कारण बताते हुए पी.यू.सी के 8 ग्रेडों/प्रकारों के लिए अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेड जिनके लिए संसेरा ने बहिष्करण की मांग की है, वे एचएस 7228 के अंतर्गत आता है, जो पहले से ही जांच के दायरे से बाहर है। इसलिए, संसेरा के बहिष्करण अनुरोध पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है।

फफ. शेफलर इंडिया लिमिटेड

183. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता और आपूर्ति संबंधी चिंताओं को स्थापित करते हुए ऑटोमोटिव उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विचाराधीन उत्पाद के 4 ग्रेडों/प्रकारों के बहिष्करण का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में

अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पाद के बहिष्करण का आधार नहीं हो सकता। इसी प्रकार, कानून के तहत इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश की संपूर्ण मांग और स्टैंडअलोन आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की मांग पूरा करने में समर्थ होना चाहिए।

184. प्राधिकारी नोट करते हैं प्राधिकारी के लिए कानून के अंतर्गत यह जांच करने अथवा यह साबित करने की आवेदक को कोई जरूरत नहीं है कि वह समान विशेषताओं के साथ प्रत्येक ग्रेड का विनिर्माण करते हैं। इसी प्रकार, कानून के तहत इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने और स्टैंडअलोन आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की मांग को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए।

185. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ग्रेड की आपूर्ति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न इनवॉयस उपलब्ध कराए हैं जिन्होंने 4 ग्रेडों/प्रकारों के साथ आवेदन को आच्छादित किया है जिसके लिए शेफलर ने बहिष्करण की मांग की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने ऑटोमोटिव क्षेत्र को बिक्रियों से संबंधित बहुत से इनवॉयस उपलब्ध कराए हैं। यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादों की आपूर्ति करता है जिन्होंने ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए आयातित उत्पादों के प्रयोग को आच्छादित किया है। इसलिए, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के बहिष्करण अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

बब. तरुण इंटरनेशनल लिमिटेड

186. हितबद्ध पक्षकार ने गुणवत्ता और आपूर्ति संबंधी चिंताओं को प्रस्तुत करते हुए हाई कार्बन हॉट रोल्ड कॉइल के 7 ग्रेड/प्रकारों के लिए बहिष्करण अनुरोध किया है। प्राधिकारी का मत है कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद के बहिष्करण का आधार नहीं हो सकता। इसी तरह, कानून के तहत इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश की संपूर्ण मांग और स्टैंडअलोन आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

187. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न क्षेत्रों को बिक्री से संबंधित विभिन्न इनवॉयस उपलब्ध कराए हैं। यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादों की

आपूर्ति करता है जिन्होंने ग्रेडों के साथ प्रयोग को आच्छादित कर लिया है, जिसके लिए बहिष्करण की मांग की गई है। इसलिए, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के बहिष्करण अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

188. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न क्षेत्रों को बिक्री से संबंधित कई बीजक प्रदान किए हैं। यह कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ऐसे उत्पादों की आपूर्ति करता है जिनका उपयोग उन ग्रेडों के साथ ओवरलैपिंग होता है जिनके लिए बहिष्कार की मांग की गई है। अतः, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

भभ. टीटी स्टील सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

189. टीटी स्टील सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने "कोल्ड रोल्ड हाई टेंसिल स्टील, हॉट रोल्ड हाई टेंसिल और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील" के बहिष्करण के लिए अनुरोध किया। टीटी स्टील ने उस उत्पाद की सटीक विशिष्टताएं उपलब्ध नहीं कराई हैं जिसके लिए इसने बहिष्करण की मांग की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह साबित करने की आवेदक को या प्राधिकारी को यह जांच करने की कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि वह सभी ग्रेडों का समान विशिष्टताओं के साथ विनिर्माण करता है। इसी प्रकार, कानून के तहत इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक को देश की संपूर्ण मांग को और स्टैंडअलोन आधार पर प्रत्येक व्यक्तिक प्रयोक्ता की मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विशिष्ट उत्पाद विशेषताएं ग्राहक द्वारा संचालित होती हैं और अलग-अलग लचीली ताकल वाली वस्तुएं एक दूसरे के साथ सीधे प्रतिस्पर्धी होती हैं। आवेदक विभिन्न लचीली शक्ति के साथ स्टील के विभिन्न इनवॉयस का उत्पादन करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने गाल्वेनाइज्ड स्टील के लिए विभिन्न इनवॉयस उपलब्ध कराए हैं। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ आटोमोटिव अनुप्रयोग में प्रयुक्त ग्रेडों से संबंधित एचएससी द्वारा दायर बहिष्करण अनुरोधों को स्वीकार करने में अक्षम हैं।

मम. टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड

190. टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने ग्रेड 1ई1839 और 1ई4187 के हॉट रोल्ड स्टील प्लेट्स (हीट ट्रीटेड अब्रेशन रेसिस्टेंट स्टील प्लेट्स) के लिए बहिष्करण के लिए मांग की थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने कोई विशिष्ट ग्रेड, उत्पाद पहचान, तकनीकी विशिष्टता अथवा बहिष्करण के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कराया था। इसलिए, प्राधिकारी टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बहिष्करण अनुरोध का मूल्यांकन करने में असमर्थ है।

यय. ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीआईआई)

191. ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड जेएसएच590आरएन-पी की 146+/- 0.5 मिमी X 9 +/- 0.35 मिमी मोटाई वाली स्टील शीटों को बाहर करने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पक्ष ने कोई तकनीकी विनिर्देश या बहिष्करण के लिए आधार प्रदान नहीं किए हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि प्राधिकरण के लिए या आवेदक के लिए यह साबित करने के लिए कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि वह समान विनिर्देशों के साथ प्रत्येक ग्रेड का निर्माण करता है। इसी तरह, कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि आवेदक देश और प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता की संपूर्ण मांग को एकल आधार पर पूरा करने में सक्षम हो। घरेलू उद्योग ने ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड को बिक्री को प्रदर्शित करने वाले चालान प्रदान किए हैं। इसलिए, प्रारंभिक निष्कर्षों के उद्देश्य से प्राधिकरण टीआईआई द्वारा दायर बहिष्करण अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है।

ककक. वेलमुरुगन हैवी इंजीनियरिंग इंडस. प्रा. लिमिटेड

192. वेलमुरुगन हैवी इंजीनियरिंग इंडस. प्रा. लिमिटेड ने एचआर प्लेट स्टील (एस355जे2, एनएल, जेड25, आदि.) के लिए बहिष्करण का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने बहिष्करण के लिए कोई तकनीकी विशिष्टता अथवा आधार उपलब्ध नहीं कराया है। प्राधिकारी ने नमूना आधार घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए इनवॉयस की जांच की है और वे संतुष्ट हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पादों की आपूर्ति की है जो उक्त ग्रेडों के समान हैं अथवा उनसे सीधे प्रतिस्पर्धी हैं।

193. हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं में गुणवत्ता की कमी और ग्राहक प्रमाणीकरण की कमी का कारण बताते हुए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पादों को बाहर करने के लिए भी अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून के अंतर्गत प्राधिकारी को यह जांच करने या आवेदक को यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह समान विशिष्टताओं के साथ प्रत्येक ग्रेड का विनिर्माण करते हैं। इसी प्रकार कानून के तहत इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि आवेदक को देश की संपूर्ण मांग को और स्टैंडअलोन आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोक्ता की मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद के बहिष्करण के लिए आधार नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, ग्राहक प्रमाणीकरण की कमी भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से किसी उत्पाद के बहिष्करण की मांग करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि संबंधित ग्राहक के पास घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रमाणीकरण को खारिज करने की क्षमता हो सकती है जिसके द्वारा वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे उत्पाद व्यापार उपचार उपायों को आकर्षित नहीं करते। घरेलू उद्योग ने एचआर प्लेट्स की विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए विभिन्न इनवॉयस का उत्पादन किया है जो ऐसे ग्रेडों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में हैं जिनके लिए वेलमुरुगन ने बहिष्करण की मांग की है। इसलिए, प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ वेलमुरुगन द्वारा दायर बहिष्करण अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

खखख. ऑल इंडिया मेटल

194. ऑल इंडिया मेटल ने अल्यूमीनियम कोटिड और अल्यूमीनियम सिलीकॉन कोटिड स्टील के बहिष्करण के लिए अनुरोध किया है। स्टील के इन ग्रेडों के बहिष्करण को स्वीकार कर लिया गया है।

गगग. महिन्द्रा डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड

195. महिन्द्रा डिफेंस ने एसएसएबी द्वारा आपूर्ति किए गए स्टील के ग्रेडों के बहिष्करण की मांग की है। चूंकि, प्राधिकारी ने ऊपर एसएसएबी द्वारा दायर बहिष्करण अनुरोध का मूल्यांकन किया है, महिन्द्रा डिफेंस सिस्टम्स द्वारा दायर समान अनुरोध की पुनः जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

196. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया विचाराधीन उत्पाद का सीमा क्षेत्र निम्नानुसार है:

वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील फ्लैट उत्पाद", ("पीयूसी") है, अर्थात् (ए) हॉट रोल्ड ("एचआर") कॉइल, शीट और प्लेटें, (बी) एचआर प्लेट मिल प्लेट्स ("पीएमपी"), (सी) कोल्ड रोल्ड ("सीआर") कॉइल और शीट, (डी) धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैंगनीशियम ("लेपित") के साथ लेपित, और (ई) रंग लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं ("सीसी")। पीयूसी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के तहत टैरिफ शीर्षक 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत वर्गीकृत है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं:

- क). कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएण्टेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ)
- ख). कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएण्टेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) कॉइल एंड शीट्स
- ग). कोटिड - इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील
- घ). टिनप्लेट्स
- ङ). स्टेनलेस स्टील
- च). निकेल कोटिड/निकेल प्लेटिड कोल्ड रोल्ड स्टील;
- छ). रबर कोटिड स्टील;
- ज). इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजी) - जिंक निकेल कोटिड स्टील;
- झ). बाई-मेटल स्टील / बाई-मेटल सैंडविच स्टील;
- ञ). ब्रास कोटिड स्टील वायर (वायर लंबे स्टील उत्पादों का हिस्सा है, जो जांच शुरुआत के नोटिस में शामिल ही नहीं हैं);
- ट). क्रोमोनाइट;
- ठ). इनकोनेल;

- ड). स्टेनलेस स्टील मर्दे (जो जांच शुरुआत के नोटिस में शामिल ही नहीं हैं);
- ढ). अल्युमिनियम कोटीड स्टील;
- ण). अल्युमिनियम सिलिकॉन कोटेड/हॉट डिप्ड अल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटीड स्टील;
- त). हॉट रोलड क्लैड स्टील प्लेट;
- थ). निकल प्लेटेड स्टील / निकल प्लेटेड स्ट्रिप;
- द). कॉपर प्लेटेड स्टील;
- ध). लैमिनेटिड इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजीआई);
- न). कोबाल्ट प्लेटिड स्टील;
- न). सिल्वर प्लेटिड स्टील;
- प). टाइटेनियम क्लैड प्लेट्स;

197. आयातित वस्तुओं और आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और आयातित वस्तुएं प्रत्यक्ष विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विशिष्टताओं, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरणों के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयातित उत्पादों के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से भी प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि आवेदक कंपनियों और आयातित उत्पादों द्वारा विनिर्मित उत्पाद "समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तुएं" हैं।

198. प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का दायरा इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन हेतु है। हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर टिप्पणियां दायर कर सकते हैं, जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों में परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोधों पर विचार करेंगे। क्या अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रक्षोपाय नियमावली का नियम 15 आयातकों को लगाए

गए और ऐसी वस्तुओं पर संग्रहित अनंतिम शुल्क पर रिफंड प्राप्त करने के लिए हकदार बनाता है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

199. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप धारा (11) के खंड (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है (इसके बाद इसे "डीआई" के रूप में उल्लेख किया गया है:

i. भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का सम्पूर्ण उत्पादन; अथवा

ii. भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी वस्तु का, जिसका सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।'

200. याचिका को सात घरेलू उत्पादकों की ओर से आईएसए द्वारा दायर किया गया है अर्थात् क) एएमएनएस खोपोली लिमिटेड; ख) आर्सिलर मितल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड; ग) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड; घ) जेएसडब्ल्यू स्टील कोटिड प्रोडक्ट्स लिमिटेड; ङ) जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड; च) भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड; और छ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद की सभी पांच श्रेणों अथवा विचाराधीन उत्पाद की पांचों श्रेणियों के एक या अधिक श्रेणियों को उत्पादित करने वाले भारत में विभिन्न अन्य उत्पादक हैं। याचिकाकर्ताओं ने निम्न से संबंधित सूचना के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) द्वारा प्रकाशित वार्षिक सांख्यिकी प्रस्तुत की है (क) राज्यवार विवरण के साथ भारत में यूनिटों की कुल संख्या जो विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन में शामिल हैं, (ख) कुल वार्षिक उत्पादन और (ग) भारत में कुल मांग। प्राधिकारी अवलोकन करते हैं कि जेपीसी डेटा एचआर कॉयल्स और शीटें तथा एचआर प्लेट मिल प्लेट्स के लिए पृथक रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं कराता। यह चार समूहों अर्थात् (क) एचआर फ्लैट उत्पाद जिसमें दोनों एचआर कॉयल्स और शीटें तथा एचआर प्लेट मिल प्लेट्स शामिल हैं; (ख) सीआर कॉयल्स और शीटें (ग) मैटालिक कोटिड स्टील और (घ) कलर कोटिड स्टील के लिए सूचना उपलब्ध कराता है। इसलिए, घरेलू उद्योग की

स्थिति का निर्धारण करने तथा कुल मांग और बाजार हिस्से पर विचार करने के लिए सूचना को चार श्रेणियों में बांटा गया है। प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी डेटा को उचित और विश्वसनीय पाते हैं।

201. जेपीसी वार्षिक सांख्यिकी के आधार पर, सात याचिकाकर्ता कंपनियां सामूहिक रूप से एचआर फ्लैट उत्पादों में कुल उत्पाद के ***% सीआर कॉयल्स और शीटों के मामले में ***% , मेटालिक कोटिड स्टील के मामले में ***% और कलर कोटिड स्टील के मामले में ***% के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि नीचे दी गई सारणियों से देखा जा सकता है/-

हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद

विवरण	इकाई	वि.वर्ष 2021- 22	वि.वर्ष 2022-23	वि.वर्ष 2023-24	जांच की अवधि 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24
उत्पादन-घरेलू उद्योग	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	109	117	115
उत्पादन-अन्य उत्पादक	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	102	113	117
कुल घरेलू उत्पादन (जेपीसीएस के अनुसार)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	106	116	116
कुल घरेलू उत्पादन में डी.आई का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	103	102	100

सी.आर.कॉयल्स एवं शीट्स

विवरण	इकाई	वि.वर्ष 2021- 22	वि.वर्ष 2022-23	वि.वर्ष 2023-24	जांच की अवधि 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24
उत्पादन-घरेलू उद्योग	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	104	111	114
उत्पादन-अन्य उत्पादक	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	87	106	103
कुल घरेलू उत्पादन (जेपीसीएस के अनुसार)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	95	109	109
कुल घरेलू उत्पादन में डी.आई का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	110	102	106

मेटालिक कोटिड स्टील

विवरण	इकाई	वि.वर्ष 2021- 22	वि.वर्ष 2022-23	वि.वर्ष 2023-24	जांच की अवधि 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24
उत्पादन-घरेलू उद्योग	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	105	116	119
उत्पादन-अन्य उत्पादक	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	101	128	119
कुल घरेलू उत्पादन (जेपीसीएस के अनुसार)	'000 एमटी	8,126	8,474	9,692	9,692
	प्रवृत्ति	100	104	119	119

मेटालिक कोटिड स्टील

विवरण	इकाई	वि.वर्ष 2021- 22	वि.वर्ष 2022-23	वि.वर्ष 2023-24	जांच की अवधि 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24
कुल घरेलू उत्पादन में डी.आई का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	101	97	100

कलर कोटिड स्टील

विवरण	इकाई	वि.वर्ष 2021- 22	वि.वर्ष 2022-23	वि.वर्ष 2023-24	जांच की अवधि 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24
उत्पादन-घरेलू उद्योग	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	108	117	113
उत्पादन-अन्य उत्पादक	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	92	133	148
कुल घरेलू उत्पादन (जेपीसीएस के अनुसार)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	105	121	121
कुल घरेलू उत्पादन में डी.आई का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	103	97	94

पीयूसी समग्र रूप में

विवरण	इकाई	वि.वर्ष 2021- 22	वि.वर्ष 2022-23	वि.वर्ष 2023-24	जांच की अवधि 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 24
उत्पादन-घरेलू उद्योग	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100%	93%	86%	87%
उत्पादन-अन्य उत्पादक	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100%	103%	89%	88%
कुल घरेलू उत्पादन (जेपीसीएस के अनुसार)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100%	97%	87%	87%
कुल घरेलू उत्पादन में डी.आई का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100%	95%	98%	98%

202. आवेदक कंपनियों में से एक अर्थात् एएमएनएस इंडिया लिमिटेड ने विचाराधीन उत्पाद का *** MT आयात किया है जो विचाराधीन उत्पादन का ***% ठहरता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित मात्रा का कैप्टिव रूप से प्रयोग किया गया है और यह कि हस्ती विचाराधीन उत्पाद के लगातार प्रमुख उत्पादन बने रहेंगे।
203. कुल रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए, जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल उत्पादन के ***% के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तदनुसार, प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि याचिका को अधिनियम की धारा 8ख(ii)(ख) (ii) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से दायर किया गया है।

ड. गोपनीयता

204. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर अपने आवेदन में कुछ सूचना उपलब्ध कराई है और अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय माना जाए। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन का अगोपनीय पाठ (एनसीवी) भी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस सूचना की गोपनीयता के दावे के औचित्य को सिद्ध करने के लिए कारण प्रस्तुत किए हैं।

205. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है, संतुष्ट होने पर, जहां भी जरूरत थी गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया गया है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

च. आयातों में वृद्धि

206. नियमावली का नियम 2(ग) बताता है कि “बढ़ी हुई मात्रा” में आयातों में वृद्धि शामिल है चाहे वह कुल रूप में हो या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष “या” शब्द का प्रयोग यह इंगित करता है कि वृद्धि, चाहे समग्र रूप में हो अथवा घरेलू उत्पादन को सापेक्ष, नियमों के अंतर्गत पर्याप्त है। फिर भी, प्राधिकारी ने समग्र रूप में और घरेलू उत्पाद के सापेक्ष, दोनों के संबंध में आयातों में वृद्धि की जांच की है। इसके अतिरिक्त, भारत में मांग से संबंधित आयातों में वृद्धि की भी जांच की गई है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा का विश्लेषण कुल रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए निष्पादित किया गया है और पृथम रूप से उसकी पांच उत्पाद श्रेणियों में से प्रत्येक, जहां भी जरूरी था, प्राधिकारी ने ऐसे उत्पाद/ग्रेडों के लिए उत्तरदायी आयात आंकड़ों के प्रति उचित समायोजन किए हैं जिन्हें प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ बहिष्कृत किया गया है।

समग्र अवधि

207. प्रथम, विश्लेषण जांच की अवधि (अक्टूबर, 23 से सितंबर, 24) और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए किया गया था। इस विश्लेषण में, जांच की अवधि के प्रथम छह महीनों अर्थात् अक्टूबर, 23 से मार्च 24 ने वित्तीय वर्ष 2023-24 को आच्छादित किया। अतिव्याप्ति के बावजूद, विश्लेषण ने हाल ही के 12 महीनों के दौरान आयातों में वृद्धि को समझने में सहायता की जिसके लिए आंकड़े

उपलब्ध हैं। द्वितीय, जांच की अवधि के लिए आंकड़ों की पिछले वर्षों के तदनुरूप 12 महीनों अर्थात् अक्टूबर-सितंबर आधार पर, तुलना की गई। तृतीय, जांच की अवधि के पिछले छह महीनों अर्थात् अप्रैल, 24 से अक्टूबर, 24 के लिए डेटा की पिछले वर्षों के तदनुरूपी छह महीनों से तुलना की गई।

तुलना I -3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए जांच की अवधि डेटा

208. जब जांच की अवधि के डेटा की तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के साथ तुलना की जाती है तो विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कुल रूप में 2021-22 के दौरान 2.293 मिलियन एमटी (एमएमटी) से जांच की अवधि के दौरान 6.612 एमएमटी की वृद्धि हुई। संचयी वृद्धि 4.319 एमएमटी अथवा 188% की थी। श्रेणी से श्रेणीवार तुलना किए जाने पर एचआर कॉयल्स और शीटों के आयातों में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 2.978 एमएमटी (299%) की वृद्धि हुई, सीआर कॉयल्स और शीटों में 0.068 एमएमटी (15%), मेटालिक कोटिड स्टील में 0.422 एमएमटी (111%) और कलर कोटिड स्टील में 0.262 एमएमटी (185%) की वृद्धि हुई जैसाकि नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

(मात्रा '000 एमटी में)

उत्पाद	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
वास्तविक				
एचआर कॉयल्स और शीटें	995	1,926	3,081	3,973
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	302	312	619	892
सीआर कॉयल्स और शीटें	473	578	515	541
मेटालिक कोटिड स्टील	381	518	762	803
कलर कोटिड स्टील	142	190	366	404
जोड़	2,293	3,524	5,344	6,612
प्रवृत्ति				
एचआर कॉयल्स	100	194	310	399

उत्पाद	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
और शीटें				
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	100	103	205	295
सीआर कॉयल्स और शीटें	100	122	109	115
मेटालिक कोटिड स्टील	100	136	200	211
कलर कोटिड स्टील	100	134	259	285
जोड़	100	154	233	288

209. इसके अलावा, एचआर कॉयल्स और शीटों, एचआर प्लेट मिल प्लेट्स, मेटालिक कोटिड स्टील और कलर कोटिड स्टील के आयातों में वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई। सीआर कॉयल्स और शीटों के मामले में ये वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 0.473 एमएमटी से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़ कर 0.578 एमएमटी हो गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें 0.515 एमएमटी की गिरावट आई किन्तु जांच की अवधि के दौरान दोबारा बढ़कर 0.541 एमएमटी हो गया। 2023-24 के दौरान गिरावट के बावजूद, सीआर कॉयल्स और शीटों में आधार वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 0.068 एमएमटी की वृद्धि हुई।
210. वर्षानुवर्ष तुलना किए जाने पर, 2022-23 के दौरान आयात मात्रा में 2021-22 की तुलना में 1.231 एमएमटी की तुलना हुई, 2023-24 के दौरान 2022-23 की तुलना में 1.820 एमएमटी की वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान आयातों में 2023-24 की तुलना में 1.521 एमएमटी की वृद्धि हुई जैसा नीचे सारणी में दिखा गया है।

(मात्रा '000 एमटी में)

उत्पाद	2021-22	2022-23 के दौरान वृद्धि	2023-24 के दौरान वृद्धि	जांच की अवधि के दौरान वृद्धि
एचआर कॉयल्स और शीटें	-	930	1,156	892
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	-	10	307	272
सीआर कॉयल्स और शीटें	-	106	-63	278
मेटालिक कोटिड स्टील	-	137	244	41
कलर कोटिड स्टील	-	48	176	38
जोड़	-	1,231	1,820	1,521

211. वर्ष-दर-वर्ष तुलना किए जाने पर, 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान सीआर कॉयल्स और शीटों में 0.063 की मामूली गिरावट आई किन्तु 2023-24 में जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। विचाराधीन उत्पाद की अन्य चार श्रेणियों के आयातों में वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

तुलना II - अक्टूबर-सितंबर आधार के 12 महीने

212. यदि आयात संबंधी आंकड़ों की अक्टूबर-सितंबर आधार के 12 महीनों की अवधि पर तुलना की जाती है तो विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप में आधार वर्ष की तुलना में अक्टूबर, 23 से सितंबर, 24 के दौरान 4.043 एमएमटी अथवा 157% की वृद्धि हुई। विचाराधीन उत्पाद की पांच श्रेणियों में से, चार श्रेणियों में (सीआर कॉयल्स और शीटों के अतिरिक्त) ने वर्ष प्रति वर्ष लगातार वृद्धि दर्ज की। सीआर कॉयल्स और शीटों के आयात में पिछले 12 महीनों की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 0.010 एमएमटी की मामूली गिरावट आई। ऐसी गिरावट के बावजूद, अद्यतन 12 महीनों की अवधि के दौरान सीआर कॉयल्स और शीटों के आयात आधार वर्ष की तुलना में 0.081 एमएमटी (18%) अधिक थे, जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

(मात्रा '000 एमटी में)

उत्पाद	अक्तूबर, 20 सितंबर, 21	अक्तूबर-21 से सितंबर, 22	अक्तूबर, 22 से सितंबर, 23	अक्तूबर, 23 से सितंबर, 24
वास्तविक				
एचआर कॉयल्स और शीटें	1,167	1,158	2,309	3,973
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	375	316	397	892
सीआर कॉयल्स और शीटें	460	502	551	541
मेटालिक कोटिड स्टील	369	427	608	803
कलर कोटिड स्टील	198	163	255	404
जोड़	2,570	2,566	4,119	6,612
प्रवृत्ति				
एचआर कॉयल्स और शीटें	100	99	198	340
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	100	84	106	238
सीआर कॉयल्स और शीटें	100	109	120	118
मेटालिक कोटिड स्टील	100	116	165	218
कलर कोटिड स्टील	100	82	129	204
जोड़	100	100	160	257

तुलना-III -तदनुरूपी पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच की अवधि के अंतिम छह महीने

213. जांच की अवधि के अंतिम छह महीनों के दौरान आयात मात्रा की पिछले वर्षों के तदनुरूपी छह महीनों से तुलना किए जाने पर, विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप में अप्रैल-सितंबर, 2021 के दौरान 1.116 एमएमटी से बढ़कर अप्रैल-सितंबर, 2024 के दौरान 2.137 एमएमटी (191%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 3.253 एमएमटी हो गए। इस दौरान जांच की अवधि की पांच श्रेणियों में से प्रत्येक में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।
214. तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष (अप्रैल-सितंबर, 2023) के तदनुरूपी छह महीनों की तुलना में जांच की अवधि (अप्रैल-सितंबर, 2024) के अंतिम छह महीनों के दौरान आयातों में हुई वृद्धि 113% थी। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 के पहले छह महीनों के दौरान 24% और वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 54% थी। इस प्रकार, अंतिम छह महीनों के दौरान आयातों में हुई वृद्धि तीव्र थी।

सापेक्ष अवधि

215. इस प्रयोजन हेतु, मांग और उत्पादन, दोनों पर (कैप्टिव खपत के निवल) जेपीसी की वार्षिक सांख्यिकी के अनुसार विचार किया गया।
216. विचाराधीन उत्पाद समग्र रूप में: उत्पादन से संबंधित आयातों की मात्रा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ***% से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान ***% हो गई जो ***% की वृद्धि को दर्शाता है। समान अवधि के दौरान, भारत में मांग के सापेक्ष आयात ***% से बढ़कर ***% हो गए जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
आयात	'000 एमटी	2,293	3,524	5,344	6,612
	प्रवृत्ति	100	154	233	288
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	'000 एमटी	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
	प्रवृत्ति	100	122	132	133
कुल मांग (जेपीसी एस)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	115	129	139
घरेलू उद्योग उत्पादन (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	108	119	117
से संबंधित आयात					
... मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	134	180	208
... उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	142	196	247
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	106	102	95

217. एचआर फ्लैट उत्पाद: उत्पादन के सापेक्ष आयातों की मात्रा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ***% से बढ़कर यह जांच की अवधि के दौरान ***% हो गई। समान अवधि के दौरान, मांग के सापेक्ष आयात ***% से बढ़कर ***% हो गए।

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
आयात	'000 एमटी	1,297	2,238	3,701	4,864
	प्रवृत्ति	100	172	285	375
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	122	134	132

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
कुल मांग (जेपीसी एएस)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	129	147	154
घरेलू उद्योग उत्पादन (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	110	121	118
से संबंधित आयात					
... मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	134	194	244
... उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	157	236	318
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	94	91	85

218. सीआर कॉयल्स और शीटें: उत्पादन के सापेक्ष आयातों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ***% से वृद्धि होकर ये जांच की अवधि के दौरान ***% हो गए। समान अवधि के दौरान, मांग के सापेक्ष आयात ***% से बढ़कर ***% हो गए।

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
आयात	'000 एमटी	473	578	515	541
	प्रवृत्ति	100	122	109	115
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	116	126	127
कुल मांग (जेपीसी एस)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	85	90	104
घरेलू उद्योग उत्पादन (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	110	111
से संबंधित आयात					
... मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	143	120	110
... उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	122	99	104
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	135	139	122

219. मेटालिक कोटिड स्टील: उत्पादन से सापेक्ष आयात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ***% से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान ***% हो गए। समान अवधि के दौरान, मांग के सापेक्ष आयात ***% से बढ़कर ***% हो गए।

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
आयात	'000 एमटी	381	518	762	803
	प्रवृत्ति	100	136	200	211
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	130	141	156
कुल मांग (जेपीसी एस)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	113	132	146
घरेलू उद्योग उत्पादन (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	105	116	119
से संबंधित आयात					
... मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	121	152	144
... उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	129	173	177
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	115	107	107

220. कलर कोटिड स्टील: उत्पादन के सापेक्ष आयातों की मात्रा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ***% से बढ़ कर जांच की अवधि के दौरान ***% हो गई। समान अवधि के दौरान, मांग के सापेक्ष आयातों की मात्रा ***% से बढ़कर ***% हो गई जैसा नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
आयात	'000 एमटी	142	190	366	404
	प्रवृत्ति	100	134	259	285
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	117	118	117
कुल मांग (जेपीसी एस)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	113	127	127
घरेलू उद्योग उत्पादन (कैप्टिव खपत को छोड़कर)	'000 एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	108	117	113
से संबंधित आयात					
... मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	118	204	225
... उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	124	220	252
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	103	93	92

221. उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि आयात की मात्रा निरपेक्ष रूप से और उत्पादन और मांग के सापेक्ष दोनों में बढ़ी है। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान आयात मात्रा में 4.319 एमएमटी या 188% की वृद्धि महत्वपूर्ण, अचानक और तेज मानी जाती है। तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 1.521 एमएमटी की वृद्धि इंगित करती है कि यह हाल ही में, अचानक और तेज थी। विभिन्न समय बकेट (जो पर्याप्त रूप से लंबे और हाल ही के हैं) में पीयूसी के आयातों की निरपेक्ष संख्या या सापेक्ष आयात (मांग और उत्पादन के हिस्से के रूप में) में तुलना स्पष्ट रूप से आयात में वृद्धि दिखाती है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण यह मानता है कि समग्र रूप से पीयूसी के आयात की मात्रा में और व्यक्तिगत रूप से पीयूसी की पांच श्रेणियों में वृद्धि हाल ही में, अचानक, तेज और महत्वपूर्ण रही है।

छ. अप्रत्याशित घटनाक्रम और दायित्व का प्रभाव

222. अधिनियम और नियम शब्द “अप्रत्याशित घटनाक्रम” का उल्लेख नहीं करते। तथापि, टैरिफ और व्यापार (जीएटीटी) पर सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद XIX:1(क) के साथ पठित रक्षोपाय पर करार की व्याख्या अपीलीय निकाय³ द्वारा इस प्रकार की जाती है कि एक जांच अधिकारी को यह मूल्यांकन करना है “यदि अप्रत्याशित घटनाक्रमों और इस करार के तहत किसी संविदाकारी पक्षकार के द्वारा वहन की गई बाध्यताओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जिसमें टैरिफ रियायत भी शामिल है, यदि कोई उत्पाद ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के तहत उस संविदाकारी पक्षकार के सीमा क्षेत्र में आयात किया जा रहा है जो समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों की उस सीमा क्षेत्र में घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति उत्पन्न कर सकता है अथवा गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न कर सकता है।” अपीलीय निकाय ने स्पष्ट किया है कि पद “अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप” के साधारण अर्थ के लिए ऐसे घटनाक्रमों की जरूरत है जो किसी उत्पाद को ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं और ऐसी स्थितियों के तहत आयात किए जाने का कारण बन सके, “अप्रत्याशित”⁴ होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यू.एस.-स्टील सेफगार्ड और कोरिया - डेयरी मामले में पैनल और अपीलीय निकाय ने अवलोकन किया है कि अप्रत्याशित घटनाक्रम ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्हें पहले से नहीं देखा गया था अथवा किसी सदस्य द्वारा जीएटीटी⁵ के तहत किसी बाध्यता को वहन करते समय जिसकी संभावना नहीं की गई थी। यह भी धारित किया गया है कि शब्द “अप्रत्याशित घटना क्रम” सुरक्षापायों को लागू करने के लिए कोई अलग शर्त नहीं बल्कि तथ्य के रूप में प्रदर्शित की जाने वाली परिस्थितियों के एक निश्चित समूह को दर्शाता है।⁶ यू.एस. स्टील रक्षोपायों में पैनल ने भी यह अवलोकन किया कि अनुच्छेद XIX “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के रूप में अनेक घटनाक्रमों के इकट्ठा होने से जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद XIX के प्रयोजन हेतु “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के आधार का निर्माण

³ अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, अर्जेन्टीना - सेफ गार्ड मीजर्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फुटवियर्स (ईसी) पैरा 78-98

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/121ABR.pdf&Open=True> : अपीलेट बॉडी कोरिया- डेफीनिटिव सेफ गार्ड मीजर्स ऑन इंपोर्ट आफ सरटेन डेयरी प्रोडक्ट्स, डब्ल्यूटी/डीएस/198

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/98ABR.pdf&Open=True> पैरा 76-92.

⁴ अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, अर्जेन्टीना - फुटवियर (ई.सी) पैरा 91-96, अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, कोरिया - डेयरी पैरा 84, 89.

⁵ अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, कोरिया - डेयरी, डब्ल्यू टी/डीएस 98, पैरा 89 और पैनल रिपोर्ट, यू.एस.-स्टील सेफगार्ड पैरा 10.41

⁶ अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, अर्जेन्टीना - फुटवियर (ईसी) पैरा. 92, अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, कोरिया - डेयरी, पैरा. 85

हो सकता है। प्रत्येक सदस्य को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि टैरिफ वार्ता के समापन के समय जिन परिस्थितियों को उसने अप्रत्याशित माना था, उनके संयोग से आयातों में वृद्धि हुई जिससे गंभीर क्षति हुई। पैनल और अपीलीय निकाय लगातार यह धारित करते आ रहे हैं कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों और आयातों में वृद्धि में एक तार्किक संबंध होना चाहिए। अपीलीय निकाय ने अवलोकन किया है कि “जांचकर्ता अधिकारी को असल में अप्रत्याशित घटनाक्रमों की विद्यमानता और घटनाक्रमों तथा घरेलू उत्पादकों को क्षति पहुंचाने वाले आयातों में वृद्धि के बीच एक तार्किक संबंध को प्रदर्शित करना चाहिए।”⁸

223. उपर्युक्त समझ को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच करते हैं कि क्या इस मामले में रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को यह निर्धारित करना है कि क्या आयातों में जीएटीटी 1947 के अनुच्छेद XIX:1 (क) के अर्थों के भीतर अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप उछाल आया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और प्राधिकारी द्वारा किए गए उनके मूल्यांकन निम्नानुसार हैं:
224. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कुछ विशेष अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है अर्थात् (क) विभिन्न डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा स्टील उत्पादों के विरुद्ध एकाधिकार व्यापार सुरक्षा उपाय (ख) चीन, जापान, कोरिया और एशियान देशों में अत्यधिक क्षमता व धीमी मांग, और (ग) एशियान स्टील क्षेत्र में परिवर्तन। यह निर्धारित करना जरूरी है कि क्या उक्त घटनाक्रम अप्रत्याशित हैं और क्या आयातों में वृद्धि इन अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण हैं।

क. अनेक व्यापार सुरक्षा उपाय

225. स्टील उत्पादों के विरुद्ध व्यापार सुरक्षा उपायों की वर्तमान लहर संयुक्त राज्य द्वारा आरंभ की गई थी, यू.एस. व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 के तहत यह निष्कर्ष निकाला गया कि संयुक्त राज्य में स्टील वस्तुओं को ऐसी मात्राओं और ऐसी परिस्थितियों के तहत आयातित किया जा रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की

⁷ पैनल रिपोर्ट, यूएस-स्टील सेफगार्ड पैरा 10.99

⁸ अपीलेट बॉडी रिपोर्ट, कोरिया-डेयरी, पैरा 81-82

राष्ट्रीय सुरक्षा को खराब करने के लिए खतरा है और 23 मार्च, 2018 से स्टील उत्पादों (अध्याय 72 और 73) के सभी आयातों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया। हालांकि, कुछ विशेष देशों को विशिष्ट रियायतें प्रदान की गई थी, 25% अतिरिक्त शुल्क आज भी जारी हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, संयुक्त राज्य ने चीन के मूल की विभिन्न वस्तुओं पर धारा 301 के तहत टैरिफ भी आरंभ किया जिसमें 1 अगस्त, 2024 से 25% पर चीनी स्टील शामिल है।

226. दिनांक 23 मार्च, 2018 को यू.एस.ए द्वारा धारा 232 उपायों को लागू किए जाने की प्रतिक्रिया में, विभिन्न देशों में सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं।

- i. 15 मई, 2018 को जीसीसी ने एचएसएन शीर्ष 7210 के तहत आने वाले उत्पादों पर शुल्क की विशिष्ट दर के रूप में रक्षोपाय लागू किए। उपाय 14 मई, 2021 को समाप्त हो गए।
- ii. 18 जुलाई, 2018 को, ईयू ने एचएसएन शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आने वाले सभी उत्पादों पर 25% के कोटा टैरिफ की तुलना में टीआरक्यू के रूप में रक्षोपाय लागू किया। उपाय अभी भी जारी हैं।
- iii. 31 दिसंबर, 2018 को, मोरक्को ने एचएसएन शीर्ष 7209, 7210, 7211, 7212, 7225, और 7226 के तहत आने वाले उत्पादों पर 16% के कोटा टैरिफ की तुलना में एक टीआरक्यू के रूप में रक्षोपाय लागू किए। 19 जून, 2020 को मोरक्को ने कुछ विशिष्ट स्टील उत्पादों पर 25%(कोई कोटा नहीं) के रक्षोपाय शुल्क लागू किए। उपाय अभी भी जारी हैं।
- iv. जीसीसी ने दिनांक 15 मई 2018 को एचएसएन शीर्ष 7210 के तहत एक रक्षोपाय लागू किया जो 14 मई 2021 को समाप्त हो गया।
- v. बोर्ड ऑफ यूरोशियन इकॉनामिक कमीशन ने 1 दिसंबर, 2019 को एचएसएन शीर्ष 7208, 7211, 7225, 7226 के तहत कोटा के रूप में रक्षोपाय लागू किया जो एक वर्ष के लिए प्रवृत्त था।

- vi. कनाडा ने दिनांक 13 मई, 2019 को टैरिफ दर कोटा के रूप में एचएसएन शीर्ष 7306, 7305, 7304, 7227, 7226, 7225, 7223, 7214, 7213, 7212, 7210, 7211, 7208, 7208, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7223, 7225, 7226, 7227, 7304, 7305, 7306, 7305, 7208, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7223, 7225, 7226, 7227, 7304, 7305, 7306, 7210, 7208, 7306, 7304, 7227, 7226, 7225, 7223, 7214, 7213, 7212, 7211 के तहत एक रक्षोपाय लागू किया। उपाय 2021 में समाप्त हो गया।
- vii. यू.के. ने एचएसएन शीर्ष 720853, 720853, 720852, 720852, 720840, 720839, 720838, 720837, 720836, 720827, 720826, 720825, 722691, 720810, 720854, 721113, 721114, 721119, 721260, 722519, 722530, 722530, 722530, 722540, 722540, 722619, 722691, 722691, 720854, 720810, 720825, 720826, 720827, 720836, 720837, 720838, 720839, 720840, 720852, 720852, 720853, 720853, 722691, 721113, 721114, 721119, 721260, 722519, 722530, 722530, 722530, 722540, 722540, 722619, 722691, 722691 के तहत टैरिफ दर कोटा के रूप में रक्षोपाय लागू किए। उपाय अभी भी जारी हैं।

227. रक्षोपाय के अतिरिक्त, विभिन्न डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने अपने राज्य क्षेत्रों में स्टील उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी अथवा प्रतिकारी शुल्क भी लागू किए। ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, स्टील उत्पादों के विरुद्ध ईयू, कनाडा, यूके और अन्य देशों द्वारा 129 व्यापार उपचार उपायों को अपनाया गया। व्यापार संरक्षण उपायों की प्रवृत्ति आयातों के उत्प्लावन की प्रतिक्रिया में स्टील के विरुद्ध व्यापार उपचार उपायों को आरंभ करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों की ओर से उत्तरोत्तर बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011-2013 के बीच औसतन 77 स्टील-संबंधित जांचें आरंभ की गई थीं जो बढ़कर 2015-16⁹ के दौरान 117 और 2019-23 के बीच 129 हो गई थी। इसके अतिरिक्त, जनवरी से सितंबर, 2024 की अवधि के दौरान, वैश्विक रूप से अधिकतम 67 नई

⁹ कमीशन इम्पलीमेंटिंग रेग्युलेशंस (ई.यू) 2023/104, एल 12/14 पैरा 14

पाटनरोधी जांच आरंभ की गई हैं जो 2015-16¹⁰ के अत्यधिक क्षमता संकट के बाद से अवलेकित व्यापार उपचार कार्यवाहियों की उच्चतम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। स्टील फ्लैट उत्पादों के विरुद्ध 2019-23¹¹ के बीच स्टील उत्पादों के विरुद्ध जांचों की 70% से अधिक संख्या को लक्षित किया गया था।

228. प्राधिकरण का मानना है कि 2019 से पहले स्टील पर उच्च संख्या में व्यापार सुरक्षा उपाय मौजूद होने के बावजूद प्रमुख वैश्विक बाजारों में 2019-2024 के दौरान व्यापार उपाय कार्रवाइयों में देखी गई वृद्धि अप्रत्याशित है और ऐसे उपायों की अभूतपूर्व संख्या अपने आप में अप्रत्याशित है।

ख. अत्यधिक क्षमता और मांग में कमी

229. “स्टील निर्माण क्षमता में अद्यतन विकास”¹² पर ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, 2019-2022 की अवधि में वैश्विक स्टील निर्माण क्षमता ने वृद्धि के चार लगातार वर्ष दर्शाए हैं। अकेले 2022 में ही, वैश्विक स्टील निर्माण क्षमता 32.1 एमएमटी से बढ़कर 2459.1 एमएमटी हो गई जो इतिहास में उच्चतम वैश्विक क्षमता का आंकड़ा है। 2022 में वैश्विक क्षमता में देखी गई वृद्धि कुछ विशाल स्टील उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं के क्षमता स्तर की तुलना में अधिक थी (उदाहरण के लिए 2022 में 26 एमएमटी की क्षमता के साथ वियतनाम)।
230. इसके अतिरिक्त, वैश्विक क्षमता और अपरिष्कृत स्टील उत्पादन के बीच अंतर है जो वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण अत्यधिक क्षमता को इंगित करता है। अत्यधिक क्षमता 2021 में 512.6 एमएमटी से बढ़कर 2022 में 627.7 एमएमटी हो गया। अत्यधिक स्टील निर्माण क्षमता आंकड़े अपरिष्कृत स्टील निर्माण क्षमता से संबंधित हैं। उत्पादकों को अपरिष्कृत स्टील को बिक्री योग्य स्टील में परिवर्तित करना चाहिए जो तब लम्बे अथवा फ्लैट स्टील उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है। जहां लम्बे अथवा फ्लैट के लिए विशिष्ट अत्यधिक क्षमता का हिस्सा समान नहीं हो सकता, अत्यधिक अपरिष्कृत स्टील निर्माण क्षमता अप्रयुक्त महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की प्रतिनिधि है जो निर्धारित लागतों

¹⁰ ओईसीडी, स्टील समिति का 96वां सत्र, अध्यक्ष द्वारा भाषण

¹¹ ओईसीडी, स्टील व्यापार और व्यापार नीति विकास (जनवरी-जून, 2023)

¹² ओईसीडी रिपोर्ट दिनांक 18 जनवरी, 2024

में जोड़ी जाती है और पूरे विश्व में स्टील उत्पादकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। अत्यधिक क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि स्टील उद्योग की दीर्घावधिक स्थिति और व्यवहार्यता के लिए गहन जोखिम प्रस्तुत करती है।

231. जापान में स्टील खपत इसकी स्टील क्षमता की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है और जापानी स्टील उद्योग अत्यधिक निर्यातोन्मुखी है। परिष्कृत स्टील क्षमता और जापान में स्टील की खपत निम्नानुसार है:-

विवरण	2021	2022	2023
अपरिष्कृत स्टील क्षमता	122.4	122.4	117.8
अपरिष्कृत स्टील खपत	63.6	60.8	58.7
खपत की तुलना में अत्यधिक क्षमता	58.8	61.6	59.1
खपत के प्रतिशत के रूप में अत्यधिक क्षमता	92%	101%	101%

(स्रोत: विश्व स्टील संघ)

232. इसी प्रकार, दक्षिण कोरिया में स्टील क्षमता इसकी स्टील खपत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है और दक्षिण कोरिया स्टील उद्योग अत्यधिक निर्यातोन्मुखी है, जैसा कि नीचे दिशाया गया है:


विवरण	2021	2022	2023
अपरिष्कृत स्टील क्षमता	81.6	81.6	81.6
अपरिष्कृत स्टील खपत	58.4	53.4	54.6
खपत की तुलना में अत्यधिक क्षमता	23.2	28.2	27

विवरण	2021	2022	2023
खपत के प्रतिशत के रूप में अत्यधिक क्षमता	40%	53%	49%

(स्रोत: विश्व स्टील संघ)

ग. वर्ष 2020 में, चीन ने अचल डेवलपर्स के अत्यधिक ऋण लेने को नियंत्रित करने के लिए “थ्री रेड लाइंस” नीति आरंभ की। इस नीति ने ऋण अनुपातों पर सख्त सीमाएं निर्धारित कीं, जिन्हें बहुत से डेवलपर्स पूरा करने में असमर्थ हैं, जनिक कारण ऋण चुकाने में चूक सहित प्रतिबंधित ऋण और वित्तीय तनाव पैदा हुआ।¹³ परिणामस्वरूप, रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। परिणाम स्वरूप बहुत सी निर्माण परियोजनाओं में रुकावट या व्यवधान पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप चीन के रियल एस्टेट निवेशों में 2021 के बाद से कमी आई और जनवरी से जुलाई, 2024 के दौरान इसमें 10.2% की गिरावट आई। इस कारण चीन में लम्बे उत्पादों की घरेलू स्टील खपत में गिरावट आई। चीन के स्टील उद्योग ने निर्माण क्षेत्र से घरेलू स्टील मांग में गिरावट को दूर करने के लिए एकाधिकार नीतियां अपनाईं। एक में, कारखानों ने उत्पादन को लम्बे उत्पादों से बदल कर फ्लैट कर दिया। जैसा कि नीचे ग्राफ से देखा जा सकता है, फ्लैट उत्पादों का उत्पादन हिस्सा 50% से बढ़ कर 59% हो गया है जबकि लम्बे उत्पादों में तदनुसारी तौर पर कमी आ रही है।

¹³ यूबीएस “चाइनीज थ्री रेड लाइंस -औपरचुनीटीज ने चाइना रियम एस्टेट”, <https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/insights/thematic-viewpoints/apac-and-emerging/articles/china-three-red-lines.html>

Chart 14: Share of Flat & Long Products in Total Production

Source: WSA, Estimated Contributions

स्रोत: डब्ल्यूएसए, अनुमानित अंशदान

233. पुर्नअर्शाकन के लिए अतिरिक्त कारणों में से एक विदेशी बाजारों को लम्बे उत्पादों की तुलना में फ्लैट उत्पादों का अन्वेषण किया जाना भी है। इस कारण चीन जन.गण. से फ्लैट उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि हुई।

234. प्राधिकारी ने अत्यधिक क्षमता की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उक्त घटनाक्रमों को अप्रत्याशित धारित किया है। इसी प्रकार लम्बे उत्पादों से फ्लैट उत्पादों में उत्पादन की मात्रा में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो चीन में घटित हुआ है, भी अप्रत्याशित है।

घ. एशियन क्षेत्र स्टील क्षेत्र में परिवर्तन

235. 2019 में यह रिपोर्ट की गई थी कि चीनी मिलों से विद्यमान विदेशी क्षमता का लगभग आधा एशियन में स्थित था और वे विभिन्न चीनी मिलों एशियन क्षेत्र में क्षमता स्थापित कर रही हैं।¹⁴ एशियन क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण रूप से अपरिष्कृत स्टील उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की संभावना है। जारी अत्यधिक क्षमता स्वयं महत्वपूर्ण वृद्धि होने के जोखिम

¹⁴ chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/03/ISEAS_Perspective_2020_50.pdf.

पर हैं। अत्यधिक क्षमता में वृद्धि भी भारत में स्टील फ्लैट उत्पादों के आयातों में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं क्योंकि अत्यधिक क्षमता उत्पादकों को तीसरे देश के बाजारों में निर्यातों के जरिए अत्यधिक क्षमता को बेचने के लिए प्रेरित करती हैं।

236. गिरती हुई स्टील की मांग और एक कमजोर परिदृश्य के बावजूद, तीव्र गति से क्षमता विस्तार जारी है। उदाहरण के लिए, वियतनाम जो अतीत में भारतीय स्टील उद्योग के लिए एक निवल स्टील निर्यात गंतव्य था, अब भारत को एक निवल स्टील निर्यातक है। एशियन देशों में जोड़ी जा रही नई क्षमताएं जैसे वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाइलैंड, मलेशिया, फिलीपीन्स मुख्य भूमि के चीनी निवेश हैं।
237. प्राधिकारी ने स्टील क्षेत्र में उपर्युक्त परिवर्तनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया है। यह नोट किया गया है कि ऐसे परिवर्तनों की सीमा को देखते हुए आसियान इस्पात क्षेत्र में हुए परिवर्तन अप्रत्याशित प्रतीत होते हैं। जीएटीटी के तहत बाध्यताओं को अपनाते समय, भारत ने यह आशा नहीं की थी कि चीन में “श्री रेड लाइन्स” जैसे कोई नीति निर्माण क्षेत्र को प्रभावित करेगी और स्टील लम्बे उत्पादों की घरेलू खपत में ऐसी गिरावट का कारण बनेगी कि फ्लैट उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। न ही भारत ने यह आशा की थी कि विदेशी बाजारों में स्टील फ्लैट उत्पादों के लिए अनुकूल निर्यात बाजार स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और यह स्टील उत्पादन की क्षमता में ऐसी गति से वृद्धि हो सकती है कि यह आंतरिक खपत के स्तर को महत्वपूर्ण स्तर तक पार कर जाएगा, इस प्रकार कमजोर मांग के बावजूद अतिरिक्त क्षमता पैदा हुई। न ही भारत ने यह आशा की थी कि यह बदले में, समग्र स्टील उद्योग की स्थिति को देखते हुए जोरदार व्यापार सुरक्षा उपायों का नेतृत्व करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत ने रियायतों पर बातचीत करते समय यह भी उम्मीद नहीं की थी कि चीन की अत्यधिक क्षमताएं और निर्यात कोरिया और जापान सहित, एसियान में शामिल देशों तक फैल जाएंगे और अत्यधिक निर्यातोन्मुखी बन जाएंगे। सभी ऊपर उल्लिखित घटनाक्रम और परिस्थितियां क्षमता, उत्पादन अथवा बाजार-स्थिति में परिवर्तनों में मात्र एक परिवर्तन से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं। अतः, प्राधिकारी का मत है कि ऊपर वर्णित घटनाक्रमों के एकत्र होने का संचयी प्रभाव स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित था।

ड. अप्रत्याशित घटनाक्रमों और बढ़े हुए आयातों के बीच तार्किक संबंध

238. घरेलू उद्योग का दावा है कि (क) जांचाधीन वस्तु के आयातों में उछाल व्यापार सुरक्षा उपायों को लागू किए जाने और ऊपर उल्लिखित अन्य घटनाक्रमों का अनुसरण करता है; और (ख) आयातों में वृद्धि विभिन्न अप्रत्याशित घटनाक्रमों के प्रभाव के कारण हो सकती है जैसे स्टील, अत्यधिक क्षमता के विरुद्ध एकाधिक व्यापार सुरक्षा उपायों और चीन, जापान, कोरिया, और एशियन में कम होती मांग और एशियन स्टील क्षेत्र में परिवर्तनों के कारण। सुरक्षावाद और निर्यात-उन्मुखीकरण के इस संगम में भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की बाढ़ ला दी - जो इस समय एकमात्र बढ़ता हुआ, वृहत स्टील की खपत करने वाला ऐसा बाजार है जिसने कोई सुरक्षा संबंधी उपाय लागू नहीं किए हैं।
239. प्राधिकारी ने पाया है कि यूएसए में संबंधित उत्पाद (एचएसएन टैरिफ शीर्ष 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के अन्तर्गत आने वाले) के आयातों में 2021 की तुलना में 2023 में 2.183 एमएमटी की गिरावट आई है जैसा कि नीचे सारणी में देखा जा सकता है:

(मात्रा एमटी में)

देश	सीवाई 2021	सीवाई 2022	सीवाई 2023	यूएसए में आयातों में संचयी गिरावट	2021-2023 के बीच भारत में आयातों में वृद्धि
चीन	140,886	209,118	92,010	(48,876)	801,595
जापान	463,837	438,808	351,232	(112,605)	443,030
कोरिया गणराज्य	1,361,971	1,259,274	1,152,649	(209,322)	394,752
वियतनाम	679,022	660,413	249,938	(429,084)	847,437
अन्य	8,131,981	8,102,976	7,062,825	(1,069,156)	35,619
जोड़	1,334,940	11,151,458	9,151,127	(2,183,813)	2,522,433

(स्रोत: व्यापार मैप डेटाबेस)

240. इसी अवधि के दौरान, भारत में संबंधित उत्पाद के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उदाहरणार्थ, 2021-2023 की अवधि के दौरान जापान से अमेरिका में आयात में 112,605 मीट्रिक टन की गिरावट आई, जबकि जापान से भारत में आयात में 443,030 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। ऐसा लगता है कि जापान से अमेरिका में आयात में गिरावट जापान से भारत में आयात में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होती है। इसी प्रकार, चीन, कोरिया, वियतनाम से अमेरिका में आयात में गिरावट ने भी ऐसे देशों से भारत में आयात में वृद्धि में योगदान दिया है।
241. उपर्युक्त घटनाक्रमों के संचयी प्रभाव के रूप में, चीन जन.गण. से पी.यू.सी. के आयात में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(एमटी की 000 में मात्रा)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई	संचयी वृद्धि
एचआर कॉइल्स और शीट्स	55	137	573	790	735
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	31	85	293	416	385
सीआर कॉइल्स और शीट्स	24	21	24	50	26
मैटालिक कोटेड स्टील	44	34	89	72	28
कलर कोटेड स्टील	74	93	244	288	214
कुल	228	370	1,223	1,616	1,388

242. इसी प्रकार, जापान से आयात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(एमटी की 000 में मात्रा)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई	संचयी वृद्धि
एचआर कॉइल्स और शीट्स	73	306	593	1,121	1,048
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	56	59	22	66	10
सीआर कॉइल्स और शीट्स	76	92	113	112	36
मेटालिक कोटेड स्टील	116	94	130	134	18
कलर कोटेड स्टील	7	7	7	9	2
कुल	328	558	865	1,442	1,114

243. कोरिया जन. गण. से आयात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जैसा कि दर्शाया गया है, तथापि सीआर कॉइल्स और शीट्स के आयात में मामूली गिरावट आई है।

(एमटी की 000 में मात्रा)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई	संचयी वृद्धि
एचआर कॉइल्स और शीट्स	866	1052	1295	1353	487
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	116	104	234	340	224
सीआर कॉइल्स और शीट्स	366	441	344	345	-21
मेटालिक कोटेड स्टील	198	284	385	432	234

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई	संचयी वृद्धि
कलर कोटेड स्टील	49	59	71	70	21
कुल	1,595	1,940	2,329	2,539	945

244. प्राधिकारी का मानना है कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों और आयात में वृद्धि के बीच पर्याप्त कालिक संबंध मौजूद है।
245. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि 10 फरवरी 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह विभिन्न देशों को दी गई छूट और रियायतों को रद्द करके, सभी स्रोतों से संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी आयातों पर 12 मार्च 2025 से स्टील उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि छूट और रियायतों को वापस लेने के परिणामस्वरूप, उन देशों से अधिक आयात वापस आने की उम्मीद है और भारत बढ़े हुए आयातों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। तथापि, इस स्तर पर इस विकास के प्रभाव की कल्पना करना मुश्किल हो सकता है।

ज. जीएटीटी के तहत दायित्वों का प्रभाव

246. जीएटीटी 1947 के अनुच्छेद XIX:1 (क) के अनुसार आयात में वृद्धि 'इस समझौते के तहत अनुबंध करने वाले पक्ष द्वारा उठाए गए दायित्वों के प्रभाव के कारण होगी, जिसमें टैरिफ रियायतें भी शामिल हैं। इस पाठ की व्याख्या करने के लिए पैनल या अपीलीय निकाय की रिपोर्ट से कुछ मार्गदर्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले, कोरिया-डेयरी में अपीलीय निकाय ने यह राय दी कि: "यह तथ्य के तौर पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि आयात करने वाले सदस्य ने जीएटीटी 1994 के तहत टैरिफ रियायतों सहित दायित्वों को उठाया है"¹⁵ दूसरे, भारत में पैनल रिपोर्ट में - लौह और इस्पात उत्पादों के आयात पर कुछ उपाय में¹⁶, यह इस प्रकार देखा गया है:

¹⁵ अपीलीय निकाय रिपोर्ट, कोरिया - डेयरी, पैरा 84; अपीलीय निकाय रिपोर्ट, अर्जेंटीना - फुटवियर (ईसी), पैरा 91.

¹⁶ पैनल रिपोर्ट, भारत - लौह और इस्पात उत्पादों के आयात पर विशेष उपाय, पैरा 7.87, 7.89.

“7.87. सुरक्षा उपाय लागू करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को अपनी प्रकाशित रिपोर्ट में निहित तर्कसंगत और पर्याप्त स्पष्टीकरणों के माध्यम से अप्रत्याशित घटनाक्रमों के अस्तित्व और जीएटीटी 1994 दायित्वों के प्रभाव को प्रदर्शित करना चाहिए। इन स्पष्टीकरणों में यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि चिन्हित अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई है, जिससे संबंधित घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या होने का खतरा है, और जीएटीटी 1994 के तहत एक या अधिक दायित्व ऐसे बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभाव को रोकने या समायोजित करने की आयात करने वाले सदस्य की क्षमता को सीमित करते हैं।”

7.89. जीएटीटी 1994 के दायित्व के प्रभाव के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी की प्रकाशित रिपोर्ट में यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि सुरक्षा उपाय लागू करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जीएटीटी 1994 के अंतर्गत दायित्व (या दायित्वों) के अधीन है और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह दायित्व उसके घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले आयात में वृद्धि पर प्रतिक्रिया करने की उसकी क्षमता को किस प्रकार बाधित करता है।”

247. वास्तव में, भारत ने जीएटीटी 1947 के अनुच्छेद II के अनुसार टैरिफ रियायतें दी हैं। अपनी रियायतों की अनुसूची में, भारत ने जांच के तहत उत्पाद के लिए सीमा शुल्क को 40% पर सीमित किया है। जहां तक यह सवाल है कि दायित्व भारत की अपने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले आयात में वृद्धि पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कैसे बाधित करते हैं, इसमें यह प्रासंगिक है कि:

- i. भारत एक विकासशील देश है जिसके विकास नीति उद्देश्य वैध हैं। इन उद्देश्यों के साथ, 2017 में घोषित भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2030 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात निर्माण क्षमता हासिल करने की आकांक्षा रखती है। इससे 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा। नीति का उद्देश्य इस्पात की खपत बढ़ाना है और इसके प्रमुख क्षेत्र बुनियादी ढांचा, ऑटोमोबाइल और आवास हैं। नई इस्पात नीति का लक्ष्य प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को मौजूदा 60 किलोग्राम से बढ़ाकर 2030 तक 160 किलोग्राम करना है।
- ii. यदि आयात वृद्धि से घरेलू इस्पात उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचता है तो ऊपर बताए गए वैध विकास नीतिगत उद्देश्य हासिल नहीं किए जा सकते। जीएटीटी 1947 और अन्य डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत भारत द्वारा किए गए कई दायित्वों ने आयात में वृद्धि पर प्रतिक्रिया करने की भारत की क्षमता को बाधित किया है। जीएटीटी 1947 के तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों को उदाहरण के तौर पर उद्धृत किया जा सकता है:

- i अनुच्छेद I प्रत्येक डब्ल्यूटीओ सदस्य को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा देने का दायित्व डालता है, जिससे भारत की उस डब्ल्यूटीओ सदस्य देश, यदि उस देश से आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हो जाती है, जिससे गंभीर क्षति होती है, से आयात पर सीमा शुल्क की भिन्न दरें लागू करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- ii अनुच्छेद XI में कोटा, आयात या निर्यात लाइसेंस, या अन्य उपायों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का दायित्व निहित है, जो आयात या निर्यात की मात्रा को प्रतिबंधित करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि व्यापार प्रवाह यथासंभव अप्रतिबंधित रहे।
- iii अनुच्छेद XVI और एससीएम समझौते में उन सब्सिडी को जारी न रखने का दायित्व निर्धारित किया गया है जो इसमें वर्णित सिद्धांतों के साथ असंगत हैं।

248. प्राधिकारी इन दायित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित बातों को नोट करते हैं। सबसे पहले, ऊपर उल्लिखित दायित्वों ने अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के निर्यातकों के लिए भारत के इस्पात बाजार तक पहुंच बढ़ा दी है। दूसरे, ऐसी स्थितियों में जहां अप्रत्याशित परिस्थितियों या ऐसे कारकों के संगम से घरेलू बाजार में आयात में वृद्धि होती है, ये दायित्व अलग-अलग और सामूहिक रूप से भारत की आयात में वृद्धि के लिए जिम्मेदार डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के खिलाफ विशिष्ट और लक्षित उपाय करने की क्षमता को सीमित करते हैं।
249. सुरक्षा उपायों का उद्देश्य ऐसी स्थितियों से निपटना है। सुरक्षा उपाय निष्पक्ष व्यापार उपाय हैं, जो पाटनरोधी या प्रतिकारी उधार उपायों से भिन्न हैं। इन्हें केवल बढ़े हुए, प्रतिकूल और अप्रत्याशित आयातों के समय घरेलू उद्योग को समर्थन देने के उद्देश्य से लिया जाता है, जिससे घरेलू उद्योग को स्थायी नुकसान होता है या होने का खतरा होता है, जिससे उबरना बहुत मुश्किल या असंभव हो जाता है।
250. इन मामलों में, घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत दायित्वों को निलंबित कर दिया जाता है, जो कुछ अंतरिम हस्तक्षेपों की मदद से भविष्य में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल साबित हो सकते हैं, और अंततः वैश्विक

स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले उद्योगों को संरक्षित करके वैश्विक व्यापार को लाभान्वित कर सकते हैं।

251. यद्यपि यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद पर लागू टैरिफ, निर्धारित दर से काफी कम है, प्राधिकरण का मानना है कि सुरक्षा उपाय, जांच के तहत स्थिति से निपटने के लिए अनुशासन के साथ अंतरिम तंत्र के रूप में एक उपयुक्त उपकरण प्रदान करता है, जिसे सामान्य प्रयोजन शुल्क वृद्धि प्रभावी रूप से प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती है।
252. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों और टैरिफ रियायतों सहित जीएटीटी 1947 के तहत किए गए दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद को भारत में बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जा रहा है।

झ. गंभीर क्षति और/अथवा गंभीर क्षति का खतरा

253. सुरक्षा नियमों के अनुलग्नक के पैराग्राफ 1 में कहा गया है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात में वृद्धि से किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या होने का खतरा है, जांच में महानिदेशक को उस उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक प्रकृति के सभी प्रासंगिक कारकों का विशेष रूप से, संबंधित वस्तु के आयात में वृद्धि की दर और मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से, बढ़े हुए आयात द्वारा घरेलू बाजार में लिया गया हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि, और रोजगार के स्तर में परिवर्तन का मूल्यांकन करना चाहिए। तदनुसार, नियमों में निर्दिष्ट क्षति मापदंडों की जांच नीचे की गई है।

i निरपेक्ष और सापेक्ष रूप में आयात में वृद्धि की दर और मात्रा:

254. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, (क) आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई, (ख) आयात की मात्रा में निरपेक्ष और प्रतिशत रूप में

उल्लेखनीय रूप से उच्च दर से वृद्धि हुई, और (ग) आयात की मात्रा में वृद्धि हाल ही में हुई, अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण थी।

ii घरेलू बाजार में आयात में वृद्धि से हिस्सेदारी बढ़ी

255. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, आयात के बाजार हिस्से में परिवर्तन नीचे सारणीबद्ध हैं:

उत्पाद	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
एचआर स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	134	194	244
सीआर कॉइल और शीट	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	143	120	110
मैटालिक कोटेड स्टील	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	121	152	144
कलर कोटेड स्टील	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	118	204	225
समग्र पीयूसी के लिए	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	134	180	208

256. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान आयातों ने समग्र पीयूसी के लिए घरेलू उद्योग के हिस्से का ***% हिस्सा अधिकृत कर लिया, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है। इसी अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा एचआर स्टील फ्लैट उत्पादों के लिए ***%, सीआर कॉइल्स और शीट्स के लिए ***%, मैटालिक कोटेड स्टील के लिए ***% और कलर कोटेड स्टील के लिए ***% बढ़ा।

iii बिक्री के स्तर में परिवर्तन

257. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान समग्र उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में ***% की वृद्धि हुई। जबकि 2022-23 के दौरान इसमें ***% की वृद्धि हुई, और 2023-24 के दौरान और ***% की वृद्धि हुई, लेकिन जांच अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

'000 एम.टी.

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
एचआर काँइल और शीट	***	***	***	***
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	***	***	***	***
सीआर काँइल और शीट	***	***	***	***
मेटालिक कोटेड स्टील	***	***	***	***
कलर कोटेड स्टील	***	***	***	***
समग्र पीयूसी	***	***	***	***
ट्रेंड				
एचआर काँइल और शीट	100	127	142	140
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	100	106	107	105
सीआर काँइल और शीट	100	116	126	127
मेटालिक कोटेड स्टील	100	130	141	156
कलर कोटेड स्टील	100	117	118	117
समग्र पीयूसी	100	122	132	133

258. जहां तक पांच श्रेणियों का सवाल है, एचआर काँइल और शीट की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान ***%, एचआर प्लेट मिल प्लेट में ***%, और सीआर काँइल और शीट में ***%, मेटालिक कोटेड में ***% और कलर कोटेड में ***% की वृद्धि हुई। हालांकि, 2023-24 की तुलना में जांच अवधि के दौरान एचआर काँइल और शीट में ***%, एचआर प्लेट मिल प्लेट में ***%, कलर कोटेड स्टील में ***% की गिरावट आई।

iv क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में परिवर्तन

259. समग्र पीयूसी: समग्र पीयूसी के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान *** एमएमटी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई, जिसमें *** एमएमटी की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि के दौरान उत्पादन में *** एमएमटी

की वृद्धि हुई और क्षमता उपयोग में ***% की कमी आई। जबकि जांच की अवधि से पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में गिरावट आई। वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन *** एमएमटी था और जांच की अवधि के दौरान यह घटकर *** एमएमटी रह गया। अप्रयुक्त क्षमता, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान *** एमएमटी थी, जांच की अवधि के दौरान बढ़कर *** एमएमटी हो गई। समग्र उत्पाद के लिए जांच की अवधि के अंत में अप्रयुक्त क्षमता जांच की अवधि के दौरान *** एमएमटी की संपूर्ण आयात मात्रा को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	114	118	117
उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	107	116	115
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	94	98	98
अप्रयुक्त क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	152	130	127

260. एचआर कॉइल और शीट: वर्ष 2021-22 के दौरान क्षमता *** एमएमटी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई, इस अवधि के दौरान *** एमएमटी की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन *** एमएमटी से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गया। जबकि जांच की अवधि से पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा था, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में गिरावट आई थी। इस अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में ***% की वृद्धि हुई तथा अप्रयुक्त क्षमता में *** एमएमटी की कमी आई। हालांकि, *** एमएमटी की अप्रयुक्त क्षमता एचआर कॉइल और शीट के आयात के ***% से अधिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह भी नोट किया जाता है कि वास्तविक उत्पादन

में पीयूसी और गैर-पीयूसी दोनों शामिल थे क्योंकि संयंत्र पीयूसी और गैर-पीयूसी दोनों का उत्पादन करेंगे। हालांकि, गैर-पीयूसी कुल उत्पादन का ***% से कम था और नगण्य था।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	115	117	113
उत्पादन (पीयूसी+एनपीयूसी)	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	110	119	117
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	96	102	103
अप्रयुक्त क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	149	102	89

261. एचआर प्लेट मिल प्लेट्स: क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान एचआर प्लेट मिल प्लेट्स के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन *** एमएमटी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गया। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हर साल उत्पादन में वृद्धि हुई। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में ***% की वृद्धि हुई। जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी की अप्रयुक्त क्षमता *** एमएमटी के आयात की तुलना में काफी अधिक थी।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओ आई
क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	100	100	100
उत्पादन	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	103	106	103
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओ आई
	ट्रेंड	100	103	106	103
अप्रयुक्त क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	85	75	88

262. सीआर कोइल्स और शीट्स: वर्ष 2021-22 के दौरान क्षमता *** एमएमटी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई, जिसमें *** एमएमटी की वृद्धि दर्ज की गई। क्षमता में इस तरह की वृद्धि के मुकाबले, उक्त अवधि के दौरान उत्पादन में केवल *** एमएमटी की वृद्धि हुई। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हर साल उत्पादन में वृद्धि हुई। जांच अवधि के दौरान कुल आयात *** एमएमटी के मुकाबले अप्रयुक्त क्षमता *** एमएमटी थी। अप्रयुक्त क्षमता आयात मात्रा से *** गुना अधिक थी, जो क्षमता के अत्यधिक कम उपयोग को दर्शाता है।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआ ई
क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	119	127	127
उत्पादन	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	104	111	114
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	87	88	90
अप्रयुक्त क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	183	190	179

263. मेटालिक कोटेड स्टील: वर्ष 2021-22 के दौरान क्षमता *** एमएमटी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई। इसी अवधि के दौरान, जबकि वास्तविक उत्पादन *** एमएमटी से बढ़कर *** एमएमटी हो गया, क्षमता उपयोग में ***% की गिरावट आई। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हर साल उत्पादन में वृद्धि हुई। जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी की अप्रयुक्त क्षमता आयात की मात्रा से दोगुनी से अधिक थी।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआ ई
क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	116	120	126
उत्पादन	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	105	116	119
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	91	96	95
अप्रयुक्त क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	166	142	157

264. कलर कोटेड स्टील: वर्ष 2021-22 के दौरान क्षमता *** एमएमटी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई। इसी अवधि के दौरान, उत्पादन *** एमएमटी से बढ़कर *** एमएमटी हो गया, और क्षमता उपयोग में ***% से ***% तक की तीव्र गिरावट आई। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हर साल उत्पादन में वृद्धि हुई। जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी की अप्रयुक्त क्षमता आयात की तुलना में *** गुना थी।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआ ई
क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	120	132	135
उत्पादन	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	109	117	113
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	90	89	84
अप्रयुक्त क्षमता	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	172	198	231

v सकल उत्पादन, बंदी उपभोग और बंदी उपभोग का शुद्ध उत्पादन

265. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का सकल उत्पादन बढ़ा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
एचआर कॉइल्स, शीट्स और प्लेट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	110	119	117
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	103	106	103
सीआर कॉइल्स और शीट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	104	111	114
मेटालिक कोटेड स्टील	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	105	116	119
कलर कोटेड स्टील	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	109	117	113
कुल	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	107	116	115

266. घरेलू उद्योग द्वारा बंदी उपभोग निम्नानुसार था:

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
एचआर कॉइल्स, शीट्स और प्लेट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	104	105	106
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	128	118	89
सीआर कॉइल्स और शीट्स	'000 एमटी	***	***	***	***

	ट्रेंड	100	106	112	116
मेटालिक कोटेड स्टील	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	104	109	106
कलर कोटेड स्टील	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	120	65	41
कुल	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	105	108	109

267. बंदी उपभोग का शुद्ध उत्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
एचआर कॉइल्स, शीट्स और प्लेट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	112	126	122
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	103	105	103
सीआर कॉइल्स और शीट्स	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	100	110	111
मेटालिक कोटेड स्टील	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	106	120	127
कलर कोटेड स्टील	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	108	118	114
कुल	'000 एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	108	119	118

268. समग्र रूप से पीयूसी के लिए और व्यक्तिगत रूप से पांच उत्पाद श्रेणियों के लिए, क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान सकल उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन अप्रयुक्त क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो आयात मात्रा में वृद्धि के लिए घरेलू उद्योग की भेद्यता को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान बंदी उपभोग का शुद्ध उत्पादन बढ़ा, लेकिन जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी की गिरावट आई।

vi उत्पादकता

269. समग्र पीयूसी के लिए: वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि के दौरान एचआर काँइल्स और शीट्स के उत्पादन की मात्रा में गिरावट के कारण, इसी अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गई, हालांकि प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता स्थिर रही। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि उत्पादकता घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं थी।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	107	116	115
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	97	107	108
उत्पादकता प्रति दिन प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	100	100	100

270. एचआर काँइल्स और शीट्स: समग्र पीयूसी के समान, एचआर काँइल्स और शीट्स का उत्पादन 2022-23 की तुलना में जांच अवधि के दौरान कम हुआ और इसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादन की मात्रा और प्रति कर्मचारी उत्पादन में गिरावट आई। हालांकि, प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता प्रभावित नहीं हुई। यह 2023-24 के दौरान बढ़ी और जांच अवधि के दौरान बढ़े हुए स्तर पर बनी रही।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	110	119	117
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	101	113	112
उत्पादकता प्रति दिन प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	100	113	113

271. एचआर प्लेट मिल प्लेट्स: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई। हालाँकि, 2023-24 की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पादन में गिरावट आई, इसलिए जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में भी गिरावट आई। वर्ष 2022-23 में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में मामूली गिरावट आई, लेकिन 2023-24 और जांच अवधि के दौरान इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता स्थिर रही।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	103	106	103
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	99	113	116
उत्पादकता प्रति दिन प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	100	100	100

272. सीआर कॉयल्स और शीट्स: क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान हर साल और जांच अवधि में प्रति दिन उत्पादकता में वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता *** मीट्रिक टन थी, लेकिन उसके बाद *** मीट्रिक टन पर बनी रही।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	104	111	114
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	82	86	87
उत्पादकता प्रति दिन प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	87	87	87

273. मेटालिक कोटेड स्टील: संपूर्ण क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में हर वर्ष वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद इसमें वृद्धि हुई। क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता *** मीट्रिक टन रही, सिवाय 2022-23 के जब यह *** मीट्रिक टन थी।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	105	116	119
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	90	95	100
उत्पादकता प्रति दिन प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	90	100	100

274. कलर कोटेड स्टील: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में इसी अवधि के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई। हालांकि, उत्पादन की मात्रा में गिरावट के कारण जांच अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई। जबकि क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई, प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता पहले दो वर्षों के दौरान *** मीट्रिक टन और 2023-24 और जांच अवधि के दौरान *** मीट्रिक टन पर रही।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	108	117	113
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	108	124	125
उत्पादकता प्रति दिन प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	ट्रेंड	100	108	124	125

275. प्राधिकारी का मानना है कि प्रतिदिन उत्पादकता में होने वाले परिवर्तन उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाते हैं। चूंकि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई है, इसलिए प्रतिदिन उत्पादकता में भी गिरावट आई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता या प्रति कर्मचारी प्रतिदिन उत्पादकता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादकता में गिरावट से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है।

vii माल-सूची स्तरों में परिवर्तन

276. समग्र रूप से पीयूसी: समग्र रूप से पीयूसी की औसत माल-सूची लगभग दोगुनी हो गई क्योंकि यह वर्ष 2021-22 के दौरान *** एमएमटी से बढ़कर पीओआई के दौरान *** एमएमटी हो गई। उत्पादन के दिनों की संख्या के साथ-साथ बिक्री के मामले में भी प्रवृत्ति समान थी।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
औसत माल-सूची	एमएमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	133	180	203

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	125	163	188
बिक्री के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	123	146	169

277. एचआर कॉइल और शीट: एचआर कॉइल और शीट की औसत माल-सूची 2021-22 के दौरान *** एमएमटी से बढ़कर पीओआई के दौरान *** एमएमटी हो गई। इसी अवधि के दौरान, उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में औसत माल-सूची *** दिनों से बढ़कर *** दिन हो गई, और बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में, यह *** दिनों से बढ़कर *** दिन हो गई।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
औसत माल-सूची	एमएमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	134	182	195
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	122	152	167
बिक्री के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	120	145	162

278. एचआर प्लेट मिल प्लेट्स: 2021-22 की तुलना में पीओआई के दौरान औसत माल-सूची *** गुना बढ़ गई। उत्पादन के दिनों की संख्या के संदर्भ में, इसमें *** दिनों की वृद्धि हुई, और बिक्री के दिनों की संख्या के संदर्भ में, इसमें *** दिनों की वृद्धि हुई।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
औसत माल-सूची	एमएमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	122	198	262
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	118	188	255
बिक्री के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	121	196	268

279. सीआर कॉइल और शीट: सीआर कॉइल और शीट की औसत माल-सूची 2021-22 के दौरान *** एमएमटी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई। इसी अवधि के दौरान, उत्पादन के दिनों की संख्या और बिक्री दोनों के संदर्भ में, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
औसत माल-सूची	एमएमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	135	160	158

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	130	144	139
बिक्री के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	135	143	142

280. मेटैलिक कोटेड स्टील: औसत माल-सूची 2021-22 के दौरान *** एमएमटी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई। उत्पादन के दिनों की संख्या के संदर्भ में, इसमें *** दिनों की वृद्धि हुई और बिक्री के दिनों की संख्या के संदर्भ में, इसमें *** दिनों की वृद्धि हुई।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओआई
औसत माल-सूची	एमएमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	135	174	204
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	128	150	171
बिक्री के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	130	145	161

281. कलर कोटेड स्टील: औसत माल-सूची 2021-22 के दौरान *** एमएमटी से बढ़कर जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी हो गई। उत्पादन के दिनों की संख्या के संदर्भ में, यह *** दिनों से बढ़कर *** दिन हो गई, और बिक्री के दिनों की संख्या के संदर्भ में, यह क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान *** दिनों से बढ़कर *** दिन हो गई।

विवरण	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	पीओ आई
औसत माल-सूची	एमएमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	141	192	238
उत्पादन के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	130	164	210
बिक्री के दिनों की संख्या के अनुसार औसत माल-सूची	दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	136	164	213

282. समग्र रूप से पीयूसी की औसत माल-सूची और इसकी पांच श्रेणियों में से प्रत्येक में क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है।

viii लाभ और हानि में परिवर्तन

283. समग्र रूप से पीयूसी के लिए: कर पूर्व लाभ ("पीबीटी") 2021-22 के दौरान *** करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 के दौरान *** करोड़ रुपये हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष ***% की गिरावट दर्ज की गई। यह वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़ा लेकिन पीओआई के दौरान फिर से गिरावट आई। पीओआई के दौरान पीबीटी आधार वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त पीबीटी का केवल ***% था। पीबीआईटी और नकद लाभ भी इसी तरह की प्रवृत्ति का पालन करते हैं। आधार वर्ष 2021-22 की तुलना में पीओआई के दौरान प्रति एमटी पीबीटी, प्रति एमटी पीबीआईटी और प्रति एमटी नकद लाभ में क्रमशः ***%, ***% और ***% की गिरावट आई।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
वास्तविक					
कर से पहले लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
कर से पहले लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति					
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	7	35	24
पीबीआईटी	प्रवृत्ति वास्तविक	100	25	50	41
नकद लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	20	47	38
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	6	27	18
पीबीआईटी	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	21	38	31
नकद लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	16	35	29

284. एचआर कॉइल और शीट: एचआर कॉइल और शीट पर पीबीटी वर्ष 2021-22 के दौरान *** करोड़ रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** करोड़ रुपये रह गया, जिसमें ***% की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान पीबीटी में ***% की गिरावट आई। यह वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़ा, लेकिन जांच अवधि के दौरान फिर से गिरावट आई। नकद लाभ में भी यही प्रवृत्ति रही। प्रति मीट्रिक टन पीबीटी 2021-22 के दौरान *** रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** रुपये रह गया, जिसमें ***% की गिरावट दर्ज की गई।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
वास्तविक					
कर से पहले लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
कर से पहले लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पीबीआईटी	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति					
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	11	38	22
पीबीआईटी	प्रवृत्ति वास्तविक	100	29	54	42
नकद लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	25	50	37
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	9	26	16
पीबीआईटी	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	23	38	30
नकद लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	20	35	27

285. एचआर प्लेट मिल प्लेट्स: पीबीटी 2021-22 के दौरान *** करोड़ रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** रुपये हो गया, जो ***% की गिरावट है। इसी अवधि के दौरान, पीबीआईटी में ***% और नकद लाभ में ***% की गिरावट आई। प्रति मीट्रिक टन पीबीटी, प्रति मीट्रिक टन पीबीआईटी और प्रति मीट्रिक टन नकद लाभ में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई। प्रति मीट्रिक टन पीबीआईटी 2021-22 के दौरान *** पीएमटी रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** पीएमटी हो गया।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
वास्तविक					
कर से पहले लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
कर से पहले लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति					
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	25	53	53
पीबीआईटी	प्रवृत्ति वास्तविक	100	37	61	59
नकद लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	37	62	63
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	24	50	51
पीबीआईटी	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	35	57	56

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
नकद लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	35	58	60

286. सीआर कॉइल्स और शीट्स: पीबीटी 2021-22 के दौरान *** करोड़ रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** करोड़ रुपये रह गया, जो ***% की भारी गिरावट दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, पीबीआईटी में ***% और नकद लाभ में ***% की गिरावट आई। प्रति मीट्रिक टन पीबीटी, प्रति मीट्रिक टन पीबीआईटी और प्रति मीट्रिक टन नकद लाभ में भी इसी तरह की प्रवृत्ति दिखी। प्रति मीट्रिक टन पीबीआईटी 2021-22 के दौरान *** पीएमटी रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** पीएमटी रह गया, जो ***% की गिरावट दर्शाता है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
वास्तविक					
कर से पहले लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
कर से पहले लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति					
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	0	15	9
पीबीआईटी	प्रवृत्ति वास्तविक	100	17	30	26
नकद लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	12	28	22
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	0	12	7
पीबीआईटी	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	14	24	20
नकद लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	11	22	17

287. मेटालिक कोटेड स्टील: 2021-22 के दौरान पीबीटी *** करोड़ रुपये था। 2022-23 के दौरान यह *** करोड़ रुपये की हानि में बदल गया। 2023-24 के दौरान पीबीटी *** करोड़ रुपये के लाभ पर पहुंचकर ब्रेकईवन स्तर से थोड़ा ऊपर सुधर गया, लेकिन जांच अवधि के दौरान फिर से *** करोड़ रुपये के घाटे में बदल गया। प्रति मीट्रिक टन के

आधार पर, पीबीटी 2021-22 के दौरान *** पीएमटी के लाभ से घटकर जांच अवधि के दौरान *** रुपये की हानि में आ गया, जो ***% की गिरावट दर्शाता है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
वास्तविक					
कर से पहले लाभ	रुपये करोड़ में	***	(***)	***	(***)
पीबीआईटी	रुपये करोड़ में	***	(***)	***	***
नकद लाभ	रुपये करोड़ में	***	(***)	***	***
कर से पहले लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	(***)	***	(***)
पीबीआईटी	रुपये प्र.मी.ट.	***	(***)	***	***
नकद लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	(***)	***	***
प्रवृत्ति					
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	(54)	3	(2)
पीबीआईटी	प्रवृत्ति वास्तविक	100	(19)	24	22
नकद लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	(40)	14	11
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	(41)	2	(1)
पीबीआईटी	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	(15)	17	14
नकद लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	(31)	10	7

288. कलर कोटेड स्टील: पीबीटी 2021-22 के दौरान *** करोड़ रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** करोड़ रुपये रह गया, जो ***% की भारी गिरावट दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, पीबीआईटी में ***% और नकद लाभ में ***% की गिरावट आई। प्रति मीट्रिक टन पीबीटी, प्रति मीट्रिक टन पीबीआईटी और प्रति मीट्रिक टन नकद लाभ में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई। प्रति मीट्रिक टन पीबीआईटी 2021-22 के दौरान *** पीएमटी रुपये से घटकर जांच अवधि के दौरान *** पीएमटी रह गया, जो ***% की गिरावट दर्शाता है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
वास्तविक					
कर से पहले लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
पीबीआईटी	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये करोड़ में	***	***	***	***
कर से पहले लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पीबीआईटी	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
नकद लाभ	रुपये प्र.मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति					
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	8	49	34
पीबीआईटी	प्रवृत्ति वास्तविक	100	32	61	47
नकद लाभ	प्रवृत्ति वास्तविक	100	15	54	43
कर से पहले लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	7	41	29
पीबीआईटी	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	27	52	40
नकद लाभ	प्रवृत्ति प्र.मी.ट.	100	13	46	37

289. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान कम हुई है। वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें मामूली वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान फिर से गिरावट आई। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी कमी आई है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति अत्यधिक नाजुक और कमजोर है।

ix रोजगार में परिवर्तन

290. वर्ष 2021-22 के दौरान *** कर्मचारियों के स्तर से, कर्मचारियों की संख्या 2022-23 के दौरान बढ़कर *** हो गई। उद्योग को वर्ष 2022-23 के दौरान काफी हानि हुई। लागत कम करने के उपायों में से एक के रूप में, कर्मचारियों की संख्या 2023-24 में *** और जांच की अवधि के दौरान *** तक कम कर दी गई। हालांकि, जांच की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2021-22 की तुलना में ***% अधिक थी।

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
वास्तविक				
एचआर काँइल और शीट	***	***	***	***
एचआर प्लेट मिल प्लेट	***	***	***	***
सीआर काँइल और शीट	***	***	***	***
मेटैलिक कोटेड स्टील	***	***	***	***
कलर कोटेड स्टील	***	***	***	***
समग्र पीयूसी	***	***	***	***

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
प्रवृत्ति				
एचआर काँइल और शीट	100	109	106	105
एचआर प्लेट मिल प्लेट	100	104	93	89
सीआर काँइल और शीट	100	127	129	131
मेटैलिक कोटेड स्टील	100	117	121	119
कलर कोटेड स्टील	100	100	95	91
समग्र पीयूसी	100	111	108	106

x गंभीर क्षति पर निष्कर्ष

291. संबंधित क्षति मापदंडों के बारे में ऊपर जांच की गई तथ्यात्मक स्थिति को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- i. घरेलू उत्पादन के संबंध में और भारत में पीयूसी की मांग के संबंध में आयात में निरपेक्ष रूप से काफी वृद्धि हुई है।
- ii. अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप और जीएटीटी 1947 के तहत किए गए दायित्वों के प्रभाव के रूप में आयात में वृद्धि हुई है।
- iii. आयात में वृद्धि हाल ही में, अचानक, तेज और महत्वपूर्ण थी।
- iv. आयात का बाजार हिस्सा 2021-22 के दौरान ***% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान ***% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में ***% की गिरावट आई।
- v. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान पीयूसी के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में ***% की वृद्धि हुई। जबकि 2022-23 के दौरान इसमें ***% की वृद्धि हुई, और 2023-24 के दौरान और ***% की वृद्धि हुई, लेकिन पीओआई के दौरान इसमें ***% की गिरावट आई, जो कि सबसे हालिया अवधि है।
- vi. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान क्षमता और वास्तविक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि, जांच अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा में *** एमएमटी (***) की गिरावट आई।
- vii. घरेलू उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता जांच अवधि के दौरान बढ़कर *** एमएमटी हो गई, जो क्षमता का ***% थी।
- viii. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई। प्रति कर्मचारी प्रति दिन उत्पादकता अप्रभावित रही।
- ix. औसत माल-सूची का स्तर निरपेक्ष रूप से और उत्पादन या बिक्री के दिनों की संख्या के संदर्भ में काफी बढ़ गया।

- x. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई। आधार वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से पीबीटी में ***% की गिरावट आई। इसी अवधि के दौरान प्रति मीट्रिक टन पीबीटी में ***% की गिरावट आई। पीबीआईटी और नकद लाभ में भी परिणामी गिरावट देखी गई।
- xi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान घट गई। यह वर्ष 2023-24 के दौरान मामूली रूप से बढ़ी लेकिन जांच अवधि के दौरान फिर से गिरावट आई। आधार वर्ष की तुलना में, जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति अत्यधिक नाजुक और कमजोर है।
- xii. वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में ***% की वृद्धि हुई और यह *** पर पहुंच गई। चूंकि घरेलू उद्योग को 2022-23 के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए लागत कम करने के उपायों में से एक के रूप में, कर्मचारियों की संख्या को 2023-24 में घटाकर *** कर दिया गया और आगे जांच अवधि के दौरान *** कर दिया गया। हालांकि, जांच अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष 2021-22 की तुलना में ***% अधिक थी।

ज. बढ़े हुए आयात और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध :

292. कोरिया-डेयरी¹⁵ पर डब्ल्यूटीओ पैनल ने "कारण" निर्धारित करने के लिए बुनियादी दृष्टिकोण इस प्रकार निर्धारित किया:

"अपने कारणात्मक संबंध मूल्यांकन में, हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण को विश्लेषण करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि उद्योग में विकास, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गंभीर क्षति प्रदर्शित करने वाला माना जाता है, क्या बढ़े हुए आयातों के कारण हुआ है। अपने कारण संबंध मूल्यांकन में, राष्ट्रीय प्राधिकरण उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक प्रकृति के सभी प्रासंगिक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण ने बढ़े हुए आयातों के अलावा अन्य कारकों की पहचान की है, जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कारकों के कारण होने वाली किसी भी क्षति को बढ़े हुए आयातों के कारण नहीं माना जाता है। कारण संबंध स्थापित करने के लिए, कोरिया को यह

प्रदर्शित करना होगा कि उसके घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति बढ़े हुए आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना होगा कि एसएमपीपी के आयात से दूध पाउडर और कच्चा दूध बनाने वाले घरेलू उद्योग को क्षति होती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, कोरियाई प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह बढ़े हुए आयातों को अन्य कारकों के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार न ठहराए। "

293. क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान आयात मात्रा में वृद्धि हुई, जबकि आयात कीमतों में गिरावट आई। आयात की एक महत्वपूर्ण मात्रा ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।
294. एचआर काँइल्स और शीट्स: जांच अवधि के दौरान, एचआर काँइल्स और शीट्स के सभी आयातों का भारित औसत मूल्य *** रुपये प्रति टन था। *** रुपये प्रति टन के घरेलू विक्रय मूल्य की तुलना में, समग्र आधार पर मूल्य कटौती ***% थी।
295. आयातों की भारित औसत आयात कीमतें 2021-22 के दौरान *** पीएमटी से घटकर जांच अवधि के दौरान *** पीएमटी हो गईं। इसी अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमतें *** पीएमटी से घटकर *** पीएमटी हो गईं। घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करने वाले आयातों की मात्रा 2021-22 के दौरान सिर्फ ***% थी। बाद की अवधि के दौरान यह बढ़कर ***%, ***% और ***% हो गई। जांच अवधि के दौरान, *** एमएमटी के कुल आयात में से ***% से अधिक आयात (*** एमएमटी) ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया। जांच अवधि के दौरान कटौती का प्रतिशत ***% था।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
आयात मात्रा					
कुल आयात मात्रा	'000 मी.ट.	995	1,926	3,081	3,973
कटौती आयात मात्रा	'000 मी.ट.	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
	प्रवृत्ति	100	285	595	809
कटौती मात्रा %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	149	192	203
आयात मूल्य					
कटौती मात्रा की कीमत	रु.करोड़ में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	253	548	721
कटौती मात्रा का आयात मूल्य	भा.रु. / मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	89	92	89
घरेलू विक्रय मूल्य	भा.रु. / मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	92	87	84
मूल्य कटौती	भा.रु. / मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	110	54	48
मूल्य कटौती %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	120	60	53

296. एचआर प्लेट मिल प्लेट्स: सभी आयातों को मिलाकर, कोई मूल्य कटौती नहीं हुई। हालांकि, जांच अवधि के दौरान *** एमएमटी की कुल आयात मात्रा में से, ***% से अधिक अर्थात् एचआर प्लेट मिल प्लेट्स के *** एमएमटी ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ***% की कटौती की, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
आयात मात्रा					
कुल आयात मात्रा	'000 मी.ट.	302	312	619	892
कटौती आयात मात्रा	'000 मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	62	671	682

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कटौती मात्रा %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	60	327	227
आयात मूल्य					
कटौती मात्रा की कीमत	रु.करोड़ में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	59	663	669
कटौती मात्रा का आयात मूल्य	भा.रु. / मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	94	99	99
घरेलू विक्रय मूल्य	भा.रु. / मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	101	98	94
मूल्य कटौती	भा.रु. / मी.ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	161	89	52
मूल्य कटौती %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	175	92	50

297. सीआर कॉइल और शीट: सभी आयातों को मिलाकर, कोई कीमत कटौती नहीं हुई थी। जांच की अवधि के दौरान *** एमएमटी के कुल आयातों में से, *** एमएमटी (जो *** % होता है) आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों में *** % तक की कटौती हुई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
कुल आयात मात्रा	'000 मी टन	473	578	515	541
आयातों की मात्रा में कटौती	'000 मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	39	62	77

कटौती की मात्रा का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	32	56	66
आयात कीमत					
कटौती की गई मात्रा का मूल्य	करोड़ रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	36	54	66
कटौती की गई मात्रा की आयात कीमत	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	92	86	86
घरेलू बिक्री कीमत	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	93	86	84
कीमत कटौती	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	101	82	75
कीमत कटौती का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	106	94	88

298. मेटेलिक कोटेड स्टील: सभी आयातों को मिलाकर, कोई कीमत कटौती नहीं हुई थी। जांच की अवधि के दौरान *** एमएमटी के कुल आयातों में से, *** एमएमटी (जो *** % होता है) में घरेलू उद्योग की कीमतों में *** % तक की कटौती हुई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
कुल आयात मात्रा	'000 मी टन	381	518	762	803
आयातों की मात्रा में कटौती	'000 मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	69	170	143

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कटौती की मात्रा का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	50	84	67
आयात कीमत					
कटौती की गई मात्रा का मूल्य	करोड़ रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	62	154	126
कटौती की गई मात्रा की आयात कीमत	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	89	91	88
घरेलू बिक्री कीमत	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	89	86	82
कीमत कटौती	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	89	62	55
कीमत कटौती का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	68	64

299. कलर कोटेड स्टील: सभी आयातों को मिलाकर, कोई कीमत कटौती नहीं हुई थी। जांच की अवधि के दौरान 0.404 एमएमटी के कुल आयातों में से, *** एमएमटी (जो *** % होता है) में घरेलू उद्योग की कीमतों में *** % तक की कटौती हुई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
कुल आयात मात्रा	'000 मी टन	142	190	366	404
आयातों की मात्रा में कटौती	'000 मी टन	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	100	157	400	439
कटौती की मात्रा का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	116	155	153
आयात कीमत					
कटौती की गई मात्रा का मूल्य	करोड़ रु. में	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	151	368	390
कटौती की गई मात्रा की आयात कीमत	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	97	93	89
घरेलू बिक्री कीमत	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	94	90	87
कीमत कटौती	रुपए / मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	87	85	80
कीमत कटौती का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	90	90	90

300. समग्र पीयूसी के लिए, आयातों की कुल मात्रा और उसकी कटौती की मात्रा को नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
कुल आयात मात्रा	'000 मी टन	2,293	3,524	5,344	6,612
आयातों की मात्रा में कटौती	'000 मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	146	335	414
कटौती की मात्रा का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	95	143	143

301. घरेलू बिक्री कीमतों की कटौती वाले आयातों की मात्रा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान कुल आयातों की *** % थी। इसमें वर्ष 2023-24 और जांच की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि होकर यह *** % हो गई है। घरेलू बिक्री कीमतों की कटौती वाले आयातों की एक बड़ी मात्रा आने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने और कम कीमतों के आयातों में और वृद्धि होने को रोकने के लिए अपनी कीमतों में काफी कमी करनी पड़ी।

क. कीमत दबाव :

302. एचआर कॉइल और शीट के लिए घरेलू बिक्री कीमत ("डीएसपी") में वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान *** % तक की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान, एचआर प्लेट मिल प्लेट्स की घरेलू बिक्री कीमत (डीएसपी) में *** %, सीआर कॉइल और शीट में *** %, मेटालिक कोटेड स्टील में *** % और कलर कोटेड स्टील में *** % तक की गिरावट आई है। क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान हर वर्ष पांच श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए डीएसपी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम रही, सिवाय एक उदाहरण के, जब एचआर प्लेट मिल्स प्लेट की डीएसपी में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान केवल *** % तक की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, कीमत दबाव महत्वपूर्ण था और यह पूरी क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान मौजूद था।

(रुपए प्रति मी टन)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
वास्तविक				
एचआर कॉइल और शीट	***	***	***	***
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	***	***	***	***
सीआर कॉइल और शीट	***	***	***	***
मेटालिक कोटेड स्टील	***	***	***	***
कलर कोटेड स्टील	***	***	***	***
प्रवृत्ति				
एचआर कॉइल और शीट	100	92	87	84
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	100	101	98	94
सीआर कॉइल और शीट	100	93	86	84
मेटालिक कोटेड स्टील	100	89	86	82
कलर कोटेड स्टील	100	94	90	87

ख. कीमत कमी :

303. एचआर काँडल और शीट: क्षति विश्लेषण की अवधि के लिए, घरेलू बिक्री कीमतों में रुपए *** पीएमटी तक की गिरावट आई है और बिक्री की लागत में रुपए *** पीएमटी की तक वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप रुपए *** पीएमटी तक की संचयी कीमत में कमी हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	जांच की अवधि	संचयी परिवर्तन
निवल बिक्री वसूली	रुपए / मी टन	***	***	***	***	
	प्रवृत्ति	100	92	87	84	
कीमत में वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		(***)	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति		100	55	41	
बिक्रियों की लागत	रुपए / मी टन	***	***	***	***	
	प्रवृत्ति	100	117	106	104	
बिक्रियों की लागत वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति		100	-67	-7	
कीमत कमी	रुपए / मी टन		***	(***)	***	***
	प्रवृत्ति		100	-19	12	

304. एचआर प्लेट मिल प्लेट्स: क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान, घरेलू बिक्री कीमतों में रुपये *** पीएमटी तक की गिरावट आई है और बिक्री की लागत में रुपये *** पीएमटी तक की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये *** पीएमटी तक की संचयी कीमत में कमी हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	जांच की अवधि	संचयी परिवर्तन
निवल बिक्री वसूली	रुपए / मी टन	***	***	***	***	
	प्रवृत्ति	100	101	98	94	
कीमत में वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति		100	-213	-312	
बिक्रियों की लागत	रुपए / मी टन	***	***	***	***	
	प्रवृत्ति	100	120	110	104	
बिक्रियों की लागत वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति		100	-51	-29	
कीमत कमी	रुपए / मी टन		***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति		100	-34	-1	

305. सीआर कॉइल और शीट: क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान, घरेलू बिक्री कीमतों में रुपये *** पीएमटी की गिरावट आई है और बिक्री की लागत में रुपये *** पीएमटी तक की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये *** पीएमटी तक की संचयी कीमत में कमी हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	जांच की अवधि	संचयी परिवर्तन
निवल बिक्री वसूली	रुपए / मी टन	***	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	100	93	86	84	
कीमत में वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		(***)	(***)	(***)	
	प्रवृत्ति		100	111	24	
बिक्रियों की लागत	रुपए / मी टन	***	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	जांच की अवधि	संचयी परिवर्तन
	प्रवृत्ति	100	118	105	104	
बिक्रियों की लागत वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		***	(***)	(***)	***
	प्रवृत्ति		100	-72	-4	
कीमत कमी	रुपए / मी टन		***	(***)	***	***
	प्रवृत्ति		100	-12	5	

306. मेटेलिक कोटेड स्टील: क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान, घरेलू बिक्री कीमतों में *** रुपये प्रति टन की गिरावट आई है और बिक्री की लागत में *** रुपये प्रति टन तक की गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप *** रुपये प्रति टन तक की संचयी कीमत में कमी हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	जांच की अवधि	संचयी परिवर्तन
निवल बिक्री वसूली	रुपए / मी टन	***	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	100	89	86	82	
कीमत में वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		(***)	(***)	(***)	
	प्रवृत्ति		100	31	32	
बिक्रियों की लागत	रुपए / मी टन	***	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	100	111	100	96	
बिक्रियों की लागत वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		***	(***)	(***)	-2,889
	प्रवृत्ति		100	-104	-34	
कीमत कमी	रुपए / मी टन		***	(***)	***	***
	प्रवृत्ति		100	-31	2	

307. कलर कोटेड स्टील : क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान, घरेलू बिक्री कीमतों में *** रुपये प्रति टन तक की गिरावट आई है और बिक्री की लागत में *** रुपये प्रति टन की गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप *** रुपये प्रति टन तक की संचयी कीमत में कमी हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	यूओएम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	जांच की अवधि	संचयी परिवर्तन
निवल बिक्री वसूली	रुपए / मी टन	***	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	100	94	90	87	
कीमत में वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		(***)	(***)	(***)	
	प्रवृत्ति		100	58	63	
बिक्रियों की लागत	रुपए / मी टन	***	***	***	***	(***)
	प्रवृत्ति	100	105	97	94	
बिक्रियों की लागत वृद्धि / (कमी)	रुपए / मी टन		***	(***)	(***)	(***)
	प्रवृत्ति		100	-158	-51	
कीमत कमी	रुपए / मी टन		***	(***)	***	***
	प्रवृत्ति		100	-37	13	

308. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, आयातों में वृद्धि होने के कारण महत्वपूर्ण कीमत दबाव और कीमत कमी हुई है। तथ्य यह है कि आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा घरेलू बिक्री कीमतों को कटौती कर रही थी, जो आयातों में वृद्धि और कीमत दबाव और कीमत कमी के बीच कारणात्मक संबंध को स्थापित करता है। इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग को निकट भविष्य में महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना है।

309. घरेलू उद्योग के लिए जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि और गंभीर क्षति होने के कारण और प्रभाव संबंध को निर्धारित करने तथा भविष्य में गंभीर क्षति की आशंका के संबंध में निम्नलिखित कारक भी प्रासंगिक हैं :
- क). घरेलू उत्पादन के संबंध में और भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग के संबंध में आयातों में निरपेक्ष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ख). आयातों में वृद्धि हाल ही में, अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण थी।
- ग). आयातों का बाजार अंश वर्ष 2021-22 के दौरान *** % से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान *** % हो गया है। इसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के बाजार अंश में *** % तक की गिरावट आई है।
- घ). क्षति विश्लेषण की अवधि के दौरान क्षमता और वास्तविक उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन की मात्रा में *** एमएमटी (***) तक की गिरावट आई है।
- ङ). घरेलू उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता में जांच की अवधि के दौरान *** एमएमटी तक की वृद्धि हुई है, जो क्षमता का *** % है।
- च). औसत वस्तुसूची स्तर में निरपेक्ष रूप से और उत्पादन या बिक्री के दिनों की संख्या, दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- छ). घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। आधार वर्ष 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान निरपेक्ष रूप से पीबीटी में *** % तक की गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान प्रति मीट्रिक टन पीबीटी में *** % तक की गिरावट आई है। पीबीआईटी और नकदी लाभ में भी परिणामी गिरावट देखने में आई।
- ज). वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें मामूली वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि के दौरान पुनः गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की अनिश्चित वित्तीय स्थिति है।
- झ). वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में *** % तक की वृद्धि हुई है और यह *** तक पहुंच गई है। चूंकि घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 के दौरान काफी हानि का सामना करना पड़ा है, अतः लागत कम करने के उपायों में से एक उपाय के रूप में, वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों की संख्या को कम करके *** कर दिया गया और जांच अवधि के दौरान इसे और कम करके *** कर दिया गया।

310. संक्षेप में, ऊपर दर्शाए गए मापदंडों का व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है और भविष्य में भी विचाराधीन उत्पाद के आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि और निरंतर वृद्धि जारी रहने के कारण क्षति के जारी रहने की संभावना है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के कारणों का निर्धारण करने पर प्रभाव डालने वाले उद्देश्यपरक और मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया है।

ट. गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण

311. नियमों के अनुलग्नक के अनुसार, प्राधिकरण को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या बढ़े हुए आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का कारण थे। अतः गैर-एट्रिब्यूशन मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों की जांच की गई थी। इसके अलावा, यह जांच की गई थी कि क्या बढ़े हुए आयात के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को नुकसान का कारण थे। हालांकि ऐसा कोई निर्धारित अन्य कारक नहीं है जिसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो, फिर भी यह जांच की गई कि क्या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, विनियामक प्रतिबंध और मांग में कमी जैसे कारक घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने के प्रमुख कारण थे।

प्रौद्योगिकी में बदलाव

312. प्राधिकरण नोट करता है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों के कारण नहीं है।

नियामक प्रतिबंध

313. प्राधिकरण नोट करता है कि कोई नियामक प्रतिबंध नहीं हैं। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति विनियामक प्रतिबंधों के कारण नहीं है।

मांग में संकुचन

314. जैसा कि ऊपर देखा गया है, समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ रही है। अतः मांग में कमी के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति नहीं है।

उपभोग का पैटर्न

315. खपत के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अतः खपत पद्धति में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की शर्तें

316. जांच से पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की स्थितियां बदल गई हैं। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं के कारण नहीं है।

घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन।

317. चोट विश्लेषण केवल घरेलू प्रदर्शन और विचाराधीन उत्पाद तक ही सीमित है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन नहीं है।

ठ. गंभीर क्षति का खतरा

318. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि गंभीर चोट लगने के अलावा, हाल ही में, अचानक, तेज और आयात में उल्लेखनीय वृद्धि से गंभीर चोट का खतरा है। प्राधिकरण ने चोट के खतरे के संदर्भ में निम्नलिखित पहलुओं की जांच की है -

अतिरिक्त क्षमता

319. जैसा कि ऊपर जांच की गई है, 'इस्पात निर्माण क्षमता में नवीनतम विकास' पर¹⁷ ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक इस्पात निर्माण क्षमता वर्ष 2022 में 32.1 एमएमटी बढ़कर 2459.1 एमएमटी हो गई, जो इतिहास में उच्चतम वैश्विक क्षमता आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक क्षमता और कच्चे इस्पात के उत्पादन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। निष्क्रिय क्षमता बढ़कर 2022 में 627.7 एमएमटी हो गई, जो 2021 में 512.6 एमएमटी थी। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने ऊपर यह भी जांच की है और

¹⁷ ओईसीडी रिपोर्ट दिनांक 18 जनवरी 2024

नोट किया है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसी बड़ी इस्पात उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में इस्पात निर्माण क्षमताओं में हाल की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। दक्षिण कोरिया और जापान के मामले में खपत से अधिक क्षमता का प्रतिशत वर्ष 2023 में क्रमशः 101% और 49% था। वैश्विक अतिरिक्त इस्पात निर्माण क्षमता से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा है।

वैश्विक स्तर पर व्यापार उपाय कार्रवाई

320. जैसा कि ऊपर जांच की गई है, अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस्पात उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद कई देशों ने विभिन्न इस्पात उत्पादों पर व्यापार उपाय लागू किए हैं। जीसीसी, यूरोपीय संघ, मोरक्को, कनाडा और यूके जैसे देशों ने इस्पात उत्पादों पर सुरक्षा उपाय लागू किए थे। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीओ के कई सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में इस्पात उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी अथवा प्रतिकारी शुल्क लगाए। ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस्पात उत्पादों के विरुद्ध यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा 129 व्यापार उपाय अपनाए गए थे। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि 10 फरवरी 2025 को, यूएसए ने घोषणा की है कि वह 12 मार्च 2025 से सभी स्रोतों से यूएसए में सभी आयातों पर समान रूप से इस्पात उत्पादों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू करेगा, यदि कोई हो, तो विभिन्न देशों को दी गई छूट और छूट, यदि कोई हो, को रद्द कर देगा। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप उन देशों से अधिक आयात बढ़ने की संभावना है और भारत बढ़े हुए आयात के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि विभिन्न देशों द्वारा इस्पात उत्पादों के विरुद्ध किए गए व्यापार उपायों और अन्य सुरक्षात्मक उपायों की लहर से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा है।

प्रमुख उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण

321. जैसा कि ऊपर जांच की गई है, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसी बड़ी इस्पात उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में उच्च इस्पात उत्पादन क्षमता है, जो उनकी घरेलू खपत से कहीं अधिक है। अतिरिक्त क्षमता के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं में इस्पात उत्पादकों के निर्यात बाजारों की ओर रुख करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा हो सकता है।

आयात तीव्रता में वृद्धि और कीमतों में कमी

322. जैसा कि इन निष्कर्षों के पिछले पैराग्राफों में किए गए डेटा विश्लेषण में प्रकाश डाला गया है, मात्रा के साथ-साथ उनके मूल्य दमन और अवसाद प्रभाव दोनों के संदर्भ में आयात की तीव्रता में वृद्धि हुई है। जब इन प्रवृत्तियों को एक्सट्रपलेशन किया जाता है तो घरेलू उद्योग को चोट लगने का एक आसन्न और निकट अवधि का गंभीर खतरा होता है।

ड. महत्वपूर्ण परिस्थितियां :

323. घरेलू उद्योग ने यह कहते हुए अनंतिम सुरक्षा उपायों को तत्काल रूप से लागू करने की याचना की है कि उनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण कमी आने के कारण गंभीर परिस्थितियां मौजूद हैं, जैसा कि उनके क्षति मापदंडों और आयातों में वृद्धि से पता चलता है।
324. उक्त नियमावली के नियम 9 के तहत प्राधिकारी को जांच आयोजित करने के साथ ही शीघ्रता से आगे बढ़ने और गंभीर परिस्थितियों में, "गंभीर क्षति" या 'गंभीर क्षति की आशंका' होने के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्ष दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, "गंभीर परिस्थितियों से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है, जिनमें इस बात के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि आयात ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में हुए हैं जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा इसके होने की आशंका है और अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने में विलंब होने से घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी।
325. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में हुए हैं कि इससे घरेलू उद्योग को पहले ही गंभीर क्षति हो चुकी है और आगे भी होने की आशंका है। नीचे गंभीर परिस्थितियां मौजूद होने का मूल्यांकन किया गया है।

326. विगत वर्षों की इसी अवधि की तुलना में जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों की ऐसी मात्रा, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है, में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण काफी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
कुल आयात मात्रा	'000 मी टन	2,293	3,524	5,344	6,612
आयातों की मात्रा में कटौती	'000 मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	146	335	414
कटौती की मात्रा का %	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	95	143	143

327. विचाराधीन उत्पाद के आयातों की बढ़ती मात्रा के फलस्वरूप, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है, उसे कीमत दबाव का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसे बिक्रियों को बनाए रखने के लिए कीमतें कम करनी पड़ीं थी।

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
प्रवृत्ति				
एचआर कॉइल और शीट	100	92	87	84
एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	100	101	98	94
सीआर कॉइल और शीट	100	93	86	84
मेटालिक कोटेड स्टील	100	89	86	82
कलर कोटेड स्टील	100	94	90	87

328. इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को कम कर दिया था, समूची क्षति अवधि के दौरान आयातों के बाजार अंश में वृद्धि जारी रही, जबकि घरेलू उद्योग के अंश में गिरावट आई।

विवरण	इकाई	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	जांच की अवधि
निम्नलिखित के सापेक्ष आयात					
... मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	134	180	208
... उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	142	196	247
घरेलू उद्योग का बाजार अंश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	106	102	95

329. विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते और निरंतर आयातों के चलते, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली में तेजी से गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप, आयातों में वृद्धि होने से कीमत दबाव आने के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है, जिसने पर्याप्त बाजार अंश प्राप्त कर लिया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
प्रवृत्ति					
कर पूर्व लाभ	सूचीबद्ध	100	6	27	18
ब्याज और कर पूर्व लाभ	सूचीबद्ध	100	21	38	31
नकदी लाभ	सूचीबद्ध	100	16	35	29

330. अतः यह स्पष्ट है कि अनंतिम रक्षोपाय उपायों को लागू करने में किसी भी तरह का विलंब होने से घरेलू उद्योग को और भी क्षति होगी, जो संभावित रूप से बंद होने वाली क्षमताओं के साथ-साथ क्षमता में वृद्धि के लिए भविष्य में नियोजित निवेशों को बंद करने के मामले में भी अपूरणीय हो सकती है। तदनुसार, यह पाया गया है कि रक्षोपाय उपायों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता वाली महत्वपूर्ण परिस्थितियां मौजूद हैं।

ढ. सार्वजनिक हित :

331. भारत एक विकासशील देश है जिसकी विकास नीति के उद्देश्यों में जीवन स्तर को ऊपर उठाना, पूर्ण रोजगार और वास्तविक आय तथा प्रभावी मांग की बढ़ी और लगातार बढ़ती मात्रा सुनिश्चित करना है।
332. एक जीवंत इस्पात उद्योग ऐतिहासिक रूप से किसी राष्ट्र के तीव्र औद्योगिक विकास की बुनियाद रहा है। तीव्र औद्योगिक विकास होने के कारण, विनियमन से पूर्व वित्त वर्ष 1991-92 में 22 मीट्रिक टन की छोटी क्षमता से, भारत वित्त वर्ष 2015-16 में 90 मीट्रिक टन के उत्पादन और 122 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया। वर्ष 2017 तक, भारतीय इस्पात उद्योग ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 2% का योगदान दिया और इससे करीब 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला।
333. इस प्रकार, भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति ("एनएसपी") 2017 में घोषित की गई थी ताकि यह उद्योग अपनी पूरी क्षमता को हासिल करते हुए, उच्च श्रेणी के मूल्य वर्धित इस्पात पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस्पात उत्पादन को बढ़ा सके और साथ ही बुइसे नियादी ढांचे, ऑटोमोबाइल और आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। एनएसपी में 2030 तक 300 मीट्रिक टन इस्पात निर्माण क्षमता हासिल करने की आकांक्षा रखी गई है, जो 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश में परिवर्तित हो जाएगी। एनएसपी का लक्ष्य प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को करीब 60 किलोग्राम के स्तर से बढ़ाकर 2030 तक 160 किलोग्राम के स्तर तक पहुंचाना है।
334. विशेष रूप से, राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि इस्पात की वैश्विक कीमतों में वर्ष 2011 के बाद से गिरावट की शुरुआत हुई, जिसके चलते मांग और आपूर्ति के बीच महत्वपूर्ण संरचनात्मक विषमता उत्पन्न हुई, जिससे बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां प्रभावित हुईं और आयातों में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप कम कीमत निर्धारण की स्थितियां, कम लाभप्रदता, कम क्षमता उपयोग और यहां तक कि कुछ मामलों में क्षमताएं बंद हो गईं।

335. अतः भारत की एनएसपी में यह उल्लेख किया गया है कि उद्योग के लिए समुचित नीतिगत समर्थन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस्पात का उत्पादन खपत में वृद्धि की अनुमानित गति से मेल खाता हो।
336. उपरोक्त को देखते हुए, जब आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिससे घरेलू इस्पात उत्पादकों को गंभीर क्षति होने की आशंका होती है, तो घरेलू उत्पादकों को क्षतिकारक आयातों से बचाने के लिए कानून के अनुसार व्यापार उपचार उपायों को लागू करना सार्वजनिक हित में होगा। वास्तव में, यदि आयातों में वृद्धि होने से घरेलू इस्पात उद्योग को गंभीर क्षति होती है और इस वृद्धि को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो उपरोक्त नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
337. आयातों में वृद्धि होने के कारण गंभीर क्षति का सामना कर रहे घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए जनहित में धारा 8ख लागू की गई है। कानून में ऐसे उत्पादकों को सुरक्षा देने की परिकल्पना की गई है, ताकि वे आयातों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने व्यवसाय को समायोजित कर सकें। यह सीमित अवधि के लिए एक अस्थायी उपाय है। जब तक घरेलू उद्योग के हितों के संरक्षण के लिए अनंतिम शुल्क नहीं लगाए जाते, तब तक उन्हें क्षति का सामना करना पड़ता रहेगा, जिसकी क्षतिपूर्ति करना कठिन हो सकता है, जैसा कि महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जांच करते समय ऊपर निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर, उपयोगकर्ता अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करके विचाराधीन उत्पाद के आयातों को जारी रख पाएंगे और इसे वापस भी किया जा सकता है यदि वर्तमान जांच के निष्कर्ष पर, यह अंततः निर्धारित किया जाता है कि निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क उचित नहीं है।
338. उपरोक्त पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस स्तर पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा।

ण. निष्कर्ष और सिफारिश :

339. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का प्राथमिक रूप से यह निष्कर्ष है कि :

- i. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में हाल ही में, अचानक, तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग/ उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और होने की आशंका है।
- ii. ऐसी गंभीर परिस्थितियां मौजूद हैं, जहां अनंतिम रक्षोपाय उपायों के लिए आवेदन में किसी भी विलंब से ऐसी क्षति होगी, जिसकी भर पाना कठिन होगा।
- iii. अनंतिम सुरक्षा उपायों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है।

त. अनंतिम शुल्क दर और अवधि :

340. उपर्युक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, प्राधिकरण ने अनंतिम रूप से लागू किए जाने वाले उपयुक्त उपाय पर विचार किया। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि इसका उद्देश्य आयात में वृद्धि के खिलाफ विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय घरेलू बाजार की रक्षा करना है। जैसा कि पहले कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए सुरक्षात्मक उपायों के कारण व्यापार डायवर्जन आयात में वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोपीय संघ के देशों में व्यापार डायवर्जन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, यूरोपीय संघ ने 2018 में ही 25% सुरक्षा शुल्क लगाया था। हालांकि यूरोपीय संघ ने एक टीआरक्यू पेश किया, उपरोक्त कोटा आयात 25% सुरक्षा शुल्क के अधीन हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कोटा टैरिफ स्तर से ऊपर यूरोपीय संघ द्वारा छह साल के बाद भी उदार नहीं किया गया है। यूरोपीय संघ के अलावा, कनाडा, यूके (ब्रेक्सिट के बाद) और मोरक्को ने भी 25% का सुरक्षा शुल्क लगाया संयुक्त राज्य अमेरिका से व्यापार विचलन के साथ-साथ अन्य देशों से किसी भी संभावित विचलन का मुकाबला करने के लिए, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने देशों में व्यापार विचलन का मुकाबला करने के लिए आयात बाधाएं लगाई हैं, भारत द्वारा कोई भी सुरक्षात्मक उपाय व्यापार विचलन को रोकने के लिए पर्याप्त स्तर पर होगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने गंभीर क्षति के खतरे पर भी विचार किया है, जिसे इस प्रारंभिक जांच के उपयुक्त पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि में आवेदक उद्योग को हो रही क्षति की सीमा और इसकी तीव्र गिरावट पर भी विचार किया है। प्राधिकरण को अन्य इच्छुक पक्षों की चिंताएं भी प्राप्त हुई हैं जो पीयूसी का उपयोग करते हैं। विविध अनुप्रयोगों में पीयूसी के व्यापक उपयोग को देखते हुए, प्राधिकरण उन शुल्कों के प्रभावों के प्रति सचेत है जो उपभोक्ता हितों पर पड़ सकते हैं। इसके मद्देनजर, प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग

को होने वाली गंभीर क्षति और उसके खतरे को खत्म करने के लिए 12% का अनंतिम सुरक्षा शुल्क उपयुक्त होगा।

341. इसलिए, प्राधिकरण विचाराधीन उत्पाद के आयात पर अंतिम निर्धारण होने तक 200 दिनों के लिए यथामूल्य 12% (बारह प्रतिशत) की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, अर्थात:

वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "गैर-मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील फ्लैट उत्पाद", ("पीयूसी") है, अर्थात् (ए) हॉट रोल्ड ("एचआर") कॉइल, शीट और प्लेटें, (बी) एचआर प्लेट मिल प्लेट्स ("पीएमपी"), (सी) कोल्ड रोल्ड ("सीआर") कॉइल और शीट, (डी) धातु लेपित स्टील कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैंगनीशियम ("लेपित") के साथ लेपित, और (ई) रंग लेपित कॉइल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं ("सीसी")। पीयूसी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के तहत टैरिफ शीर्षक 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत वर्गीकृत है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं:

- क). कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएण्टेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ)
- ख). कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएण्टेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरएनओ) कॉइल एंड शीट्स
- ग). कोटिड - इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील
- घ). टिनप्लेट्स
- ङ). स्टेनलेस स्टील
- च). निकेल कोटिड/निकेल प्लेटिड कोल्ड रोल्ड स्टील;
- छ). रबर कोटिड स्टील;
- ज). इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजी) - जिंक निकेल कोटिड स्टील;
- झ). बाई-मेटल स्टील / बाई-मेटल सैंडविच स्टील;
- ञ). ब्रास कोटिड स्टील वायर (वायर लंबे स्टील उत्पादों का हिस्सा है, जो जांच शुरुआत के नोटिस में शामिल ही नहीं हैं);
- ट). क्रोटोनाइट;
- ठ). इनकोनेल;

- ड). स्टेनलेस स्टील मर्दे (जो जांच शुरुआत के नोटिस में शामिल ही नहीं हैं);
- ढ). अल्युमिनियम कोटीड स्टील;
- ण). अल्युमिनियम सिलिकॉन कोटेड/हॉट डिप्ड अल्युमिनाइज्ड सिलिकॉन कोटीड स्टील;
- त). हॉट रोल्ड क्लैड स्टील प्लेट;
- थ). निकल प्लेटेड स्टील / निकल प्लेटेड स्ट्रिप;
- द). कॉपर प्लेटेड स्टील;
- ध). लैमिनेटिड इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड (ईजीआई);
- न). कोबाल्ट प्लेटिड स्टील;
- न). सिल्वर प्लेटिड स्टील;
- प). टाइटेनियम क्लैड प्लेट्स;

342. प्राधिकरण नोट करता है कि पीयूसी प्रकार विविध हैं और घरेलू उद्योग को नुकसान का प्राथमिक कारण कम कीमत वाले उत्पादों के साथ उत्पाद प्रकारों के आयात से उपजा है। वर्तमान चोट, क्षति के खतरे और उचित बिक्री मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण सिफारिश करता है कि ऊपर अनुशंसित रक्षोपाय शुल्क नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में तदनुसारी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पाद श्रेणियों पर नहीं लगाया जाएगा, जब भारत में आयात किया जाता है, कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि में यथा उल्लिखित सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य पर या उससे अधिक, कॉलम (5) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मुद्रा में और उक्त तालिका के कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार, अर्थात्:

क्र.सं. (1)	उत्पाद श्रेणी (2)	सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य (3)	इकाई (4)	मुद्रा (5)
1.	हॉट रोल्ड कॉइल, शीट और प्लेटें,	675	मी टन	यूएसडी
2.	एचआर प्लेट मिल प्लेट्स	695	मी टन	यूएसडी
3.	कोल्ड रोल्ड कॉइल और शीट	824	मी टन	यूएसडी

क्र.सं. (1)	उत्पाद श्रेणी (2)	सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य (3)	इकाई (4)	मुद्रा (5)
4.	धातु लेपित स्टील काँड़ल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं, गैल्वेनियल सहित, जिंक या एल्यूमीनियम-जस्ता या जिंक-एल्यूमीनियम-मैंगनीशियम के साथ लेपित	861	मी टन	यूएसडी
5.	रंग लेपित काँड़ल और शीट, चाहे प्रोफाइल किए गए हों या नहीं	964	मी टन	यूएसडी

थ. विकासशील राष्ट्र :

343. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(2) के परंतुक में यह प्रावधान है कि रक्षोपाय शुल्क "किसी विकासशील देश से आने वाले किसी उत्पाद पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस देश से उस उत्पाद के आयातों का हिस्सा तीन प्रतिशत से अधिक न हो अथवा जहां वह उत्पाद एक से अधिक विकासशील देशों से आ रहा है, तो जब तक कि तीन प्रतिशत से कम आयात हिस्सेदारी वाले ऐसे प्रत्येक विकासशील देश से आयात का कुल योग भारत में उस उत्पाद के कुल आयात का नौ प्रतिशत से अधिक न हो"। इसके अलावा, दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. 19/2016-सीमा शुल्क (एनटी), के तहत इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए विकासशील देशों को निर्दिष्ट किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिसूचना सं. 19/2016 में सूचीबद्ध विकासशील देशों में से, चीन जन. गण. राज्य और वियतनाम से अलग अलग रूप से विचाराधीन उत्पाद के आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का 3% से अधिक है, जबकि अन्य सभी विकासशील देशों से अलग अलग रूप से आयात भारत में कुल आयात का 3% से कम है। इसके अलावा, विकासशील देशों (चीन जन. गण. और वियतनाम को छोड़कर) से आयातों का सामूहिक हिस्सा भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का 9% से अधिक नहीं है। अतः, चीन जन. गण. और वियतनाम को छोड़कर विकासशील देशों से उत्पन्न विचाराधीन उत्पाद के आयातों

को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (1) के प्रावधानों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क लगाने से छूट दी जाएगी।

द. आगे की प्रक्रिया :

344. प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित करने के बाद नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

क. प्राधिकरण इन निष्कर्षों के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर सभी इच्छुक पक्षों से प्रारंभिक निष्कर्षों पर टिप्पणियां आमंत्रित करता है, और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे जाने की सीमा तक, अंतिम निष्कर्षों में उन पर विचार किया जाएगा।

ख. अंतिम निर्धारण करने से पहले उचित समय पर मौखिक सुनवाई की जाएगी। मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

ग. प्राधिकरण आवश्यक समझे जाने पर इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का आगे सत्यापन करेगा।

दर्पण जैन, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 18th March, 2025

Case No. SG-01/2024

Subject: Preliminary findings in the Safeguard Investigation concerning imports of “Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products”

F. No. 22/01/2024-DGTR .—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Indian Steel Association (“ISA” or the “Applicant”), on behalf of its Members, namely, *a)* ArcelorMittal Nippon Steel India Limited, *b)* AMNS Khopoli Limited, *c)* JSW Steel Limited, *d)* JSW Steel Coated Products Limited, *e)* Bhushan Power & Steel Limited, *f)* Jindal Steel and Power Limited, and *g)* Steel Authority of India Limited (collectively referred to as “applicant companies”) filed an application before the Director General (hereinafter referred to as the “Authority”, or “DG” or “Director General”) under Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as “the Act”), read with the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Measures) Rules, 1997 (hereinafter referred to as “the Rules”) seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products” (hereinafter referred to as “PUC” or “Product Under Consideration” or “subject goods”) into India.
2. The Applicant alleges that there is a recent, sudden, sharp and significant increase in the volume of imports, which has caused serious injury to the domestic industry in India. The Applicant further alleges that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause and threaten to cause serious injury to the domestic industry. The Applicant seeks imposition of safeguard duties to protect the domestic industry engaged in the production of like articles or directly competitive products from such serious injury and threat thereof being caused by the imports of PUC.
3. The Authority, vide notice dated 19th December 2024, initiated the present safeguard investigation under Rule 5(3) of the Rules after examining the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfied itself that there is sufficient *prima facie* evidence regarding: *a)* recent, sudden, sharp and significant increase in imports, *b)* serious injury and threat of serious injury to the domestic industry, and *c)* a causal link between the increased imports and serious injury and threat thereof.

B. PROCEDURE

4. A brief description of the procedure adopted by the Authority is described below:
 - a. The Authority initiated the current investigation vide initiation notification No. 22/01/2024-DGTR dated 19 December 2024, published in the Gazette of India Extraordinary Part I No. 337 dated 19th December 2024 vide CG-DL-E 202122024-259547

- b. In accordance with Rules 6(2) and 6(4), copies of the initiation notification and the non-confidential version (NCV) of the application were forwarded to the embassies of the exporting countries, the known exporters, importers and users of the subject goods, and the concerned associations.
- c. The interested parties including the embassies of the exporting countries, producers, exporters, importers and users were granted 15 days' time initially to file their responses. Thereafter, the Authority considered the requests of various interested parties and granted an extension of time up to 22nd January, 2025 to file their responses.
- d. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the exporting countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
1. Rizhao
 2. Betai Iron & steel
 3. Baotou Iron and Steel Group
 4. Jiangsu Shagang Group Company Limited
 5. Tonghua Iron Steel Group Corporation
 6. Angang Steel Company
 7. Nanjing Iron and Steel
 8. Tangshang Iron & Steel
 9. Wuhan Iron and Steel
 10. Tianjin Iron & Steel Group Co Ltd
 11. Shanghai Color Steel Co. Ltd
 12. Baosteel Group Corporation
 13. Aosen Steel
 14. Nippon Sumitomo
 15. JFE Steel Corporation
 16. Kobe
 17. Nisshin Steel Co., Ltd.
 18. POSCO
 19. Hyundai Steel Co Ltd
 20. Dongkuk Steel Mill Col Ltd.
 21. Severstal
 22. EVRAZ
 23. Magnitogorsk Iron and Steel
 24. Krakatau Steel
 25. Growth Steel

26. PT. Gunawan Dianjaya Steel, Tbk
27. ArcelorMittal, Ukraine
28. PJSC “Nikopol Ferroalloy Plant”
29. ArcelorMittal Germany Holding GmbH
30. ArcelorMittal Italia
31. Steel Coat Europe Alleur (Arcelor Mittal)
32. ThyssenKrupp Steel Europe AG
33. SSAB
34. Metal Trade Comax
35. Voestalpine AG
36. Huttenwerke Krupp Mannesmann
37. Salzgitter Group

- e. The following parties either registered their interest in the investigation and/or filed submissions in the form of product exclusion requests, questionnaire responses and preliminary comments:

S. N.	Name of Interested Party	S. N.	Name of Interested Party
1.	Embassy of Taiwan	2.	KAD & CO. (AGENCY) PVT. LTD.
3.	Embassy of Korea	4.	Shanker Mercentile Pvt Ltd. SMPL
5.	Embassy of Indonesia	6.	JayaSprings
7.	British High Commission	8.	Welspun Corp Limited
9.	Embassy of Russia	10.	Leomet Alloys
11.	High Commission of Malaysia	12.	DMC AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED
13.	Embassy of Saudi Arabia	14.	Daeseong India Automotice Pvt Ltd.
15.	Embassy of Japan	16.	DAECHANG SEAT AUTOMOTIVE PVT LTD
17.	Ministry of Industry and Trade of VietNam	18.	KSH Automotive private Limited
19.	Embassy of Spain	20.	Jeanuvs Pvt Ltd
21.	Embassy of Turkey	22.	Aarya Trading Pvt Ltd
23.	Embassy of UAE	24.	Fine Components and Tools Pvt Ltd.
25.	Embassy of European Union	26.	Tadpole Engineering Consultancy Pvt Ltd
27.	Embassy of Brazil	28.	Sungwoo Stamping India Pvt Ltd.
29.	Embassy of Mexico	30.	Pyung Hwa India Private Limited PHI
31.	Ministry of Commerce, Thailand	32.	Vestas Wind Technology India Pvt Ltd.
33.	Embassy of Sweden	34.	PENNAR INDUSTRIES LIMITED
35.	Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke	36.	V W IMPEX
37.	Vina One Steel Manufacturing Corporation	38.	VYOMA EXIM PVT LTD
39.	Tay Nam Steel manufacturing and Trading Co., Ltd.	40.	G G STEELS
41.	Nippon Steel Trading Corporation	42.	YSI Automotive Pvt Ltd
43.	Nippon Steel Corporation	44.	SRK International

S. N.	Name of Interested Party	S. N.	Name of Interested Party
45.	JFE Steel Corporation	46.	Gestamp Automotive Chennai Pvt Ltd
47.	Kobe Steel, Ltd	48.	UE PRESS TOOLS PRIVATE LIMITED
49.	Toyota Tsusho Corporation	50.	Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
51.	JFE Shoji Corporation	52.	Satoshoji-India Pvt Ltd
53.	Toyota Tsusho Corporation	54.	SKH M India Pvt.Ltd.
55.	Ministry of Trade, Industry and Energy, Republic of Korea	56.	Krishca Strapping Solutions Limited
57.	JFE Shoji India Pvt. Ltd.	58.	POS-Hyundai Steel Mfg. (I) Pvt Ltd.
59.	Nippon Steel Pipe India Private Limited	60.	TT STEEL SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED
61.	The Rajasthan Prime Steel Processing Center Pvt. Ltd	62.	STEEL & BEARING CORPORATION
63.	Nissan Trading Co., Ltd	64.	Colorshine India Pvt Ltd
65.	Renault Nissan Automotive India Private Limited	66.	CHIRALI ENTERPRISES"
67.	Honda Trading Corporation India Pvt Ltd.	68.	Maruti Suzuki India Ltd
69.	Nippon Steel Trading Corporation	70.	1. PCA AUTOMOBILES INDIA PRIVATE LIMITED 2. GRUPO COSMOS INDIA PRIVATE LIMITED 3. PENNAR INDUSTRIES LIMITED
71.	The Japan Iron and Steel Federation	72.	NRB Bearing Ltd.
73.	GS Global Corp	74.	Karison Profiles Pvt Ltd.
75.	Hyundai Corporation	76.	Sungwoo Hi-tech AP Pvt Ltd.
77.	Hyundai Steel Company	78.	Daechang India Seat Co.Pvt.Ltd
79.	Hyundai Motor India Ltd	80.	Hwashin Automotive India Pvt Ltd.
81.	Hoa Sen Group	82.	JBM OGIHARA AUTOMOTIVE INDIA Pvt Ltd
83.	Samsung C&T Corporation	84.	Tata Motors Group
85.	Hyosung TNC Corporation	86.	Purohit Steel India Ltd
87.	JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO., LTD.	88.	Global Trade Research Initiative
89.	ANGANG STEEL CO., LTD	90.	HL Mando Anand India Pvt Ltd,
91.	BENGANG STEEL PLATES CO., LTD	92.	Mahindra & Mahindra
93.	1. Chengde Chengsteel Vanadium & Titanium Cold Rolling Thin Plate Co., Ltd.”, 2. HBIS COMPANY LIMITED HANDAN BRANCH”, 3. HBIS Laoting Iron and Steel Co., Ltd.” 4. Wuyang Iron And Steel Co., Ltd.”,	94.	Mahindra Defence Systems Limited
95.	JIANGYIN XINGCHENG SPECIAL STEEL WORKS CO., LTD	96.	NLMK India Service Center Private Limited
97.	SHOUGANG QIAN'AN IRON and Shougang Jingtang United	98.	Hella India Automotive Pvt. Ltd.
99.	1. HYUNDAI STEEL COMPANY, Korea RP 2. HYUNDAI STEEL PIPE INDIA Pvt. Ltd. 3. HYUNDAI STEEL ANANTAPUR Pvt. Ltd. 4. HYUNDAI STEEL INDIA Pvt. Ltd.	100	Sansera Engineering Limited,

S. N.	Name of Interested Party	S. N.	Name of Interested Party
101.	Jindal India Pvt	102	Ashok Leyland Defence Systems Ltd
103.	Kia India Private Limited	104	Ashok Leyland Limited
105.	Man Industries India Ltd	106	IBF Automotive Pvt Ltd
107.	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	108	Sincerity Innovation Technology India Pvt Ltd
109.	Welspun Corp Limited	110	Talbros Automotive Components Ltd
111.	Jindal India Ltd	112	Riddhi Siddhi Special Steel Pvt Ltd
113.	Mega Pipes Private Ltd.	114	Hariom Pipe Industries Limited
115.	Ratnamani Metals & Tubes Limited	116	Velmurugan Heavy Engg.Inds.Pvt.Ltd.,
117.	Hyundai Motor India Ltd	118	Federal Mogul TPR India Limited
119.	China Iron & Steel Association	120	Polyhose Sato shoji metal works Pvt ltd
121.	Vietnam Steel Association	122	INDIA METAL ONE STEEL PLATE PROCESSING PVT. LTD
123.	Indian Pipe Manufacturers Association	124	Kirti Pressings Pvt. Ltd.
125.	Steel Users Federation of India (SUFI)	126	JBM Auto Limited
127.	LG Electronics India Pvt. Ltd.	128	FERRUM EXTREME ENGINEERING PVT. LTD.
129.	Metal One Corporation India Private Limited ("MOCIPL")	130	MACHANI RAMESH ENGINEERING PVT LTD
131.	Shivalik Bimetal Controls Limited	132	PHA India Pvt Ltd
133.	Godrej and Boyce Mfg Co Ltd	134	Katsushiro Matex India Pvt. Ltd,
135.	Kirco Steel LLP	136	Tata Steel Downstream Products Limited
137.	Metal One Corporation	138	Taehwa Enterprises (I) Pvt. Ltd.
139.	POSCO Maharashtra Steel Private Limited	140	Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd.
141.	POSCO India Pune Processing Center Private Limited	142	Pushpanjali Drums Private Limited
143.	POSCO India Processing Centre Private Limited	144	K M Seat Company Pvt Ltd.
145.	POSCO	146	RIKUN Manufacturing Private Limited
147.	POSCO STEELEON	148	Kumkang Machinery India Pvt Ltd
149.	Hyundai Corporation	150	Leomet Alloyes
151.	Dongkuk Coated Metal CO. LTD	152	Kwangsung Brake India Pvt Ltd.,
153.	Dongkuk Steel India Private Limited	154	Komos Automotive India Pvt Ltd
155.	Sevarstal	156	Action Construction Equipment Ltd. ACE
157.	Hyosung TNC Corporation	158	L.G.BALAKRISHNAN & BROS.LTD.,
159.	NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY	160	AHMEDABAD STRIPS PW. LTD
161.	NLMK Verona S.p.A	162	Sterling & Wilson Renewables Energy Ltd
163.	NLMK Clabecq S.A	164	M & B Engineering Limited
165.	NLMK Plate Sales S.A.	166	Dali & Samir Engg. pvt. Ltd.,
167.	JFE Shoji Steel Malaysia Sdn Bhd	168	Gestamp Automotive India Pvt . Ltd.
169.	CSC Steel Sdn Bhd	170	Fiat India Automobiles Pvt Ltd
171.	Formosa Ha Tinh Steel Corporation (FHS)	172	CIE Automotive India Ltd.
173.	TVP Steel Trading Joint Stock Company	174	Emitec Technologies India Private Limited
175.	POSCO International Corporation, Korea RP	176	Gartech Equipments Pvt. Ltd

S. N.	Name of Interested Party	S. N.	Name of Interested Party
177.	KG DONGBU STEEL CO.,LTD	178	Gargs Engineers
179.	Mitsui & Co., Ltd	180	Daimler India Commercial Vehicles Pvt. Ltd.
181.	Stainless Steel Merchants' Association	182	Chasys Automotive Components Pvt. Ltd.
183.	Federation of Associations of Maharashtra	184	Tarun International Limited
185.	The Japan Iron and Steel Federation	186	Arcedges Building India LLP
187.	Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA)	188	Veegee Industrial Enterprises Pvt. Ltd.
189.	Indian Pipe Manufacturers Association (IPMA)	190	Maxglobal Techno Systems (P) Limited
191.	Korea Iron and Steel Association(KOSA)	192	Stitch Overseas Private Limited
193.	Federation of Kutch Industries Associations (FOKIA)	194	CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd.
195.	Taiwan Steel & Iron Industries Association (TSIIA)	196	SKH SHEET METALS COMPONENTS PVT. LTD
197.	METAL & STAINLESS STEEL MERCHANTS ASSOCIATION	198	WKM Automotive India Pvt. Ltd.
199.	Construction Federation of India	200	AVIZA TECHNOLOGIES,
201.	LG Electronics India Pvt. Ltd	202	J.R. & CO. complete steel service
203.	MANAKSIA STEELS LTD	204	All India Metal corp
205.	SSMS STEELS INDIA LLP	206	MI ELECTRICAL STEEL PROCESSING INDIA PVT LTD
207.	ARUN AGARWAL (Micro MSME)	208	GEDIA India Automotive Components Pvt Ltd.
209.	Blupine Energy	210	AISIN Automotive Haryana Pvt. Ltd.
211.	Turakhia International Pvt Ltd	212	Samsung India Electronics Private Limited
213.	VINOD COOKWARE INDIA PRIVATE LIMITED	214	POSCO International Corp India Pvt Ltd
215.	Isgec Heavy Engineering Limited	216	Stecol International Private Limited
217.	Isgec Hitachi Zosen Limited	218	Neemrana Steel service center India Private Limited
219.	LARSEN & TOUBRO LTD	220	Kwangjin India Autosystems Pvt Ltd
221.	CU-BUIrT ENGIruEERS PVT. LTD.	222	SL Lumax Ltd
223.	M/s. JAY BHARAT MARUTI LTD and M/s. MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	224	Wooyoung Automotive India Pvt. Ltd.,
225.	NTECK AUTOMOTIVE PVT. LTD.	226	Hyundai Transys Lear Automotive IND Pvt Ltd.
227.	TI Fluid Systems	228	NVH India Auto Parts Private Limited
229.	CSCI Steel Corporation India Pvt. Ltd.	230	HSI Automotives Pvt. Ltd
231.	Sharda Motor Industries Ltd	232	Uno Minda Limited
233.	Sankei Giken India Pvt Ltd	234	GRI Towers India Private Limited
235.	JBM Group	236	Senvion Wind Technologies Pvt Ltd
237.	Exedy India Limited	238	Hyosung Corporation India Ptv. Ltd
239.	Sanoh India Private Limited	240	Komatsu India Pvt Ltd

S. N.	Name of Interested Party	S. N.	Name of Interested Party
241.	SRK Steel	242	TAIIN Steel Fab & Infra Pvt.Ltd.
243.	Schaeffler India Limited	244	Toyota Boshoku device India Pvt. Ltd
245.	DAEBU Automotive seat India Pvt Ltd	246	SSAB SWEDISH STEEL INDIA PRIVATE LIMITED

- f. After initiation of investigation, the Authority obtained DGCIS data for the relevant period and considered the same in this preliminary finding. The injury and other information in respect of DI are based on the company specific data of the petitioners.
- g. The Authority conducted a preliminary verification of the data submitted by the applicant companies. It cross-checked the information provided in the application with the financial records maintained by each applicant company.
- h. Considering that the investigation period should be adequately long and sufficiently recent in time to allow reasonable conclusions to be drawn on the basis of various relevant factors such as domestic market conditions, performance of DI etc., the Authority considers that the period mentioned in the Initiation Notice to be appropriate. Accordingly, the Authority has taken 1st October 2023 to 30th September 2024 as the most recent period or the period of investigation (POI), and FY 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI as injury investigation period or injury analysis period for the purposes of this investigation.
- i. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice No. 10/2018 dated 7 September 2018. The information / submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied as to the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.
- j. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under Rules 7 of Rules.
- k. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- l. The Government of Korea RP and the Government of Japan requested the Authority to hold consultations. The Authority considered their request and held consultations with the representatives of Government of Korea on 24.01.2025 and with the representatives of Government of Japan on 29.01.2025. The issues raised during the consultations have been appropriately addressed in these preliminary findings.

- m. The Authority will further examine the information submitted and arguments raised by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for its conclusions in the time of final findings.
- n. The exchange rate for the POI is 1 US\$=Rs. 83.09.
- o. The applicant, in its application alleged that there are critical circumstances that necessitate the imposition of provisional duties under Rule 10. The Authority has considered the grounds submitted by the applicant, response of the interested parties to the application and based on careful consideration of the material placed on record as explained in sections below issues the current preliminary findings under Rule 9.

C. THE PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 5. Under Rule 4(2) of the Rules, the Authority is required to identify the article liable for safeguard measure. In terms of paragraph 3 of the initiation notice¹ the article under investigation is “**Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products**” (hereinafter referred to as “Product under consideration” or ‘PUC’) comprising of five product categories, namely, (a) Hot Rolled (“HR”) coils, sheets and plates, (b) HR Plate Mill Plates, (c) Cold Rolled (“CR”) coils and sheets, (d) Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium, and (e) Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled. The PUC is classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under tariff heading 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226. The tariff headings are indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
- 6. In terms of paragraph 4 of the initiation notice, the following products are *excluded* from the scope of the PUC:
 - i. Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO)
 - ii. Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) coils and sheets
 - iii. Coated – Electro Galvanized Steel
 - iv. Tinplate
 - v. Stainless steel
- 7. The applicant provided a brief indicative and non-exhaustive description of each category of the PUC, which is reproduced below:
 - a) HR coils, sheets and plates include products that are not further worked than hot-rolled and are flat products of alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having ‘as-rolled’ edge or ‘trimmed’ edge or ‘slit’ edge or ‘milled’ edge or ‘sheared’ edge or ‘laser-cut’ edge or ‘gas-cut’ edge or any other type of edges. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass), slit or non-slit, normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested, oiled or non-oiled etc. These products may be ‘as-rolled’ or ‘thermo-mechanically rolled’ or ‘thermo-mechanically controlled rolled’ or ‘controlled rolled’ or ‘normalized

¹ Initiation Notice No. 22/01/2024-DGTR dated 19 December 2024

rolled' or 'normalized' or subject to any other similar processes. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, recoiling, temper rolling, heat treatment, etc. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar surface treatment processes. The HR coils, sheets and plates may be produced through the hot strip mill (HSM) route or thin slab casting route.

- b) HR Plate Mill Plates are produced through the plate mill route include products that are not further worked than hot-rolled, and are flat products of alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or 'slit' edge or 'milled' edge or 'sheared' edge or 'laser-cut' edge or 'gas-cut' edge or any other type of edges. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass), normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested etc. These products may be 'as-rolled' or 'thermo-mechanically rolled' or 'thermo-mechanically controlled rolled' or 'controlled rolled' or 'normalized rolled' or 'normalized' or subject to any other similar processes. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, heat treatment, etc. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar surface treatment processes.

HR Coil, Sheets, Plates and Plate Mill Plates are conventionally used in automotive, oil and gas line pipes/exploration, cold rolled steel products, wind mills, ship building, pipe manufacturing, general engineering & fabrication, construction, capital goods, process equipment for cement, fertilizer, refineries, earth-moving, boilers, pressure vessels, infrastructure projects and many more end-use applications across various sectors and industries.

- c) CR coils and sheets include cold rolled / cold reduced /flat steel products of iron or non-alloy steel or other alloy steel of all widths and thicknesses. The PUC includes cold rolled / cold reduced flat steel products in coils or not in coils, including slit coils or sheets, blanks whether or not annealed or box annealed or batch annealed or continuously annealed or any other annealing process or full hard or partially hard. These products may be oiled or supplied without oil. These products may conform to various qualities of steel including but not limited to full hard, partially hard, commercial quality, drawing, deep drawing, extra deep drawing, interstitial free steel, high strength low alloy steels, advance high strength steels, ultra-high strength steels, alloy steels, micro-alloyed steel and various other qualities, whether or not vacuum degassed or any other processes. These steels may be produced and supplied with or without skin pass / temper rolling, whether or not aluminium killed / non-ageing quality and whether or not containing micro-alloying elements. These products are used in applications spread across various end-usages including but not limited to the automotive industry, tractors, bicycles, appliances, furniture, electrical panels, packaging, drums, barrels, general engineering, substrate for coating, color coating galvanizing, metal-coating / plating, tin plate, pipe and tube manufacturing, general engineering and many more end-use applications across various sectors and industries.
- d) Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, include Galvanneal, Coated with Zinc, Aluminium-Zinc, or Zinc-Aluminium-Magnesium. Coated steels can be alloy or non-alloy steels, prime or non-prime quality. Coated steels can also be supplied as laminated or without lamination,

lacquered or non-lacquered, skin-passed with a variety of spangles, with coatings of different composition and weight including differential coatings on either side. Coated steels are mainly used for protection against corrosion. Coated steels are used in Roofing application, appliances, renewable energy, automotive, general engineering and many more end use applications.

- e) Colour-coated coils and sheets include coated products that undergo the colour-coating process. These products are either of alloy or non-alloy steel, whether of prime or non-prime quality, coated on one-side or both sides, either in the form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profile. These products are available in various paint qualities and a variety of paint colours, whether or not pre-coated with primer or any other suitable material. These products may either be painted on top surface of the steel sheet or on the bottom surface or on both top and bottom surfaces. This product may be supplied with or without guard film/lamination. These products offer resistance to corrosion along with barrier protection and are, therefore, used in many applications and sectors, including but not limited to construction, roofing, walling, panelling, cladding and decking, automotive, white goods and appliances, furniture, and many more end use applications.
8. The Authority notes that the PUC ‘non-alloy and alloy steel flat products’ comprises of five distinct categories. No interested party has made any comments regarding the single product category. However, several interested parties have made comments on the five categories of products individually. The Authority recognises that the distinct categories of the product are its variants in a production value chain and their holistic examination is compatible with the objective of an effective trade remedy solution for the PUC. Thus the Authority considered it appropriate to examine the product as a whole as well as each of the five categories individually to the extent considered necessary.
9. The Authority received requests from several interested parties for exclusion of certain grades from the scope of the PUC. The Authority observed that some exclusion requests were also included in the questionnaire responses filed by the interested parties. For the purposes of these preliminary findings, the Authority examined the exclusion requests from the various interested parties that were received within the prescribed timeline of on or before 22 January 2025.
10. The applicant filed its comments regarding the exclusion requests filed by various interested parties. The Authority has examined the exclusions requests received from various interested parties and the submissions of the domestic industry. In evaluating the claims and counter-claims regarding exclusion requests, the Authority considered the following legal standard to be appropriate.
11. Agreement on Safeguard does not define the term “product under consideration”. Neither does it “*discipline the choice of the product under investigation, in itself.*”² The Agreement on Safeguard merely states that a safeguard measure may be imposed on imports of products that “*cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products*”. (emphasis supplied).

² Panel Report, *European Union – Safeguard Measures on Certain Steel Products*, [WT/DS595/R](#) and Add.1, adopted 31 May 2022, 7.34.

Notably, the Agreement on Safeguard acknowledges the possibility of imposing safeguard measures on imports of the article under investigation for which there are like or directly competitive products produced by the domestic industry.

12. In the anti-dumping agreement, the phrase “directly competitive products” is absent. “Like product” is defined as “*a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.*” The test of “likeness” in the AD Agreement is one that focuses on product characteristics. However, the Agreement on Safeguard covers not only “like product”, but also “directly competitive products”.
13. The Panel, in *US – Safeguard Measures on Washers*, drew a distinction between the concept of “likeness” and “direct competitiveness” and explained that the Agreement on Safeguards does not mandate that the product under consideration comprise only of “like products”, but may also include “directly competitive products”:

“7.58. We note in this regard that Article 4.1 defines the domestic industry as producers of “like or directly competitive” products. The parties disagree on the meaning of the conjunction “or” in this phrase. In our view, it is possible that the use of the conjunction “or” in Article 4.1(c) indicates that the concept of likeness is distinct from the concept of direct competitiveness, as the United States submits. However, that term might also indicate, as Korea argues, that an investigating authority is permitted to include products (for the purpose of defining the domestic industry) that, even though they are not like imported products (because for instance they have different physical characteristics), are nevertheless directly competitive with imported products. ...”

14. The Panel, in the same report, acknowledged that even if the imported goods are not “like” the domestically produced products, the imported products may nevertheless be subjected to safeguard measures if they are directly competitive with the domestically produced products. The Panel further went on to explain the differences between the legal standard of “likeness” and “direct competitiveness” as follows:

“7.59. The Agreement on Safeguards does not define the term “like”. The Oxford English Dictionary defines “like” as “[o]f similar or identical shape, size, colour, character, etc., to something else; having the same or comparable characteristics or qualities as some other person or thing; similar; resembling; analogous”. The United States also refers to the Webster Dictionary definition of “like”, which is “the same or nearly the same (as in nature, appearance, or quantity)”. We also note that the Anti-Dumping Agreement and the SCM Agreement, which require investigating authorities in anti-dumping and countervailing duty investigations respectively to define the domestic industry based on producers of like products, define like product as a product (a) which is identical, i.e. alike in all respects to the PUC; or (b) in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the PUC. These definitions do not resolve the issue of whether, and if so how and to what

extent, competitive relations between imported and domestic products need to be considered as part of a likeness determination. However, when we interpret Article 4.1(c) in the context of Article 4 of the Agreement on Safeguards as a whole, and specifically Articles 4.2(a) and 4.2(b), the meaning of likeness in Article 4.1(c) becomes clearer.”

15. To summarize the observations of the Panel, the analysis of “likeness” under the Anti-Dumping Agreement and the SCM Agreement focuses on the product characteristics and not on the competitive relationship between the products. On the other hand, the Agreement on Safeguards has a broader purview that includes competitive relationship between the products.
16. In *US – Safeguard Measures on Washers*, the Panel noted that there is no requirement under the Agreement on Safeguard for there to be a precise “match” between the imported and the domestically produced products, as long as the imported product is directly competitive and substitutable with the domestically produced product:

“7.51. [...] Neither Article 4.1(c) nor any other provision of the Agreement on Safeguards (including the provisions governing the subsequent conduct of the investigation, such as Articles 4.2(b) and 4.2(c)), impose any additional requirements precluding what Korea describes as a "mismatch" between the PUC and the domestically produced good. Article 4.1(c) requires that the domestic industry be defined on the basis of producers of goods that are "like or directly competitive" with the PUC. To the extent the domestic industry is defined based on the producers of like or directly competitive products, there is no additional requirement under Article 4.1(c) for a "match" between the PUC and the domestically produced good. Indeed, accepting Korea's position would mean that the investigating authority would have to exclude a producer of like or directly competitive goods from the scope of the domestic industry because the domestic product, while like or directly competitive, is essentially not the same as (or to use Korea's words, does not "match") the goods included in the PUC. This is at odds with the text of Article 4.1(c). We consider that if Article 4.1(c) were intended to preclude investigating authorities from defining the domestic industry on the basis of goods that are like or directly competitive but not a "match", the provision would have been drafted differently.”

17. The Authority is mindful that in examining the exclusion requests filed by various interested parties, the legal standard that must also be applied is whether the imported product is either “like” or “directly competitive” with the domestically produced product. Previously, in the Safeguard Investigation concerning *solar cells whether or not assembled in modules or panels*, the Authority noted that “common and overlapping application” of products may determine their competitive relationship. In this case, imported products that had overlapping applications with locally produced products were found to be directly competitive and were held to be covered within the scope of the PUC:

“22. Some interested parties have submitted that DI does not possess Thin-film technology and “PERC” (Passivated Emitter Rear Cell) based technology, & Bi-facial N-type solar cells; High efficiency solar cells

using 5 and 6 bus bar production terminology; and Solar modules of mono crystalline technology and therefore PUC should be restricted only to the scope of production capability/ production by the DI. I have carefully examined this aspect and noted that Solar cells of various types produced by different technologies vary in terms of efficiency, price, physical characteristics, like size and weight etc. These variations though lead to trade off in price and efficiency, the final usage of the PUC is only to produce power.

23. The Safeguard duty rules (Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997–Notification No. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 (hereinafter called as Safeguard Rules) hold a domestic producer as “a producer of the like article or directly competitive article in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like article or directly competitive article in India” and “like article” defined as “like article means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation.” The common and overlapping applications of PUC establishes that imported and domestically produced subject goods are directly competitive. This therefore does not warrant any exclusion from the scope of PUC as stated in initiation notification. I therefore uphold and confirm the scope of PUC as considered and mentioned in para 5.1 of the preliminary finding dated 5.01.2018.”

18. Considering the legal standards as mentioned above, the Authority has formulated principles for their application to the investigation on hand and examined comments of the interested parties. The Authority notes that some of the importers, users and exporters have cited grounds such as lack of ability of domestic industry to manufacture certain product grades, lack of sufficient domestic production volumes, quality issues or lack of certification of the product made by domestic industry by the buyer/user as grounds for exclusion of specific product grades/types from the investigation. The Authority has examined these concerns. With reference to lack of domestic manufacturing capability, the domestic industry has responded with acceptance of exclusion of some of the products that it does not purport to cover in its application as these are not competing with the products manufactured by the domestic industry. With reference to others for which it has capability to produce, the domestic industry has furnished evidence for supply of the like or directly competing products. On the issue of lack of sufficient domestic production volumes, the Authority notes that the law does not contemplate that the safeguard measure can be imposed only when the domestic industry can fulfil entire domestic demand. The key question to be examined here would be that even if there is a demand supply gap, is the import surge resulting in decline in domestic production, rendering its existing and available capacity idle and thus causing injury to the domestic industry. With reference to the quality issues or lack of certification by the buyer/user, the Authority notes that there is no legal requirement to prove quality as per the satisfaction of the buyer/user. If such a standard is adopted, then buyer/user would be free to reject domestically produced products citing grounds related to quality leaving the domestic industry without any remedy. The Authority considers that this would undermine the objective of a trade remedy action.

19. The Authority has examined each of the exclusion requests individually in the following paragraphs. The findings contain conclusions of the Authority for the purposes of the preliminary findings alone. The Authority determines that at the stage of the Preliminary Findings, it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing “like or directly competitive articles”. The likeness can be established if the Domestic Industry is selling articles falling under the same Indian Standards or of the same nomenclature, and the direct competitiveness can be established based on common and overlapping end usage or on the basis of sale to the same customer/s or customers in the same industry. The Authority notes that none of the parties are precluded from offering further comments during the course of the investigation.
20. In response to the exclusion requests filed by various interested parties, the applicant domestic industry agrees, in addition to what is not covered in its application, to the request for exclusion of the following grades / categories: *Nickel Coated / Nickel Plated Cold Rolled Steel; Rubber Coated Steel; Electro Galvanised (EG) – Zinc Nickel Coated Steel; Bi-Metal Steel / Bi-Metal Sandwich Steel; Brass Coated Steel Wire (wire is part of long steel products, which are not even covered in the notice of initiation); CRUTONITE; INCONEL; Stainless Steel Items (which are not even covered in the notice of initiation); Aluminium Coated Steel; Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel; Hot Rolled Clad Steel Plate; Nickel Plated Steel / Nickel Plated Strip; Copper Plated Steel; Laminated Electro Galvanized (EGI); Cobalt Plated Steel; Silver Plated Steel; Titanium Clad Plates*. The Authority, therefore, accepts the exclusion requests for the abovementioned grades.

a) Hyundai Motors India Limited (HMIL)

21. HMIL has requested the exclusion of 196 product grades/types of steel from the scope of the PUC. The exclusion requests have been divided into three broad categories – (a) the products for which the DI does not have capability (38 grades); (b) products for which there are capacity constraints (141 grades), and (c) products for which the domestic industry is not allocating sufficient quantities to HMIL (17 grades).
22. It is noted that HMIL has identified five Indian Standards under which these 196 grades are covered – India Standard (IS) 1079, IS 18385, IS 513 Part 1, IS 513 Part 2, and IS 5986. The submission and categorization of HMIL do not address whether the domestic industry is engaged in manufacturing “directly competitive” articles. Nonetheless, it is assumed that as an automobile manufacturer, the products for which exclusion has been sought are used in automotive applications.
23. As noted above, there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 196 grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user (such as HMIL) on a standalone basis. Additionally, HMIL has stated that for certain grades, the quality of the goods supplied by the domestic industry is not satisfactory. The Authority notes that differences in the quality of the products cannot be grounds for exclusion of a product from the scope of the PUC. Furthermore, the lack of customer certification is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer could deny certification of the domestic industry’s products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.

24. The Authority determines that at the stage of the Preliminary Findings, it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing “like or directly competitive articles”.
25. As stated earlier, the Authority has accepted the exclusion requests for (a) Aluminium Coated Steel; (b) Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel; and (c) and Nickel Coated / Nickel Plated Steel.
26. The applicant, in its submissions, has produced various invoices for products covered under IS 513, IS 1079, IS 18385 and IS 5986. Further, the applicant has provided various invoices covering wide range of HR, CR and Metallic Coated steel sold to automotive companies such as ***, etc. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests of HMIL pertaining to the grades other than the grades that have been accepted by the domestic industry.

b) Hyundai Steel Corporation (HSC)

27. The interested party has requested for the exclusion of a total of 104 product types/grades of products citing reasons of (a) capacity constraints of the domestic industry (14 grades); (b) difficulty in transportation and lead time (6 grades); (c) products not produced by the domestic industry or delay in localization of production (55 grades); (d) quality issues (26 grades); and suppliers designated by project owners.
28. HSC further contends that other jurisdictions have excluded automotive steel from the scope of the PUC in anti-dumping investigations concerning flat steel products. As stated above, unlike the Anti-Dumping Agreement, where the scope of the PUC is limited to “like articles”, the legal standard for the scope of the PUC under the safeguard law includes “directly competitive” articles. Further trade remedy investigations take into account a country’s domestic situation at a particular point in time. The findings of other jurisdictions cannot be automatically adopted. Therefore, the reliance placed by HSC on anti-dumping determinations of other jurisdictions is not tenable.
29. The Authority notes that HSC has not identified the specific Indian standard of the grades for which it has sought exclusion. The submission and categorisation of HSC do not address whether the domestic industry is engaged in manufacturing “directly competitive” articles. The Authority notes that 87 out of the 104 types/grades of products for which exclusion has been sought have automotive applications, whereas 17 types/grades are used in other sectors.
30. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 104 grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user (such as HSC) on a standalone basis.
31. HSC claims that the quality of certain grades supplied by the domestic industry is not satisfactory. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval (where suppliers are designated by project owners) is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval

of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures. Further, the difficulty in transportation is not a justifiable ground for seeking exclusion of a product since this neither disproves the substitutability of the product, nor the ability of the domestic industry to manufacture like or directly competitive articles.

32. Among the 87 automotive grades of steel, HSC's request covers GI/GA, Aluminium-Silica coated, High Strength and Ultra-High Strength Steel, and Ultra Deep Drawing Steel. As stated earlier, the Authority has accepted the exclusion requests for (a) Aluminium Coated Steel; (b) Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel.
33. With respect to the remaining product types/grades having automotive application, the Authority notes that HSC has not provided the corresponding Indian Standard for the grades for which it seeks exclusion. The applicant has provided various invoices covering wide range of HR, CR and Metallic Coated steel sold to automotive companies such as ***, which demonstrates that the domestic industry has supplied articles that have common and overlapping usage with the products for which HSC has sought an exclusion. These products are therefore directly competitive. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by HSC other than the grades that have been accepted by the domestic industry.
34. With respect to the 17 grades/types which pertain to other application, it is noted that these 17 grades/types include High Strength Special Steel, High Carbon Hot-Rolled Steel, API Certified Hot Rolled Steel, Heavy Plates, etc. The Authority notes that the end usage identified by HSC for these grades/types includes pressure vessels, pipe manufacturing, windmills, shipbuilding, etc. The Authority notes that the domestic industry has filed various invoices, covering sales of several grades of High Strength, High Carbon Steel and Heavy Plates and API Certified Steel, which have common and overlapping usage with the 17 grades/types of steel for which HSC has sought an exclusion. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion requests filed by HSC pertaining to the grades used in non-automotive applications.

c) The Government of Korea (GOK) and Korea Iron and Steel Association (KOSA)

35. The Government of Korea (GOK) and Korea Iron and Steel Association (KOSA) have made identical requests for the exclusion of 52 grades/types of steel.
36. The GOK requests for the exclusion of the 52 grades/types citing (a) lack of customer approval; (b) insufficient supplies by the domestic industry; (c) quality issues. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 52 grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority determines, it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing "like or directly competitive articles". The Authority notes that the differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval (where suppliers are designated by project owners) is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the

domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures. Similarly, difficulty in transportation cannot be a valid ground for seeking product exclusion because the Authority is only required to examine whether the domestic industry is engaged in manufacturing "like" or "directly competitive" articles.

37. The Authority notes that the GOK and KOSA have identified 27 types/grades that are used in automotive applications. The applicant has produced various sales invoices of steel with diverse grades supplied to the automotive industry. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion requests filed by these interested parties pertaining to grades used in automotive application.
38. The Government of Korea and KOSA has further identified products which have usage in construction (4); home appliances (16); solar power plants (3); electrical steel (1); and moulds and tools (1). The Authority notes that the interested parties have not provided Indian standard of the grades/types used in moulds and tools. Therefore, such exclusion requests cannot be considered at this stage for lack of details which could be used to apply the legal test of like and directly competitive articles.
39. The Authority notes that with respect to the products used in home appliances, the domestic industry has provided various sales invoices, covering pre-painted galvanised steel and galvanized steel, which are used in home appliances sold to consumer electronics companies such as ***, etc. Therefore, the Authority, is unable to accept the request to exclude the 16 grades/types used in home appliances.
40. The Authority notes that 2 out of the 52 types/grades which the Government of Korea and KOSA identify are "All electrical steel products which POSCO Maharashtra clears the customs" and "All Hot-rolled coils which POSCO Maharashtra clears the customs". Due to lack of any legal basis, the Authority is unable to accept such requests for broad company-specific generic exclusions.

d) Nippon Steel Corporation (NSC)

41. Nippon Steel Corporation (NSC) has filed exclusion requests for 312 grades/types of products. The exclusion requests can be categorized under four broad categories: (a) products cannot be manufactured in India; (b) products manufactured in India do not meet steel-users' demand, higher technological specifications and qualities, precise delivery; (c) grades specifically designed to meet the requirements of AM/NS India's rolling and coating lines (d) the quality of the goods supplied by the domestic industry lacks customer certification.
42. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 312 grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
43. The Authority also notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the

- ability to deny approval of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures. Further, difficulty in delivery of product is not a justifiable ground for seeking exclusion of a product since this neither disproves the substitutability of the product, nor the ability of the domestic industry to manufacture such products.
44. As stated earlier, the Authority has accepted the exclusion requests for (a) Aluminium Coated Steel; (b) Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel; and (c) and Nickel Coated / Nickel Plated Steel.
 45. **Hot Rolled Coils** - NSC requested 44 grades/types for exclusion under Hot Rolled Coils, out of which 31 grades/types have usage in Automotive sector. The applicant has provided several invoices covering Hot Rolled products, which were sold to automotive companies such as ***, which demonstrates that the domestic industry has supplied articles that have common and overlapping usage with the products for which Nippon Steel Corporation has sought an exclusion.
 46. NSC has also claimed exclusion for 13 grades/types which it supplied to AMNS India for captive usage. AMNS India Ltd. has stated that they are committed to being an applicant/domestic industry and that they are fully aligned with the views of the applicant, with regard to the product scope and the exclusion requests made by various interested parties. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion requests of these 13 grades.
 47. **Hot Rolled Plates** - NSC requested 122 grades/types for exclusion under Hot Rolled Plates having usage in building construction, Boilers, Pressure Vessels construction machinery, Flue-gas treatment equipment used with Coal-fired boilers, waste incineration plants, Manufacturing pipes used for pipeline, Penstock and Home appliances. The Authority examined several invoices provided by domestic industry which demonstrates that the domestic industry has supplied articles that have common and overlapping usage with the above.
 48. **Hot Dip Galvanized & Cold Rolled Coils** - NSC have requested exclusion for 32 grades/types under Hot Dip Galvanized and 22 grades/types under Cold Rolled Coils category having usage in Automotive industry. The Authority notes that domestic industry has provided several invoices covering galvanized and cold rolled coils sold to automotive companies such as ***, etc., which have common and overlapping usage with the grades/types Nippon Steel have sought exclusion for.
 49. **Coated with Zinc-Aluminium-Magnesium** - NSC have requested exclusion for 92 grades/types under Zinc-Aluminium-Magnesium coated steel category having usage in Solar power generation panel, Automobile manufacturing and Home appliances. The domestic industry has provided several invoices covering Zinc-Aluminium Magnesium sheets, which have common and overlapping usage with the products for which Nippon Steel Corporation has sought exclusion.
 50. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by Nippon Steel Corporation other than the ones accepted by the domestic industry.

e) **JFE Steel Corporation (“JFE”)**

51. **Coated Steel** - JFE had asked for the exclusion of 37 different grades of Coated Steel from the scope of the PUC. The exclusion requests have been divided into two broad categories – (a) the products / grades that the DI does not produce (13 grades), (b) The products for which the DI does not have the capacity to meet the specific requirements and also there is no customer approval (24 grades). All the grades of coated steel are stated to have an end use for the purposes of “automobile”.
52. We note that the JFE has provided various Japanese Standards under which these 37 grades are covered. No corresponding Indian Standard grade for any of the said Coated Steel s have been provided. The submission and categorisation of JFE do not address whether the domestic industry is engaged in manufacturing “directly competitive” articles.
53. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 37 grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
54. Additionally, JFE has stated that for certain grades, the goods supplied by the domestic industry do not match the specific requirements. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Furthermore, the lack of customer approval is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry’s products in order to claim lack thereof as grounds for exclusion during trade remedy measures.
55. The Authority has also examined if the Domestic Industry is producing “like or directly competitive articles”. The Authority notes that the applicant has provided various invoices corresponding to some of the Japanese grades. Furthermore, the applicant has provided various invoices covering coated steel which were sold to automotive companies such as *** etc. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion the requests filed by JFE.
56. **Cold Rolled Coils** - JFE Steel Corporation had asked for the exclusion of 25 different grades of Cold Rolled Coils from the scope of the PUC. The exclusion requests have been divided into three broad categories – (a) the products / grades that the DI does not produce (2 grades), (b) the products for which DI does not have customer approval (21 grades), and (c) the products for which there is better quality and stable supply from the Japanese exporters. All the grades of cold rolled steel are stated to have an end use for the purposes of “automobile”.
57. The Authority notes that all these grades are covered under IS 513-Part 1 and IS513-Part 2. The submission and categorisation of JFE do not address whether the domestic industry is engaged in manufacturing “directly competitive” articles.

58. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 25 grades with identical specifications.
59. Additionally, JFE has stated that for certain grades, the goods supplied by the domestic industry do not match the quality supplied by Japanese exporters. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. The Authority also notes that there is no requirement under the law that the domestic industry must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. Furthermore, the lack of customer approval is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval to the domestic industry's products to seek exclusion during trade remedy measures.
60. The Authority notes that it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing "like or directly competitive articles". The Authority notes that the applicant has provided various invoices of steel covered under IS 513. Furthermore, the applicant has provided several invoices covering cold rolled steel to automotive companies such as *** etc. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by JFE.
61. **Hot Rolled coils** - JFE Steel Corporation had asked for the exclusion of 9 different grades of hot rolled Coils from the scope of the PUC. The exclusion requests have been divided into two broad categories – (a) the products / grades that the DI does not produce (1 grade), (b) the products for which DI does not have customer approval (8 grades). All the grades of hot rolled steel are stated to have an end use for the purposes of "automobile".
62. It is noted that all these grades are covered under IS-5986 and IS-2062. The submission and categorisation of JFE do not address whether the domestic industry is engaged in manufacturing "directly competitive" articles.
63. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 9 grades with identical specifications.
64. The Authority notes that the lack of customer approval is not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry's products to ensure that such products are excluded during trade remedy measures.
65. The Authority notes that it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing "like or directly competitive articles". The Authority notes that the applicant has provided various invoices of steel covered under IS 5986 and IS 2062. Furthermore, the applicant has provided invoices of hot rolled steel which were sold to automotive companies. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by JFE.

66. **Plate Mill Plates** - JFE Steel Corporation had asked for the exclusion of various grades of plate mill plates from the scope of the PUC. The exclusion requests have been divided into three broad categories – (a) the products / grades that the DI does not produce, (b) lesser quality of the products by DI, (c) capacity constraints of the DI. All the grades of plate mill plates are stated to have an end use for the purposes of “construction machine” and “pipe”.
67. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every grade with identical specifications.
68. JFE has stated that for certain grades, the goods supplied by the domestic industry do not match the quality supplied by Japanese exporters. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC.
69. The Authority notes that it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing “like or directly competitive articles”. The Authority notes that the applicant has provided various invoices evidencing the sale of various grades of hot rolled plates having common and overlapping usage with that provided by JFE. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by JFE.
70. **Clad Steel Plate:** JFE Steel Corporation had asked for the exclusion of various grades of clad steel plate from the scope of the PUC. The exclusion requests have been submitted on two grounds: (a) Indian mills cannot produce alike / identical product, and (b) Indian mills do not have approval of critical industry end users for Roll bonded Clad Plate. All the grades of clad steel plate are stated to have an end use for the purposes of oil, gas, fertilizer, petrochemical or hydroelectric.
71. As stated earlier, the Authority has accepted the exclusion requests for clad steel plates. The Authority therefore agrees for the exclusion of clad steel plates from the scope of the PUC. All the grades for which JFE has sought exclusion that fall under the category of clad steel plates are consequently excluded from the scope of the PUC.
- f) **Nippon Steel Pipe India Pvt. Ltd., Honda Trading Corporation India Pvt. Ltd., Rajasthan Prime Steel Processing Centre Pvt. Ltd., Renault Nissan Automotive India Pvt. Ltd. and JFE Shoji India Pvt. Ltd.**
72. These interested parties reiterated the exclusion requests made by JFE and Nippon Steel Corporation. Since the Authority has examined the exclusion requests filed by JFE and Nippon Steel Corporation above, there is no necessity to re-examine the same.
- g) **The Society for Indian Automobile Manufacturers (“SIAM”)**
73. The Society for Indian Automobile Manufacturers (“SIAM”) has sought exclusion of 218 grades/types having automotive applications. SIAM claims that the domestic industry does not manufacture the grades with the precise technical specifications required by its Members. The submissions of SIAM do not address whether the domestic industry is engaged in manufacturing “directly competitive” articles.

74. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each of these 218 grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority has examined SIAM's request for exclusion of 218 grades/types. Among the 218 types/grades, the Authority notes that certain products, such as electrogalvanized steel, have already been excluded from the scope of the PUC in terms of paragraph 4 of the Initiation Notification. As stated earlier, the Authority has accepted the exclusion requests for Nickel Coated Steel, EG Zinc-Nickel Coated Steel, Bi Metal Sheet, Aluminium Coated Steel, Aluminium-Silicon Coated Steel, Hot Dipped Aluminium Silicon Coated Steel, etc. The specific grades for which SIAM has sought exclusion that fall under these categories are consequently excluded from the scope of the PUC.
75. With respect to the other grades, the applicant has provided invoices covering a wide range of HR, CR and Metallic Coated steel, that were sold to automotive companies such as *** etc., demonstrating sales of articles that are "directly competitive" with the imported products identified by SIAM.
76. SIAM has also specifically requested for exclusion of products based on the tensile strengths. SIAM requests for the exclusion of products ultra-high tensile steel. The applicant has provided various sales invoices of with steel with diverse tensile strength. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion requests filed by these interested parties pertaining to grades used in automotive application other than the grades that have been accepted by the domestic industry.
77. The Authority further notes that among its request for exclusion of specific grades/types, SIAM has also made a broad and generic request for the exclusion of "Base HR (POSCO)". The Authority notes that such broad request of HR steel imported by POSCO is not only unreasonable, but also legally untenable. It is well established that the Authority does not grant company-specific product exclusions. Additionally, SIAM does not explain why the "Base HR (POSCO)" is not directly competitive with the articles manufactured by the domestic industry. Hence, the Authority is unable to accept SIAM's request for exclusion of "Base HR (POSCO)".
- h) Kia India Pvt. Ltd.**
78. The interested party has requested for the exclusion of 34 grades/types of products on the grounds that (a) the domestic industry does not manufacture the products (17); (b) the domestic industry has insufficient capacity to supply the grades in sufficient quantities (12); and (c) there are quality issues associated with the grades supplied by the domestic industry (5).
79. The Authority notes that 2 of the 34 grades/types of products, are aluminium coated and aluminium-silicon coated, which have been excluded as stated earlier. With respect to the remaining 32 grades/types of products for which Kia India Pvt. Ltd. has sought exclusion, the Authority notes that each of these 32 grades/types of products are covered in the exclusion request filed by SIAM, which the Authority has already examined above. The Authority therefore sees no reason to re-examine such exclusion requests.

i) **S R K steels, Daeseong India Automotive Private Limited, KSH Automotive Pvt Ltd, HYOSUNG TNC Corporation, PYUNG HWA India Pvt Ltd, Arun Agarwal, Daechang India seat Company Pvt Limited, Pennar Industries Limited, Construction Federation of India, Ferrum Extreme Engineering Pvt Ltd, Daebu Automotive Seat India Pvt Ltd, YSI Automotive Pvt Limited, SKH M India Private Limited, DMC Automotive Pvt Ltd, Talbros Automotive Components Ltd, HL Mando Anand India Pvt Ltd, Daechang Seat Automotive Pvt Ltd, Federal Mogul Sealings India Limited, GESTAMP Automotive Chennai Private Limited, Hariom Pipe Industries Limited, HSI Automotive Private Limited , HWASHIN Automotive India Private limited, Windar Renewable Energy Private limited, Hyundai Transys Lear Automotive India Private limited, IFB Automotive Private Limited, JBM Auto Limited, JBM Ogihara Automotive India Limited, JEANUVS Private India Limited, Jaya Springs, KM Seat Company Private Limited, KAD & Co. Pvt Limited, Karison Profiles Pvt Limited, Krishca Strapping Solutions Limited, MACHANI RAMESH ENGINEERING PVT LTD, NVH India Auto Parts Private Limited, PHA India Pvt Ltd, Purohit Steel India LTD, Pushpanjali Drums Private Limited, Severstal, Bundy India Limited, KWANG Sung Brake India Pvt Ltd, PHA India Pvt Ltd, RIKUN MANUFACTURING PRIVATE LIMITED, SRK STEELS, Fine Components and Tools Pvt Ltd, Komos Automotive India Pvt Ltd, UE PRESS TOOLS PRIVATE LIMITED, Sincerity Innovation Technology India Private Limited, Sungwoo Stamping India Pvt Limited, Tadpole Engineering Consultancy Pvt Ltd, Velmurugan Heavy Engg. Inds. Pvt. Ltd., Wooyoung Automotive india Pvt. Ltd, Kumkang Machinery India Pvt. Ltd., VW Impex, Federation of Associations of Maharashtra (FAM), Federation of Kutch Industries, TAIN Steel Fab and Infra Pvt Ltd, KSH India, PCA AUTOMOBILES INDIA PRIVATE LIMITED, POS-Hyundai Steel MFG Pvt Ltd**

80. The Authority notes that these interested parties have filed exclusion requests without specifying the specific grades/types of products for which it seeks exclusion. Several of these interested parties have sought for a broad exclusion of “alloy steel and ultra high-tension steel” citing that imports are necessary because of “import policy conditions”, “good relations” with foreign producers, and the “difficulty” in purchasing such products from Indian Producers. These interested parties have neither substantiated their exclusion requests with valid and justifiable grounds, nor have they provided the specific grades/types of steel for which they seek exclusion. The Authority is unable to consider such broad and generic exclusion requests. Notwithstanding this, the applicant has provided various invoices of with steel with diverse tensile strength. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion requests filed by these interested parties pertaining to grades used in automotive application.

j) **Indian Pipes Manufacturers Association (IPMA), Man Industries India Limited, Mega Pipes Pvt. Ltd., Maharashtra Seamless Limited, Ratnamani Metals & Tubes Limited and Welspun Corp Ltd. and Jindal India Limited**

81. These interested parties have requested for exclusion of various API Grades. These interested parties have conceded that the domestic industry manufactures API Grades. The domestic industry has provided various invoices, covering API Certified Steel. The domestic industry has also provided invoices for the sales of API grade steel to several companies, including ***.

82. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. Given that the domestic industry has supplied API Grade Steel to pipe manufacturers, the Authority is unable to accept the exclusion requests filed by these companies for the purposes of the preliminary findings.

k) POSCO, Korea RP

83. The interested party has requested for the exclusion of a total of 111 types / grades of products citing reasons of: (a) quality concerns, (b) products not produced by the domestic industry, (c) vendor certification, (d) capacity constraints of the domestic industry.

84. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 111 types / grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.

85. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Furthermore, the lack of vendor certification is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned vendor would have the ability to deny certification of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.

86. The Authority notes that it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing "like or directly competitive articles". The interested party has sought the broad exclusion of Hot Rolled Non-Oriented Electrical Steel (HRNO) and Cold Rolled Full Hard (CRFH) citing quality issues affecting its production of Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel. The Authority notes that this is not a valid ground of exclusion as already discussed above. The interested party has also not provided any precise specification of the product for which it seeks exclusion. Furthermore, the applicant has provided invoices evidencing sale of HR for industrial application and CRFH. The Authority therefore for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request.

87. The interested party has sought the broad exclusion of HR Substrates of Carbon Steel (or Automotive Steel) citing issues relating to quality and vendor approval. The Authority notes that these are not valid grounds of exclusion as already discussed above. The interested party has also not provided any specification of the product for which it seeks exclusion. Furthermore, the applicant has provided several invoices evidencing its sales of to the automotive industry. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request of the interested party.

88. The interested party has sought the exclusion of more than 57 grades of POSCO Magnesium Aluminium Alloy Coating Product. The interested party has also sought the exclusion citing quality concerns, vendor certification, and certain differences in physical and chemical properties. The Authority notes that these are not valid grounds

- of exclusion as already discussed above. The Authority notes that the applicant has produced invoices demonstrating its sales of Zinc-Aluminium-Magnesium coated products, and also demonstrated supplies to solar power developers or equipment producers. The Authority notes that the interested party has failed to establish that different thicknesses or the different chemical and physical properties of the concerned product are not directly competitive products and do not have common and overlapping end usage with the domestic like article. The Authority therefore for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request of the interested party.
89. The interested party has sought exclusion of more than 18 grades of “Super High Carbon and Alloy High Carbon Steel” citing issues relating to quality and the domestic industry’s inability to provide the same. The Authority notes that quality issue are not valid grounds of exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 18 types / grades with identical specifications. The domestic industry has provided several invoices demonstrating sale of steel with high carbon content, as also invoices, which are supplied to automotive, engineering and machinery manufacturers, such as ***. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request of the interested party.
90. The interested party has sought exclusion of more than 11 grades of “Hot-rolled and Plate products under American Petroleum Institute (‘API’)” citing issues relating to quality and the domestic industry’s inability to provide the complete range of API products. The Authority notes that quality issues are not valid grounds of exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 11 types / grades with identical specifications. The Authority further notes that the applicant has provided various invoices evidencing sales of the API grades as provided by the interested party. Therefore, the Authority, for the purpose of the preliminary findings, is unable to accept the exclusion request of the interested party.
91. The interested party, under the broad category of Automotive Steel, has sought the exclusion of (A) Galvanised or Galvannealed steel for Automotive use citing issues of supply constraints, the Authority notes that there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis, (B) more than 2 grades of Ultra-High Strength Steel citing the applicant’s inability to manufacture the said product, the Authority notes that the applicant has provided invoices demonstrating sales of products to automobile companies with diverse tensile strengths, (C) more than 4 grades of PHT (Post Heat Treatment) Steel Grades citing the applicant’s inability to manufacture the said product, the Authority notes that the applicant has provided invoices demonstrating sales of PHT Steel grades, (D) more than 6 grades of Advanced High Strength Steel citing that the applicant is not able to produce all grades, the Authority notes that there is no requirement under law for the applicant to prove that it manufactures each and every grade, (E) more than 9 grades of Automotive Steel for Exposed parts including Bake Hardening Steel citing issues relating to vendor approval, the Authority notes that vendor approval is not a ground for exclusion, and (F) “Mild Steel for A-Class unexposed parts with complex shape & Pickled and Oiled steel for Automotive Chassis parts” citing issues relating to vendor approval, the Authority notes that vendor approval is not a ground for exclusion.

l) POSCO Maharashtra Steel Pvt. Ltd

92. The interested party has requested for the exclusion of a total of 52 proprietary types / grades of products, specifically for itself, citing reasons of: (a) quality concerns, (b) vendor certification.
93. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every of these 52 types / grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
94. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Furthermore, the lack of vendor certification is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned vendor would have the ability to deny certification of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.
95. The interested party has sought the exclusion of 17 proprietary grades of Cold Rolled Full Hard (CRFH) and Hot Rolled Non-Oriented Electrical Steel (HRNO) citing quality issues. The Authority notes that quality issues are not grounds of exclusion. The Authority further notes that proprietary names are company specific and cannot be used by other producers. The Authority notes that the applicant has provided invoices demonstrating its sales of CRFH. Therefore, the Authority, for the purpose of the preliminary findings, is unable to accept the exclusion request of the interested party.
96. The interested party has sought the exclusion of 35 proprietary grades of "Substrates of Carbon Steel (or Automotive Steel) for POSCO MH" citing quality issues and lack of vendor approval. The Authority notes that these are not valid grounds for exclusion. The Authority further notes that proprietary names are company specific and cannot be used by other producers. The Authority notes that company-specific product exclusions cannot be granted. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request of the interested party.
97. The Authority determines that at the stage of the Preliminary Findings, it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing "like or directly competitive articles". The Authority notes that the domestic industry has supplied various invoices evidencing its supplies to the automotive companies such as *** etc.

m) POSCO SteeleON, Korea RO

98. The interested party has requested for the exclusion of a total of 4 types / grades of products namely: (1) Aluminized Steel (Brand Name: ALCOSTA), (2) Colour Coated Electro-Galvanised Steel, (3) Coated Zinc-Aluminium-Magnesium (Zn-Al-Mg) Alloy Steel (Brand Name: Macosta), (4) Zinc-Aluminium (Zn-Al) Alloy steel (Brand Name: ALZASTA).
99. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each and every type / grade with identical specifications.

100. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Furthermore, the lack of vendor certification is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned vendor would have the ability to deny certification of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.
101. The Authority notes that it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing "like or directly competitive articles". The interested party has sought the exclusion of Aluminized Steel (Brand Name: ALCOSTA). As stated earlier, the Authority has accepted the exclusion requests for Aluminized Steel.
102. The Authority understands that Metallic Coated Electro Galvanized Steel would be covered within the exclusion in the notice of initiation, namely, "*Coated – electro galvanized steel*". The Authority also understands the colour coated electro galvanized steel is nothing, but colour coated steel. Accordingly, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by POSCO with respect to colour coated electro galvanized steel.
103. The interested party has sought the exclusion of 'Coated Zinc-Aluminium-Magnesium (Zn-Al-Mg) Alloy Steel (Brand Name: Macosta)' citing, (a) differences in quality between its products and the applicant's product, (b) specialized application and vendor certification, and (c) lack of domestic alternatives. The Authority notes that quality differences and vendor certifications are not valid grounds of exclusion as discussed above. The Authority notes that the law does not require the applicant to prove the manufacture of the grades with identical specifications. The Authority further notes that the applicant has provided invoices demonstrating its sales of Coated Zinc-Aluminium-Magnesium (Zn-Al-Mg) Alloy Steel. The Authority therefore is unable to accept the exclusion requests of the interested party.
104. The interested party has sought the exclusion of 'Zinc-Aluminium (Zn-Al) Alloy Steel (Brand Name: ALZASTA)' citing, (a) differences in quality between its products and the applicant's product, (b) premium pricing of its product. The Authority notes that these are not valid grounds of exclusion. The Authority notes that the applicant has provided invoices demonstrating its sales of Zinc-Aluminium Alloy Steel. The Authority therefore is unable to accept the exclusion request of the interested party.

n) AMNS India Limited and AMNS Khopoli

105. AMNS India and AMNS Khopoli requested for the exclusion of certain grades imported from Nippon Steel Corporation. The Authority has already examined the exclusion request filed by Nippon Steel Corporation above.

o) LG Electronics India Ltd.

106. LG Electronics India Ltd. has requested for the exclusion of 4 grades/types used in refrigerators, washing machines and other appliances. LG states that the domestic industry does not manufacture such grades/types and that the domestic industry does not have commercial sales and commercial supplies of the relevant grades. LG further submits that the applicants are unable to meet the quality standards and the quantity requirements of the customers. LG has further requested that the authority replace the

word “include” in the definition of the PUC with the word “namely” to clearly indicate that the PUC only covers the five product categories and not the products that are not being manufactured by the domestic industry. The Authority notes that the coverage of product categories needs to be clear and specific and therefore agrees with the request for change from ‘include’ to ‘namely’.

107. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval (where suppliers are designated by project owners) is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry’s products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.
108. As stated earlier, the Authority has accepted the exclusion requests for Laminated EGI sheets in the scope of the PUC. With respect to the other grades/types, the domestic industry has provided various invoices covering pre-painted galvanized steel and pre-painted galvanized steel, which are used in home appliances. Additionally, the invoices provided by the applicant indicate sales to consumer electronic companies such as *** etc. Therefore, no grounds exist for the exclusion of the said articles from the scope of the PUC. LG has also requested that the Authority clarify that the exemption of “*Coated-Electro Galvanized Steel*” covers “*All types of EGI including coated/laminated/printed/painted EGI*”. The applicant has agreed for the exclusion of laminated EGI from the scope of the PUC. The Authority understands that Metallic Coated Electro Galvanized Steel would be covered within the exclusion in the notice of initiation, namely, “*Coated – electro galvanized steel*”. However, the Authority is unable to accept the exclusion request filed by LG with respect to printed/painted electro galvanized steel.

p) Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.

109. Godrej has requested for the exclusion of 8 grades/types of products that are used in home appliances (3) and pressure equipment divisions (5). Godrej has further requested that the authority replace the word “include” in the definition of the PUC with the word “namely” to clearly indicate that the PUC only covers the five product categories and not the products that are not being manufactured by the domestic industry. The Authority notes that the coverage of product categories needs to be clear and specific and therefore agrees with the request for change from ‘include’ to ‘namely’.
110. With respect to the 3 grades/types of products used in home appliances, Godrej has submitted that such products are not manufactured by the domestic industry. Godrej claims that the applicant companies have admitted that they are unable meet the technical specifications required by Godrej.
111. With respect to the 5 grades/types used in pressure equipment devices, Godrej admits that the domestic industry manufactures and supplies the said grades/types of products, however, it contends that the technical specifications of the products supplied by the

domestic industry do not meet the users' requirements. Godrej argues that on account of the differences in technical specifications, the 8 grades/types are not "like" articles to the domestically produced articles.

112. The Authority notes that unlike the anti-dumping agreement where the scope of the PUC is limited to "like articles", the legal standard for the scope of the PUC under the safeguard law includes "directly competitive" articles.
113. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each these 8 grades with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user (such as Godrej) on a standalone basis. Furthermore, the quality concerns are also not a valid ground for seeking exclusion of a product.
114. The domestic industry has provided various invoices covering pre-painted galvanized steel and galvanized steel, which are used in home appliances. Additionally, the invoices provided by the applicant indicate sales of such products to consumer electronic companies such as *** etc. Therefore, no grounds exist for the exclusion of the 8 grades/types identified by Godrej from the scope of the PUC. Godrej has also requested that the Authority clarify that the exemption of "*Coated-Electro Galvanized Steel*" covers "*All types of EGI including laminated vinyl-coated*". The Authority understands that Metallic Coated Electro Galvanized Steel would be covered within the exclusion in the notice of initiation, namely, "*Coated – electro galvanized steel*". However, in view of insufficient details, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by Godrej with respect to laminated vinyl coated electro galvanized steel.

q) Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd.

115. Panasonic has requested for the exclusion of Pre-coated Vinyl coated sheets which are used in refrigerator doors. The Authority has already considered and evaluated similar exclusion requests of LG and Godrej & Boyce above. The Authority thus is not re-examining the same exclusion request made by Panasonic.

r) SSAB Swedish Steel India Pvt. Ltd.

116. SSAB has requested for the exclusion of 51 proprietary grades/types of steel having application in transportation, mining, cement, construction equipment. SSAB states that the proprietary grades/types imported by them "outperform" the equivalent grade produced by the domestic industry and "offers additional value".
117. At the outset, the Authority notes that the 51 grades/types for which SSAB has sought exclusion are proprietary name of a grade/type produced by a company. Proprietary names are company specific and cannot be used by other producers. The Authority notes that company-specific product exclusions cannot be granted. Additionally, SSAB does not dispute that the domestic industry produces equivalent grades of steel.
118. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must

be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures. The Authority notes that the domestic industry has filed various invoices covering a wide range of High Strength, High Carbon Steel and Heavy Plates, which is directly competitive with the 51 grades/types for which SSAB has sought exclusion. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings, is unable to accept the exclusion requests of SSAB.

s) Ashok Leyland Defence Systems Ltd.

119. Ashok Leyland Defence has requested for exclusion of 26 grades/types. The Authority notes that each of these 26 grades/types of products are covered in the exclusion request filed by SSAB, which the Authority has examined above. The Authority therefore sees no reason to re-examine such exclusion requests.

t) Tay Nam Steel manufacturing and Trading Co., Ltd.

120. The interested party has requested for the exclusion of GI, GL, PPGI, PPGL. The interested party has provided no further information regarding the precise grades/types of products for which it seeks exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The domestic industry has filed various invoices covering colour coated and metallic coated, GI, GL and PPGI steel. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by Tay Nam Steel.

u) Kobe Steel Limited

121. The interested party has requested for the exclusion of 8 grades of Cold Rolled Coils. Kobe Steel Limited relies on past anti-dumping investigations of the Authority to argue that specific grades that are not manufactured by the domestic industry must be excluded from the scope of the PUC. As stated above, unlike the anti-dumping agreement where the scope of the PUC is limited to "like articles", the legal standard for the scope of the PUC under the safeguard law includes "directly competitive" articles. Therefore, the reliance placed by Kobe on past anti-dumping determinations is not tenable.
122. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The applicant has submitted various sales invoices of steel with diverse tensile strength. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by these interested parties pertaining to grades used in automotive application.

v) Metal One Corporation India Pvt. Ltd. and Metal One Corporation

123. The interested parties have requested for the exclusion of 12 grades/types of steel. The interested parties submit that the domestic industry does not product the 12 grades/types of steel or like articles. As stated above, the Authority has accepted the exclusion of Aluminium Coated Steel, Aluminium Silicon Coated, Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel, Nickel Coated Steel, Copper Plated Steel, Titanium Clad Plates, Bimetals, etc. from the scope of the PUC. The grades of steel identified by Metal One Corporation that fall under these categories are consequently excluded from the scope of the PUC. Metal One has further requested that the authority replace the word “include” in the definition of the PUC with the word “namely” to clearly indicate that the PUC only covers the five product categories and not the products that are not being manufactured by the domestic industry. The Authority notes that the coverage of product categories needs to be clear and specific and therefore agrees with the request for change from ‘include’ to ‘namely’.
124. The interested parties have requested for the exclusion of medium to high tensile hot rolled and cold rolled steel coils, hot rolled steel plates, hot rolled steel plates (high tensile), hot rolled abrasion resistant steel plates, ZAM and galvanized steel coils on the grounds that the domestic producers are unable to produce the required specifications, problems with quality and lack of necessary customer approvals. The interested parties further submit that the grades of steel are customized as per the user requirements, which the domestic industry is unable to provide.
125. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that the interested party has not demonstrated that the products supplied by the domestic industry do not have common and overlapping end usage and are not directly competitive.
126. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry’s products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.
127. The Authority notes that it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing “like or directly competitive articles”. With respect to Metal One Corporation’s request for exclusion of steel with certain tensile strength, the applicant has provided various invoices of with steel with diverse tensile strength. The Authority further notes that the domestic industry has also provided invoices demonstrating sales of various grades of hot rolled steel plate, hot rolled steel abrasion resistant steel plates, ZAM (Zinc-Aluminium-Magnesium) and Galvanized Steel Coil. Therefore, the Authority is unable to accept the claim of Metal One Corporation for the exclusion of cold rolled steel coil, hot rolled steel coil, hot rolled steel plate, hot rolled steel plates (high tensile), hot rolled steel abrasion resistant steel plates, ZAM (Zinc-Aluminium-Magnesium) and Galvanized Steel Coil. The Authority further notes that the

interested party has sought clarification with regard to Ekokote (Tin-Zinc Coated Steel). However, the interested party has neither provided technical specification of the product nor the end usage. In the absence of such information, the Authority is unable to determine whether such product is like or directly competitive with the domestically produced product therefore the Authority is unable to confirm whether Ekokote falls outside the scope of the PUC. Metal One Corporation has also requested that the Authority remove the word “coated” from the exemption to “*Coated-Electro Galvanized Steel*”. The Authority understands that Metallic Coated Electrogalvanized Steel would be covered within the exclusion in the notice of initiation, namely, “*Coated – electro galvanized steel*”. However, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by Metal One Corporation in this regard.

w) Shivalik Bimetals Controls Limited

128. The Shivalik Bimetals has requested for the exclusion of 10 grades/types. Shivalik Bimetals claims that the domestic industry does not manufacture these 10 grades/types and that the equivalent grades produced by the domestic industry “are of inferior quality and less-cost effective”. Shivalik Bimetals has further requested that the authority replace the word “include” in the definition of the PUC with the word “namely” to clearly indicate that the PUC only covers the five product categories and not the products that are not being manufactured by the domestic industry. The Authority notes that the coverage of product categories needs to be clear and specific and therefore agrees with the request for change from ‘include’ to ‘namely’.
129. The Authority notes that Shivalik Bimetals’ in its submissions has admitted that the domestic industry is engaged in manufacturing equivalent grades, albeit of lower quality and differing in certain physical and chemical properties. It is further relevant to note that the interested party has contended that the manufacturers who have the capability to manufacture cannot produce it economically due to low volumes. The Authority notes that, the claim by the interested party that the domestic industry cannot produce the grades for which exclusion has been sought economically at low volumes suggests customer preference for imports due to their cheap prices and loss of potential sales by the domestic industry. As stated above there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. The domestic industry has produced various invoices covering special alloys. Therefore, the Authority is unable to accept the submissions of Shivalik at the stage of preliminary findings.

x) Manaksia Steels Limited

130. Manaksia Steels has requested for the exclusion Hot Rolled Steel Coils in widths of 1250 mm and below thicknesses of 2 mm. Manaksia claims that the domestic industry does not manufacture coils with thickness less than 2mm and width below 1250 mm. However, Manaksia has admitted while the domestic industry does have the capacity to manufacture coils with thicknesses below 2mm and width below 1250 mm, it does not do so due to favouring economies of scale. Manaksia has further requested that the authority replace the word “include” in the definition of the PUC with the word “namely” to clearly indicate that the PUC only covers the five product categories and not the products that are not being manufactured by the domestic industry. The Authority notes that the coverage of product categories needs to be clear and specific

and therefore agrees with the request for change from 'include' to 'namely'. Where specific claims have been made that the domestic industry does not manufacture particular grades/types of steel, the Authority has evaluated such claims based on the legal standard applicable to safeguard investigations.

131. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. Furthermore, it is by Makasia's own admission that while the domestic industry has the capability as well as capacity to manufacture and supply steel with thicknesses below 2mm and width below 1250 mm it does not do so out of commercial considerations. Therefore, the possibility of lack of sales due to the domestic industry not being able to fetch a reasonable price for the equivalent grade as a consequence of surge of imports and serious injury on account of it cannot be ruled out.
132. The domestic industry has produced a wide variety of invoices covering different thicknesses and widths of HR steel. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion of steel with thicknesses below 2mm and width below 1250 mm at this stage.

y) Tata Motors

133. Tata Motors has requested for the exclusion of 6 grades/types of steel. Tata Motors submits that the grades are not manufactured in India, the domestic industry is unable to consistently supply sufficient quantities of the grades and the grades imported from Japan are of superior quality.
134. Among these grades, as stated earlier, the request for exclusion of Aluminium Coated Steel, Aluminium Silicon Coated and Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel has been accepted. The grades of steel that fall under this category are consequently excluded from the scope of the PUC. The Authority further notes that stainless steel has already been excluded from the scope of the PUC in terms of paragraph 4 of the initiation notification.
135. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority further notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval (where suppliers are designated by project owners) is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.
136. With respect to the remaining product types/grades having automotive application, the Authority notes that Tata Motors has not provided the corresponding Indian Standard for the grades for which it seeks exclusion. The applicant has provided several invoices covering a wide range of HR, CR and Metallic Coated sold to automotive companies such as *** etc., which demonstrates that the domestic industry has supplied articles

that have common and overlapping usage with the products for which Tata Motors has sought an exclusion. These products are therefore directly competitive. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by Tata Motors.

z) ACMA, NRB Bearing, Sharda Motors Industries Limited, National Engineering Industries Ltd, AISIN Automobiles

137. The interested parties have requested exclusion for 35 grades/types having usage in Automotive industry citing quality issues and capacity constraints. For some grades, interested parties have not provided relevant Indian standard. The Authority further notes that exclusion request for certain grades of rubber coated steel identified by these interested parties has been accepted as stated earlier.
138. The Authority notes that this interested party has conceded that they procure some of the grades from domestic producers. It has however been claimed that, claim that the quality and quantity of the grades produced by the domestic producers is not up to the requirement. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Similarly, there is no requirement under the law that the domestic industry must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
139. The Authority notes that the applicant has provided several invoices covering a wide range of HR, CR and Metallic Coated sold to automotive companies such as *** etc, which demonstrates that the domestic industry has supplied articles that have common and overlapping usage with the products for which interested parties have sought an exclusion. These products are therefore directly competitive. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by interested parties.

aa) Maruti Suzuki India Ltd.

140. Maruti Suzuki has requested for the exclusion of 22 grades/types of steel. Maruti contends that the grades should be excluded since (a) they are not manufactured in India (11); (b) the domestic industry lack sufficient capacity to meet the requirements of the downstream industry (6) and the grades are only recently being developed in India (5).
141. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
142. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval (where suppliers are designated by project owners) is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures. The Authority further notes that the domestic industry has provided various invoices demonstrating the sales steel to Maruti Suzuki.

143. The applicant has provided several invoices covering a wide range of HR, CR and Metallic Coated sold to automotive companies such as *** etc., which demonstrates that the domestic industry has supplied articles that have common and overlapping usage with the products for which Maruti Suzuki has sought an exclusion. These products are therefore directly competitive. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests.

bb) Jay Bharat Maruti Limited

144. Jay Bharat Maruti Limited (“JBM”) has sought for the exclusion of 6 grades/types of steel from the scope of the PUC. JBM states that the said grades are not produced in India. Exclusion of 4 out of the 6 grades for which JBM has sought exclusion, which fall under the category of Aluminium Coated Steel and Nickel Coated Steel has already been accepted.

145. With respect to the two other grades, the domestic industry has provided several invoices covering HRPO Coils that are directly competitive with the grades for which JBM has sought exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. Given that the domestic industry has produced invoices covering various grades of HRPO Coils that have common and overlapping usage with the grades for which the JBM has sought exclusion, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by JBM.

cc) Katsushiro Matex India Pvt. Ltd.

146. Katsushiro has requested for the exclusion of 4 grades/types of steel supplied by JFE Corporation on the grounds that the needed sizes are not available locally, the local suppliers cannot meet the technical specifications and the minimum order quantity of the domestic producers are higher than the foreign suppliers’.

147. The Authority notes that Katsushiro has sought exclusion for the 4 grades/types of steel supplied by JFE Corporation. Since the Authority has already addressed the exclusion request of JFE Corporation above, there is no necessity to re-examine such exclusion requests.

dd) CSCI Corporation India Pvt. Ltd.

148. CSCI has requested for the exclusion of Cold Rolled Full Hardened Electrical Strips conforming to IS 18316 of 2023, which falls under the definition of Silicon Electrical Steel Strips from the scope of the PUC.

149. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The domestic industry has provided various invoices covering sales of Cold Rolled Full Hardened Steel. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion request filed by CSCI.

ee) CU Built Engineers Pvt. Ltd., Vestas Wind Technology India Pvt. Ltd. and Senvion Wind Technology Private Limited

150. The interested parties have requested for exclusion of steel plates for wind turbines and prime steel for wind turbine towers. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that the applicant has provided various invoices demonstrating sale of Hot Rolled Plates, for a wide variety of application, including wind turbines. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by these interested parties.

ff) Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke from Germany

151. Dillinger has requested exclusion for 76 grades of Hot Rolled Plate Mill Plates that fall under nine subcategories, namely, High-strength line pipe plate, Sour service pressure vessel plate, High-strength low alloy pressure vessel plate, High-strength thermomechanically-rolled pressure vessel plate, Pressure vessel plate for high temperature application, Pressure vessel plate for low temperature application (cryogenic), Abrasion-resistant steel plate, High-strength fine grained structural steel plate, Offshore fine-grained structural steel plate, Line pipe plate. Dillinger submits that the plates for which they seek exclusion are used to manufacture line pipe for the production of oil and gas pipelines, high-strength fine-grained structural steel, in the construction of demanding structures such as bridges, in the manufacture of heavy machinery such as earth-moving and mining equipment and pressure vessel steel, in the manufacture of equipment for oil and gas, chemical or pharmaceutical industries, such as reactors, heat exchangers, boilers or pressurized tanks, often sour-gas resistant' from the scope of investigation.
152. Dillinger submits that the domestic industry does not produce the specific grades of steel for which they have sought exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The domestic industry has provided various invoices covering Hot Rolled Plate Mill Plates and API Certified Steel that are used in varied applications such as construction, heavy machinery, pressure vessels, etc., which are directly competitive with the 76 grades/types for which Dillinger has sought exclusion. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke.

gg) Isgec Hitachi Zosen Ltd.

153. Interested Party has requested exclusion for 9 grades of Alloy and Non-alloy Steel Plates and Clad plate covering various grades on the grounds that the grade is not manufactured in India and the Indian producers are unable to meet the specifications laid out by Engineering companies and overseas licensors.

154. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority further notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of approval from overseas licensors or engineering companies is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned person would have the ability to deny approval of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.

155. The domestic industry has provided various invoices covering a wide range of Hot Rolled Plates that was sold to engineering companies such as *** etc. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by Isgec Hitachi.

hh) Ashok Leyland Limited

156. The interested party has requested for exclusion of 4 grades/types falling under the category of Aluminium-Silicon Coated, wear resistant steel and Cold Rolled Galva annealed steel on the grounds that these grades are not produced in India or the domestic industry does not have the capacity to meet the demand in India.

157. As stated earlier the exclusion of aluminium-silica coated steel from the scope of the PUC has been accepted. For the remaining grades, the Authority is of the view that there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that the domestic industry has provided various invoices covering wear-resistant steel and galvanized steel sold to several parties, including Ashok Leyland, that have common and overlapping end usage with the grades for which Ashok Leyland has sought exclusion. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request of the interested party.

ii) Daimler India Commercial Vehicles Private limited

158. Interested party has requested exclusion for Aluminized steel or Aluminium coated steel. This has been accepted as mentioned in earlier paragraphs.

jj) Exedy India limited

159. The interested party has requested exclusion of C70-High Carbon Cold Rolled Steel and SCM435-High Carbon Cold Rolled Steel having usage in Automotive sector due to technology not being available with domestic producers.

160. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that the domestic industry has provided invoices for the sales of articles that are directly competitive with the C70 and SCM435 grades

for which Exedy has sought exclusion. It may be stated that the domestic industry supplies products that have overlapping usage with the products imported for automotive application. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request of the interested party.

kk) KG Dongbu Steel, AVIZA Technologies, JR and Company, Maxglobal Techno systems, NEWCORE GLOBAL PVT LTD, Prestomac Finishers, TAIIN Steel Fab and Infra Pvt Ltd and M&B Engineering

161. Interested parties have requested exclusion of 2 grades/types of pre painted and 3 grades/types galvanized steel that are covered under the standards IS 15965, IS 14246, IS 15961 and IS 513, on the ground that the domestic industry lacks capacity to supply the grades in sufficient quantities.
162. The Authority notes that there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that these interested parties have conceded that the domestic producer are able to produce the 5 grades/types of steel for which they have sought exclusion. The concern of the interested party is that the domestic producers are not able to supply sufficient quantities of the grades/types. The Authority notes that there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority determines that at the stage of the Preliminary Findings, it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing “like or directly competitive articles”.
163. The domestic industry has provided various invoices of steel covered under IS 513 and IS 15961. Additionally, the domestic industry has provided various invoices demonstrating sales of pre-painted galvanized sheets and galvanized sheets that fall under IS 15965 and IS 14246, that are either like or directly competitive articles to the 5 grades/types identified by the interested parties. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by KG Dongbu Steel.

ll) Dongkuk CM, Korea and Dongkuk Steel India Pvt Ltd

164. The interested parties have sought clarification whether exclusion of ‘Coated - Electro Galvanised steel’ also extends to both ‘metallic coated electro-galvanised steel’ and ‘colour coated electro-galvanised steel’.
165. The Authority understands that Metallic Coated Electrogalvanized Steel would be covered within the exclusion in the notice of initiation, namely, “*Coated – electro galvanized steel*”. The Authority also understands the colour coated electro galvanized steel is nothing but colour coated steel. Accordingly, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by Dongkuk with respect to colour coated electrogalvanized steel.

mm) Metal and Stainless-Steel Merchants Association

166. The interested party has requested exclusion of Copper-plated steel, Cobalt-plated steel, Silver-plated steel, Armor-wear-resistant steel, Die steel, Aluminized Steel, Nickel-plated steel, Plastic mould steel and power tool steel.

167. As stated above, the exclusion of copper plated, cobalt plated, silver plated, aluminium coated and nickel coated steel from the scope of the PUC has been agreed. With respect to the remaining grades/types, the interested party has not specified the precise grade or the end use of the grade of steel for which it has sought exclusion. The interested party has also not provided the grounds for which it seeks exclusion of the said grades. The Authority is unable to consider such an unsubstantiated request.

nn) NLMK Clabecq and NLMK India Service Center Private Limited

168. The interested parties have sought exclusion of proprietary grades of high-yield and abrasion-resistant steel plates imported from Italy on the grounds that the plates are priced higher than the plates supplied by the domestic industry.

169. The Authority notes that the grades/types for which the interested parties have sought exclusion are proprietary name of a grade/type produced by a company. Proprietary names are company specific and cannot be used by other producers. The Authority notes that company-specific product exclusions cannot be granted. Additionally, the interested parties have neither provided the corresponding Indian Standard, nor the specific usage based on which the Authority can evaluate the exclusion request.

170. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.

171. The domestic industry has produced various invoices covering abrasion-resistant and high-yield plate mill plates, that are directly competitive with the grades for which NLMK has sought exclusion. Therefore, no grounds exist to consider NLMK's exclusion request.

oo) Stitch Overseas Private Limited

172. Stitch has requested exclusion for Galvalume Sheets/Coil of Standard specification - ASTM A 792 DS/DQ | YS250 | IS 15961:2012 citing concerns related to customer approval and quality. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Additionally, the lack of customer approval is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny approval of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures.

173. The domestic industry has provided several invoices of sales of Galvalume sheets under IS 15961. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by Stitch Overseas.

pp) Hella India Automotive Pvt Limited

174. The interested party has requested exclusion of 'Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium Magnesium' having usage in HORN products in Automotive sector.

The party requests this exclusion as domestic industry faces technical constraints in achieving the required properties.

175. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. The Authority determines that at the stage of the Preliminary Findings, it would be sufficient to examine if the Domestic Industry is producing “like or directly competitive articles”.
176. The Authority notes that domestic industry has provided several invoices for sales of Zinc-Aluminum-Magnesium Coated that have common and overlapping usage with the products for which interested party has sought an exclusion. These products are therefore directly competitive. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by Hella India Automotive Pvt Limited.

qq) Polyhose Sato-Shoji Metal Works Private Limited

177. The interested party has requested exclusion of Wear Resistant Steel being imported from JFE Steel Corporation, Japan citing quality, supply and customer certification concerns. Given that the Authority has already evaluated the exclusion request of JFE above, there is no necessity to re-examine the same request filed by Polyhose Sato.

rr) NTECK Automative Pvt Ltd

178. NTECK Automative Pvt Ltd has requested exclusion for S35C grade with sheet thickness 5.90 mm and 6.00 mm, without providing any reasons for its request. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The applicant has provided invoices demonstrating sales of articles that are directly competitive with the S35C grade for which NTECK has sought exclusion. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by NTECK.

ss) Toyota Boshoku Device India Private Limited

179. Interested party requested exclusion of 3 grade/types of high tensile steel stating that the domestic producers are unable to produce steel with the specific tolerances. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. The domestic industry has provided multiple invoices demonstrating sales of coils with varying tensile strength. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by Toyota pertaining to grades used in automotive application.

tt) Riddhi Siddhi Special Steel Pvt Ltd.

180. The interested party has requested exclusion for tool and die steel covered under IS 3748, which is used in sectors like die manufacturing, aerospace, engineering, automotive, defence etc. on ground of limited production and supply capability of Indian producers.
181. The interested party has not precisely identified the precise grades for which it seeks exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The domestic industry has provided several invoices covering wear-resistant steel that have overlapping applications with the steel for which Riddhi Siddhi has sought an exclusion. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by Riddhi Siddhi Special Steel Pvt Ltd.

uu) Sansera Engineering Private Limited

182. The interested party has requested 8 grades/types of PUC citing unavailability of proprietary grade in India and customer mandated source having usage in specialized forging and machining components. The Authority notes that the grades for which Sansera has sought exclusion falls under the HS 7228, which is already out of the scope of the investigation. Therefore, there is no requirement to consider Sansera's exclusion request.

vv) Schaffler India Limited

183. The interested party has requested exclusion of 4 grades/types of PUC having usage in Automotive industry citing quality and supply concerns. The Authority notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
184. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
185. The Authority notes that the domestic industry has provided several invoices demonstrating the supply of grades that have overlapping application with the 4 grades/types for which Schaeffler has sought an exclusion. Additionally, the domestic industry has provided several invoices pertaining sales to automotive sector. It may be stated that the domestic industry supplies products that have overlapping usage with the products imported for automotive application. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion request of the interested party.

ww) Tarun International Limited

186. The interested party has requested exclusion for 7 grades/types of High Carbon Hot Rolled Coils citing quality and supply concerns. The Authority is of the view that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
187. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis.
188. The Authority notes that the domestic industry has provided several invoices pertaining to sales to different sectors. It may be stated that the domestic industry supplies products that have overlapping usage with the grades for which exclusion has been sought. Therefore, the Authority is unable to accept the exclusion request of the interested party.

xx) TT Steel Services India Pvt. Ltd.

189. TT Steel Services India Pvt. Ltd. requested for the exclusion of “Cold Rolled high tensile steel, Hot Rolled high tensile & Hot Dip Galvanised Steel”. TT Steel has not provided the precise specification of the product for which it seeks exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority notes that specific product characteristics are customer driven and articles of varying tensile strength are directly competitive with each other. The applicant has produced various invoices of steel with diverse tensile strength. Further, the domestic industry has provided several invoices for galvanised steel. Therefore, the Authority for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion requests filed by HSC pertaining to grades used in automotive application.

yy) TATA Steel Downstream Products Ltd

190. TATA Steel Downstream Products Ltd. requested exclusion for Hot Rolled Steel Plates (heat treated abrasion resistant steel plates) of grades 1E1839 and 1E4187. The Authority notes that interested party did not provide any specific grade, product identification, technical specifications or ground from exclusion. Therefore, the Authority is unable to evaluate the exclusion request of Tata Steel Downstream Products Ltd.

zz) Tube Investments of India Ltd (TII).

191. Tube Investments of India Ltd. has requested exclusion for 146+/- 0.5 mm X 9 +/- 0.35 mm thickness steel sheets of grade JSH590RN-P. The Authority notes that interested party has not provided any technical specifications or grounds for exclusion. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine

or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The domestic industry has provided invoices demonstrating of sales to Tubes Investment India Ltd. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by TII.

aaa) Velmurugan Heavy Engg. Inds. Pvt. Ltd.

192. Velmurugan Heavy Engg. Inds. Pvt. Ltd. has requested exclusion for HR Plate Steel (S355J2, NL, Z25, etc.). The Authority notes that interested party has not provided any technical specifications or grounds for exclusion. The Authority has examined the invoices provided by the domestic industry on a sample basis and is satisfied that the domestic industry has supplied products that are like or directly competitive with the said grades.

193. Interested party have also made requests for exclusion of products from the scope of the PUC citing reasons of lack of quality in the domestically produced goods and the lack of customer certification. The Authority notes that there is no requirement under the law for the Authority to examine or the applicant to prove that it manufactures each grade with identical specifications. Similarly, there is no requirement under the law that the applicant must be able to fulfil the entire demand for the country and each individual user on a standalone basis. The Authority further notes that differences in quality of the products cannot be a ground for exclusion of a product from the scope of the PUC. Furthermore, the lack of customer certification is also not a valid ground for seeking exclusion of a product from the scope of the PUC since this is susceptible to misuse as the concerned customer would have the ability to deny certification of the domestic industry's products thereby ensuring that such products do not attract trade remedy measures. The domestic industry has produced several invoices covering a wide range of HR Plates that are directly competitive with the grades for which Velmurugan has sought exclusion. Therefore, the Authority, for the purpose of preliminary findings is unable to accept the exclusion request filed by Velmurugan.

bbb) All India Metal

194. All India metal has requested for the exclusion of Aluminium Coated and Aluminium Silicon coated steel. The exclusion of these grades of steel has been accepted.

ccc) Mahindra Defence Systems Limited

195. Mahindra Defence has sought exclusion of grades of steel supplied by SSAB. Since the Authority has evaluated the exclusion request filed by SSAB above, there is no necessity to re-examine the same request filed by Mahindra Defence Systems.

Conclusion

196. In view of the above observations, the Authority determines the scope of the PUC is as follows:

The product under consideration for the present investigation is "Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products", ("PUC"), namely (a) Hot Rolled

(“HR”) coils, sheets and plates, (b) HR Plate Mill Plates (“PMP”), (c) Cold Rolled (“CR”) coils and sheets, (d) Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium (“Coated”), and (e) Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled (“CC”). The PUC is classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under tariff heading 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226. The tariff headings are indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a) Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO)*
- b) Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) coils and sheets*
- c) Coated - Electro Galvanized Steel*
- d) Tinplate*
- e) Stainless steel*
- f) Nickel Coated / Nickel Plated Cold Rolled Steel;*
- g) Rubber Coated Steel;*
- h) Electro Galvanised (EG) – Zinc Nickel Coated Steel;*
- i) Bi-Metal Steel / Bi-Metal Sandwich Steel;*
- j) Brass Coated Steel Wire (wire is part of long steel products, which are not even covered in the notice of initiation);*
- k) CRUTONITE;*
- l) INCONEL;*
- m) Stainless Steel Items (which are not even covered in the notice of initiation);*
- n) Aluminium Coated Steel;*
- o) Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel;*
- p) Hot Rolled Clad Steel Plate;*
- q) Nickel Plated Steel / Nickel Plated Strip;*
- r) Copper Plated Steel;*
- s) Laminated Electro Galvanized (EGI);*
- t) Cobalt Plated Steel;*
- u) Silver Plated Steel;*
- v) Titanium Clad Plates;*

197. There are no known differences between the imported goods and the goods produced by the applicant companies. The imported goods and the goods produced by the applicant companies are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and

tariff classifications. The goods produced by the domestic industry are also technically and commercially substitutable with the imported products. The Authority holds that the products manufactured by the applicant companies and the imported products are “like or directly competitive articles”.

198. The Authority clarifies that the scope of the PUC defined in the earlier paragraph is for the purpose of these preliminary findings. Interested parties may file comments on the scope of the PUC as defined in the preliminary findings. The Authority will consider the submissions filed by the interested parties regarding the scope of the PUC in its final findings. Should any other product be excluded from the scope of the PUC in the final findings, the Authority notes that Rule 15 of the Safeguard Rules entitles importers to a refund on the provisional duty imposed and collected on such articles.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

199. Clause (b) of sub-section (11) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry (hereinafter also referred to as the "DI"), as follows:

‘(b) “Domestic industry” means the producers -

- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or*
- ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.’*

200. The petition has been filed by ISA on behalf of seven domestic producers, namely a) AMNS Khopoli Limited; b) ArcelorMittal Nippon Steel India Limited; c) Jindal Steel and Power Limited; d) JSW Steel Coated Products Limited; e) JSW Steel Limited; f) Bhushan Steel & Power Limited; and g) Steel Authority of India Limited. In addition, there are several other producers in India producing all the five categories of the PUC or one or more of the five categories of the PUC. Petitioners presented the Annual Statistics published by the Joint Plant Committee (JPC) of the Ministry of Steel, Government of India for information relating to (a) total number of units in India with State-wise break-down that are involved in the production of various categories of PUC, (b) total annual production and (c) total demand in India. The Authority observes that the JPC data does not provide data for HR Coils and sheets, and HR Plate Mill Plates separately. It provides information for four groups namely (a) HR Flat products that include both HR Coils and Sheets, and HR Plate Mill Plates, (b) CR Coils and Sheets, (c) Metallic Coated Steel, and (d) Colour Coated Steel. Therefore, information has been grouped into four categories for determining the standing of the domestic industry, and for considering total demand and market share. For the purposes of the preliminary findings, the Authority considers the data reasonable and reliable.
201. Based on the JPC Annual Statistics, the seven petitioner companies collectively account for ***% of total production in the case of HR Flat products, ***% in the case of CR Coils and Sheets, ***% in the case of Metallic coated steel, and ***% in the case of Colour coated steel as may be seen from the tables below.

Hot Rolled Flat Products

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI 1 Oct 23 to 30 Sep 24
Production- Domestic Industry	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	109	117	115
Production- Other Producers	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	102	113	117
Total Domestic Production (as per JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	106	116	116
Share of the DI in Total Domestic Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	103	102	100

CR coils and sheets

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI 1 Oct 23 to 30 Sep 24
Production- Domestic Industry	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	104	111	114
Production- Other Producers	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	87	106	103
Total Domestic Production (as per JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	95	109	109
Share of the DI in Total Domestic Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	110	102	106

Metallic Coated Steel

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI 1 Oct 23 to 30 Sep 24
Production- Domestic Industry	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	105	116	119
Production- Other Producers	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	101	128	119
Total Domestic Production (as per JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	104	119	119
Share of the DI in Total Domestic Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	101	97	100

Colour Coated Steel

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI 1 Oct 23 to 30 Sep 24
Production- Domestic Industry	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	117	113
Production- Other Producers	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	92	133	148
Total Domestic Production (as per JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	105	121	121
Share of the DI in Total Domestic Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	103	97	94

PUC as a whole

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
					1 Oct 23 to 30 Sep 24
Production- Domestic Industry	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100%	93%	86%	87%
Production- Other Producers	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100%	103%	89%	88%
Total Domestic Production (as per JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100%	97%	87%	87%
Share of the DI in Total Domestic Production	%	***	***	***	***
	Trend	100%	95%	98%	98%

202. One of the applicant companies, namely AMNS India Ltd. had imported *** MT of the PUC, constituting ***% of their total production of the PUC during the POI. The Authority notes that the imported volumes have been captively used and that the entity continues to be a major domestic producer of the PUC.
203. For the PUC as a whole, the seven petitioner companies collectively account for ***% of the total production in India during the POI. Accordingly, the Authority holds that the petition has been filed by or on behalf of the domestic industry within the meaning of Section 8B (11) (b) (ii) of the Act.

E. CONFIDENTIALITY

204. The domestic industry has provided some information in its application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The domestic industry has also provided a non-confidential version (NCV) of its application, as required under the Rules. Further, the domestic industry has submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.
205. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the confidentiality claims have been accepted, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

F. INCREASE IN IMPORTS

206. Rule 2 (c) of the Rules state that ‘increased quantity’ includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. The use of the word ‘or’ indicates that increase either in absolute terms or relative to domestic production is sufficient under the rules. Still, the Authority has examined the increase in imports both in absolute terms and relative to domestic production. In addition, increase in imports relative demand in India has also been examined. The analysis of volume of imports of the PUC into India is performed for the PUC as a whole, and for each of the five product categories thereof individually. Wherever necessary, the Authority made appropriate adjustments to the import data to account for the products/grades that have been excluded for the purposes of the preliminary findings.

Absolute Terms

207. First, analysis was carried out for the POI (Oct- 23 to Sep-24, and the three preceding FYs 2021-22, 2022-23 and 2023-24. In this analysis, first six months of the POI i.e. from Oct-23 to Mar-24 overlapped the FY 2023-24. Despite the overlap, the analysis helps understand the increase in imports during the most recent 12 months for which data is available. Secondly, data for the POI was compared to the corresponding 12 months of the previous years i.e. on an Oct – Sep basis. Thirdly, data for the last six months of the POI i.e. April 24 to Oct-24 was compared to the corresponding six months of the previous years.

Comparison I - POI data with the 3 preceding FYs

208. When data for the POI is compared to the three preceding FYs, imports of the PUC as a whole increased from 2.293 million MT (MMT) during 2021-22 to 6.612 MMT during the POI. The cumulative increase was 4.319 MMT or by 188%. On category-by-category comparison, imports of HR Coils and sheets increased by 2.978 MMT (299%) during POI as compared to FY 2021-22, HR Plate Mill Plates by 0.590 MMT (195%), CR Coils and sheets by 0.068 MMT (15%), Metallic coated steel by 0.422 MMT (111%), and Colour coated steel by 0.262 MMT (185%) as shown in the table below.

(Volume in '000s of MTs)

Product	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual				
HR Coils and Sheets	995	1,926	3,081	3,973
HR Plate Mill Plates	302	312	619	892
CR Coils and Sheets	473	578	515	541
Metallic Coated Steel	381	518	762	803
Colour Coated Steel	142	190	366	404
Total	2,293	3,524	5,344	6,612
Trend				
HR Coils and Sheets	100	194	310	399
HR Plate Mill Plates	100	103	205	295
CR Coils and Sheets	100	122	109	115
Metallic Coated Steel	100	136	200	211
Colour Coated Steel	100	134	259	285
Total	100	154	233	288

209. Further, imports of HR Coils and sheets, HR Plate Mill Plates, Metallic Coated Steel and Colour Coated Steel increased year after year. In the case of CR Coils and sheets increased from 0.473 MMT during FY 2021-22 to 0.578 MMT during FY 2022-23. It declined to 0.515 MMT during FY 2023-24 but increased again to 0.541 MMT during the POI. Despite a decline during 2023-24, imports of CR Coils and sheets increased by 0.068 MMT during POI as compared to the base year 2021-22.
210. On a year-to-year comparison, import volumes during 2022-23 increased by 1.231 MMT over 2021-22, during 2023-24 increased by 1.820 MMT over 2022-23 and imports during the POI increased by 1.521 MMT over 2023-24 as shown in the table below.

(Volume in '000s of MTs)

Product	2021-22	Increase during 2022-23	Increase during 2023-24	Increase during POI
HR Coils and Sheets	-	930	1,156	892
HR Plate Mill Plates	-	10	307	272
CR Coils and Sheets	-	106	-63	278
Metallic Coated Steel	-	137	244	41
Colour Coated Steel	-	48	176	38
Total	-	1,231	1,820	1,521

211. On a year-to-year comparison, CR coils and sheets declined marginally by 0.063 MMT during 2023-24 over 2022-23 but increased significantly during the POI over 2023-24. Imports of all the other four categories of PUC increased significantly year after year.

Comparison II – 12 months of Oct-Sep basis

212. When import data is compared on 12 months period of Oct-Sep basis, imports of the PUC as a whole increased by 4.043 MMT or by 157% during Oct-23 to Sep-24 compared to the base year. Of the five categories of PUC, four categories (except CR Coils and sheets) recorded a consistent increase year-after-year. Import of CR coils and sheets declined marginally by 0.010 MMT during the POI as compared to the previous 12 months period. Despite such a decline, imports of CR coils and sheets during the latest 12 months period were 0.081 MMT (18%) higher compared to the base period as shown in the table below:

(Volume in '000s of MTs)

Product	Oct-20 to Sep-21	Oct-21 to Sep 22	Oct-22 to Sep-23	Oct-23 to Sep- 24
Actual				
HR Coils and Sheets	1,167	1,158	2,309	3,973
HR Plate Mill Plates	375	316	397	892
CR Coils and Sheets	460	502	551	541
Metallic Coated Steel	369	427	608	803
Colour Coated Steel	198	163	255	404
Total	2,570	2,566	4,119	6,612
Trend				
HR Coils and Sheets	100	99	198	340
HR Plate Mill Plates	100	84	106	238
CR Coils and Sheets	100	109	120	118
Metallic Coated Steel	100	116	165	218
Colour Coated Steel	100	82	129	204
Total	100	100	160	257

Comparison III – Last six months of POI compared corresponding preceding periods

213. When import volume during the last six months of the POI was compared to the corresponding six months of the previous years, imports of PUC as a whole increased from 1.116 MMT during Apr-Sep 2021 to 3.253 MMT during Apr-Sep 2024 recording an increase of 2.137 MMT (191%) during the injury analysis period. Each of the five categories of the PUC also recorded significant increase during in import volumes.
214. The increase in imports during the last six months of the POI (Apr-Sep 2024) compared to the corresponding six months of the immediately preceding year (Apr-Sep2023) was 113%. The increase was 24% during the first six months of FY 2022 over FY 2021 and 54% during FY 2023 over FY 2022. Thus, the increase in imports was sharp during the last six months.

Relative terms

215. For this purpose, both demand and production (net of captive consumption) as per JPC's Annual Statistics were considered.

216. PUC as a whole: The volume of Imports relative to production increased from ***% during FY 2021-22 to ***% during the POI, an increase of ***%. During the same period, imports relative to demand in India increased from ***% to ***% as shown in the table below.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Imports	'000 MT	2,293	3,524	5,344	6,612
	Trend	100	154	233	288
Domestic Sales of DI	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	122	132	133
Total Demand (JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	115	129	139
DI Production (Excluding Captive Consumption)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	119	117
Imports relative to					
... Demand	%	***	***	***	***
	Trend	100	134	180	208
... Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	142	196	247
Market Share of DI	%	***	***	***	***
	Trend	100	106	102	95

217. HR Flat products: The volume of imports relative to production increased from ***% during FY 2021-22 to ***% during POI. During the same period, imports relative to demand increased from ***% to ***%.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Imports	'000 MT	1,297	2,238	3,701	4,864
	Trend	100	172	285	375
Domestic Sales of DI	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	122	134	132
Total Demand (JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	129	147	154
DI Production (Excluding Captive Consumption)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	110	121	118
Imports relative to					
... Demand	%	***	***	***	***
	Trend	100	134	194	244
... Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	157	236	318
Market Share of DI	%	***	***	***	***
	Trend	100	94	91	85

218. CR Coils and sheets: The imports relative to production increased from ***% during FY 2021-22 to ***% during the POI. During the same period, imports relative to demand increased from ***% to ***%

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Imports	'000 MT	473	578	515	541
	Trend	100	122	109	115
Domestic Sales of DI	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	116	126	127
Total Demand (JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	85	90	104
DI Production (Excluding Captive Consumption)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	100	110	111
Imports relative to					
... Demand	%	***	***	***	***
	Trend	100	143	120	110
... Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	122	99	104
Market Share of DI	%	***	***	***	***
	Trend	100	135	139	122

219. Metallic Coated Steel: Imports relative to production increased from ***% during FY 2021-22 to ***% during the POI. During the same period, imports relative to demand increased from ***% to ***%.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Imports	'000 MT	381	518	762	803
	Trend	100	136	200	211
Domestic Sales of DI	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	130	141	156
Total Demand (JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	113	132	146
DI Production (Excluding Captive Consumption)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	105	116	119
Imports relative to					
... Demand	%	***	***	***	***
	Trend	100	121	152	144
... Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	129	173	177
Market Share of DI	%	***	***	***	***
	Trend	100	115	107	107

220. Colour Coated Steel: The volume of imports relative to production increased from ***% during FY 2021-22 to ***% during the POI. During the same period, volume of imports relative to demand increased from ***% to ***% as shown in the table below.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Imports	'000 MT	142	190	366	404
	Trend	100	134	259	285
Domestic Sales of DI	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	117	118	117
Total Demand (JPC AS)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	113	127	127
DI Production (Excluding Captive Consumption)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	117	113
Imports relative to					
... Demand	%	***	***	***	***
	Trend	100	118	204	225
... Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	124	220	252
Market Share of DI	%	***	***	***	***
	Trend	100	103	93	92

221. The above analysis indicates that the volume of imports increased both in absolute terms, and relative to production and demand. The increase in import volumes by 4.319 MMT or by 188% during the injury analysis period is considered to be significant, sudden and sharp. An increase of 1.521 MMT during the POI compared to the immediately preceding FY indicates that it was recent, sudden and sharp. Comparison of imports of the PUC across different time buckets (which are adequately long and recent) in absolute numbers or relative imports (as a share of demand and production) unequivocally show a surge of imports. In view of the above, the Authority holds that the increase in the volume of imports of the PUC as a whole, and the five categories of PUC individually, has been recent, sudden, sharp and significant.

G. UNFORESEEN DEVELOPMENTS AND EFFECT OF OBLIGATIONS

222. The Act and the Rules do not refer to the term “unforeseen developments”. However, the Agreement on Safeguards read with Article XIX:1(a) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 is interpreted by Appellate Body³ to mean that an investigating authority is to assess ‘if as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products’. The Appellate Body has explained that the ordinary meaning of the phrase ‘as a result of unforeseen developments’ requires that developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been

³ Appellate Body Report, Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear (EC) paras. 78-98 <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/121ABR.pdf&Open=True> ; Appellate Body Report, Korea – Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Dairy Products, WT/DS/98 <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/98ABR.pdf&Open=True> paras. 76-92.

“unexpected⁴. Further, the Panel and Appellate Body in *US-Steel Safeguards* and *Korea-Dairy* have observed that unforeseen developments are developments that were not foreseen or expected at the time a Member incurred an obligation under GATT⁵. It has also been held that the term ‘Unforeseen developments’ denotes not a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but a certain set of circumstances to be demonstrated as a matter of fact⁶. The Panel in *US-Steel Safeguards* has also observed that *Article XIX does not preclude consideration of the confluence of multiple developments as “unforeseen developments”.....; that the confluence of developments can form the basis of “unforeseen developments” for the purposes of Article XIX of GATT 1994. It is for each Member to demonstrate that a confluence of circumstances that it considers were unforeseen at the time it concluded its tariff negotiations resulted in increased imports causing serious injury*⁷. Panels and Appellate Body have consistently held that there must be a logical connection between unforeseen developments and the increase in imports. The Appellate Body has observed that ‘*Investigating authorities must demonstrate the existence of unforeseen development as a matter of fact and a logical connection between the developments and the increase in imports causing injury to the domestic producers*’⁸.

223. In light of the above understanding, the Authority examines whether the facts on record in this case to determine whether the imports have surged as a result of unforeseen developments within the meaning of Article XIX:1(a) of the GATT 1947. The facts on record and their evaluation by the Authority is as follows:

224. The domestic industry has claimed that the volume of imports increased as a result of certain unforeseen developments, namely, (a) multiple trade protection measures against steel products by various WTO Member countries, (b) excess capacity and slowing demand in China, Japan, Korea and ASEAN countries, and (c) changes in ASEAN steel sector. It is necessary to determine whether the said developments are unforeseen and whether the increase in imports is attributable to these unforeseen developments.

a. Multiple trade protection measures

225. The current wave of trade protection measures against steel products was started by the United States, under Section 232 of the US Trade Expansion Act 1962 concluded that steel articles were being imported into the United States in such quantities and under such circumstances as to threaten to impair the national security of the United States, and imposed a 25% additional duty on all imports of steel products (Chapter 72 and 73) with effect from 23 March 2018. Though certain relaxations were given to certain countries, the 25% additional duty continues to be in force even today. In addition to the above, the United States has also introduced Section 301 tariffs on various goods originating from China including Chinese Steel at 25% from August 1, 2024.

226. In response to the imposition of Section 232 measures by USA on 23 March 2018, several countries imposed protective measures, some of which are listed below:

⁴ Appellate Body Report, Argentina – Footwear (EC) para 91, 96, Appellate Body Report, Korea – Dairy para. 84, 89.

⁵ Appellate Body Report, Korea – Dairy, WT/DS98, para 89 and Panel Report, US-Steel Safeguard, para 10.41

⁶ Appellate Body Report, Argentina – Footwear (EC) para. 92, Appellate Body Report, Korea – Dairy, para. 85

⁷ Panel Report, US-Steel Safeguard para. 10.99

⁸ Appellate Body Report, Korea-Dairy, paras. 81-82

- i On 15 May 2018, GCC imposed safeguard measures in the form of a specific rate of duty on products falling under HSN Heading 7210. The measure expired on 14 May 2021.
- ii On 18 July 2018, EU imposed safeguard measures in the form of TRQ with over the quota tariff of 25% on all products falling under HSN headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226. The measure still continues.
- iii On 31 Dec 2018, Morocco imposed Safeguard measures on in the form of a TRQ with an over the quota tariff of 16% on products falling under HSN headings 7209, 7210, 7211, 7212, 7225, and 7226. The measures expired recently on 31 Dec 2024. On 19 June 2020, Morocco imposed safeguard duty of 25% (no quota) on certain steel products. The measure still continues.
- iv GCC imposed a safeguard measure under HSN heading 7210 on 15 May 2018 which expired on 14 May 2021.
- v The Board of Eurasian Economic Commission imposed a safeguard measure in form of quota under HSN headings 7208, 7211, 7225, 7226 on 1 December 2019, which was in force for a year.
- vi Canada imposed a safeguard measure under HSN heading 7306, 7305, 7304, 7227, 7226, 7225, 7223, 7214, 7213, 7212, 7210, 7211, 7208, 7208, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7223, 7225, 7226, 7227, 7304, 7305, 7306, 7305, 7208, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7223, 7225, 7226, 7227, 7304, 7305, 7306, 7210, 7208, 7306, 7304, 7227, 7226, 7225, 7223, 7214, 7213, 7212, 7211 in form of tariff rate quota on May 13, 2019. The measure expired in May 2021.
- vii UK imposed safeguard measure in form of tariff rate quota under the HSN headings 720853, 720853, 720852, 720852, 720840, 720839, 720838, 720837, 720836, 720827, 720826, 720825, 722691, 720810, 720854, 721113, 721114, 721119, 721260, 722519, 722530, 722530, 722530, 722540, 722540, 722619, 722691, 722691, 720854, 720810, 720825, 720826, 720827, 720836, 720837, 720838, 720839, 720840, 720852, 720852, 720853, 720853, 722691, 721113, 721114, 721119, 721260, 722519, 722530, 722530, 722530, 722540, 722540, 722619, 722691, 722691. The measure still continues.

227. In addition to the safeguard measures, several WTO Members imposed Antidumping or countervailing duties on imports of steel products into their territories. According to an OECD Report, 129 trade remedy measures were adopted by countries such as the

EU, Canada, the UK and others against steel products. The trend of trade protection measures displays a progressively growing tendency on the part of WTO Members to initiate trade remedy measures against steel in response to influx of imports. An average of 77 steel-related investigations were initiated between 2011-2013, which increased to 117 during 2015-16⁹; and 129 between 2019-23. Furthermore, in the period January to September 2024, as many as 67 new anti-dumping investigations have been initiated globally, which represents the highest number of trade remedy actions observed since the excess capacity crisis of 2015-16¹⁰. Over 70% of the number of investigations against steel products between 2019-23¹¹ were targeted against steel flat products.

228. The Authority holds that the surges witnessed in trade remedy actions during 2019 - 2024 in major global markets despite the high number of trade protection measures on steel existing prior to 2019 are unforeseen and that the unprecedented number of such measures is by itself unforeseen.

b. Excess capacity and slowing demand

229. According to an OECD report on 'latest developments in steelmaking capacity'¹², global steelmaking capacity posted four consecutive years of growth in the period 2019-2022. In 2022 alone, global steelmaking capacity increased by 32.1 MMT to 2459.1 MMT, the highest global capacity figure in history. The increases seen in global capacity in 2022 was larger than the capacity levels of some large steel-producing economies (for example Vietnam, with a capacity of 26 MMT in 2022).
230. Further, there is a gap between global capacity and crude steel production indicating significant excess capacity globally. The excess capacity surged to 627.7 MMT in 2022 from 512.6 MMT in 2021. Excess steelmaking capacity data relates to crude steelmaking capacity. The producers must convert crude steel into saleable steel, which would then be converted into longs or flat steel products. While the share of excess capacity specific to longs or flats may not be equal, excess crude steelmaking capacity is representative of the unutilised significant assets adding to fixed costs and seriously affecting the steel producers around the globe. Such an increase in excess capacity poses grave risks for the long-term health and viability of the steel industry.
231. The steel consumption in Japan is significantly less compared to its steel capacity and the Japanese steel industry is highly export oriented. Crude steel capacity and consumption of steel in Japan are as follows:

Particulars	2021	2022	2023
Crude Steel Capacity	122.4	122.4	117.8
Crude Steel Consumption	63.6	60.8	58.7
Excess Capacity Compared to Consumption	58.8	61.6	59.1

⁹ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/104, L 12/14, Para. 14

¹⁰ OECD, 96th Session of the Steel Committee: Statement by the Chair

¹¹ OECD, Steel Trade and Trade Policy Developments (Jan. – Jun. 2023)

¹² OECD Report dated 18 January 2024

Excess Capacity as a percentage of consumption	92%	101%	101%
--	-----	------	------

(Source: World Steel Association)


232. Similarly, steel capacity in South Korea is significantly higher than its steel consumption, and the South Korean steel industry is highly export oriented as shown below:

Particulars	2021	2022	2023
Crude Steel Capacity	81.6	81.6	81.6
Crude Steel Consumption	58.4	53.4	54.6
Excess Capacity Compared to Consumption	23.2	28.2	27
Excess Capacity as a percentage of consumption	40%	53%	49%

(Source: World Steel Association)

- c. In 2020, China introduced the “Three Red Lines” policy to control the excessive borrowing of property developers. This policy set strict limits on debt ratios, which many developers failed to meet, leading to restricted borrowing and financial strain, including defaults on debt repayments.¹³ As a result, the real estate sector witnessed a significant decline in demand resulting in stalling or disruption of numerous construction projects. Consequently, China’s real-estate investments have slid down 2021 onwards and declined by 10.2% during January to July 2024. This led to a decline in the domestic steel consumption of long products in China. China’s steel industry tried multiple strategies to mitigate the fall in domestic steel demand from the construction sector. For one, mills shifted production from longs to flats. As may be seen from the graph below, flat products production share increased from 50% to 59%, while long products went down correspondingly.

¹³ UBS, “China’s Three Red Lines: Opportunities in China real estate”, <https://www.ubs.com/global/en/assetmanagement/insights/thematic-viewpoints/apac-and-emerging/articles/china-three-red-lines.html>

Chart 14: Share of Flat & Long Products in Total Production

Source: WSA, Estimated Contributions

233. One of the additional reasons for the recalibration has also been the exportability of flat products as opposed to long products, to overseas markets. This led to an increase in exports of flat products from China PR.
234. The Authority holds the above developments taking into account the volume of excess capacity as unforeseen. Similarly, the significant shift in the volume of production from long products to flat products that occurred in China is also unforeseen.

d. Changes in ASEAN region Steel sector

235. In 2019, it was reported that almost half of the existing overseas capacity from Chinese Mills were located in ASEAN and that various Chinese mills are setting up capacities in the ASEAN region.¹⁴ ASEAN region is expected to significantly increase crude steel production capacity. The ongoing excess capacity itself is at a risk of significant escalation. The increase in overcapacity is also directly responsible for the increase in imports of steel flat products into India, since overcapacity prompts producers to offload excess capacity through exports in third-country markets.
236. Despite declining steel demand, and a weak outlook, capacity expansion continues at a robust pace. For instance, Vietnam, a net steel export destination for Indian steel industry in the past, is now a net steel exporter to India. New capacities being added in ASEAN countries such as Vietnam, Cambodia, Singapore, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines are mainland Chinese investments.
237. The Authority has carefully perused the above changes in the Steel sector. It notes that the changes in the ASEAN steel sector considering the extent of such changes appear to be unforeseen. At the time of undertaking obligations under the GATT, India could

¹⁴ [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/03/ISEAS_Perspective_2020_50.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2020/03/ISEAS_Perspective_2020_50.pdf).

not have expected that in China, a policy such as the 'Three Red Lines' would affect the construction sector and lead to a fall in the domestic consumption of steel long products, such that the production of flat products would rise. Neither could India have foreseen that favorable export market conditions could arise for steel flat products in overseas markets, and that the capacity of steel production could increase at a pace as to substantially exceed the level of internal consumption, thus leading to excess capacities despite weakening demand. Nor could India expect that this would, in turn, lead to vehement trade protection measures in light of the overall steel industry situation. Furthermore, India could also not have expected at the time of negotiating concessions that China's excess capacities and exports would spill over to countries in the ASEAN, along with Korea and Japan - which would also develop massive excess capacities over their consumption levels, and become heavily export-oriented. All the afore mentioned developments and circumstances account for more than a mere change in capacity, production or changes in market positioning. The Authority thus is of the view that the cumulative effect of the confluence of the developments narrated above was clearly unforeseen.

e. Logical connection between the unforeseen developments and increase imports

238. The domestic industry claims that (a) the surge in imports of the article under investigation follows the imposition of trade protection measures and the other developments mentioned above; and (b) the increase in imports can be attributed to the confluence of several unforeseen developments such as multiple trade protection measures against steel, excess capacity and slowing demand in China, Japan, Korea and ASEAN, and changes in ASEAN steel sector. This confluence of simultaneous protectionism and export orientation has led to the flooding of the Indian market - the only growing, large steel consuming market that has not imposed any protective measures.
239. The Authority finds that imports of the product concerned (falling under HSN Tariff Headings 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226) into the USA declined by 2.183 MMT in 2023 compared to 2021 as may be seen in the table below:

(Quantity in MTs)

County	CY 2021	CY 2022	CY 2023	Cumulative decline in imports into USA	Increase in imports into India between 2021-2023
China	140,886	209,118	92,010	(48,876)	801,595
Japan	463,837	438,808	351,232	(112,605)	443,030
Korea, RP	1,361,971	1,259,274	1,152,649	(209,322)	394,752
Viet Nam	679,022	660,413	249,938	(429,084)	847,437
Others	8,131,981	8,102,976	7,062,825	(1,069,156)	35,619
Total	1,334,940	11,151,458	9,151,127	(2,183,813)	2,522,433

(source: Trade map database)

240. During the corresponding period, imports of the product concerned into India has recorded a significant increase. For instance, Imports from Japan into USA declined by 112,605 MT during the period 2021-2023 whereas imports from Japan to India increased by 443,030 MT. It appears that the decline in imports from Japan to USA appears to be a significant cause of increase in imports into India from Japan. Similarly, decline in imports into USA from China, Korea, Viet Nam, also appears to have contributed to the increase in imports into India from such countries.
241. As a cumulative effect of the developments mentioned above, imports of PUC from China PR increased by more than 5 times as shown in the table below:

(Volume in '000s of MTs)

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI	Cumulative Increase
HR Coils and Sheets	55	137	573	790	735
HR Plate Mill Plates	31	85	293	416	385
CR Coils and Sheets	24	21	24	50	26
Metallic Coated Steel	44	34	89	72	28
Colour Coated Steel	74	93	244	288	214
Total	228	370	1,223	1,616	1,388

242. Similarly, imports from Japan recorded a significant surge as shown in the table below:

(Volume in '000s of MTs)

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI	Cumulative Increase
HR Coils and Sheets	73	306	593	1,121	1,048
HR Plate Mill Plates	56	59	22	66	10
CR Coils and Sheets	76	92	113	112	36
Metallic Coated Steel	116	94	130	134	18
Colour Coated Steel	7	7	7	9	2
Total	328	558	865	1,442	1,114

243. Imports from Korea RP also increased significantly as shown though there was a marginal decline in the imports of CR Coils and sheets.

(Volume in '000s of MTs)

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI	Cumulative Increase
HR Coils and Sheets	866	1052	1295	1353	487
HR Plate Mill Plates	116	104	234	340	224
CR Coils and Sheets	366	441	344	345	-21
Metallic Coated Steel	198	284	385	432	234
Colour Coated Steel	49	59	71	70	21
Total	1,595	1,940	2,329	2,539	945

244. The Authority is of the view that there exists sufficient temporal connection between unforeseen developments and the surge in imports.
245. The Authority also notes that on 10 February 2025, the USA has announced that it would apply 25% additional duty on steel products with effect from 12 March 2025 uniformly on all imports into the USA from all sources by revoking relaxations and exemptions granted, if any, to various countries. The domestic industry has claimed that consequent to the withdrawal of relaxations and exemptions, more imports are expected to bounce off from those countries and India has become more vulnerable to increased imports. However, it may be difficult to visualize the impact of this development at this stage.

H. EFFECT OF OBLIGATIONS UNDER GATT

246. In terms of Article XIX:1 (a) of GATT 1947 the increase in imports shall be ‘of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions’. Some guidance may be taken from the Panel or Appellate Body reports on interpreting this text. Firstly, the Appellate Body in Korea-Dairy opined: “it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions”.¹⁵ Secondly, in the report of the Panel in India – Certain Measures On Imports Of Iron And Steel Products¹⁶, it has been observed as follows:

“7.87. A WTO Member imposing a safeguard measure must demonstrate the existence of unforeseen developments and the effect of GATT 1994 obligations through reasoned and adequate explanations contained in its published report. These explanations must

¹⁵ Appellate Body Report, *Korea – Dairy*, para. 84; Appellate Body Report, *Argentina – Footwear (EC)*, para. 91.

¹⁶ Panel Report, *India – Certain Measures On Imports Of Iron And Steel Products*, para 7.87, 7.89.

show that the identified unforeseen developments have resulted in increased imports causing or threatening to cause serious injury to the relevant domestic industry, and that one or more obligations under the GATT 1994 limit the importing Member's ability to prevent or offset the effect resulting from such increased imports.

7.89. With respect to the effect of a GATT 1994 obligation, the competent authority's published report must demonstrate that a WTO Member imposing a safeguard measure is subject to an obligation (or obligations) under the GATT 1994 and explain how that obligation constrains its ability to react to the import surge causing injury to its domestic industry.”

247. As a matter of fact, India has granted tariff concessions pursuant to Article II of GATT 1947. In its schedule of concessions, India has bound the customs duty at 40% for the product under investigation. In so far as the question relating to how the obligations constrain India's ability to react to the import surge causing injury to its domestic industry, the following are relevant:
- i. India is a developing country with legitimate development policy objectives. With these objectives, India's National Steel Policy announced in 2017 aspires to achieve 300 MT of steelmaking capacity by 2030. This would translate into additional investment of Rs. 10 lakh Crore by 2030- 31. The policy seeks to increase consumption of steel and major segments are infrastructure, automobiles and housing. New Steel Policy seeks to increase per capita steel consumption to the level of 160 Kgs by 2030 from existing level of around 60 Kg.
 - ii. The above stated legitimate developmental policy objectives cannot be achieved if increased imports cause serious injury to the domestic steel industry. Several obligations undertaken by India under GATT 1947 and other WTO Agreements have constrained India's ability to react to import surge. The following Articles under GATT 1947 may be cited as examples:
 - i Article I casts an obligation to grant most favoured nation treatment to every WTO Member restricting India's ability to apply differential rates of customs duty on the imports from a WTO Member if import volume from that country has significantly increased causing serious injury.
 - ii Article XI casts an obligation prohibiting the use of quotas, import or export licenses, or other measures that restrict the quantity of imports or exports and ensures that trade flows remain as unrestricted as possible.
 - iii Article XVI and the SCM Agreement cast obligations to not maintain subsidies that are inconsistent with the principles enumerated therein.
248. The Authority notes the following with reference to these obligations. First, the obligations mentioned above have increased the access to India's steel market for the exporters from other WTO Members. Second, in situations where unforeseen circumstances or a confluence of such factors lead to a surge in imports into the domestic market, these obligations severally as well as collectively limit India's ability to take specific and targeted measures against other members of the WTO responsible for the increased imports.
249. Safeguard measures are intended to address such situations. Safeguard measures are fair-trade measures, unlike Anti-Dumping or Countervailing Measures. They are taken

only for the purpose of supporting the domestic industry in times of increased, unfavourable and unforeseen imports that cause or threaten to cause permanent damage to the domestic industry from which it becomes highly difficult or even impossible to recover.

250. In these instances, obligations within the WTO framework are suspended to protect domestic industries which could prove to be highly competitive and efficient in the future with the help of some interim interventions, and ultimately benefit global trade by preserving industries that can compete at the global level.
251. While it is noted that the applied tariff on the product under consideration is significantly less than the bound rate, the Authority holds that safeguard measure provides an appropriate tool as an interim mechanism with concomitant discipline to address the situation under investigation which a general purpose duty enhancement might not be able to achieve as effectively.
252. In view of the above, the Authority holds that as a result of unforeseen developments and of the effects of obligations incurred under GATT 1947, including tariff concessions, the product under consideration is being imported into India in increased quantities

I. SERIOUS INJURY AND/OR THREAT OF SERIOUS INJURY

253. Paragraph 1 of Annexure to the Safeguard Rules states that in the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment. Accordingly, the injury parameters specified in the rules are examined hereinbelow.

i Rate and amount of increase in imports in absolute and relative terms:

254. As already stated, (a) there was a significant increase in the volume of imports in absolute and relative terms, (b) volume of imports increased at a significantly high rate in absolute and percentage terms, and (c) the increase in import volume was recent, sudden, sharp and significant.

ii Share of Domestic market taken by increased imports

255. As already stated, changes in the market share of imports are tabulated below:

Product	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
HR Steel Flat Products	%	***	***	***	***
	Trend	100	134	194	244
CR Coils and Sheets	%	***	***	***	***

	Trend	100	143	120	110
Metallic Coated Steel	%	***	***	***	***
	Trend	100	121	152	144
Colour Coated Steel	%	***	***	***	***
	Trend	100	118	204	225
For the PUC as a whole	%	***	***	***	***
	Trend	100	134	180	208

256. The imports took away ***% of the share of domestic industry for the PUC as a whole during the injury analysis period as shown in the table above. Market share of imports increased by ***% for HR Steel flat products, by ***% for CR coils and sheets, ***% for Metallic Coated Steel and ***% for colour coated steel during the same period.

iii Changes in level of sales

257. The sales volumes of the domestic industry for the product as a whole increased by ***% during injury analysis period. It increased by ***% during 2022-23, a further ***% during 2023-24 and ***% during the POI as may be seen from the table below.

'000s of MT

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI
HR Coils and Sheets	***	***	***	***
HR Plate Mill Plates	***	***	***	***
CR Coils and Sheets	***	***	***	***
Metallic Coated Steel	***	***	***	***
Colour Coated Steel	***	***	***	***
PUC as whole	***	***	***	***
Trend				
HR Coils and Sheets	100	127	142	140
HR Plate Mill Plates	100	106	107	105
CR Coils and Sheets	100	116	126	127
Metallic Coated Steel	100	130	141	156
Colour Coated Steel	100	117	118	117
PUC as whole	100	122	132	133

258. In so far as the five categories are concerned, sales of HR Coils and sheets increased by ***%, HR Plate Mill Plates by ***%, CR coils and sheets by ***%, Metallic Coated by ***% and colour coated by ***% during the POI compared to the base year. However, there was a decline of ***% in HR Coils and Sheets, ***% in HR Plate Mill Plates, ***% in Colour Coated Steel during the POI compared to 2023-24 .

iv Changes in capacity, production and capacity utilisation

259. PUC as a whole: The capacity of the domestic industry for the PUC as a whole increased from *** MMT during FY 2021-22 to *** MMT during the POI, recording an increase

of ***MMT. During the same period, production increased by *** MMT, and capacity utilization came down by ***%. While production increased during the two financial years preceding the POI, production declined during the POI. The production was ***MMT during 2023-24, and it declined to ***MMT during the POI. The unutilized capacity, which was ***MMT during FY 2021-22 increased to ***MMT during the POI. The unutilized capacity as at the end of the POI for the product as a whole is more than sufficient to cover the entire import volume of ***MMT during the POI.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	114	118	117
Production (PUC+NPUC)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	107	116	115
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	100	94	98	98
Unutilised Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	152	130	127

260. HR Coils and sheets: The capacity increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI, recording an increase of ***MMT during the period. Production increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI. While production increased during the two financial years preceding the POI over the corresponding previous years, production declined during the POI. The capacity utilization increased by ***% and the unutilized capacity declined by ***MMT during the period. However, the unutilized capacity of ***MMT is sufficient to meet more than ***% of imports of HR coils and sheets. It is also noted that actual production included both PUC and non-PUC as the plants would produce both PUC and non-PUC. However, non-PUC accounted for less than ***% of the total production and was insignificant.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	115	117	113
Production (PUC+NPUC)	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	110	119	117
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	100	96	102	103
Unutilised Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	149	102	89

261. HR Plate Mill Plates: There was no increase in the capacity of the domestic industry for producing HR Plate Mill Plates during the injury analysis period. Production increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during POI. Production increased every year compared to the corresponding previous year during the injury analysis period. The capacity utilization increased by ***% during the injury analysis period. The unutilized capacity of ***MMT was significantly higher than the import of ***MMT during the POI.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	100	100	100
Production	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	103	106	103
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	100	103	106	103
Unutilised Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	85	75	88

262. CR Coils and Sheets: Capacity increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI, recording an increase of ***MMT. As against such an increase in capacity, production increased by ***MMT only during the said period. Production increased every year compared to the corresponding previous year during the injury analysis period. The unutilized capacity was ***MMT against total import of ***MMT during the POI. The unutilized capacity was more than *** times the import volume, indicating significant underutilization of capacity.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	119	127	127
Production	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	104	111	114
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	100	87	88	90
Unutilised Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	183	190	179

263. Metallic Coated Steel: Capacity increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI. During the same period, while actual production increased from ***MMT to ***MMT, capacity utilization declined by ***. Production increased every year compared to the corresponding previous year during the injury analysis period. The unutilized capacity of ***MMT was more than twice the volume of imports during the POI.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	116	120	126
Production	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	105	116	119
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	100	91	96	95
Unutilised Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	166	142	157

264. Colour Coated Steel: Capacity increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI. During the same period, production increased from ***MMT to

***MMT, and the capacity utilization declined steeply from ***% to ***%. Production increased every year compared to the corresponding previous year during the injury analysis period. The unutilized capacity of *** MMT was *** times that of imports during the POI.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	120	132	135
Production	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	109	117	113
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	100	90	89	84
Unutilised Capacity	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	172	198	231

v **Gross Production, captive consumption and production net of captive consumption**

265. The gross production of the domestic industry increased during the injury analysis period as shown in the table below:

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
HR coils, sheets and plates	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	110	119	117
HR Plate Mill Plates	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	103	106	103
CR coils and sheets	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	104	111	114
Metallic Coated Steel	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	105	116	119
Colour Coated Steel	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	109	117	113
Total	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	107	116	115

266. The captive consumption by the domestic industry was as follows:

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
HR coils, sheets and plates	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	104	105	106
HR Plate Mill Plates	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	128	118	89
CR coils and sheets	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	106	112	116
Metallic Coated Steel	'000 MT	***	***	***	***

	Trend	100	104	109	106
Colour Coated Steel	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	120	65	41
Total	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	105	108	109

267. Production net of captive consumption is as follows:

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
HR coils, sheets and plates	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	112	126	122
HR Plate Mill Plates	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	103	105	103
CR coils and sheets	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	100	110	111
Metallic Coated Steel	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	106	120	127
Colour Coated Steel	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	118	114
Total	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	119	118

268. For the PUC as a whole and for the five product categories individually, gross production increased during the injury analysis period, but the unutilized capacity also increased significantly, indicating the vulnerability of the domestic industry to increasing import volumes. The production net of captive consumption increased during 2022-23 and 2023-24 but declined by *** MMT during the POI.

vi Productivity

269. For the PUC as a whole: Due to a decline in the production volume of HR Coils and sheets during the POI as compared to FY 2023-24, productivity per day recorded a decline during the same period, though productivity per day per employee remained constant. Productivity per employee increased during the injury analysis period indicating that productivity was not a cause of injury to the domestic industry.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	100	107	116	115
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	97	107	108
Productivity per day per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	100	100	100

270. HR Coils and sheets: Similar to the PUC as a whole, production of HR Coils and sheets declined during the POI as compared to 2022-23 and consequently led to a decline in

volume of production per day and production per employee during the POI. However, the productivity per day per employee did not suffer. It increased during 2023-24 and remained at the increased level during the POI.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	100	110	119	117
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	101	113	112
Productivity per day per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	100	113	113

271. HR Plate Mill Plates: Productivity per day increased during 2022-23 and 2023-24 compared to the corresponding previous years. However, as the production during POI declined compared to 2023-24, productivity per day also declined during POI. Productivity per employee marginally declined in 2022-23 but increased significantly during 2023-24, and during the POI. Productivity per day per employee remained constant throughout the injury analysis period.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	100	103	106	103
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	99	113	116
Productivity per day per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	100	100	100

272. CR Coils and sheets: Productivity per day increased every year and the POI during the injury analysis period. Productivity per employee declined in 2022-23 compared to 2021-22 but increased thereafter. Productivity per day per employee was ***MT during 2021-22 but remained at ***MT thereafter.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	100	104	111	114
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	82	86	87
Productivity per day per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	87	87	87

273. Metallic Coated Steel Productivity per day increased every year during the entire injury analysis period. Productivity per employee declined during 2022-23 compared to 2021-22, but increased thereafter. Productivity per day per employee remained at ***MT during the injury analysis period except during 2022-23 when it was ***MT.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	100	105	116	119
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	90	95	100
Productivity per day per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	90	100	100

274. Colour Coated Steel: Productivity per day increased during 2022-23 and 2023-24 compared to the corresponding previous years. However, it declined during the POI due to the decline in the volume of production. While productivity per employee increased through the injury period, productivity per day per employee remained at ***MT during the first two years and at ***MT during 2023-24 and the POI.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	117	113
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	124	125
Productivity per day per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	100	108	124	125

275. The Authority considers that changes in productivity per day is reflective of the changes in the volume of production. As the volume of production declined during the POI as compared to the FY 2023-24, productivity per day also declined. There is no significant change in the productivity per employee or productivity per day per employee. Thus, the Authority holds that decline in productivity did not cause any serious injury to the domestic industry.

vii Changes in inventory levels

276. PUC as a whole: Average inventory of the PUC as a whole almost doubled as it increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI. The trend was similar in terms of number of days of production as well as sales.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Average Inventory	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	133	180	203
Average Inventory as no. of days of production	Days	***	***	***	***
	Trend	100	125	163	188
Average Inventory as no. of days of Sales	Days	***	***	***	***
	Trend	100	123	146	169

277. HR Coils and sheets: Average inventory of HR Coils and sheets increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI. During the same period,

average inventory as number of days production increased from ***days to ***days, and as number of days of sales, it increased from ***days to ***days.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Average Inventory	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	134	182	195
Average Inventory as no. of days of production	Days	***	***	***	***
	Trend	100	122	152	167
Average Inventory as no. of days of Sales	Days	***	***	***	***
	Trend	100	120	145	162

278. HR Plate Mill Plates: Average inventory increased to ***times during the POI compared to 2021-22. In terms of no. of days of production, it increased by *** days, and in terms of no. of days of sales, it increased by *** days.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Average Inventory	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	122	198	262
Average Inventory as no. of days of production	Days	***	***	***	***
	Trend	100	118	188	255
Average Inventory as no. of days of Sales	Days	***	***	***	***
	Trend	100	121	196	268

279. CR Coils and sheets: Average inventory of CR Coils and sheets increased from ***MMT during 2021-22 to ***MMT during the POI. During the same period, both in terms of no. of days of production and sales, it recorded a significant increase.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Average Inventory	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	135	160	158
Average Inventory as no. of days of production	Days	***	***	***	***
	Trend	100	130	144	139
Average Inventory as no. of days of Sales	Days	***	***	***	***
	Trend	100	135	143	142

280. Metallic Coated Steel: Average inventory increased from ***MMT during 2021-22 to *** MMT during the POI. In terms of no. of days of production, it increased by ***days and in terms of no. of days of sales, it increased by *** days.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Average Inventory	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	135	174	204
Average Inventory as no. of days of production	Days	***	***	***	***
	Trend	100	128	150	171

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Average Inventory as no. of days of Sales	Days	***	***	***	***
	Trend	100	130	145	161

281. Colour Coated Steel: Average inventory increased from *** MMT during 2021-22 to *** MMT during the POI. In terms of no. of days of production, it increased from *** days to ***days, and in terms of no. of days of sales, it increased from ***days to ***days during the injury analysis period.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI
Average Inventory	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	141	192	238
Average Inventory as no. of days of production	Days	***	***	***	***
	Trend	100	130	164	210
Average Inventory as no. of days of Sales	Days	***	***	***	***
	Trend	100	136	164	213

282. Average inventory of the PUC as a whole and each of the five categories thereof have increased significantly during the injury analysis period.

viii Changes in Profits and losses

283. For PUC as a whole: The Profit Before Tax (“PBT”) declined from Rs. *** crores during 2021-22 to Rs. *** crores during 2022-23, recording a year-on-year decline of ***%. It increased during 2023-24 but declined again during the POI. PBT during the POI was only ***% of the PBT achieved during the base year 2021-22. PBIT and cash profit also follow a similar trend. PBT per MT, PBIT per MT and cash profit per MT declined by **%, **% and **% respectively during the POI compared to the base year 2021-22.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual					
Profit Before Tax	Rs. In crores	***	***	***	***
PBIT	Rs. In crores	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. In crores	***	***	***	***
Profit Before Tax	Rs. PMT	***	***	***	***
PBIT	Rs. PMT	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. PMT	***	***	***	***
Trend					
Profit Before Tax	Trend Actual	100	7	35	24
PBIT	Trend Actual	100	25	50	41
Cash Profit	Trend Actual	100	20	47	38

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Profit Before Tax	Trend PMT	100	6	27	18
PBIT	Trend PMT	100	21	38	31
Cash Profit	Trend PMT	100	16	35	29

284. HR Coils and sheets: PBT on HR coils and sheets declined from Rs. ***crores during 2021-22 to Rs. *** crores during the POI, recording a decline of ***%. PBT declined during 2022-23 by ***% compared to 2021-22. It increased during 2023-24, but declined again during the POI. The trend in cash profits was also similar. PBT per MT reduced from Rs. *** during 2021-22 to Rs. *** during the POI, a decline of ***%.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual					
Profit Before Tax	Rs. In crores	***	***	***	***
PBIT	Rs. In crores	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. In crores	***	***	***	***
Profit Before Tax	Rs. PMT	***	***	***	***
PBIT	Rs. PMT	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. PMT	***	***	***	***
Trend					
Profit Before Tax	Trend Actual	100	11	38	22
PBIT	Trend Actual	100	29	54	42
Cash Profit	Trend Actual	100	25	50	37
Profit Before Tax	Trend PMT	100	9	26	16
PBIT	Trend PMT	100	23	38	30
Cash Profit	Trend PMT	100	20	35	27

285. HR Plate Mill Plates: PBT declined from Rs. *** crores during 2021-22 to Rs. *** during the POI, a decline of ***%. During the same period, PBIT declined by ***% and cash profits by ***%. PBT per MT, PBIT per MT and cash profit per MT also showed a similar trend. PBIT per MT declined from Rs. *** PMT during 2021-22 to Rs. *** PMT during the POI.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual					
Profit Before Tax	Rs. In crores	***	***	***	***
PBIT	Rs. In crores	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. In crores	***	***	***	***
Profit Before Tax	Rs. PMT	***	***	***	***
PBIT	Rs. PMT	***	***	***	***

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cash Profit	Rs. PMT	***	***	***	***
Trend					
Profit Before Tax	Trend Actual	100	25	53	53
PBIT	Trend Actual	100	37	61	59
Cash Profit	Trend Actual	100	37	62	63
Profit Before Tax	Trend PMT	100	24	50	51
PBIT	Trend PMT	100	35	57	56
Cash Profit	Trend PMT	100	35	58	60

286. CR Coils and sheets: PBT declined from Rs. *** crores during 2021-22 to Rs. *** crores during the POI recording a steep decline of ***%. During the same period, PBIT declined by ***% and cash profits by ***%. PBT per MT, PBIT per MT and cash profit per MT also showed a similar trend. PBIT per MT declined from Rs. *** PMT during 2021-22 to a paltry Rs. ***PMT during the POI, showing a decline of ***%.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual					
Profit Before Tax	Rs. In crores	***	***	***	***
PBIT	Rs. In crores	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. In crores	***	***	***	***
Profit Before Tax	Rs. PMT	***	***	***	***
PBIT	Rs. PMT	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. PMT	***	***	***	***
Trend					
Profit Before Tax	Trend Actual	100	0	15	9
PBIT	Trend Actual	100	17	30	26
Cash Profit	Trend Actual	100	12	28	22
Profit Before Tax	Trend PMT	100	0	12	7
PBIT	Trend PMT	100	14	24	20
Cash Profit	Trend PMT	100	11	22	17

287. Metallic Coated Steel: PBT was Rs. *** crores during 2021-22. It turned into a loss of Rs. *** crores during 2022-23. PBT improved to slightly above the breakeven level by reaching a profit of Rs. *** crores during 2023-24 but turned again into a loss of Rs. *** crores during the POI. On a per MT basis, PBT declined from a profit of Rs. *** PMT during 2021-22 to a loss of Rs. *** during the POI, showing a decline of ***%.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual					
Profit Before Tax	Rs. In crores	***	(***)	***	(***)
PBIT	Rs. In crores	***	(***)	***	***
Cash Profit	Rs. In crores	***	(***)	***	***
Profit Before Tax	Rs. PMT	***	(***)	***	(***)
PBIT	Rs. PMT	***	(***)	***	***
Cash Profit	Rs. PMT	***	(***)	***	***
Trend					
Profit Before Tax	Trend Actual	100	(54)	3	(2)
PBIT	Trend Actual	100	(19)	24	22
Cash Profit	Trend Actual	100	(40)	14	11
Profit Before Tax	Trend PMT	100	(41)	2	(1)
PBIT	Trend PMT	100	(15)	17	14
Cash Profit	Trend PMT	100	(31)	10	7

288. Colour Coated Steel: PBT declined from Rs.*** crores during 2021-22 to Rs. *** crores during the POI recording a steep decline of **%. During the same period, PBIT declined by **% and cash profits by **%. PBT per MT, PBIT per MT and cash profit per MT also showed a similar trend. PBIT per MT declined from Rs. *** PMT during 2021-22 to Rs. *** PMT during the POI, showing a decline of **%.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual					
Profit Before Tax	Rs. In crores	***	***	***	***
PBIT	Rs. In crores	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. In crores	***	***	***	***
Profit Before Tax	Rs. PMT	***	***	***	***
PBIT	Rs. PMT	***	***	***	***
Cash Profit	Rs. PMT	***	***	***	***
Trend					
Profit Before Tax	Trend Actual	100	8	49	34
PBIT	Trend Actual	100	32	61	47
Cash Profit	Trend Actual	100	15	54	43
Profit Before Tax	Trend PMT	100	7	41	29
PBIT	Trend PMT	100	27	52	40
Cash Profit	Trend PMT	100	13	46	37

289. The profitability of the domestic industry declined during 2022-23 compared to 2021-22. It increased marginally during 2023-24 but declined again during the POI.

Compared to the base year, profitability during the POI stands eroded significantly. This shows that the financial position of the domestic industry is highly fragile and vulnerable.

ix **Changes in employment**

290. From a level of ***employees during 2021-22, the number of employees increased to ***during 2022-23. The industry suffered significant losses during 2022-23. As one of the measures to reduce costs, the number of employees was reduced to ***in 2023-24 and further to ***during the POI. However, the number of employees during the POI was ***% higher compared to 2021-22.

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual				
HR Coils and Sheets	***	***	***	***
HR Plate Mill Plates	***	***	***	***
CR Coils and Sheets	***	***	***	***
Metallic Coated Steel	***	***	***	***
Colour Coated Steel	***	***	***	***
PUC as whole	***	***	***	***
Trend				
HR Coils and Sheets	100	109	106	105
HR Plate Mill Plates	100	104	93	89
CR Coils and Sheets	100	127	129	131
Metallic Coated Steel	100	117	121	119
Colour Coated Steel	100	100	95	91
PUC as whole	100	111	108	106

x **Conclusions on serious injury**

291. The factual position examined above regarding injury parameters relating to may be summarized as follows:
- i. Imports have increased significantly in absolute terms, in relation to domestic production, and in relation to demand for the PUC in India.
 - ii. The imports have increased as a result of unforeseen circumstances and as the effect of obligations incurred under GATT 1947.
 - iii. The increase in imports was recent, sudden, sharp and significant.
 - iv. Market share of imports have increased from ***% during 2021-22 to ***% during the POI. During the same period, market share of the domestic industry declined by ***%.
 - v. Sales volumes of the domestic industry for the PUC increased by ***% during injury analysis period. While it increased by ***% during 2022-23, a further ***% during 2023-24, and ***% during the POI, which is the most recent period.

- vi. Capacity and actual production increased significantly during the injury analysis period. However, volume of production declined by *** MMT ***% during POI as compared to 2023-24.
- vii. Unutilized capacity of the domestic industry increased to *** MMT during the POI, which accounted for ***% of the capacity.
- viii. Productivity per day and productivity per employee increased during the injury analysis period. Productivity per day per employee remained unaffected.
- ix. Average inventory levels increased significantly both in absolute terms, and in terms of number of days of production or sales.
- x. Profitability of the domestic industry declined significantly. PBT in absolute terms declined by ***% during POI compared to the base year 2021-22. PBT per MT declined by ***% during the same period. Consequential decline in PBIT and Cash Profits was also observed.
- xi. The profitability of the domestic industry declined during 2022-23 compared to 2021-22. It increased marginally during 2023-24 but declined again during the POI. Compared to the base year, profitability during the POI stands eroded significantly. This shows that the financial position of the domestic industry is highly fragile and vulnerable.
- xii. No. of employees increased by ***% during 2022-23 over 2021-22 and reached ***. As the domestic industry suffered significant losses during 2022-23, as one of the measures to reduce costs, the number of employees was reduced to *** in 2023-24 and further to *** during the POI. However, the number of employees during the POI was ***% higher compared to the base year 2021-22.

J. CAUSAL LINK BETWEEN INCREASED IMPORT AND SERIOUS INJURY OR THREAT OF SERIOUS INJURY:

292. The WTO Panel on *Korea-Dairy*¹⁵ set forth the basic approach for determining “causation”, as follows:

“In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”

293. While the import volume increased, import prices declined during the injury analysis period. A significant volume of imports undercut the prices of the domestic industry as noted below.
294. HR Coils and Sheets: During the POI, the weighted average price of all imports of HR coils and sheets was Rs. ***PMT. Compared to the domestic selling price of Rs. ***PMT, price undercutting on an overall basis was ***%.
295. The weighted average import prices of imports declined from Rs. ***PMT during 2021-22 to Rs. ***PMT during the POI. The domestic selling prices declined from Rs. ***PMT to Rs. ***PMT during the same period. The volume of imports that undercut the prices of the domestic industry was just ***% during 2021-22. It increased to ***%, ***% and ***% during the subsequent periods. During the POI, of the total imports of ***MMT, over ***% of the imports *** MMT undercut the prices of the domestic industry. The undercutting percentage was ***% during the POI.

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Total imports volume	000' MT	995	1,926	3,081	3,973
Undercutting imports volume	000' MT	***	***	***	***
	Trend	100	285	595	809
Undercutting volume %	%	***	***	***	***
	Trend	100	149	192	203
Import Prices					
Value of Undercutting volume	Rs. In crores	***	***	***	***
	Trend	100	253	548	721
Import Price of Undercutting volume	INR/M T	***	***	***	***
	Trend	100	89	92	89
Domestic Selling Price	INR/M T	***	***	***	***
	Trend	100	92	87	84
Price Undercutting	INR/M T	***	***	***	***
	Trend	100	110	54	48
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
	Trend	100	120	60	53

296. HR Plate Mill Plates: On all imports taken together, there was no price undercutting. However, of the total imports volume of ***MMT during the POI, more than ***% i.e. ***MMT of HR Plate Mill Plates undercut the prices of the domestic industry by ***% as shown in the table below.

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Total imports volume	'000 MT	302	312	619	892
Undercutting imports volume	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	62	671	682
Undercutting volume %	%	***	***	***	***
	Trend	100	60	327	227
Import Prices					
Value of Undercutting volume	Rs. In crores	***	***	***	***
	Trend	100	59	663	669
Import Price of Undercutting volume	INR/M T	***	***	***	***
	Trend	100	94	99	99
Domestic Selling Price	INR/M T	***	***	***	***
	Trend	100	101	98	94
Price Undercutting	INR/M T	***	***	***	***
	Trend	100	161	89	52
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
	Trend	100	175	92	50

297. CR Coils and sheets: On all imports taken together, there was no price undercutting. Of the total imports of *** MMT during POI, *** MMT (accounting for *** % undercut the prices of the domestic industry by ***% as shown in the table below:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Total imports volume	'000 MT	473	578	515	541
Undercutting imports volume	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	39	62	77
Undercutting volume %	%	***	***	***	***
	Trend	100	32	56	66
Import Prices					
Value of Undercutting volume	Rs. In crores	***	***	***	***
	Trend	100	36	54	66
Import Price of Undercutting volume	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	92	86	86
Domestic Selling Price	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	93	86	84
Price Undercutting	INR/MT	***	***	***	***

	Trend	100	101	82	75
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
	Trend	100	106	94	88

298. Metallic Coated Steel: On all imports taken together, there was no price undercutting. Of the total imports of ***MMT during POI, *** MMT (accounting for ***% undercut the prices of the domestic industry by ***% as shown in the table below:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Total imports volume	'000 MT	381	518	762	803
Undercutting imports volume	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	69	170	143
Undercutting volume %	%	***	***	***	***
	Trend	100	50	84	67
Import Prices					
Value of Undercutting volume	Rs. In crores	***	***	***	***
	Trend	100	62	154	126
Import Price of Undercutting volume	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	89	91	88
Domestic Selling Price	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	89	86	82
Price Undercutting	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	89	62	55
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
	Trend	100	100	68	64

299. Colour Coated Steel: On all imports taken together, there was no price undercutting. Of the total imports of 0.404 MMT during POI, ***MMT (accounting for ***%) undercut the prices of the domestic industry by ***% as shown in the table below:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Total imports volume	'000 MT	142	190	366	404
Undercutting imports volume	'000 MT	***	***	***	***
	Trend	100	157	400	439
Undercutting volume %	%	***	***	***	***
	Trend	100	116	155	153
Import Prices					
Value of Undercutting volume	Rs. In crores	***	***	***	***
	Trend	100	151	368	390

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Price of Undercutting volume	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	97	93	89
Domestic Selling Price	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	94	90	87
Price Undercutting	INR/MT	***	***	***	***
	Trend	100	87	85	80
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
	Trend	100	90	90	90

300. For the PUC as a whole, total volume of imports and the undercutting volume thereof are tabulated below:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Total imports volume	MMT	2,293	3,524	5,344	6,612
Undercutting imports volume	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	146	335	414
Undercutting volume %	%	***	***	***	***
	Trend	100	95	143	143

301. The import volumes undercutting the domestic selling prices accounted for ***% of total imports during 2021-22 and 2022-23. It increased significantly to ***% during 2023-24 and the POI. In response to the entry of a large volume of imports undercutting the domestic selling prices, the domestic industry had to reduce its prices significantly to remain in the market and to prevent further increase in imports at undercutting prices.

a. Price Depression:

302. The Domestic Selling Price (“DSP”) for HR Coils and sheets was depressed by ***% during the POI compared to 2021-22. During the same period, DSP of HR Plate Mill Plates was depressed by ***%, CR Coils and sheets by ***%, Metallic Coated Steel by ***% and Colour Coated steel by ***%. DSP was lower on a year-on-year basis for each of the five categories every year during the injury analysis period except one instance when the DSP of HR Plate Mills Plate increased by just ***% during 2022-23 over 2021-22. Thus, price depression was significant and was present throughout the injury analysis period.

(INR per MT)

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Actual				
HR Coils and Sheets	***	***	***	***
HR Plate Mill Plates	***	***	***	***
CR Coils and Sheets	***	***	***	***
Metallic Coated Steel	***	***	***	***

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Colour Coated Steel	***	***	***	***
Trend				
HR Coils and Sheets	100	92	87	84
HR Plate Mill Plates	100	101	98	94
CR Coils and Sheets	100	93	86	84
Metallic Coated Steel	100	89	86	82
Colour Coated Steel	100	94	90	87

b. Price Suppression:

303. HR Coils and sheets: For the injury analysis period, domestic selling prices declined by Rs. *** PMT and the cost of sales increased by Rs. *** PMT leading to a cumulative price suppression of Rs. *** PMT as shown in the table below.

Particulars	UOM	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI	Cumulative Change
Domestic Selling Price	INR/M T	***	***	***	***	
	Trend	100	92	87	84	
Increase/(Decrease) in Price	INR/M T		(***)	(***)	(***)	(***)
	Trend		100	55	41	
Cost of Sales	INR/M T	***	***	***	***	
	Trend	100	117	106	104	
Increase/(Decrease) in Cost of Sales	INR/M T		***	(***)	(***)	***
	Trend		100	-67	-7	
Price Suppression	INR/M T		***	(***)	***	***
	Trend		100	-19	12	

304. HR Plate Mill Plates: During the injury analysis period, domestic selling prices declined by Rs. ***PMT and the cost of sales increased by Rs. ***PMT leading to a cumulative price suppression of Rs. ***PMT as shown in the table below.

Particulars	UOM	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI	Cumulative Change
Domestic Selling Price	INR/M T	***	***	***	***	
	Trend	100	101	98	94	
Increase/(Decrease) in Price	INR/M T		***	(***)	(***)	(***)
	Trend		100	-213	-312	

Cost of Sales	INR/M T	***	***	***	***	
	Trend	100	120	110	104	
Increase/(Decrease) in Cost of Sales	INR/M T		***	(***)	(***)	***
	Trend		100	-51	-29	
Price Suppression	INR/M T		***	(***)	(***)	***
	Trend		100	-34	-1	

305. CR Coils and Sheets: During the injury analysis period, domestic selling prices declined by Rs. ***PMT and the cost of sales increased by Rs. ***PMT leading to a cumulative price suppression of Rs. ***PMT as shown in the table below.

Particulars	UOM	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI	Cumulative Change
Domestic Selling Price	INR/M T	***	***	***	***	(***)
	Trend	100	93	86	84	
Increase/(Decrease) in Price	INR/M T		(***)	(***)	(***)	
	Trend		100	111	24	
Cost of Sales	INR/M T	***	***	***	***	***
	Trend	100	118	105	104	
Increase/(Decrease) in Cost of Sales	INR/M T		***	(***)	(***)	***
	Trend		100	-72	-4	
Price Suppression	INR/M T		***	()	***	***
	Trend		100	-12	5	

306. Metallic Coated Steel: During the injury analysis period, domestic selling prices declined by Rs. ***PMT and the cost of sales declined by Rs. ***PMT leading to a cumulative price suppression of Rs. *** PMT as shown in the table below.

Particulars	UOM	FY 2021-22	FY 2022- 23	FY 2023- 24	POI	Cumulat ive Change
Domestic Selling Price	INR/M T	***	***	***	***	(***)
	Trend	100	89	86	82	
Increase/(Decrease) in Price	INR/M T		(***)	(***)	(***)	
	Trend		100	31	32	
Cost of Sales	INR/M T	***	***	***	***	(***)
	Trend	100	111	100	96	

Particulars	UOM	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI	Cumulative Change
(***)Increase/(Decrease) in Cost of Sales	INR/MT		***	(***)	(***)	-2,889
	Trend		100	-104	-34	
Price Suppression	INR/MT		***	(***)	***	***
	Trend		100	-31	2	

307. Colour Coated Steel: During the injury analysis period, domestic selling prices declined by Rs. ***PMT and the cost of sales declined by Rs. *** PMT leading to a cumulative price suppression of Rs. *** PMT as shown in the table below.

Particulars	UOM	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	POI	Cumulative Change
Domestic Selling Price	INR/MT	***	***	***	***	(***)
	Trend	100	94	90	87	
Increase/(Decrease) in Price	INR/MT		(***)	(***)	(***)	
	Trend		100	58	63	
Cost of Sales	INR/MT	***	***	***	***	(***)
	Trend	100	105	97	94	
Increase/(Decrease) in Cost of Sales	INR/MT		***	(***)	(***)	(***)
	Trend		100	-158	-51	
Price Suppression	INR/MT		***	(***)	***	***
	Trend		100	-37	13	

308. As noted above, there is a significant price depression and price suppression caused by increased imports. The fact that significant volume of imports were undercutting the domestic selling prices establish the causal link between the increased imports and the price depression and price suppression. As a consequence, the profitability of the domestic industry has been severely affected, as noted above. If this trend continues, the domestic industry is likely to suffer significant losses in the near future.

309. The following factors are also relevant in regard to determining the cause and effect relationship of increased imports and the serious injury during the POI and the threat of serious injury in the future, to the DI:

- a) Imports have increased significantly in absolute terms, in relation to domestic production, and in relation to demand for the PUC in India.
- b) The increase in imports was recent, sudden, sharp and significant.
- c) Market share of imports have increased from ***% during 2021-22 to ***% during

- the POI. During the same period, market share of the domestic industry declined by ***%.
- d) Capacity and actual production increased significantly during the injury analysis period. However, volume of production declined by *** MMT ***% during POI.
 - e) Unutilized capacity of the domestic industry increased to *** MMT during the POI, which accounted for ***% of the capacity.
 - f) Average inventory levels increased significantly both in absolute terms, and in terms of number of days of production or sales.
 - g) Profitability of the domestic industry declined significantly. PBT in absolute terms declined by ***% during POI compared to the base year 2021-22. PBT per MT declined by ***% during the same period. Consequential decline in PBIT and Cash Profits was also observed.
 - h) The profitability of the domestic industry declined during 2022-23 compared to 2021-22. It increased marginally during 2023-24 but declined again during the POI. Compared to the base year, profitability during the POI stands eroded significantly. This shows that precarious financial position of the domestic industry.
 - i) No. of employees increased by ***% during 2022-23 over 2021-22 and reached ***. As the domestic industry suffered significant losses during 2022-23, as one of the measures to reduce costs, the number of employees was reduced to *** in 2023-24 and further to *** during the POI.
310. To sum up, a comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury is being caused to the DI and is likely to continue in future by the significantly increased and continually increasing imports of the PUC. It is also relevant to note that while arriving at this conclusion, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on determining the causation of serious injury to the DI have been evaluated.

K. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

311. As per Annexure to the Rules, the Authority is required to determine whether increased imports were a cause of the serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. Therefore, for the purpose of non-attribution assessment, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the domestic industry were examined. In addition, it was examined whether factors other than increased imports were a cause of injury to the domestic industry. While there are no laid down "other factors" that are required to be evaluated, it was examined whether factors such as changes in technology, regulatory restrictions and contraction in demand, were principal cause of injury to the domestic industry.

Change In Technology

312. The Authority notes that there are no significant changes in technology. Therefore, the injury to the domestic industry is not attributable to Changes in Technology.

Regulatory Restrictions

313. The Authority notes that there are no regulatory restrictions. Therefore, the injury to the domestic industry is not attributable to regulatory restrictions.

Contraction In Demand

314. As seen above, the demand for the product under consideration as a whole is increasing. Therefore, the injury to the domestic industry is not attributable to contraction in demand.

Pattern Of Consumption

315. There have been no changes in the patterns of consumption. Therefore, injury to the domestic industry is not attributable to changes in the pattern of consumption.

Conditions Of Competition And Trade Restrictive Practices

316. The investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices have changed. Therefore, injury to the domestic industry is not attributable to conditions of competition and trade restrictive practices.

Export performance of the domestic industry.

317. The injury analysis is limited only to domestic performance and for the product under consideration. Therefore, injury to the domestic industry is not attributable to the export performance of the domestic industry.

L. THREAT OF SERIOUS INJURY

318. The Domestic Industry has claimed that in addition to suffering serious injury, the recent, sudden, sharp and significant increase in imports pose a threat to serious injury. Authority has examined the following aspects with reference to threat of injury:-

Excess Capacity

319. As examined above, as per the OECD report on 'latest developments in steelmaking capacity'¹⁷, global steelmaking capacity increased by 32.1 MMT to 2459.1 MMT in the year 2022, which is the highest global capacity figure in history. Additionally, there is a significant gap between global capacity and crude steel production. The idle capacity surged to 627.7 MMT in 2022 from 512.6 MMT in 2021. Additionally, the Authority has also examined and noted above that the steel making capacities in large steel producing economies such as Japan and South Korea have increased significantly in the recent period. The percentage of capacity that exceeds the consumption in the case of South Korea and Japan was 101% and 49% respectively in the year 2023. The global excess steelmaking capacity poses a threat of serious injury to the domestic industry.

Trade Remedy Actions Globally

¹⁷ OECD Report dated 18 January 2024

320. As examined above, subsequent to the imposition of 25% additional duty on steel products by the United States under Section 232 of the US Trade Expansion Act, 1962, several countries have imposed trade remedy measures on various steel products. Countries such as the GCC, the EU, Morocco, Canada and the UK had imposed safeguard measures on steel products. Additionally, several WTO Members imposed Antidumping or countervailing duties on imports of steel products into their territories. According to an OECD Report, 129 trade remedy measures were adopted by countries such as the EU, Canada, the UK and others against steel products. The Authority also notes that on 10 February 2025, the USA has announced that it would apply 25% additional duty on steel products with effect from 12 March 2025 uniformly on all imports into the USA from all sources by revoking relaxations and exemptions granted, if any, to various countries. The domestic industry has claimed that consequent to these measures, more imports are expected to bounce off from those countries and India has become more vulnerable to increased imports. The Authority notes that the wave of trade remedy and other protective measures taken against steel products by various countries pose a threat to serious injury to the domestic industry.

Export Orientation Of Key Producers

321. As examined above, large steel producing economies such as Japan, South Korea and China have high steel producing capacities, that far exceed their domestic consumption. On account of the excess capacities, the possibility of steel producers in these economies turning to export markets cannot be ruled out, which may pose a threat to serious injury to the domestic industry.

Increase in import intensity and lowering of prices

322. As highlighted in the data analysis done in previous paragraphs of these findings, there is an increase in intensity of the imports, both in terms of quantum as well as their price suppression and depression impact. These trends when extrapolated hold an imminent and near term serious threat of injury to the domestic industry.

M. CRITICAL CIRCUMSTANCES:

323. The domestic industry has prayed for immediate imposition of provisional safeguard measures stating that critical circumstances exist due to a significant deterioration of their economic health as demonstrated by their injury parameters and increasing imports.
324. Rule 9 of the said Rules authorizes the Authority to proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, record a preliminary finding regarding “serious injury” or ‘threat of serious injury’. In terms of Rule 2(b) of the said Rules, the “critical circumstances mean circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the DI and delay in imposition of provisional Safeguard Duty would cause irreparable damage to the Domestic Industry.
325. As stated herein above, imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to have already caused and further threatening to cause serious

injury to the Domestic Industry. The existence of critical circumstances are evaluated herein below.

326. The volume of imports of the PUC have risen significantly during the POI compared to the same period in the previous years. Furthermore, the volume of imports which undercut the prices of the domestic industry have also risen significantly owing to the significant increase in imports as shown in the table below:

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Total imports volume	MMT	2,293	3,524	5,344	6,612
Undercutting imports volume	MMT	***	***	***	***
	Trend	100	146	335	414
Undercutting volume %	%	***	***	***	***
	Trend	100	95	143	143

327. As a result of the increasing volume of imports of the PUC which undercut the Domestic Industry, it suffered from price depression as it had to lower prices to maintain sales.

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Trend				
HR Coils and Sheets	100	92	87	84
HR Plate Mill Plates	100	101	98	94
CR Coils and Sheets	100	93	86	84
Metallic Coated Steel	100	89	86	82
Colour Coated Steel	100	94	90	87

328. Notwithstanding the fact that the domestic industry lowered its prices, imports continued to gain market share throughout the injury period while that of the domestic industry declined.

Particulars	Units	FY 2021-22	FY2022-23	FY 2023-24	POI
Imports relative to					
... Demand	%	***	***	***	***
	Trend	100	134	180	208
... Production	%	***	***	***	***
	Trend	100	142	196	247
Market Share of DI	%	***	***	***	***
	Trend	100	106	102	95

329. On account of increasing and unabated imports of the PUC, the net sales realization of the DI declined sharply. Consequently, the domestic industry's profitability has declined significantly due to the significant price pressure from increased imports which have gained considerable market share.

Particulars	Units	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Trend					
Profit Before Tax	Indexed	100	6	27	18
Profit Before Interest and Tax	Indexed	100	21	38	31
Cash Profit	Indexed	100	16	35	29

330. Therefore, it is clear that any delay in imposition of provisional Safeguard measures would cause further damage to the Domestic Industry which may be irreparable, both in relation to potential closure of capacities as well as decommissioning of future planned investments to increase capacity. Accordingly, it is observed that critical circumstances very much exist warranting the immediate imposition of Safeguard measures.

N. PUBLIC INTEREST

331. India is a developing country with development policy objectives to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand.
332. A vibrant Steel industry has historically been the foundation of a nation's rapid Industrial Development. On account of rapid industrial development, from a small capacity of 22 MT in FY 1991-92 prior to deregulation, India had become the 3rd largest steel producer in the world with a production of 90 MT and a capacity of 122 MT in FY 2015-16. By 2017, the Indian steel industry contributed approximately 2% to the country's GDP and employed about 5 lakh people directly and about 20 lakh people indirectly.
333. As such, India's National Steel Policy ("NSP") was announced in 2017 in an effort to steer the industry to achieve its full potential, enhance steel production with focus on high-end value-added steel while being globally competitive in major segments like infrastructure, automobiles and housing. The NSP aspires to achieve 300 MT of steelmaking capacity by 2030 which would translate into additional investment of Rs. 10 lakh Crore by 2030-31. The NSP seeks to increase per capita steel consumption to the level of 160 Kgs by 2030 from the level of around 60 Kg.
334. Particularly, the NSP notes that global prices of steel began to decline post 2011, marking the beginning of a downturn in the global steel industry triggered by a slowdown in global demand and over capacities in a number of countries including China. This led to significant structural asymmetry between demand and supply, affecting a large number of Indian companies and leading to surge in imports resulting in weak pricing conditions, low profitability, lower capacity utilization and even closure of capacities in some cases.
335. Therefore, India's NSP states that the industry has to be given appropriate policy support to ensure that production of steel matches the anticipated pace of growth in consumption.

336. In the light of the above, when imports increase significantly causing and threatening to cause serious injury to the domestic steel producers, it would in public interest to put in place trade remedy measures in accordance with the law, to protect the domestic producers from injurious imports. In fact, the above stated policy objectives cannot be achieved if increased imports cause serious injury to the domestic steel industry and appropriate steps are not taken to arrest the surge.
337. Section 8B has been enacted in the public interest for the protection of domestic producers, suffering serious injury due to a surge in imports. The law envisages giving protection to such producers, so that they can adjust their business to deal effectively with the imports. This is a temporary measure for a limited period. Unless provisional duties are imposed to safeguard the interests of the domestic industry, they would continue to face injury which may become difficult to recover from as determined above while examining critical circumstances. On the other hand, users would be able to continue importing the PUC subject to payment of provisional safeguard duty and it is also liable to be refunded if at the conclusion of the present investigation, it is finally determined that definitive safeguard duty is not warranted.
338. Considering the above, it is concluded that imposition of provisional safeguard duty would be in public interest at this stage.

O. CONCLUSION AND RECOMMENDATION:

339. In view of the findings above, the Authority preliminarily concludes that
- I.* There is a recent, sudden, sharp and significant increase in imports of PUC into India, causing and threaten to cause serious injury to the domestic industry/producers of PUC.
 - II.* There exist critical circumstances, where any delay in application for provisional Safeguard measures would cause damage which it would be difficult to repair.
 - III.* There is a necessity for immediate application of provisional Safeguard measures.

P. PROVISIONAL DUTY RATE AND PERIOD:

340. In view of the above conclusion, the Authority considered the appropriate measure to be imposed provisionally. In this regard, the Authority notes that the objective is to protect the Indian domestic industry for the product under consideration against the surge of imports. As stated earlier, trade diversion due to the protective measures imposed by the United States has been a major cause of the surge in imports. To counter the effect of trade diversion from USA into the EU countries, the EU imposed a 25% safeguard duty in 2018 itself. Though EU introduced a TRQ, the above quota imports are subjected to 25% safeguard duty. It may be noted that above the quota tariff level has not been liberalised by EU even after six years of imposition. Apart from EU, Canada, UK (after BREXIT) and Morocco also imposed duties of 25%. Mexico increased the customs tariff by 25% to 50%. Several other countries like South Africa,

Turkey, Viet Nam, GCC, Malaysia, Tunisia have also raised barriers for import of steel products into their countries. To counter the trade diversion from USA as well as any possible diversion from other countries that have put in place import barriers to counter trade diversion from USA into their countries, any protective measure by India shall be at a level adequate to ward off the trade diversion. In addition, the Authority has also considered the threat of serious injury, which has been explained in the appropriate paragraph of this preliminary finding. The authority has also considered the extent of injury being suffered by the applicant industry in the POI and its sharp deterioration. The Authority is also in receipt of concerns of the other interested parties which use the PUC. Given the widespread use of the PUC in multifarious applications, the Authority is mindful of the implications the duties may have on consumer interests. In view of the same, Authority considers that a provisional safeguard duty of 12% will be appropriate to eliminate the serious injury and threat thereof to the domestic industry.

341. Therefore, the Authority recommends imposition of provisional Safeguard Duty at the rate of 12% (twelve percent) ad valorem for 200 days pending final determination on imports of the product under consideration, i.e.:

“Non-Alloy and Alloy Steel Flat Products”, (“PUC”), namely (a) Hot Rolled (“HR”) coils, sheets and plates, (b) HR Plate Mill Plates (“PMP”), (c) Cold Rolled (“CR”) coils and sheets, (d) Metallic Coated Steel coils and sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium (“Coated”), and (e) Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled (“CC”).

The following products are excluded from the scope of the PUC:

- a) Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO)*
- b) Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel (CRNO) coils and sheets*
- c) Coated - Electro Galvanized Steel*
- d) Tinplate*
- e) Stainless steel*
- f) Nickel Coated / Nickel Plated Cold Rolled Steel;*
- g) Rubber Coated Steel;*
- h) Electro Galvanised (EG) – Zinc Nickel Coated Steel;*
- i) Bi-Metal Steel / Bi-Metal Sandwich Steel;*
- j) Brass Coated Steel Wire (wire is part of long steel products, which are not even covered in the notice of initiation);*
- k) CRUTONITE;*
- l) INCONEL;*
- m) Stainless Steel Items (which are not even covered in the notice of initiation);*
- n) Aluminium Coated Steel;*

- o) *Aluminium Silicon Coated / Hot Dipped Aluminised Silicon Coated Steel;*
- p) *Hot Rolled Clad Steel Plate;*
- q) *Nickel Plated Steel / Nickel Plated Strip;*
- r) *Copper Plated Steel;*
- s) *Laminated Electro Galvanized (EGI);*
- t) *Cobalt Plated Steel;*
- u) *Silver Plated Steel;*
- v) *Titanium Clad Plates;*

342. The Authority notes that the PUC types are diverse and primary cause of injury to the domestic industry stems from the import lower priced products. Taking into account current injury, threat of injury and fair selling prices, the Authority recommends that the safeguard duty recommended above should not be imposed on the product categories as specified in the corresponding entry in column (2) of the Table below, when imported into India, at or above the import price on CIF basis as mentioned in the corresponding entry in column (3), in the currency as specified in the corresponding entry in column (5) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:

Sl. No. (1)	Product Category (2)	Import price on CIF basis (3)	Unit (4)	Currency (5)
1.	Hot Rolled coils, sheets and plates	675	MT	USD
2.	Hot Rolled Plate Mill Plates	695	MT	USD
3.	Cold Rolled Coils and Sheets	824	MT	USD
4.	Metallic Coated Steel Coils and Sheets, whether or not profiled, including Galvanneal, Coated with Zinc or Aluminium-Zinc or Zinc-Aluminium-Magnesium	861	MT	USD
5.	Colour Coated coils and sheets, whether or not profiled	964	MT	USD

Q. DEVELOPING NATIONS:

343. The proviso to Section 8B(2) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that Safeguard Duty shall not be “*applied on an article originating from a developing country so long*

as the share of imports of that article from that country does not exceed three percent or where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from each of such developing countries with less than three percent import share taken together, does not exceed nine percent of the total imports of that article into India". Further, Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016 specifies the developing countries for the purposes of this provision. The Authority notes that among the developing countries listed in Notification No. 19/2016, imports of the PUC from China PR and Viet Nam individually account for more than 3% of the total imports of the PUC into India, while imports from all other developing countries individually are less than 3% of the total imports into India. Further, the collective share of imports from the developing countries (excluding China PR and Viet Nam) does not exceed 9% of the total imports of the PUC into India. Therefore, the imports of the PUC originating from developing countries except China PR and Viet Nam, shall be exempt from the levy of Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

R. FURTHER PROCESS:

344. The procedure as mentioned below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:
- a. The Authority invites comments on the preliminary findings from all interested parties within 30 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
 - b. A oral hearing will be held in due course before making a final determination. The date of the oral hearing will be published on the DGTR website. (www.dgtr.gov.in)
 - c. The Authority would conduct further verification of the information submitted by the interested parties as deemed necessary.

DARPAN JAIN, Director General